**VISIONIAS**

www.visionias.in

# समसामयिकी

## अप्रैल - 2018

**Copyright © by Vision IAS**

*All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS*

# विषय सूची


**1. राजव्यवस्था और संविधान 4**

1.1. लोकसभा एवं विधानसभाओं के एक साथ चुनाव 4

1.2 राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार 5

1.3. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 7

1.4.राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग 8

1.5. धर्म परिवर्तन का अधिकार एक मूल अधिकार 9

1.6. फेक न्यूज़ (भ्रामक समाचार) 10

1.7. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 11

1.8. वित्त आयोग द्वारा 2011 की जनगणना का उपयोग 12

1.9. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) 13

1.10 पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम 13

1.11 गवर्नेंस और भ्रष्टाचार पर IMF फ्रेमवर्क 14

1.12. ई-विधान मिशन मोड परियोजना 15

**2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध 16**

2.1 वुहान शिखर सम्मेलन 16

2.2 भारत-नेपाल संबंध 17

2.3. भारत-ब्रिटेन द्विपक्षीय वार्ता 18

2.4. राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक (चोगम) 19

2.5. भारत-नॉर्डिक सम्मेलन 20

2.6. इंडिया-विस्बाडेन कांफ्रेंस, 2018 21

2.7. पनमुनजोम घोषणा 22

2.8.अफ्रीकी-एशियाई ग्रामीण विकास संगठन 22

2.9. क्लेरिफाइयिंग लॉफुल ओवरसीज यूज़ ऑफ़ डेटा एक्ट (क्लाउड एक्ट) 23

2.10. हिंद महासागर को नया आकार देने हेतु चीन द्वारा नहर के निर्माण की योजना 23

2.11. एशियन प्रीमियम 24

2.12. साउथ एशियन क्लाइमेट आउटलुक फोरम 25

2.13 ई- विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय योजना 26

**3. अर्थव्यवस्था 27**

3.1. कमोडिटी स्पॉट और डेरिवेटिव्स बाजार का एकीकरण27

3.2. ऐल्गोरिदम ट्रेडिंग 28

3.3. एंजल टैक्स से छूट 29

3.4. स्थावर संपदा निवेश ट्रस्ट और अवसंरचना निवेश ट्रस्ट30

3.5. पारस्परिक सहमति प्रक्रिया 30

3.6. विदेशी पोर्टफोलियो निवेश 31

3.7. विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य 32

3.8. भारतीय रिजर्व बैंक ने GVA के स्थान पर GDP का उपयोग करने का निर्णय लिया 33

3.9. उदारीकृत विप्रेषण योजना 34

3.10. परम्परागत कृषि विकास योजना 34

3.11. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना 35

3.12. राष्ट्रीय बांस मिशन 36

3.13. ग्रामीण विद्युतीकरण 37

3.14. फेम योजना के प्रथम चरण का विस्तार 39

3.15. तेल और गैस अन्वेषण 40

3.16. कोल बेड मीथेन का अन्वेषण 41

3.17. उत्तम ऐप 41

3.18. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 42

3.19. IMF का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 43

3.20. ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट 2017 43

3.21. भारत की GSP पात्रता समीक्षा 43

3.22. यू.एस. करेंसी वाच लिस्ट 44

**4. सुरक्षा 45**

4.1. रक्षा नियोजन समिति 45

4.2. धनशोधन निवारण अधिनियम में संशोधन 46

4.3. वामपंथी उग्रवाद को नियंत्रित करना 47

4.4. तटीय सुरक्षा योजना 48
4.5. साइबर हमले के विरुद्ध महत्वपूर्ण समझौता 50
4.6. इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम 50
4.7. सुरक्षा अभ्यास 51
**5. पर्यावरण 52**
5.1 भारत में वनाग्नि और उसका प्रबंधन 52
5.2. जल-अभावग्रस्त शहर 54
5.3. जलवायु अनुकूल कृषि के लिए महाराष्ट्र सरकार की परियोजना 55
5.4. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2018 55
5.5. 8वीं क्षेत्रीय 3R फोरम 56
5.6. ग्लोबल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन:ए रोडमैप टू 2050 57
5.7. ग्लोबल कमीशन ऑन द जियोपोलिटिक्स ऑफ़ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन 58
5.8. इंटरनेशनल एनर्जी फ़ोरम 58
5.9. ग्रीनको रेटिंग 59
5.10. सोलर जियो-इंजीनियरिंग 59
5.11.UNCCD की एशिया पैसिफिक रीजनल वर्कशॉप 60
5.12.बायोमास प्रबंधन पर टास्क फोर्स 62
5.13 स्टेट ऑफ द वर्ल्डस बर्डस रिपोर्ट 2018 64
5.14. विश्व का सबसे छोटे भूमि फर्न की खोज 65
5.15. स्वेल तरंगें 65
**6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी 67**
6.1. राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन 67
6.2. अर्थ बायो-जीनोम प्रोजेक्ट 67
6.3. ऑक्सीटोसिन पर प्रतिबंध 68
6.4. प्रोजेक्ट धूप 69
6.5. अंतरिक्षीय कचरा 69
6.6. आइंस्टीन रिंग (वलय) 70
6.7. यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) का GAIA मिशन 71
6.8. ट्रांज़िटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट (TESS) मिशन71
6.9. इसरो का IRNSS-1I उपग्रह 71
6.10. साउंडिंग रॉकेट: RH-300 MKII 72
6.11. LYRID 2018 73
**7. सामाजिक मुद्दे 74**
7.1. स्टेट ऑफ़ सोशल सेफ्टी नेट्स 2018 74
7.2. मानव अधिकार संरक्षण(संशोधन)विधेयक, 2018 76
7.3. बच्चों से बलात्कार 76
7.4. NIRF इंडिया रैंकिंग -2018 77
7.5. उन्नत भारत अभियान 2.0 78
7.6. राष्ट्रीय आविष्कार अभियान 79
7.7. वन धन योजना 79
7.8. ग्राम स्वराज अभियान 80
7.9. राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 80
**8. संस्कृति 82**
8.1. विश्व धरोहर स्थल 82
8.2. कोणार्क मंदिर 83
8.3. मधुबनी चित्रकला 84
8.4. राष्ट्रीय संस्कृति निधि 84
8.5. यूनेस्को एटलस ऑफ़ दी वर्ल्डस लैंग्वेजेज इन डेंजर 85
**9. नीतिशास्त्र 86**
9.1. असमानता एवं नीतिशास्त्र 86
**10. विविध 88**
10.1. अदिलाबाद डोकरा तथा वारंगल की दरियां 88
10.2. वर्ल्ड काउंसिल ऑन सिटी डेटा सर्टिफिकेशन 88
10.3 UN रोड सेफ्टी ट्रस्ट फंड 89
10.4.विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 90
10.5. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन ग्लोबललिंकर 90
10.6. अभ्यास चक्रवात 91

VISION IAS

# 1. राजव्यवस्था और संविधान

(POLITY AND CONSTITUTION)

## 1.1. लोकसभा एवं विधानसभाओं के एक साथ चुनाव

(Simultaneous Elections)

**सुर्खियों में क्यों?**

हाल ही में, विधि आयोग ने लोकसभा एवं विधानसभाओं के **एक साथ चुनाव कराने** से सम्बंधित ह्वाइट पेपर जारी किया।

संबंधित जानकारी

- चुनाव आयोग की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट (1983) में एक साथ चुनाव कराने का विचार रखा गया तथा बाद में विधि आयोग की रिपोर्ट (1999) और संसदीय स्थायी समिति की 79वीं रिपोर्ट (2015) में भी इस विचार को आगे बढ़ाया गया।
- 2017 में, एक साथ चुनाव कराने के विचार की प्रासंगिकता पर चर्चा करने के लिये नीति आयोग द्वारा एक पेपर जारी किया गया।

**एक साथ चुनाव (SE) से सम्बंधित तथ्य**

- एक साथ चुनाव कराने का आशय **भारतीय चुनाव चक्र को इस प्रकार संरचित** करना है कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक ही समय में हों तथा किसी **विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता** राज्य विधानसभा और लोकसभा, दोनों के लिए **एक ही दिन** मतदान करें।
- इसका **अर्थ यह नहीं है** कि देशभर में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक ही दिन मतदान किया जाना आवश्यक है।
- अतीत में, 1967 तक भारत में **एक साथ चुनाव आयोजित किये जाते थे,** किन्तु ये **विधानसभाओं के समय पूर्व विघटन** के कारण बाधित हो गए।
- लोकतंत्र के तृतीय स्तर के चुनाव एक साथ होने वाले चुनावों में सम्मिलित नहीं किया जा सकते क्योंकि -
  - यह राज्य सूची का विषय है।
  - स्थानीय निकायों की संख्या अत्यधिक है।

**ड्राफ्ट पेपर की कुछ सिफारिशें**

- RPA अधिनियम 1951 की धारा 2 में **"एक साथ चुनाव" की परिभाषा** को जोड़ा जा सकता है।
- संविधान के **अनुच्छेद 83 और 172** (जो क्रमशः संसद के दोनों सदनों और राज्य विधायिकाओं की अवधि से संबंधित हैं) को **RPA अधिनियम 1951 के अनुभाग 14 और 15** (क्रमशः संसद के दोनों सदनों और राज्य विधायिकाओं में आम चुनावों की अधिसूचना से संबंधित) के साथ उचित रूप से संशोधित किया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह होगा कि मध्यावधि चुनावों के पश्चात् गठित नई लोकसभा और विधानसभा, **केवल शेष अवधि के लिए ही कार्यरत रहेगी।**
- संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 2(1) (b) के तहत उल्लिखित **दल बदल विरोधी कानून** को एक अपवाद के रूप में हटाया जाए, ताकि त्रिशंकु सदन की स्थिति में गतिरोध से बचा जा सके।
- आम चुनावों की अधिसूचना जारी करने के लिए 6 महीने की सांविधिक सीमा को बढ़ाने हेतु **RPA, 1951 की धारा 14 और 15** को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि एक साथ चुनाव आयोजित करने में चुनाव आयोग को लचीलापन प्रदान किया जा सके।
- **अविश्वास प्रस्ताव के कारण** विधानसभा के **समयपूर्व विघटन का एक विकल्प** यह हो सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सदस्यों द्वारा उसके साथ ही वैकल्पिक सरकार के गठन का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जाए।
- सरकार को स्थिरता प्रदान करने हेतु लोकसभा/विधानसभा का **नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री का सम्पूर्ण सदन द्वारा चुनाव किया जा सकता है,** जैसे कि लोक सभा के अध्यक्ष को चुना जाता है।

आचार संहिता (MCC)

- यह **राजनीतिक दलों की सर्वसम्मति से विकसित** मानदंडों का एक समुच्चय है। यह उन मानदंडों को निर्धारित करता है जिनका राजनीतिक दलों, चुनाव में खड़े प्रत्याशियों व सत्ताधारी दल को चुनावों की प्रक्रिया के दौरान सख्ती से पालन करना पड़ता है।
- इसे चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से लागू किया जाता है और यह चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहती है।

**एक साथ चुनाव करवाए जाने की आवश्यकता**

- बार-बार चुनाव करवाए जाने के कारण **आचार संहिता लंबे समय तक लागू रहती है,** परिणामस्वरूप विकास कार्यक्रमों, कल्याणकारी योजनाओं, पूंजीगत परियोजनाओं का कार्यान्वयन बाधित होता है तथा इससे **पॉलिसी पैरालिसिस एवं गवर्नेंस डेफिसिट** की स्थिति उत्पन्न होती है।
- चुनाव में राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों जैसे **विभिन्न हितधारकों द्वारा भारी मात्रा में धन का व्यय** किया जाता है। चुनाव जीतने के लिए निर्धारित सीमा से अधिक व्यय करने की प्रवृति देश में **भ्रष्टाचार और काले धन के बढ़ने के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों में से एक** है।

VISION IAS

- सरकारी दृष्टिकोण से देखने पर स्पष्ट होता हैं कि चुनावों को संपन्न करवाने के लिये प्रशासनिक मशीनरी के एक पूरे सेट की आवश्यकता होती है। नतीजतन, बार-बार होने वाले चुनाव **प्रक्रिया प्रबंधन की प्रशासनिक लागत** में वृद्धि करते हैं।
- इसके अतिरिक्त, आम तौर पर पूरे चुनाव के दौरान **सुरक्षा बलों (विशेष रूप से CAPF) की तैनाती** होती है। ऐसा न होने पर उन सुरक्षा बलों को आंतरिक सुरक्षा उद्देश्यों के लिए तैनात किया जा सकता है।
- बार-बार होने वाले चुनाव **विधायी कामकाज में बाधा** डालते हैं, क्योंकि **आगामी चुनाव जीतने की बाध्यता** अल्पकालिक राजनीतिक अनिवार्यता को तात्कालिक प्राथमिकता बना देती है।
- **अन्य मुद्दे-** बार-बार होने वाले चुनाव **सामान्य सार्वजनिक जीवन में व्यवधान** और आवश्यक सेवाओं के कामकाज को प्रभावित करते हैं।
  - चूंकि चुनावों के दौरान जाति, धर्म और सांप्रदायिक मुद्दें ध्यानाकर्षण में होते है, अत: चुनावों की आवृत्ति में वृद्धि देश भर में ऐसे **विभाजनकारी मुद्दों को कायम रखती है।**

**एक साथ चुनाव की आलोचना**

- समयावधियों के सिंक्रनाइज़ेशन के लिए विभिन्न विधान सभाओं की अवधि में कमी या विस्तार की आवश्यकता होगी जिसे **सत्तारूढ़ दल** (अवधि के संकुचन के मामले में) **या विपक्षी दल** (अवधि के विस्तार के मामले में) द्वारा **समर्थित नहीं किया जाएगा।**
- इसके अतिरिक्त यह भी विवाद का विषय है कि क्या भारत के निर्वाचन आयोग के लिए इतने व्यापक स्तर पर **चुनाव आयोजित करना व्यवहार्य है।**
- यदि एक साथ चुनाव के लक्ष्य को प्राप्त कर भी लिया जाता है तो इसे बनाए रखना मुश्किल होगा क्योंकि अनुच्छेद 83 (2) और 172 (1) के तहत क्रमशः **लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की अवधि निश्चित नहीं है।**
- **अल्प-सूचित मतदाताओं** के द्वारा चयन के कारण a) राज्य विधानसभा चुनावों में मतदान के दौरान मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करने वाले राष्ट्रीय मुद्दे; या b) लोकसभा चुनावों में मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करने वाले क्षेत्रीय मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं।
- बार-बार होने वाले चुनावों के कारण **राजनीतिक दल के नेता, निरंतर मतदाताओं के संपर्क में रहते हैं** तथा इससे नेताओं की जनता के प्रति **उत्तरदायित्व में वृद्धि** होती है। यह नेताओं को 'जनता की नब्ज' को टटोलने में मदद करता है और विभिन्न स्तरों पर चुनावी परिणाम समय-समय पर सरकार को उसके कार्यक्रमों में **आवश्यक सुधार** की गुंजाइश से अवगत कराते रहते हैं।

**आगे की राह**

भारत में एक साथ चुनाव आयोजित करवाने के अत्यंत कठिन कार्य के क्रियान्वयन हेतु सभी हितधारकों के मध्य समन्वय और विचार-विमर्श की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल का सिंक्रनाइज़ेशन **(संसदीय समिति द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार)** एक बार में करने के बजाय विभिन्न चरणों में किया जा सकता है। कानून के माध्यम से एक साथ चुनाव आयोजित करने हेतु मजबूर करने के स्थान पर, उन राज्य विधानसभाओं में एक साथ चुनाव आयोजित करने के प्रयास किए जाने चाहिए जिनका कार्यकाल एक साथ पूर्ण हो रहा है।

## 1.2 राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार

### (Expansion of Scheduled Areas in Rajasthan)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में **भारतीय संविधान की अनुसूची-V** के अधीन अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- इससे पूर्व राजस्थान में 1981 में किये गए अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार के बाद, 2011 की जनगणना के आधार पर राज्य में पुनर्गठन के कारण 2014 में एक और विस्तार प्रस्तावित किया गया था।
- ये क्षेत्र अब केंद्रीय और राज्य सरकारों की वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत **जनजातीय उप-योजना** के एक भाग होंगे।

**सम्बंधित तथ्य**

**अनुच्छेद 244**

पांचवीं अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से भिन्न किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होंगे।

**किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने हेतु मानदंड**

- जनजातीय जनसंख्या की बहुलता;
- क्षेत्र की सघनता और युक्तियुक्त आकार;
- क्षेत्र की अल्प-विकसित प्रकृति
- लोगों के आर्थिक स्तर में सुस्पष्ट असमानता।


VISIONIAS

इन मानदंडों को **भारतीय संविधान में वर्णित नहीं किया गया है** किन्तु ये पूर्णतया स्थापित हो चुके हैं।

**अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य**

आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्र संबंधी प्रावधान लागू हैं।

**जनजातीय उप-योजना (TSP)**

- यह जनजातीय लोगों के तीव्र सामाजिक-आर्थिक विकास की एक रणनीति है जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की वार्षिक योजना का एक अंग होती है।
- TSP से **जनजातियों और जनजातीय क्षेत्रों को प्रदत्त लाभ** उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की समग्र योजना द्वारा प्रदत्त लाभों के अतिरिक्त होते हैं।
- जनजातीय उप-योजना के तहत प्रदान की गयी राशि कम से कम प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र **की जनजातीय जनसंख्या के समानुपात में होनी चाहिए।**

**पांचवीं अनुसूची (अनुच्छेद 244)**

- पांचवीं अनुसूची द्वारा **पूर्वोत्तर राज्यों के बाहर निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों के हितों को संरक्षित किया गया है।** यह भारत के उन बड़े हिस्सों में "अनुसूचित क्षेत्रों" का निर्धारण करती है जिनमें "अनुसूचित जनजातियों" के हितों को संरक्षित किया जाना आवश्यक है। अनुसूचित क्षेत्र की **50 प्रतिशत से अधिक आबादी का जनजातीय होना** आवश्यक है।
- **5वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्यपाल की शक्तियां**
  राज्यपाल की विभिन्न शक्तियों में शामिल हैं-
  - राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र में **शांति और सुशासन हेतु विनियमन करना**, जैसे- अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के द्वारा या उनके मध्य भूमि अंतरण को निषिद्ध या प्रतिबंधित करना; उन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को किये जाने वाले भूमि आवंटन को विनियमित करना; ऐसे क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के लोगों को साहूकारों द्वारा धन उधार देने के व्यवसाय को विनियमित करना।
  - संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए किसी भी अधिनियम के अनुसूचित क्षेत्रों में **लागू न होने के संबंध में निर्देश देना।**
  - उपर्युक्त वर्णित किसी भी विनियमन के निर्धारण की प्रक्रिया में, राज्यपाल किसी भी **संघ या राज्य कानून को निरस्त या संशोधित कर सकता है।**
  - राज्यपाल इस प्रकार के विनियमन राज्य की **जनजातीय सलाहकार परिषद् के परामर्श से ही बना सकता है।**
- **जनजाति सलाहकार परिषद् (Tribes Advisory Council: TAC)**: 5वीं अनुसूची के तहत निर्धारित किया गया है कि यह TAC का कर्त्तव्य होगा कि वह राज्य में जनजातियों के कल्याण और प्रगति से संबंधित विषयों (राज्यपाल द्वारा संदर्भित) पर **राज्यपाल को परामर्श** प्रदान करे।
- **राष्ट्रपति और अनुसूचित क्षेत्र**: राष्ट्रपति को राज्यपाल से परामर्श के बाद किसी भी **अनुसूचित क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन** करने की शक्ति प्रदान की गयी है।
  - राज्यपाल द्वारा निर्धारित किये गये विनियमन केवल राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत ही प्रभावी होते हैं। राज्यपाल के लिए अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति के समक्ष **वार्षिक रिपोर्ट** प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- **अनुसूची में संशोधन:** संसद विधि द्वारा इस अनुसूची के किसी भी प्रावधान में परिवर्द्धन, परिवर्तन या निरसन के माध्यम से संशोधन कर सकती है। ऐसा कोई कानून संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जायेगा।
- पांचवीं अनुसूची के उपबंधों का **पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996** के माध्यम से और अधिक कानूनी और प्रशासनिक सुदृढीकरण हुआ है।
- **अनुसूची की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं:**
  - यह जनजाति सलाहकार परिषद् की स्थापना संबंधी प्रावधानों को उपबंधित करती है।
  - यह अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में संघ द्वारा किसी राज्य को दिए गए निर्देशों के विस्तार के संदर्भ में भी उपबंध करती है।

**जनजातीय सलाहकार परिषद्**

- इसकी स्थापना राष्ट्रपति के निर्देश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य में या किसी ऐसे राज्यों में भी जहां अनुसूचित जनजाति तो है किन्तु अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, में की जाती है।
  - इसमें 20 सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें से तीन-चौथाई उस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होने चाहिए।
  - राज्यपाल इन परिषदों के सदस्यों की संख्या को विनियमित करने, उनकी नियुक्ति की रीति, इन परिषदों के अध्यक्ष, अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति तथा इसकी बैठकों और सामान्य कार्यवाहियों का संचालन करने के लिए नियम उपबंधित कर सकता है।

**(नोट: जनजातीय उप-योजना के लिए समसामयिकी फरवरी 2018 देखें)**

## 1.3. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम

[Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act]

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के कारण अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 चर्चा में रहा।

**अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989**

- यह अनुसूचित जाति तथा जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचारों का निषेध करता है, तथा ऐसे अपराधों की सुनवाई तथा पीड़ितों के पुनर्वास हेतु **विशेष न्यायालयों** की स्थापना करता है।
- यह गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति सदस्यों द्वारा SC/ST के सदस्यों के विरुद्ध किये जाने वाले उन कृत्यों को रेखांकित करता है जिन्हें अपराध के रूप में माना जायेगा।
- इस अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है कि एक गैर-अनुसूचित जाति / जनजाति समूह से सम्बंधित लोक सेवक यदि SC/ST से संबंधित अपने कर्तव्यों में **ढिलाई बरतता** है तो यह दण्डनीय होगा।
- SC/ST अधिनियम के अंतर्गत किए गए किसी अपराध की **जाँच,** पुलिस उपाधीक्षक (DSP) से नीचे के स्तर का अधिकारी नहीं कर सकता।
- कुछ विशिष्ट अपराधों के लिए अधिनियम में मृत्युदण्ड तथा संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान है। इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल अपराधों के दोहराए जाने पर और अधिक कठोर दंड की भी व्यवस्था है।
- '**पीड़ित व्यक्ति तथा गवाहों के अधिकारों**' हेतु नया अध्याय जोड़ने, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा '**जानबूझकर कर की गई लापरवाही**' को परिभाषित करने तथा नए अपराधों जैसे जूतों की माला पहनाना आदि को जोड़ने हेतु अधिनियम को 2016 में संशोधित किया गया।

**पृष्ठभूमि**

- इस अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज़ की गयी एक शिकायत याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता का अनुभव किया तथा *सुभाष महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य* वाद में अत्याचार निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश ज़ारी किए:
  - अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज़ शिकायत में यदि प्रथम दृष्टया कोई मामला न बनता हो या न्यायिक संवीक्षा के उपरांत शिकायत प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होती हो तो ऐसी स्थिति में **अग्रिम जमानत पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं होगी।**
  - अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रकरणों में **गिरफ़्तारी के क़ानून के ज्ञात दुरुपयोग** पाए जाने के कारण, अब **किसी लोक सेवक की गिरफ़्तारी नियोक्ता अधिकारी की स्वीकृति** (पूर्व स्वीकृति) के पश्चात तथा गैर-लोकसेवक की गिरफ़्तारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अनुमति के पश्चात की जा सकती है। यह अनुमति आवश्यक समझे जाने वाले प्रकरणों में दी जा सकती है, और मजिस्ट्रेट के लिए हिरासत की अवधि बढ़ाये जाने हेतु ऐसे कारणों की संवीक्षा करना आवश्यक है।
  - झूठी संलिप्तता से किसी निर्दोष के बचाव के लिए पुलिस उपाधीक्षक द्वारा **प्राथमिक जाँच** की जा सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तव में लगाए गए आरोप अत्याचार निवारण अधिनियम के दायरे में आते भी हैं या नहीं और कहीं ये दुर्भावनापूर्ण या अभिप्रेरित तो नहीं हैं।
  - उपर्युक्त निर्देशों के किसी भी उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी जो अनुशासनात्मक कार्रवाई से लेकर अवमानना के लिए दिए जाने वाले दंड तक कुछ भी हो सकती है।
- तत्पश्चात, केंद्र ने अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दायर की गयी शिकायत पर सर्वोच्च न्यायालय के स्वतः गिरफ़्तारी को रोकने संबंधी निर्णय के विरुद्ध अपील की, किन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को यथावत बनाए रखा।

**निर्णय के पक्ष में तर्क**

- **निर्दोष व्यक्तियों की सुरक्षा:** यह निर्णय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के अधिकारों में अवरोध उत्पन्न नहीं कर रहा है अपितु यह ऐसे **निर्दोष व्यक्तियों की रक्षा करने पर** केंद्रित है, जिन्हें **झूठे मामले में फंसाया** गया है।
- **मनमाने ढंग से गिरफ्तारी के विरुद्ध स्वतंत्रता:** *विलास पांडुरंग पवार और शकुंतला देवी* मामलों में न्यायालय ने यह भी कहा कि अग्रिम जमानत पर रोक निरपेक्ष नहीं हैं, विशेष रूप से तब जबकि कोई मामला ही न बन रहा हो या आरोप स्पष्टतया झूठे या प्रेरित प्रतीत हो रहे हों। इसके पीछे यह तर्क निहित है कि मनमाने ढंग से गिरफ्तारी से स्वतंत्रता, विधि के शासन का एक मूलभूत अंग है।
- **अधिनियम का दुरुपयोग:** NCRB के आंकड़े दर्शाते हैं कि अत्याचार (निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज 75% मामलों में आरोपित व्यक्ति निर्दोष साबित हुए हैं या मामले वापस ले लिये गए हैं। यह अधिनियम के **दुरुपयोग को दर्शाता है।**
- **अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2014 पर संसद की स्थायी समिति ने** अत्याचार अधिनियम के तहत गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा की आवश्यकता पर भी बल दिया था।

**निर्णय के विपक्ष में तर्क**

- यह निर्णय वंचित एवं अत्यंत पिछड़े समुदाय को अधिकार प्रदान करने हेतु अधिनियमित **कानून के क्रियान्वयन को कमजोर** कर सकता है। साथ ही यह निर्णय SC-ST समुदाय के लिए उनके संवैधानिक अधिकारों, विशेषकर अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता उन्मूलन के अधिकार, से वंचित होने का कारण भी बन सकता है।
- **अतिरिक्त प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं**, 1989 के अधिनियम के सख्त प्रवर्तन को प्रभावित करेंगी। इस अधिनियम के तहत आने वाले मामलों के पंजीकरण में पहले से ही **अनुचित देरी** देखी जाती है; इस प्रकार यह निर्णय अधिनियमन की प्रभावकारिता को और कम कर सकता है।
- **शक्तियों का पृथक्करण:** न्यायालय विधि के दायरे या विधायिका के मंतव्य को विस्तार नहीं कर सकता है, क्योंकि यह विधायिका की शक्तियों का अतिक्रमण होगा और परिणामस्वरूप न्यायिक अतिसक्रियता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।
- उन मामलों में **दोषसिद्धि की दर निम्न** हैं, जिनमें दबाव बनाया जाता है तथा इस दर के निम्न होने का एक अन्य कारण निम्नस्तरीय जांच और अभियोजन पक्ष की अक्षमता भी है, क्योंकि गवाह ऐसे मामलों में अपना बयान बदल देते हैं। साथ ही, समय के साथ झूठे मामले दर्ज होने में कमी आई है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत दोषसिद्धि के मामलों में भी सुधार हुआ है।
- NCRB के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले दस वर्षों (2007-2017) में दलितों के विरुद्ध अपराधों में 66% की वृद्धि हुई है। इस निर्णय का प्रतिकूल प्रभाव दलितों के विरुद्ध होने वाले अपराधों की निम्न रिपोर्टिंग के रूप में हो सकता है। इन अपराधों की रिपोर्टिंग पहले से ही काफी कम होती है।

**निष्कर्ष**

अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों तथा निर्दोष व्यक्तियों की सुरक्षा के मध्य संतुलन प्राप्त करने के लिए, अभियुक्तों के बचाव हेतु अधिनियम में एक अंतर्निहित प्रावधान के लिए संसदीय स्थायी समितियों की मांग पर विचार किया जाना चाहिए। साथ ही दोषसिद्धि की दरों के संबंध में चिंताओं को कम करने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली में भी सुधार किये जाने चाहिए।

## 1.4.राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग

**(National Commission for Minority Education Institutions)**

**सुखियों में क्यों?**

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (NCMEI) को किसी भी संस्थान को एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान का दर्जा प्रदान करने की **मूल क्षेत्राधिकारिता** प्राप्त है।

**भारत में अल्पसंख्यक वर्गों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षा**

**अनुच्छेद 29**

- भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।
- राज्य द्वारा पोषित या राज्य-निधि से सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।

**अनुच्छेद 30**

- धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।
- किसी अल्पसंख्यक-वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षण संस्थान की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बन्धित या निराकृत न हो जाए।
- शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा आधारित किसी अल्पसंख्यक-वर्ग के प्रबंध में है।

अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षा प्रदान करने के अधिकार को भी सम्मिलित कर लिया गया है।

- अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के प्रकार:
  - राज्य से सहायता तथा मान्यता प्राप्त
  - राज्य से केवल मान्यता प्राप्त
  - राज्य से न तो सहायता और न ही मान्यता प्राप्त
- पहले और दूसरे प्रकार के संस्थान पाठ्यक्रम निर्माण, अकादमिक मानकों, अनुशासन, स्वच्छता, रोजगार इत्यादि के सन्दर्भ में राज्य की विनियामकीय शक्ति के अधीन हैं।
- तीसरे प्रकार के संस्थान अपने मामलों को प्रशासित करने के लिए स्वतंत्र हैं परन्तु संविदा कानून, श्रम कानून, औद्योगिक कानून इत्यादि जैसे सामान्य कानूनों के संचालन के अधीन हैं।



VISION IAS

**अन्य संबंधित तथ्य**

- सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अल्पसंख्यक संस्थान में परिवर्तित होने की इच्छा रखने वाले किसी संस्थान को 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' जारी करने की शक्ति केवल आयोग में निहित है।
- इस निर्णय के अनुसार, आयोग को सभी चरणों में अल्पसंख्यक संस्थान की स्थिति को निर्दिष्ट करने का अधिकार प्रदान किया जाएगा।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस निर्णय को खारिज कर दिया जिसके तहत फैसला दिया गया था कि अल्पसंख्यक दर्ज़ा घोषित करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग के पास कोई मूल क्षेत्राधिकार नहीं है।

**NCMEI से सम्बंधित तथ्य**

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत NCMEI की स्थापना, 2004 में जारी एक अध्यादेश के तहत की गयी थी जिसे कालांतर में NCMEI अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया।
- इस आयोग में **एक अध्यक्ष तथा तीन अन्य सदस्य** होते हैं; जिसमें
  - अध्यक्ष को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए तथा वह किसी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखता हो।
  - सदस्य भी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखते हों तथा प्रतिष्ठा, क्षमता एवं सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति हों।
- केंद्र सरकार ने छह अल्पसंख्यक समुदायों को अधिसूचित किया है, जो कि मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी व जैन हैं। हालांकि आज तक किसी भाषाई अल्पसंख्यक को अधिसूचित नहीं किया गया है।
- इसलिए भाषाई अल्पसंख्यक, आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं।
- आयोग एक **अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण** है जिसे एक सिविल न्यायालय के अधिकार प्रदान किये गये हैं।
- आयोग द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय के सम्बन्ध में किसी वाद, आवेदन या कार्यवाही पर विचार केवल संविधान के अनुच्छेद 226 व 227 के तहत **उच्च न्यायालय तथा** अनुच्छेद 32 के तहत **सर्वोच्च न्यायालय की रिट क्षेत्राधिकारिता** के अंतर्गत किया जा सकता है।
- आयोग, अधिनिर्णयात्मक तथा अनुशंसात्मक कार्य करता है। जैसे:
  - इसे निर्दिष्ट अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों से संबंधित किसी भी मामले पर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों को परामर्श देना।
  - अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करने तथा उसके प्रशासन के अल्पसंख्यकों के अधिकार के उल्लंघन या उससे वंचित किये जाने के सम्बन्ध में किसी अल्पसंख्यक संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गयी याचिका पर या स्वतः संज्ञान (सुओ मोटो) से या संस्थान की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा की गयी शिकायत पर अथवा किसी विश्वविद्यालय की संबद्धता से संबंधित किसी विवाद की **जांच करना।**
  - अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान द्वारा या उसके तहत, अथवा कुछ समय के लिए लागू किसी कानून द्वारा प्रदान किये गये सुरक्षा उपायों **की समीक्षा करना** तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपायों की अनुशंसा करना।
  - अल्पसंख्यक प्रस्थिति तथा अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित उनकी पसंद के संस्थानों को प्रोत्साहित एवं संरक्षित करने के उपायों को **निर्दिष्ट करना।**
  - अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित कार्यक्रमों तथा योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त सरकार को **अनुशंसाएं प्रदान करना।**
- आयोग को उन मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार भी दिया गया है जहां राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक संस्थान को स्थापित करने के लिए NOC प्रदान करने से मना कर दिया हो।

## 1.5. धर्म परिवर्तन का अधिकार एक मूल अधिकार

**(Right to Convert is a Fundamental Right)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के 'धर्म के चयन संबंधी अधिकार' (Right to choose a religion) के विषय में निर्णय दिया गया।

**"धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार" से सम्बंधित संवैधानिक प्रावधान:**

**अनुच्छेद 25: लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य** तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों को अंतः करण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा।

**अनुच्छेद 26:** लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और परोपकारी प्रयोजनों के लिए संस्थानों की स्थापना और पोषण का, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का तथा ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा।

**अनुच्छेद 27:** इस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक सम्प्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं।

**अनुच्छेद 28:** इस अनुच्छेद के तहत यह अनिवार्य है कि राज्य द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में कोई धार्मिक निर्देश नहीं दिया जाएगा।

VISION IAS

**अन्य संबंधित तथ्य**

- निम्नलिखित अवलोकन 26 वर्षीय होम्योपैथी छात्रा **हादिया** के वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के भाग हैं। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:
    - **चयन का अधिकार (Right to choice):** धार्मिक आस्था की स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति की स्वायत्तता के लिए आवश्यक है। आस्था का चयन व्यक्ति का बुनियादी विषय है जिसके अभाव में धर्म के चयन का अधिकार आधारहीन हो जाता है।
    - **स्वतंत्रता (Liberty):** विश्वास और आस्था सम्बन्धी विषय (जिसमें किसी भी धर्म में विश्वास करना सम्मलित है) संवैधानिक स्वतंत्रता की मूल भावना में निहित हैं और यह संविधान विश्वास करने वालों के साथ-साथ अनीश्वरवादियों (agnostics) के लिए भी उपलब्ध है।
    - **पहचान (Identity):** पहनावा एवं भोजन, सोच एवं विचारधारा, प्रेम एवं जीवनसाथी चुनना आदि पहचान के केन्द्रीय पहलु हैं। जीवनसाथी के चयन में समाज की कोई भूमिका नहीं होती है।
    - **संवैधानिक संरक्षण (Constitutional Protection):** संविधान प्रत्येक व्यक्ति की जीवन शैली या विश्वास (जिसका पालन वह करना चाहता है) को बनाए रखने की क्षमता को सुरक्षा प्रदान करता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धर्म के चयन और अपनी पसंद अनुसार विवाह करने का अधिकार सार्थक अस्तित्व के मूलभूत भाग हैं। राज्य और "पितृसत्तात्मक सर्वोच्चता" व्यक्ति के इस निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं।
- यह सर्वोच्च न्यायालय के "प्रचार (propagate)" शब्द के संदर्भ में किए गए पूर्व निर्वचन में परिवर्तन करता है। पूर्व निर्वचन के अनुसार इसका अर्थ है "अपने धार्मिक सिद्धांतों का विस्तार करने हेतु किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को प्रसारित करने या प्रचार करने का अधिकार प्राप्त है", परन्तु किसी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म को परिवर्तित करने का अधिकार इसमें शामिल नहीं है।

**निष्कर्ष**

सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय धर्म की स्वतंत्रता और अंतःकरण की स्वतंत्रता को पुनर्जीवित करता है जिसे मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के तहत अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस तथ्य को भी स्वीकार किया गया कि ऐसे कुछ अहस्तांतरणीय अधिकार संपूर्ण मानवता को प्राप्त हैं। भारत भी मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है।

## 1.6. फेक न्यूज़ (भ्रामक समाचार)

(Fake News)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा फेक न्यूज़ (भ्रामक समाचार) पर अपने दिशा-निर्देश को वापस लेने के पश्चात् समाचार पोर्टलों एवं मीडिया वेबसाइटों को नियंत्रित करने के नियमों को तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया गया है।

**फेक न्यूज़ के बारे में**

- फेक न्यूज़ उन ख़बरों, कहानियों, सूचनाओं, डाटा तथा रिपोर्टों को संदर्भित करते हैं जो पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से भ्रामक होते हैं।
- फेक न्यूज़ किसी भी विषय-वस्तु से सम्बंधित हो सकते है:
    - वाणिज्यिक रूप से प्रेरित सनसनीखेज सामग्री,
    - राष्ट्र-राज्य (नेशन स्टेट) द्वारा प्रायोजित गलत सूचना,
    - अत्यधिक पक्षपातपूर्ण न्यूज साइट,
    - स्वयं सोशल मीडिया,
    - व्यंग्य अथवा नक़ल उतारना।
- फेक न्यूज़ को मीडिया के विभिन्न माध्यमों, जैसे- प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया जा सकता है।
- यद्यपि फेक न्यूज़ के विरुद्ध कुछ अप्रभावी चेक एवं बैलेंस मुख्य धारा की मीडिया में मौजूद हैं, किन्तु सोशल मीडिया में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है।
- मानहानि का मुकदमा दायर करने, FIR दर्ज करने तथा शिकायत करने हेतु न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA), ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल (BCCC), प्रेस कॉउन्सिल ऑफ़ इंडिया (PCI) इत्यादि जैसे केवल कुछ ही तंत्र मौजूद हैं।

**फेक न्यूज़ से संबंधित मुद्दे**

- **मीडिया में विश्वास:** नागरिक मुख्य धारा के मीडिया द्वारा प्रकाशित किसी भी समाचार को सत्य मानते हैं तथा बहुत कम नागरिक सोशल मीडिया पर प्रसारित समाचारों की प्रामाणिकता को जाँचने का प्रयत्न करते हैं।
- **सामाजिक सद्भाव पर प्रभाव:** फेक न्यूज़ लोकतंत्र में मीडिया को प्राप्त स्वतंत्रता का उपयोग करके गलत सूचना के प्रसारण हेतु अवसर प्रदान करते हैं जो समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इन्हें निम्नलिखित संदर्भों में समझा जा सकता है:
    - कुछ विशिष्ट व्यक्तियों या विरोधियों की छवि एवं चरित्र को हानि पहुँचाने या उन्हें बदनाम करने अथवा लोकप्रियता प्राप्त करने हेतु गलत सूचनाओं के प्रसार के द्वारा **जनमत को विचलित करना।**

VISION IAS

- जनता तथा सरकार के मध्य **अविश्वास की भावना** उत्पन्न करना, जैसे- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ संबंधी समाचार जो तथ्यों के गलत प्रस्तुतीकरण पर आधारित थे।
- दंगों तथा धार्मिक प्रतीकों अथवा ईश्वर को अपमानित करने संबंधी भ्रामक तस्वीरों का उपयोग करके **समुदायों के मध्य हिंसा एवं घृणा को बढ़ावा** देना, उदाहरण स्वरूप - मुजफ्फराबाद के दंगे; बंगलुरु जैसे स्थानों से उत्तर-पूर्वी लोगों का पलायन, आदि।
- सोशल मीडिया साइटों द्वारा भ्रामक अधिप्रचार के माध्यम से **युवाओं में कट्टरता का प्रसार करना** (Radicalization)।

**फेक न्यूज़ के नियंत्रण से संबद्ध चुनौतियाँ**

- **मानक परिभाषा का अभाव:** 'फेक न्यूज़' एक अस्पष्ट शब्द है और वर्तमान समय में इसकी कोई आधिकारिक परिभाषा उपलब्ध नहीं है।
- **विनियमन का अभाव:** मुख्य धारा के मीडिया द्वारा स्व-विनियमन बहुत हद तक अप्रभावी रहा है। फेक न्यूज़ को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा किए गए किसी भी प्रत्यक्ष प्रयत्न को मीडिया (लोकतंत्र का चौथा स्तंभ) की स्वतंत्रता का हनन माना जाता है।
- **संतुलन प्राप्ति में कठिनाई:** फेक न्यूज़ को नियंत्रित करने के प्रयासों द्वारा वैधतापरक जाँच-पड़ताल तथा स्रोत-आधारित पत्रकारिता अथवा संविधान के अनुच्छेद 19 में सुनिश्चित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को क्षतिग्रस्त नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही, समाचारों में जानबूझकर की गयी छेड़छाड़ एवं ऐसे समाचार जिनके सत्य होने का विश्वास है, के मध्य अंतर किया जाना चाहिए।
  - **सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ का पता करना:** इंटरनेट उपयोगकर्ताओं (भारत में 35 करोड़ से अधिक) तथा सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं (20 करोड़ से अधिक व्हाट्सएप उपयोगकर्ता) की संख्या अत्यधिक विशाल होने के कारण फेक न्यूज़ की उत्पत्ति का पता लगाना लगभग असंभव हैं।

**आगे की राह**

- **नीति का निर्माण करना:** सरकार द्वारा फेक न्यूज़ को नियंत्रित करने के मुद्दों के संबंध में हितधारकों की राय लेकर एक मसौदा तैयार करना चाहिए। 'फेक न्यूज़' से संबंधित भविष्य के दिशा-निर्देशों द्वारा 'फेक न्यूज़' को ही लक्षित करना चाहिए तथा 'फेक न्यूज़' के नाम पर मीडिया को नियंत्रित करने का प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिए।
- **विनियामक तंत्र:** PCI में सुधार करने के साथ इसे सशक्त बनाने की आवश्यकता है ताकि यह एक ओर मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा दूसरी ओर जानने के अधिकार के मध्य संतुलन स्थापित कर सके।
- **जागरूकता:** लोगों को फेक न्यूज़, उनके प्रसार से उत्पन्न होने वाले खतरों तथा इस प्रकार के किसी भी तथ्य पर विश्वास करने में सावधानी बरतने के विषय में अवगत कराया जाना चाहिए।
- **प्रामाणिक समाचार:** प्रामाणिक समाचार का प्रसार करने हेतु सोशल मीडिया पर सरकारी संगठनों के ऑफिशियल अकाउंट भी मौजूद होने चाहिए।
- फेक न्यूज़ के खतरे की रोकथाम हेतु सोशल मीडिया हाउसों को भी प्रयास करना चाहिए। उदाहरणार्थ हाल ही में, फेसबुक द्वारा घोषणा की गई है कि कर्नाटक चुनावों के दौरान **फेक न्यूज़ से मुकाबला** करने हेतु उसने एक भारतीय **तथ्य-जांच एजेंसी** बूम लाइव के साथ करार किया है।

## 1.7. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

**(Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल, 2018 को पंचायती राज दिवस पर पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का शुभारम्भ किया।

**राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) का परिचय**

- यह राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान का पुनर्संरचित संस्करण है।
- यह केंद्र द्वारा प्रायोजित अभियान है जिसका उद्देश्य **ग्रामीण स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर, वित्तीय रूप से सशक्त तथा अधिक दक्ष बनाना है।**
- इस योजना के **केन्द्रीय घटकों** में राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियां जैसे 'तकनीकी सहायता हेतु राष्ट्रीय योजना', 'ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना', 'पंचायतों को प्रोत्साहन' आदि सम्मिलित है। इसे **पूर्णतः** केंद्र सरकार द्वारा वित्त-पोषित किया जाएगा।
- **राज्य संबंधी घटक** में पंचायती राज संस्थाओं (PRI's) का क्षमता निर्माण शामिल है।
- राज्य सरकारें, केंद्र सरकार से **सहायता प्राप्त करने के लिए वार्षिक कार्य योजनाओं का निर्माण** करेंगी।
- इस योजना को देश के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा, तथा इसमें भाग-IX से इतर उन क्षेत्रों की ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाएं भी सम्मिलित हैं जहां पंचायतों का अस्तित्व नहीं है।
- इसे **मांग-चालित प्रणाली** के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों को NITI आयोग द्वारा चयनित **115 आकांक्षी जिलों तथा अन्त्योदय अभियान** के अंतर्गत चयनित पंचायतों पर मुख्य बल देते हुए **संधारणीय विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने** हेतु संरेखित किया जाएगा।

- यह निम्नलिखित पर ध्यान केन्द्रित करती है:
  - संविधान की भावना तथा PESA अधिनियम के अनुसार पंचायतों को अधिकार तथा उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण को प्रोत्साहन देना।
  - जिन क्षेत्रों में पंचायतों का अस्तित्व नहीं है, वहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली पर आधारित स्थानीय स्व-शासन की स्थापना तथा सशक्तीकरण।
  - पंचायत प्रणाली के अधीन जन-भागीदारी, पारदर्शिता, तथा उत्तरदायित्व के आधारभूत मंच के रूप में प्रभावी रूप से कार्य करने हेतु ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण।

## 1.8. वित्त आयोग द्वारा 2011 की जनगणना का उपयोग

(Finance Commission to use 2011 Census)

**सुर्खियों में क्यों**

दक्षिण भारत के चार राज्यों के वित्त मंत्रियों ने, 15वें वित्त आयोग के टर्म ऑफ रिफरेन्स (ToR) (विचारार्थ विषय) में, संघीय कर राजस्व के आबंटन के लिए 1971 की जनगणना के स्थान पर 2011 की जनगणना का उपयोग किये जाने का विरोध किया है।

**2011 की जनगणना का उपयोग करने के विपक्ष में तर्क**

- यह उन राज्यों को दंड देने के समान होगा जिन्होंने 1971 की जनगणना के आंकड़ों, जिसके तहत जनसंख्या में नाटकीय वृद्धि हुई थी, के पश्चात् परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया है। यह स्थिति दक्षिण के राज्यों में विद्यमान है और इसका परिणाम उनके लिए नकारात्मक होगा। इसका परिणाम उत्तर-दक्षिण विभाजन के रूप में हो सकता है।
- ToR को राज्यों की सलाह के बिना एक पक्षीय रूप से तैयार किया गया है।
- राज्यों द्वारा 1976 में व्यक्त की गई चिंताएं, जिनके चलते 1971 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सीटों के आवंटन को स्थायी करना आवश्यक बन गया था, वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं।

**2011 की जनगणना का उपयोग करने के पक्ष में तर्क**

- 14वें वित्त आयोग ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न कारकों की जांच करने के उपरांत 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों को भी अपनाया तथा 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर प्रदत्त 17.5% के भारांश के अतिरिक्त इसके लिए (2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के लिए) 10% का अतिरिक्त भारांश सुनिश्चित किया।
- ToR नवीनतम जनगणना द्वारा दर्शाने वाली "आवश्यकताओं" को संतुलित करता है और "जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में प्रगति" करता है।
- अपेक्षाकृत अधिक उन्नत राज्यों से करों में अधिक योगदान देने की अपेक्षा की गयी है ताकि अपेक्षाकृत पिछड़े राज्यों का क्रॉस-सब्सिडी के माध्यम से संतुलित और न्यायसंगत क्षेत्रीय विकास हो सके।

**वित्त आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान**

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गयी है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पांचवें वर्ष किया जाता है।
- इसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य सम्मिलित होते हैं।
- यह भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित विषयों पर सिफारिशें करता है:
  - संघ और राज्यों के मध्य करों के शुद्ध आगमों का वितरण और ऐसे आगमों से संबंधित शेयरों का राज्यों के मध्य आबंटन।
  - संघ द्वारा राज्यों को अनुदान के रूप में प्रदत्त सहायता को निर्धारित करने वाले सिद्धांत।
  - राज्य वित्त आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्यों में स्थानीय निकायों के संसाधनों के अनुपूरण हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय।
  - राष्ट्रपति द्वारा मांगा गया महत्वपूर्ण वित्तीय हित संबंधी कोई अन्य सुझाव।
- संविधान में वर्णित इस अंतिम प्रावधान का प्रयोग करते हुए, संघ सरकार ToR में अनुक्रमिक वित्त आयोगों के लिए ऐसे प्रावधानों को सम्मिलित करती रही है, जो राज्य सरकारों की राजकोषीय दशा पर संघ सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाती है।
- वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें केवल सलाहकारी प्रकृति की होती हैं तथा यह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती।

**संविधान में चार क्षेत्र, जहां जनसंख्या एक कारक के रूप प्रयोग होती है:**

- राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि (अनुच्छेद 55)
- लोक सभा की संरचना (अनुच्छेद 81)
- विधान सभाओं की संरचना (अनुच्छेद 170)
- राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण (अनुच्छेद 332)।

VISION IAS

**ToR से संबंधित अन्य मुद्दे**

- **बढ़े हुए अंतरण पर पुनर्विचार:** ToR "14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में राज्यों को अत्यधिक कर अंतरण से केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव" वस्तुतः राजस्व साझा करने के संबंध में केंद्र सरकार की असहजता को दर्शाता है।
- **लोकलुभावन उपायों पर व्यय के दायित्व पर इसका नियंत्रण अथवा नियंत्रण में कमी:** ToR सहकारी संघवाद की भावना के विरुद्ध है, क्योंकि यह राज्यों द्वारा व्यय संबंधी विकल्पों को सीमित करता है।
- **ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित करने के उपाय खोजना:** इस सूचकांक में कई समस्याएं विद्यमान हैं, विशेषकर यह सदैव अधिक विनियमों के बजाए कम विनियमों को रेखांकित करता है। यह सभी अच्छे अथवा बुरे विनियम को समाप्त करने के लिए पिछड़े राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे सकता है, जो भारत के समग्र हित में नहीं है।

## 1.9. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)

**(Competition Commission of India)**

**सुखियों में क्यों?**

केंद्र सरकार ने CCI में नियुक्त सदस्यों की संख्या को 7 (एक अध्यक्ष तथा छह सदस्य) से कम करके 4 (एक अध्यक्ष तथा तीन सदस्य) करने का निर्णय लिया है।

**भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग**

इसे CCI अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित किया गया था। इसके निम्नलिखित कार्य हैं:

- प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को अवरोधित करना।
- बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा इसे बनाए रखना।
- उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना।
- भारतीय बाजारों में अन्य प्रतिभागियों द्वारा किये जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना
- प्रारंभ में इसकी परिकल्पना एक 10 सदस्यीय आयोग के रूप की गई थी तथा साथ ही विभिन्न शहरों में इसकी खंडपीठ स्थापित करने का भी विचार था।
- हालांकि, बाद में खंडपीठ स्थापित करने के प्रावधान को हटा दिया गया और इसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 7 सदस्यीय निकाय में गठित किया गया।
- 2017 में प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण (COMPAT) को NCLAT (राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण) में सम्मिलित किया गया था। वर्तमान में अपीलीय न्यायाधिकरण को, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश या निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपीलों को सुनने तथा निपटाने का अधिकार है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- आयोग के सदस्यों की संख्या **एक अध्यक्ष और छह सदस्यों से घटाकर एक अध्यक्ष और तीन सदस्यों** तक सीमित कर दी गई है।
- CCI अधिनियम के तहत, किसी आदेश पर आयोग के सभी सदस्यों को हस्ताक्षर करना अनिवार्य होता है तथा सदस्यों का अधिक संख्या में होना क्रियान्वयन को और भी कठिन बना देता है। सदस्यों की संख्या में कमी से CCI संभावित रूप से एक **अधिक तीव्र निर्णयन वाले निकाय** में परिवर्तित हो जाएगा।
- यह CCI में सरकारी हस्तक्षेप को कम करेगा तथा साथ ही सुनवाई और अनुमोदन में तीव्रता ला कर निगमों की व्यावसायिक प्रक्रिया को प्रोत्साहित करेगा एवं रोजगार के अवसर सृजित करेगा।

**कदम की आलोचना**

- चार सदस्यीय निकाय में, मत बराबर रहने पर जटिल स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि अध्यक्ष एक साथ एक सामान्य मत के साथ एक निर्णायक मत (कास्टिंग वोट) भी नहीं डाल सकता। विरोधात्मक स्थिति में अध्यक्ष द्वारा दो मत डालने की रिट न्यायालय की न्यायिक जांच में उचित साबित न होने की सम्भावना होगी।
- ऐसा प्रतीत होता है कि CCI की संरचना में परिवर्तन (सदस्यों को सात से चार करना) के माध्यम से 'मतभेदपूर्ण' निर्णयों के काल को समाप्त करने की योजना है।
- भविष्य में सदस्यों को नए विषयों में विशेषज्ञ होने की आवश्यकता पड़ सकती है। आयोग के लघु आकार के कारण इन आवश्यकताओं को पूरा कर पाना मुश्किल होगा।

## 1.10 पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम

**(Niti Forum for North East)**

**सुर्ख़ियों में क्यों ?**

पूर्वोत्तर के लिए नवगठित नीति फोरम की पहली बैठक अगरतला, त्रिपुरा में आयोजित हुई।

VISION IAS

**अन्य संबंधित तथ्य**

- इस फोरम का गठन देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र (NER) के सतत आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने तथा NER में विकास की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करने के उद्देश्य से फरवरी 2018 में किया गया था।
- नीति आयोग के उपाध्यक्ष और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इसकी सह-अध्यक्षता करते हैं।
- यह फोरम NER में **"HIRA" (H**ighways, **I**nland Waterways, **R**ailways **and A**irways**)** की अवधारणा पर विभिन्न परियोजनाएं स्थापित करेगा।
- इस बैठक में विभिन्न क्षेत्रकों में निम्नलिखित पांच विकास मिशनों को रेखांकित किया गया:
  - बागवानी,
  - पर्यटन,
  - खाद्य प्रसंस्करण,
  - बांस आधारित हस्तशिल्प, तथा
  - मध्यम स्तरीय उद्योग।

## 1.11 गवर्नेंस और भ्रष्टाचार पर IMF फ्रेमवर्क

### (IMF Framework on Governance and Corruption)

**सुर्ख़ियों में क्यों ?**

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने हाल ही में अपनी 20 वर्ष पुरानी नीति में संशोधन किया तथा भ्रष्टाचार और आर्थिक संवृद्धि पर इसके पड़ने वाले प्रभावों से व्यवस्थित तरीके से निपटने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए।

**भ्रष्टाचार पर IMF का विश्लेषण**

IMF ने सार्वजनिक भ्रष्टाचार को निजी लाभ हेतु सार्वजनिक पद के दुरुपयोग के रूप में परिभाषित किया है। यह विकास के सभी चरणों में अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव डालता है। इसके निम्नलिखित प्रभाव होते हैं:

- **असमानता-** भ्रष्टाचार और निम्नस्तरीय गवर्नेंस आर्थिक संवृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और असमानता में वृद्धि करते हैं।
- **आर्थिक प्रभाव-** IMF के विश्लेषण से पता चलता है कि भ्रष्टाचार सूचकांक पर 25 अंक की गिरावट होने के कारण देश की वार्षिक संवृद्धि में लगभग 0.5 प्रतिशत अंकों की कमी आ सकती है।
- **राजनीतिक प्रभाव-** भ्रष्टाचार राज्य के राजस्व बढ़ाने और इसके मूल कार्यों का निष्पादन करने की क्षमता को कमजोर बनाता है। भ्रष्टाचार वस्तुतः अनुपालन की संस्कृति का ह्रास करके कर अपवंचन में भी वृद्धि करता है। चरम मामलों में, व्यवस्थित भ्रष्टाचार राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष का कारण बन सकता है।
- **सामाजिक प्रभाव-** भ्रष्टाचार निर्धनों को नुकसान पहुँचाता है, अवसरों एवं सामाजिक गतिशीलता में बाधा उत्पन्न करता है और सामाजिक एकजुटता को नष्ट करने का कारण बनता है। सामाजिक कार्यक्रमों के लिए अल्प आबंटन और भ्रष्टाचार के माध्यम से लुप्त हुए संसाधन मानव पूंजी के निर्माण को सीमित करते हैं।
- **संस्थागत प्रभाव-** यह संस्थानों की साख और विश्वसनीयता को कम करता है और गैर-सरकारी नागरिकों के नैतिक मानदंडों का क्षरण कर देता है।

**रोकने हेतु रणनीतियाँ**

- **पारदर्शिता-** देशों को कॉर्पोरेट स्वामित्व सहित राजकोषीय और वित्तीय पारदर्शिता के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार को उजागर करने में स्वतंत्र प्रेस भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- **प्रभावी कानून-** भ्रष्टाचार से जनित आय के दिक्परिवर्तन को कम करने के लिए एक प्रभावी एंटी-मनी लॉन्डरिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए, जैसे- लोकपाल अधिनियम।
- **सुदृढ़ प्रवर्तन-** विधि के शासन में वृद्धि की जानी चाहिए। **अभियोजन का एक विश्वसनीय भय** बना रहना चाहिए और इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए यदि वर्तमान संस्थान अप्रभावी सिद्ध हो रहे हों तो नए विशेषीकृत संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए।
- **प्रभावी गवर्नेंस- अविनियमन** और **सरलीकरण** कुशल भ्रष्टाचार विरोधी रणनीतियों की आधारशिला हैं। साथ ही, कार्यान्वयन पूर्ण रूप से प्रभावी संस्थानों पर निर्भर करता है।
- **सक्षम नौकरशाही-** लोक अधिकारियों के एक ऐसे कैडर की भर्ती की जानी चाहिए जो **निजी प्रभाव और राजनीतिक हस्तक्षेप, दोनों से स्वतंत्र** हो।
- **नेतृत्व-** नेतृत्व एक महत्वपूर्ण अंतर्निहित भूमिका निभाता है। नेताओं को एक व्यक्तिगत उदाहरण स्थापित करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए।



VISION IAS

**नए दिशा-निर्देशों का महत्व:**

- नई नीति ने रिश्वतखोरी और मनी लॉन्डरिंग को रोकने में विफलता तथा बेनामी कॉर्पोरेट स्वामित्व की अनुमति प्रदान करके **विकासशील विश्व में व्याप्त भ्रष्टाचार में समृद्ध देशों के योगदान** को रेखांकित किया है।
- इसके अतिरिक्त, नई नीति गवर्नेंस और भ्रष्टाचार के सन्दर्भ में **संलग्नता में वृद्धि** पर भी ध्यान केंद्रित करती है। इस **संलग्नता** का लक्ष्य सदस्य देशों के साथ एक अधिक व्यवस्थित, समानतापूर्ण, प्रभावी और स्पष्ट संबंध स्थापित करना है।
- IMF, **संस्थानों के लिए एकसमान मानदंड** प्रदान करने में भी सहायता करेगा। ये मानदंड भ्रष्टाचार और निम्नस्तरीय गवर्नेंस (जोकि आर्थिक संवृद्धि को प्रभावित करते हैं तथा असमानता को बढ़ाते हैं) से निपटने में सहायक होंगे।
- IMF **सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों की बेहतर डिजाइन और पारदर्शिता** के माध्यम से तथा **स्थिर और पारदर्शी आर्थिक एवं विनियामकीय वातावरण** (जो स्वैच्छिक और अधिमानी उपचार के दायरे को सीमित करेगा) का समर्थन करके भ्रष्टाचार को रोकने में देशों की सहायता करेगा।

## 1.12. ई-विधान मिशन मोड परियोजना

[E-Vidhan Mission Mode Project]

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, सरकार की ई-विधान परियोजना हेतु केन्द्रीय परियोजना निगरानी इकाई के एक नवीन कार्यालय का उद्घाटन किया गया।

**ई-विधान परियोजना से सम्बंधित तथ्य**

- यह भारत में राज्य विधानमंडलों की कार्य-प्रणाली को कागज़-मुक्त बनाने तथा उसके डिजिटलीकरण हेतु एक मिशन मोड परियोजना है।
- यह विधानसभा की कार्य-प्रणाली को पूर्णतः स्वचालित बनाने वाली **सार्वजनिक वेबसाइट, सुरक्षित वेबसाइट, सदन के एप्लीकेशनों तथा मोबाइल एप्स** का एक सॉफ्टवेयर समूह है।
- संसदीय कार्य मंत्रालय, इस परियोजना हेतु नोडल मंत्रालय है।
- इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु निर्मित रणनीति के मुख्य घटकों में से एक केंद्र तथा राज्य, दोनों ही स्तरों पर परियोजना निगरानी इकाइयों का निर्माण करना है।
- हिमाचल प्रदेश, ई-विधान वेबसाइट का उपयोग करने वाला तथा एक मोबाइल ऐप लांच करने वाला प्रथम राज्य बना।


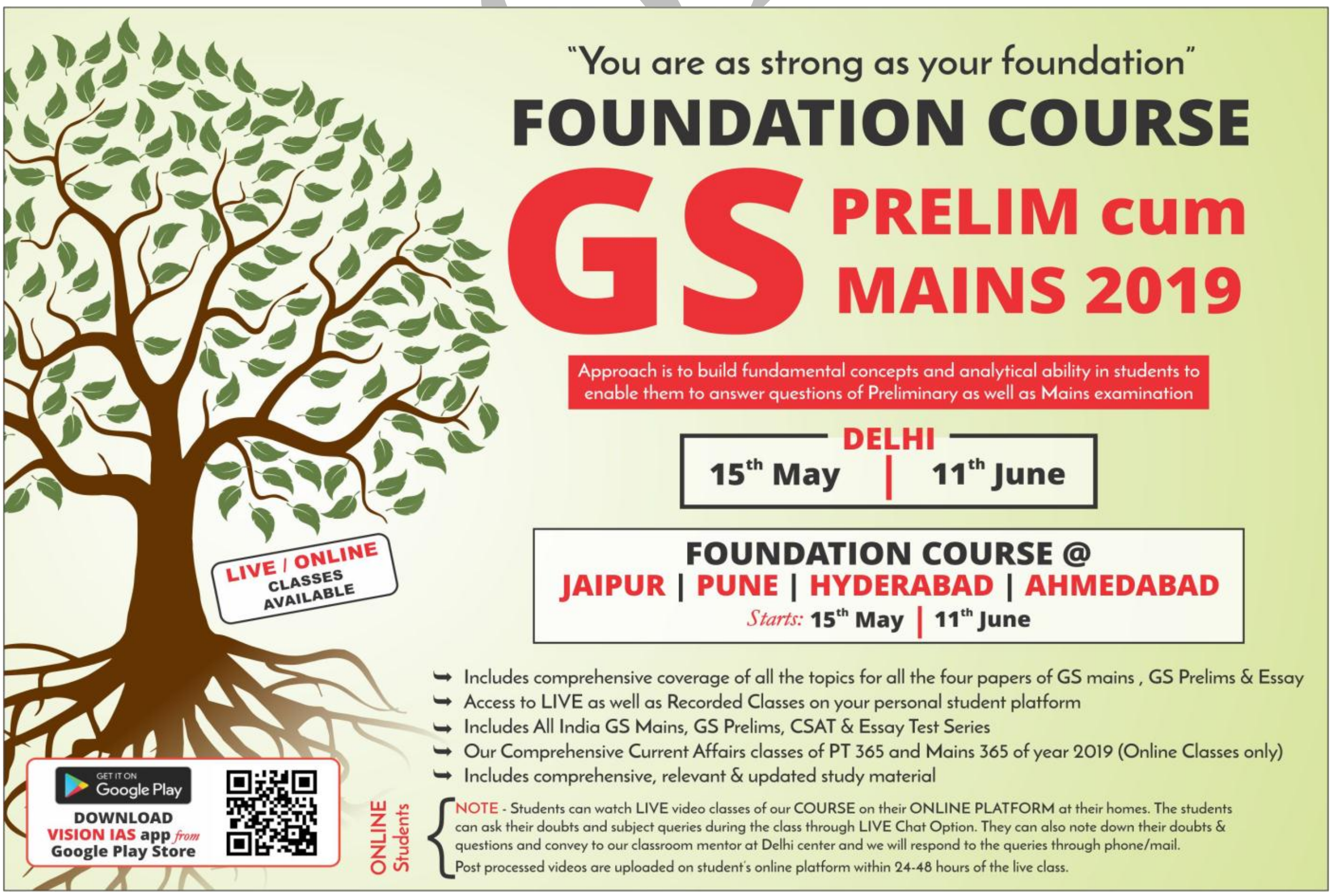

# 2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध

(INTERNATIONAL RELATIONS)

## 2.1 वुहान शिखर सम्मेलन

(WUHAN Summit)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री तथा चीन के राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त रूप से चीन के शहर वुहान में एक अनौपचारिक वार्ता का आयोजन किया गया।

**वुहान अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणाम**

- **सीमा विवाद:** भारत और चीन ने द्विपक्षीय स्तर पर सीमा मामलों के प्रबंधन में संचार को सुदृढ़ करने तथा पूर्वानुमेयता (predictability) एवं प्रभावशीलता में वृद्धि करने हेतु अपनी सेनाओं के लिए रणनीतिक दिशा-निर्देश जारी करने का निर्णय लिया।
- **व्यापार घाटा:** दोनों पक्षों ने लगभग 52 बिलियन डॉलर (लगभग 84 बिलियन डॉलर द्विपक्षीय व्यापार का) से भी अधिक व्यापार घाटे के बेहतर संतुलन हेतु उपायों को संबोधित किया। यह संतुलन चीन को मुख्यतः कृषिगत और औषध निर्यात के माध्यम से स्थापित किया जाएगा।
- **आतंकवाद:** दोनों देशों ने आतंकवाद से उत्पन्न साझा खतरे को स्वीकार किया तथा इसके सभी स्वरूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद का विरोध करने के दृढ़ संकल्प को दोहराया। उन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध एक दूसरे का सहयोग करने हेतु प्रतिबद्धता भी व्यक्त की।
- **अफगानिस्तान:** दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान में एक संयुक्त आर्थिक परियोजना पर चर्चा की। अफगानिस्तान में प्रस्तावित संयुक्त आर्थिक परियोजना दोनों पक्षों के मध्य विश्वास बढ़ोतरी में सहायक सिद्ध होगी।
- **वैश्विक चुनौतियों पर:** दोनों देश जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, खाद्य सुरक्षा इत्यादि सहित वैश्विक चुनौतियों के **संधारणीय समाधान** हेतु संयुक्त रूप से योगदान करने पर सहमत हुए। इसके अतिरिक्त **बहुपक्षीय वित्तीय और राजनीतिक संस्थाओं** को विकासशील देशों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी और प्रतिनिधित्व पूर्ण बनाने हेतु उनके **सुधार** के महत्व को रेखांकित किया।
- **अनसुलझे मुद्दे:** अंततः उन्होंने अनसुलझे मुद्दों को सुलझाने और संबंधों में दरार उत्पन्न करने वाले तथाकथित मुद्दों का निवारण करने का प्रयास किया जैसे कि चीन द्वारा **भारत के परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) में शामिल होने अथवा संयुक्त राष्ट्र द्वारा पाकिस्तान आधारित समूहों को आतंकी संगठन घोषित करने के** मार्ग में बाधा उत्पन्न करना तथा भारत द्वारा **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या तिब्बत मुद्दे के उपयोग** का विरोध करना। इसके लिए वार्ता के मौजूदा तंत्र को सुदृढ़ किया जाएगा जिससे व्यापक द्विपक्षीय सहयोग में कमी नहीं आये।
- भारत ने शी जिनपिंग को, अगले वर्ष के अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के भारत में आयोजन का प्रस्ताव भी दिया है।

**महत्व**

- "भारत-चीन सीमा पर" के स्थान पर "भारत-चीन सीमा भू-भाग के सभी क्षेत्र" उक्ति का प्रयोग डोकलाम मामले में चीन की इस बात पर सहमति को दर्शाता हैं की 'डोकलाम भारत की चिंताओं का मुख्य भाग है।
- मई 2015 में चीन द्वारा सीमा विवाद के **"शीघ्र समाधान"** का **"सामरिक उद्देश्य"** के रूप में वर्गीकरण किया गया था परन्तु अब सीमा का समाधान करने की बजाए प्रबंधन पर अधिक बल दिया गया।
- आतंकवाद के सभी स्वरूपों का विरोध भी महत्वपूर्ण है ,क्योंकि पूर्व में चीन ने जैश-ए-मुहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को एक वैश्विक आतंकी घोषित करने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को रोक दिया था।
- भारत और चीन वैश्वीकरण को बचाने, विश्व व्यापार संगठन का प्रतिवाद करने, एक बहुध्रुवीय विश्व को प्रोत्साहन देने तथा 'रणनीतिक स्वायत्तता' पर बल देने में सहयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यापार और सुरक्षा पर बदलती नीतियों के कारण चीन एशियाई देशों के साथ संबंधों को पुनर्स्थापित कर रहा है।
- अनौपचारिक सम्मेलन दोनों देशों के मध्य **व्यापार घाटे** को कम करने तथा प्रमुख गैर-प्रशुल्क बाधाओं के निराकरण के साथ-साथ चीन के औषधि एवं कृषिगत उत्पादों के बाजार में भारत के प्रवेश में सहायता कर सकता है।
- इसके अतिरिक्त पहली बार भारत और चीन, अफगानिस्तान में एक "संयुक्त आर्थिक परियोजना" पर कार्य करने हेतु सहमत हुए जो निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है:
    - पकिस्तान पहले से ही अफगानिस्तान में भारत की परियोजनाओं के प्रति सचेत है। वह चीन को "सर्वकालिक मित्र" (all weather ally) के रूप में स्वीकार करता है परन्तु चीन भारत के प्रति पाकिस्तानी पूर्वाग्रहों का प्रभाव चीन -भारत संबंधों पर नहीं पड़ने देना चाहता।
    - भारत अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा अधिग्रहण को रोकने के लिए एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण और निरंतर अंतर्राष्ट्रीय सहायता का समर्थन कर रहा है, जिसका चीन भी समर्थन कर सकता है।

VISION IAS

**चीन के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने हेतु प्रधानमंत्री के नए पंचशील**

ये निम्नलिखित पर आधारित हैं-

- साझा दृष्टिकोण,
- बेहतर संचार,
- मजबूत संबंध,
- साझा विचार प्रक्रिया तथा
- साझा संकल्प

इसके अतिरिक्त भारत और चीन के मध्य **STRENGTH रणनीति** के माध्यम से लोगों के आदान-प्रदान पर बल दिया जाना आवश्यक है। STRENGTH रणनीति- **S**pirituality (आध्यात्मिकता), **T**radition, trade and technology (परम्परा,व्यापार और प्रौद्योगिकी), **R**elationship (संबंध), **E**ntertainment (मनोरंजन), **N**ature conservation (प्रकृति संरक्षण), **G**ames (खेल), **T**ourism (पर्यटन) तथा **H**ealth and Healing (स्वास्थ्य एवं चिकित्सा)।

## 2.2 भारत-नेपाल संबंध

(India-Nepal Relations)

### सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में नेपाल के प्रधानमन्त्री दिसम्बर 2017 में नेपाल के संसदीय चुनावों के पश्चात् भारत की तीन दिवसीय अधिकारिक यात्रा पर आए।

### भारत-नेपाल संबंधों की पृष्ठभूमि

भारत और नेपाल **मित्रता एवं सहयोग** के एक अद्वितीय संबंध को साझा करते हैं जो खुली सीमाओं तथा दोनों देशों के लोगों की परस्पर प्रगाढ़ नातेदारी एवं सांस्कृतिक सम्बन्धों से परिलक्षित होता है। **1950 की भारत-नेपाल शांति और मित्रता संधि** के प्रावधानों के तहत नेपाली नागरिक भारतीय नागरिकों के समान सुविधाओं तथा अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारत-नेपाल संबंध निम्नलिखित पर आधारित हैं:

- **उच्च स्तरीय आदान-प्रदान:** उच्च स्तरीय यात्राओं से भिन्न दोनों देश सार्क (SAARC), बिम्सटेक (BIMSTEC) आदि तथा द्विपक्षीय संस्थागत वार्ता तन्त्र जैसे कि भारत-नेपाल संयुक्त आयोग के माध्यम से सहयोग करते हैं।
- **मानवीय सहायता और आपदा राहत:** भारत ने नेपाल में भूकंप पुनर्निर्माण परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) टीमें, बचाव और राहत सामग्री भेजी तथा साथ ही 750 मिलियन अमरीकी डालर के नए लाइन ऑफ़ क्रेडिट समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- **आर्थिक:** 1996 के बाद नेपाल से भारत को किये जाने वाले निर्यात में ग्यारह गुना वृद्धि हुई है तथा **द्विपक्षीय व्यापार** बढ़ कर सात गुना से अधिक हो गया है। साथ ही नेपाल में लगभग 150 **भारतीय उपक्रम** विनिर्माण, सेवा (बैंकिंग, बीमा, शुष्क बन्दरगाह, शिक्षा तथा टेलिकॉम), विद्युत् क्षेत्र तथा पर्यटन उद्योग में कार्यरत हैं।
- **जल संसाधन:** लगभग 250 छोटी एवं बड़ी नदियाँ नेपाल से भारत में प्रवाहित होती हैं तथा गंगा नदी बेसिन के एक भाग का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ सिंचाई और विद्युत् उर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत बन सकती हैं। जल संसाधन और जल-विद्युत् में सहयोग से संबंधित एक **त्रि-स्तरीय द्विपक्षीय तंत्र** 2008 से कार्य कर रहा है।
- **भारत की नेपाल को विकास सम्बन्धी सहायता:** भारत नेपाल को पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी विकास सहायता उपलब्ध कराता है जैसे कि:
  - **सीमा अवसंरचना** के विकास में तराई क्षेत्र में सड़कों के उन्नयन के माध्यम से नेपाल को सहायता।
  - **सीमा पार रेल संपर्कों** का विकास।
  - **चार एकीकृत चेक पोस्ट्स** की स्थापना।
  - उपक्रम अवसंरचना विकास परियोजनाओं हेतु लाइन ऑफ़ क्रेडिट।
- **रक्षा सहयोग:** भारत ने उपकरणों, प्रशिक्षण एवं आपदा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग प्रदान कर नेपाली सेना (NA) के आधुनिकीकरण में मदद की है। इसके अतिरिक्त भारतीय सेना में गोरखा सिपाहियों की बड़े पैमाने पर भर्ती की गई है तथा दोनों सेनाएं एक-दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल की मानद रैंक प्रदान कर रही हैं।
- **विद्युत:** "इलेक्ट्रिक पॉवर ट्रेड, क्रॉस-बॉर्डर ट्रांसमिशन इंटर-कनेक्शन एंड ग्रिड कनेक्टिविटी" के सम्बन्ध में एक समझौते पर 2014 में हस्ताक्षर हुआ था। इस समझौते का उद्देश्य भारत और नेपाल के मध्य सीमा पार विद्युत् व्यापार को सुविधाजनक तथा अधिक सुदृढ़ बनाना था।
- **शिक्षा:** भारत सरकार नेपाली नागरिकों को प्रत्येक वर्ष लगभग 3000 छात्रवृतियां/सीट उपलब्ध कराती है।
- **संस्कृति:** भारत सरकार लोगों से लोगों के सम्पर्क को प्रोत्साहित करती है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सम्मेलनों एवं सेमिनारों का आयोजन करती है। भारत और नेपाल काठमांडू-वाराणसी, लुम्बिनी-बोधगया तथा जनकपुर-अयोध्या के युग्म बनाने हेतु **श्री सिस्टर-सिटी समझौतों** पर हस्ताक्षर भी कर चुके हैं।

**नेपाली प्रधानमंत्री की हालिया यात्रा का परिणाम और मूल्यांकन**

- यह यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण थी क्योंकि भारत नेपाल संबंध 2015 से अशांति के दौर से गुजर रहे थे।
- यात्रा के दौरान **एक 12-बिंदु नियमित संयुक्त वक्तव्य,** कृषि, काठमांडू तक रेल सम्पर्क तथा अंतर्देशीय जलमार्गों पर तीन विशेष वक्तव्य जारी किये गए जिनमें शामिल हैं:
  - **रक्सौल-काठमांडू रेलवे लाइन** के निर्माण के संदर्भ में "व्यवहार्यता अध्ययन" के संचालन हेतु समझौता।
  - वस्तुओं और लोगों के नेपाल से अन्य देशों में परिवहन हेतु **नेपाली स्टीमरों के परिचालन** के लिए समझौता। इस समझौते के द्वारा माल की लागत प्रभावी और कुशल आवाजाही के सक्षम होने तथा नेपाल के व्यवसाय और अर्थव्यवस्था की वृद्धि के अत्यधिक प्रभावित होने की संभावना है।
  - व्यापार और पारवहन समझौतों की रूपरेखा के तहत माल की आवाजाही हेतु अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास तथा समुद्र तक नेपाल को अतिरिक्त पहुंच उपलब्ध करवाना।
  - नेपाल में जैविक कृषि और मृदा स्वास्थ्य निगरानी पर एक पायलट परियोजना संचालित करना।
- इसके अतिरिक्त संयुक्त वक्तव्यों ने **नेपाल के आंतरिक मुद्दों को शामिल नहीं किया** जैसे कि नए संविधान का संशोधन, अल्पसंख्यकों एवं मधेशियों का समावेशन आदि। इस प्रकार दो देशों के मध्य अविश्वास को समाप्त करने में सहायता प्राप्त हुई।

**चुनौतियाँ**

- भारत का मानना था कि नए **नेपाली संविधान** ने तराई क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं किया तथा नेपाल पर दबाव उत्पन्न करने हेतु आपूर्तियों को बाधित करने के लिए मधेशियों द्वारा उत्पन्न किये गए अवरोधों को समर्थन प्रदान किया।
- नेपाल **1950 की शांति एवं मित्रता संधि** में संशोधन चाहता है जो इसे भारत के परामर्श के बिना किसी तीसरे देश के साथ सुरक्षा संबंध स्थापित करने अथवा हथियार खरीदने से निषिद्ध करता है।
- नेपाल में चीन की परियोजनाओं के क्रियान्वयन की तुलना में, भारत द्वारा नेपाल में **विभिन्न परियोजनाओं** के क्रियान्वयन में **अधिक विलंब के कारण** भारत के प्रति नेपाल में अविश्वास का माहौल है।
- भारत का यह भी कहना है कि वह **चीन द्वारा निर्मित बांधों** (हाल ही में चीन के थ्री गॉर्जस कॉर्पोरेशन को नेपाल में दूसरे बांध के निर्माण का प्रोजेक्ट दिया गया) से विद्युत नहीं खरीदेगा तथा उसके द्वारा विद्युत की खरीद तभी की जाएगी जब परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों को भी सम्मिलित किया जाए।

**सहयोग के संभावित क्षेत्र**

यद्यपि चीन नेपाल के साथ आर्थिक सहयोग में वृद्धि कर रहा है परन्तु भारत नेपाल का सबसे बढ़ा व्यापार एवं व्यावसायिक भागीदार बना रहेगा। इसके अतिरिक्त नेपाल के चीन के साथ एक हस्ताक्षरित पारगमन समझौते के बावजूद किसी तीसरे देश के साथ नेपाल के व्यापार हेतु भारत एकमात्र पारगमन (transit) देश है।

- नेपाल को अवसंरचना विकास हेतु तथा प्रांतीय राजधानियों में अनिवार्य प्रशासनिक अवसंरचना के सृजन के माध्यम से नए संविधान के संघीय प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु भी व्यापक **विकासात्मक सहायता** की आवश्यकता है।
- **जलविद्युत (hydle) सहयोग:** नेपाल की 700 मेगावाट की स्थापित जलविद्युत क्षमता 80,000 मेगावाट की संभावित क्षमता से बहुत कम है। इसके अतिरिक्त गंगा का 60% जल नेपाल की नदियों से आता है और मानसून के महीनों में यह प्रवाह 80% तक हो जाता है। अत:सिंचाई और विद्युत उत्पादन दोनों के लिए प्रभावी जल प्रबंधन को कम महत्त्व नहीं दिया जा सकता।
- भारत को अपूर्ण परियोजनाओं, शेष ICPs, पांच रेलवे कनेक्शन, तराई में डाक-संबंधी सड़क नेटवर्क तथा पेट्रोलियम पाइपलाइन पर प्रभावी रूप से आपूर्ति करने की आवश्यकता है। जिससे कनेक्टिविटी बढ़ सके और 'समावेशी विकास और समृद्धि' यथार्थ में परिणत हो सकें।

## 2.3. भारत-ब्रिटेन द्विपक्षीय वार्ता

### (India-UK Bilateral Talks)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

भारत और ब्रिटेन ने बहुपक्षीय राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन के अवसर पर पृथक रूप से एक द्विपक्षीय वार्ता भी की।

**दोनों देशों के मध्य सहयोग के प्रमुख क्षेत्र**

- **ब्रेग्ज़िट के बाद होने वाले सहयोग (Post Brexit Cooperation)-** ब्रिटेन यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद गैर यूरोपीय संघ के भागीदारों के साथ व्यापार में वृद्धि की संभावना पर बल दे रहा है। भारत ने यह भी वचन दिया कि ब्रिटेन के ब्रेग्ज़िट छोड़ने के बाद भी भारत के लिए उसके महत्व में कोई कमी नहीं आएगी।
- ब्रिटेन 2020 तक भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे पूर्व उपनिवेशों के साथ लगभग $ 700 बिलियन का आर्थिक क्षेत्र विकसित करना चाहता है, जिसका उद्देश्य यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद संभावित नुकसान की क्षतिपूर्ति करना है।
- दोनों देशों ने **भारत-प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्रता और खुलेपन** को प्राथमिकता देने, रक्षा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने, आतंकवाद, कट्टरपंथ के प्रसार और ऑनलाइन चरमपंथ का मुकाबला करने पर भी सहमति व्यक्त की है।
- **प्रौद्योगिकी भागीदारी-** तकनीकी सहयोग मूल विषयों को और व्यापक बनाते हैं:

VISION IAS

- **इंडिया- यूके टेक पहलों** में टेक्नोलॉजी समिट II, यूके-इंडिया टेक एलाइंस (नासकॉम और टेक यूके पार्टनरशिप), यूके-इंडिया टेक हब, यूके-इंडिया टेक क्लस्टर पार्टनरशिप, फिनटेक रॉकेटशिप अवाड्र्स (अपनी तरह का पहला मार्गदर्शन कार्यक्रम) सम्मिलित हैं।

- **व्यापार, निवेश और वित्त**
  - **ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड (GGEF) -** इसके तहत दोनों देशों की सरकारों ने £240 मिलियन के प्रारंभिक निवेश की घोषणा की थी, जो भारत के राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचनात्मक निधि (NIIF) के भाग के रूप में भारत में नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ/हरित परिवहन, जल और अपशिष्ट प्रबंधन में निवेश करेगा।
  - **निवेश पर ब्रिटेन-भारत वार्ता-** प्राथमिकताओं के क्षेत्र में दोनों देशों के मध्य पारस्परिक समझ में सुधार और सहयोग के लिए भविष्य के अवसरों की समीक्षा करना।
  - **यूके-इंडिया बहुपक्षीय व्यापार वार्ता-** वैश्विक नियम आधारित व्यवस्था के प्रति साझी प्रतिबद्धता के साथ ही इस संदर्भ में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका को सशक्त बनाने के लिए।
  - **फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म-** यह ब्रिटेन में भारतीय निवेश का समर्थन करने के लिए कार्य करेगा।
  - **EU-इंडिया थर्ड कंट्री एग्रीमेंट (EU-India Third Country Agreements) ट्रांजीशन के लिए वचनबद्धता-** EU से ब्रिटेन के बाहर होने के बाद EU-इंडिया एग्रीमेंट का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए।
- **अन्य प्रमुख क्षेत्र**
  - **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance)-** ब्रिटेन ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए और इस प्रकार यह 62वां हस्ताक्षरकर्ता सदस्य देश बन गया है।
  - हालांकि, दोनों देशों ने **अवैध प्रवासियों** की वापसी पर एक समझौता ज्ञापन पर **हस्ताक्षर नहीं किए** हैं जिससे यह दोनों देशों के मध्य एक विवादित मुद्दा बना हुआ है।

**मुख्य समझौता ज्ञापनों पर पर हस्ताक्षर किए गए**

- साइबर सम्बन्ध फ्रेमवर्क
- गंगा का कायाकल्प (रिजुवनेशन ऑफ़ गंगा)
- कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण।
- शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए सुरक्षित परमाणु ऊर्जा के उपयोग का विनियमन।
- विभिन्न क्षेत्रों में संभावित प्रौद्योगिकी सहयोग का पता लगाना।
- पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन क्षेत्र।

## 2.4. राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक (चोगम)

(Commonwealth Heads of Goverment Meet: CHOGM)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में लन्दन में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक (चोगम), 2018 संपन्न हुई जिसकी थीम “टुवड्र्स ए कॉमन फ्यूचर” थी।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- चोगम, राष्ट्रमंडल (कॉमनवेल्थ) देशों के राज्य प्रमुखों की एक द्विवार्षिक बैठक है।
- इस बैठक के चार प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित थे:
  - **समृद्धि (Prosperity):** राष्ट्रमंडल देशों के मध्य व्यापार और निवेश को प्रोत्साहन।
  - **सुरक्षा (Security):** वैश्विक आतंकवाद, संगठित अपराध तथा साइबर हमलों सहित सभी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने हेतु सहयोग में वृद्धि करना।
  - **निष्पक्षता (Fairness):** राष्ट्रमंडल देशों में लोकतंत्र, मौलिक स्वतंत्रता तथा सुशासन को प्रोत्साहित करना।
  - **संधारणीयता (Sustainability):** जलवायु परिवर्तन तथा अन्य वैश्विक संकटों के प्रभावों से निपटने हेतु छोटे और सुभेद्य राज्यों की क्षमता में वृद्धि करना।
- इसके अंतर्गत **ब्लू चार्टर ऑन ओशन गवर्नेंस** जारी किया गया। इस चार्टर में सभी राष्ट्रमंडल देशों के मध्य निष्पक्ष महासागरीय अभिशासन (गवर्नेंस), अधिक समृद्ध समुद्रतटीय एवं समुद्री उद्योग, महासागरों के संधारणीय प्रयोग तथा सुरक्षित समुद्री परिवेश पर बल दिया गया।
- चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रत्युत्तर में **कॉमनवेल्थ कनेक्टिविटी एजेंडा फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट** की घोषणा की गई।
- इसके अतिरिक्त **कॉमनवेल्थ साइबर डेक्लेरेशन, कॉमनवेल्थ इनोवेशन फण्ड तथा कॉमनवेल्थ इनोवेशन इंडेक्स** की भी घोषणा की गई।
- साथ ही यह घोषणा भी की गई कि राष्ट्रमंडल के प्रमुख के रूप में महारानी एलिज़ाबेथ को प्रिंस चार्ल्स प्रतिस्थापित करेंगे।



VISION IAS

**राष्ट्रमंडल या विभिन्न देशों का राष्ट्रमंडल (Commonwealth or the Commonwealth of Nations)**

- यह 53 राष्ट्रों का एक समूह है। इसके सभी सदस्य पूर्व में ब्रिटिश साम्राज्य के भाग (अपवाद: रवांडा और मोजाम्बिक) थे। केवल म्यांमार और अदन (अब यमन का भाग) ही ऐसे पूर्ववर्ती ब्रिटिश उपनिवेश हैं जिन्होंने राष्ट्रमंडल में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया।
- राष्ट्रमंडल की प्रमुख महारानी एलिजाबेथ II हैं।
- इसका गठन ब्रिटिश विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ था, जब कई राष्ट्र ब्रिटिश साम्राज्य से पृथक हो रहे थे।
- इसे पूर्ववर्ती ब्रिटिश उपनिवेशों में बढ़ती स्वतंत्रता तथा स्व-शासन के बावजूद साझी भाषा, इतिहास तथा संस्कृति के माध्यम से वैश्विक एकता को बनाए रखने के एक साधन के रूप में देखा गया था।

**संबंधित जानकारी**

**कॉमनवेल्थ साइबर डेक्लेरेशन**

- यह घोषणा साइबर सुरक्षा सहयोग पर विश्व की सर्वाधिक व्यापक तथा भौगोलिक दृष्टि से सर्वाधिक विविध अंतर-सरकारी प्रतिबद्धता है।

**कॉमनवेल्थ इनोवेशन इंडेक्स**

- इसे बैठक से इतर, एक नए कॉमनवेल्थ इनोवेशन हब के एक भाग के रूप में लांच किया गया था।
- इसे यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर्गेनाईजेशन (WIPO) तथा इसके वार्षिक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) की सहभागिता से तैयार किया गया है।
- इस नए इंडेक्स में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ तथा यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर एवं कनाडा शीर्ष पर थे।

**कॉमनवेल्थ इनोवेशन फण्ड**

- ग्लोबल इनोवेशन फण्ड (GIF), नए कॉमनवेल्थ इनोवेशन फण्ड की शुरुआत भी करेगा। इसका आकार 25 मिलियन पाउंड का होगा तथा इसे सदस्य देशों से वित्तीय प्रतिबद्धता प्राप्त होगी।
- यह सभी राष्ट्रमंडल देशों में साक्ष्य-आधारित तथा बाजार द्वारा जांचे गए नवाचारों के विकास, परीक्षण एवं प्रोत्साहन हेतु इनोवेटर्स की सहायता करने के लिए अनुदान, इक्विटी एवं ऋण निवेश प्रदान करेगा।

**राष्ट्रमंडल से जुड़े मुद्दे**

- इस समूह के पास कोई राजनीतिक या आर्थिक शक्ति नहीं है। साथ ही राष्ट्रमंडल देशों के मध्य अतीत में एक-दूसरे के लिए उपलब्ध आप्रवासन लाभ भी अब उपस्थित नहीं हैं।
- इसकी प्रासंगिकता में निरंतर आती कमी को ध्यान में रखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दो CHOGM बैठकों में भाग नहीं लिया, जबकि 2015 में माल्टा में आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुपस्थित रहे।
- राष्ट्र मण्डल के प्रमुख के पद को अधिक लोकतांत्रिक ढंग से भागीदारीपूर्ण अथवा चक्रीय रूप हस्तांतरणीय बनाये जाने की माँगों के मध्य प्रिंस चार्ल्स को इसका उत्तराधिकारी घोषित करना; इसकी लोकतांत्रिक विश्वसनीयता पर प्रश्न चिह्न लगाता है।

**राष्ट्रमंडल का महत्व**

- भारतीय परिप्रेक्ष्य में , राष्ट्रमंडल उसे छोटे राष्ट्रों तक पहुंच के अवसर प्रदान करता है। इन राष्ट्रों की राष्ट्रमंडल सदस्य संख्या में लगभग 60% की भागीदारी है। इनमें से कुछ राष्ट्रों में, भारत की कोई राजनयिक उपस्थिति नहीं है। इन देशों के साथ अच्छे संबंधों का निर्माण कर भारत, संयुक्त राष्ट्र या अन्य बहुपक्षीय निर्वाचनों में शामिल होने की स्थिति में महत्वपूर्ण मतों को सुरक्षित कर सकता है।
- संयुक्त राष्ट्र को छोड़कर, यह किसी भी अन्य समूह की तुलना में देशों का सबसे बड़ा नेटवर्क भी है। अतः यह छोटे राष्ट्रों को अवसर प्रदान करता है कि उनकी आवाज़ सुनी जाए एवं वे अपनी परियोजनाओं तथा चिंताओं को संपूर्ण विश्व के समक्ष रख सकें।
- भू-राजनीतिक पैमाने पर राष्ट्रमंडल शांतिपूर्ण गठबंधन की शक्ति का एक प्रभावशाली उदाहरण बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, भारत को यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग और भागीदारी के एक ऐसे मॉडल को आकार देने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है जो चीन के मॉडल से स्पष्टतः पृथक हो।
- यह विकास सम्बन्धी सहायता, लोकतान्त्रिक मूल्यों और शैक्षणिक अवसरों हेतु एक उत्कृष्ट मंच है; परन्तु इसकी प्रासंगिकता में तब तक वृद्धि की संभावना नहीं है जब तक कि यह अगली पीढ़ी के राष्ट्रमंडल नागरिकों हेतु एक अधिक समतावादी और समावेशी दृष्टिकोण को नहीं अपनाता।

## 2.5. भारत-नॉर्डिक सम्मेलन

**(India-Nordic Summit)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

स्टॉकहोम में **प्रथम भारत-नॉर्डिक सम्मेलन** का आयोजन किया गया।

VISION IAS

**अन्य संबंधित तथ्य**

- नॉर्डिक देशों में **स्वीडेन, नॉर्वे, फ़िनलैंड, डेनमार्क** तथा **आइसलैंड सम्मिलित** हैं।
- इस सम्मेलन का विचार भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
- इसके पूर्व नॉर्डिक देशों के ऐसे एकमात्र सम्मेलन का आयोजन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ किया गया था।
- यह पहल नई दिल्ली का यूरोप में इस तरह का प्रथम प्रयास है, क्योंकि परंपरागत रूप से भारत यूरोपीय संघ (EU) के साथ वार्ता में सलंग्न रहा है।

**भारत के लिए नॉर्डिक राष्ट्रों का महत्व:**

- **नॉर्डिक देश भारत की NSG सदस्यता**, UNSC में इसकी स्थायी सदस्यता एवं UNSC सुधारों की मांग **का समर्थन करते हैं।**
- भारत शिक्षा, संस्कृति, श्रम गतिशीलता और पर्यटन के माध्यम से स्थापित हुए सशक्त पीपुल टू पीपुल संपर्क से लाभ प्राप्त कर सकता है। (नॉर्डिक सस्टेनेबल सिटीज प्रोजेक्ट भारत सरकार के स्मार्ट सिटीज प्रोग्राम को सहयोग प्रदान करता है)
- स्वच्छ प्रौद्योगिकियों, समुद्री समाधानों (maritime solutions), बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, जीवन-विज्ञानों (life-sciences) और कृषि से सम्बंधित नॉर्डिक समाधान; एवं नवाचार तंत्र के लिए सार्वजनिक, निजी और शैक्षणिक क्षेत्र के मध्य एक मजबूत सहयोग का नॉर्डिक दृष्टिकोण, न्यू इंडिया के लिए उपयोगी हो सकता है।

## 2.6. इंडिया-विस्बाडेन कांफ्रेंस, 2018

**(India-Wiesbaden Conference 2018)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

भारत ने हाल ही में इंडिया-विस्बाडेन कांफ्रेंस, 2018 की मेजबानी की। इसकी थीम - **"UNSC के रेज़ल्यूशन (संकल्प) 1540 के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में सरकार-उद्योग भागीदारी के माध्यम से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित रखना"** है।

**अन्य विवरण**

- इस सम्मेलन का आयोजन के विदेश मामलों के मंत्रालय द्वारा **जर्मनी सरकार** और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिसआर्मामेंट अफेयर्स (UNODA) के सहयोग से किया गया।

**यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिसआर्मामेंट अफेयर्स (UNODA)**

- UNODA, जनवरी 1998 में निरस्त्रीकरण मामलों के विभाग के रूप में स्थापित संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक कार्यालय है।
- इसका उद्देश्य परमाणु निरस्त्रीकरण और अप्रसार को प्रोत्साहित करना तथा सामूहिक विनाश के अन्य हथियारों, रासायनिक और जैविक हथियारों से संबंधित निरस्त्रीकरण व्यवस्था को सुदृढ़ करना है।
- यह समकालीन संघर्षों में प्रयोग किये जाने वाले पारंपरिक हथियार, विशेषतः लैंडमाइन्स और छोटे हथियारों के संबंध में निरस्त्रीकरण के प्रयासों को भी बढ़ावा देता है।

- यह सम्मेलन प्रतिभागियों को निर्यात नियंत्रण व्यवस्था के संबंध में अपने **अनुभवों को साझा** करने और 'UNSC संकल्प 1540' के राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वयन में कानूनी एवं तकनीकी सहायता, कार्य योजना और चुनौतियों की पहचान करने का अवसर प्रदान करता है।
- भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) इस आयोजन के लिए इंडस्ट्री पार्टनर है।

**संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1540 क्या है?**

- इसे 2004 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत स्वीकृत किया गया था। यह पुष्टि करता है कि परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों का प्रसार और इनके वितरण माध्यम **अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न करते हैं।**
- यह सभी देशों पर परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार व वितरण के माध्यमों को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों को अपनाने के लिए **बाध्यकारी दायित्व** आरोपित करता है। इसके अतिरिक्त यह उनके अवैध तस्करी को रोकने हेतु संबंधित सामग्रियों पर उचित घरेलू नियंत्रण स्थापित करता है।
- भारत ने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलिवरी सिस्टम (प्रोहिबिशन ऑफ़ अनलॉफुल एक्टिविटीज़) एक्ट, 2005 के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय अप्रसार के लिए अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के एक भाग के रूप में UNSC 1540 के क्रियान्वयन हेतु कानूनी रूप से समर्थित मजबूत निर्यात नियंत्रण प्रणाली की स्थापना की है। हालांकि, भारत ने परमाणु अप्रसार संधि (NTP) और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी (CTBT) पर उनकी भेदभावपूर्ण प्रकृति के कारण हस्ताक्षर नहीं किये हैं।
- 1540 कमेटी का अधिदेश 28 अप्रैल, 2021 को समाप्त होने वाला है।

## 2.7. पनमुनजोम घोषणा

(Panmunjom Declaration)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया ने पनमुनजोम घोषणा पर हस्ताक्षर किए।

**घोषणा के दौरान चर्चा के प्रमुख मुद्दे**

- **परमाणु हथियार-** दोनों कोरियाई देशों ने विनाभिकीयकरण (denuclearisation) के माध्यम से परमाणु मुक्त कोरियाई प्रायद्वीप सुनिश्चित करने के साझे लक्ष्य की पुष्टि की और इस संदर्भ में अपनी-अपनी भूमिका और उत्तरदायित्व की पूर्ति हेतु सहमत हुए।
- **शांति समझौता-** दोनों पक्षों ने चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बहुपक्षीय परामर्श के माध्यम से कोरियाई युद्धविराम संधि को प्रतिस्थापित करने वाली एक शांति संधि हेतु प्रयास करने का वचन दिया।
    - दोनों देशों ने **गैर-आक्रमण समझौते (Non-Aggression Agreement)** की पुनर्पुष्टि की। इस समझौते में एक-दूसरे के विरुद्ध किसी भी रूप में बल के प्रयोग को निषिद्ध किया गया है और समझौते का दृढ़तापूर्वक पालन करने हेतु सहमति व्यक्त की गयी है।
    - आकस्मिक सैन्य संघर्षों को रोकने और सुरक्षित मत्स्यन गतिविधियों की गारंटी के लिए दोनों देश एक **समुद्री शांति क्षेत्र** (maritime peace zone) हेतु कार्य करेंगे।
- **पारिवारिक यात्राएँ-** दोनों पक्ष 15 अगस्त को "पुनर्मिलन कार्यक्रम" (उन परिवारों के लिए जो युद्ध के कारण दो देशों में विभाजित हो गए हैं) आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। इस दिन दोनों कोरियाई राष्ट्र, जापानी उपनिवेशीकरण से अपनी स्वतंत्रता का समारोह मनाते हैं।
- **असैन्यकृत क्षेत्र-** घोषणा के अनुसार दोनों पक्ष भड़काऊ प्रसारण बंद कर देंगे, नियमित सैन्य बैठकों का आयोजन करेंगे और सीमा पर तनाव को कम करने के लिए अन्य उपाय कर, इस क्षेत्र को "शांति क्षेत्र (पीस जोन)" में परिवर्तित करेंगे।
- **अंतर-कोरियाई संचार-** दोनों पक्षों ने निम्न स्तर के राजनीतिक अधिकारियों समेत प्रत्यक्ष अंतर-कोरियाई आदान-प्रदान और संवाद को बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

**बैठक का महत्व**

- चूंकि प्योंगयांग ने कोरियाई प्रायद्वीप के विनाभिकीयकरण पर 1992 की संयुक्त घोषणा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत किया है, अतः इसका उपयोग संभावित रूप से **भविष्य की परमाणु वार्ताओं में** उत्तर कोरियाई प्रतिनिधिमंडलों द्वारा अवरोध से बचाव हेतु किया जा सकता है।
- **चरणबद्ध निरस्त्रीकरण के लिए उत्तर कोरिया की प्रतिबद्धता** चिंतित कर सकती है ,क्योंकि दक्षिण कोरियाई सेना, कोरियाई पीपुल्स आर्मी से संख्या में कम है और किसी भी बल में कमी दक्षिण कोरिया को कमजोर कर उत्तर कोरिया को लाभ दे सकती है।
- यह घोषणा उत्तर कोरिया द्वारा दक्षिण कोरिया के साथ **एक अन्य सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति** की पुष्टि करता है। इस प्रकार, इससे दक्षिण कोरिया को कम से कम पांच माह की स्थिरता प्राप्त होगी। यह दक्षिण कोरिया के व्यापार विश्वास को प्रोत्साहित करेगा।

**आगे की राह**

- यह घोषणा विश्वभर में परमाणु खतरे को कम करने और सर्वाधिक अशांत क्षेत्र में शांति स्थापित होने की आशा प्रदान करती है।
- हालाँकि, कोरियाई प्रायद्वीप के **विनाभिकीयकरण"** का विचार केवल एक अस्पष्ट प्रतिबद्धता प्रतीत होता है, क्योंकि यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि यह महत्वपूर्ण लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाएगा। अतः ऐसे अन्य कदम उठाने चाहिए जो इस आशाजनक स्थिति को सुदृढ़ कर सकें जैसे-
    - उत्तर कोरिया को **अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी** को अपने परमाणु कार्यक्रम का आकलन करने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। इससे वैश्विक समुदाय में **पनमुनजोम घोषणा** के अंतर्गत प्रगति की भावना सृजित होगी।

## 2.8.अफ्रीकी-एशियाई ग्रामीण विकास संगठन

(African Asian Rural Development Organization: AARDO)

**सुर्खियों में क्यों?**

हाल ही में अफ्रीकी-एशियाई ग्रामीण विकास संगठन (AARDO) द्वारा कोच्चि में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जो खाद्य सुरक्षा, कृषि और मत्स्य पालन पर केंद्रित थी।

**अफ्रीकी-एशियाई ग्रामीण विकास संगठन (AARDO)**

- AARDO की स्थापना 1962 में एक स्वायत्त अंतर्सरकारी संगठन के रूप में की गई थी। इसमें अफ्रीका और एशिया के 33 सदस्य देश सम्मिलित हैं।
- यह संगठन समर्पित है:
    - सदस्यों के मध्य एक-दूसरे की समस्याओं को बेहतर तरीके से मूल्यांकित करने के लिए समझ विकसित करने;
    - कल्याण को बढ़ावा देने के प्रयासों के समन्वय हेतु सामूहिक अवसरों की खोज करने; और
    - ग्रामीण जनता के मध्य भूख, प्यास, निरक्षरता, बीमारी व गरीबी के उन्मूलन के लिए।

VISION IAS

**अन्य संबंधित तथ्य**

- केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (CMFRI) द्वारा इस कार्यशाला का आयोजन AARDO के 13 सदस्य देशों के शोधकर्ताओं और अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया था।
- इसके अंतर्गत समुद्री मत्स्योद्योग विकास, मत्स्य भंडार अनुमान, मत्स्योद्योग पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के आकलन, उत्तरदायी समुद्री विकास (responsible marine development) और मैरीकल्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- मत्स्योद्योग और जलीय कृषि (aquaculture) क्षेत्रों का विकास अफ्रीका और एशिया में लाखों लोगों के लिए अधिक मात्रा में पौष्टिक भोजन तथा साथ ही बेहतर आय और आजीविका के अवसर उत्पन्न करने में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है।

## 2.9. क्लेरिफाइयिंग लॉफुल ओवरसीज यूज़ ऑफ़ डेटा एक्ट (क्लाउड एक्ट)

### (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act: CLOUD Act)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्लैरिफाइयिंग लॉफुल ओवरसीज़ यूज़ ऑफ़ डेटा एक्ट (क्लाउड एक्ट) पर हस्ताक्षर किए हैं।

**क्लाउड एक्ट के बारे में**

CLOUD एक्ट, अन्य देशों में डेटा हेतु कानून प्रवर्तन अनुरोधों (law enforcement requests) के लिए प्रक्रियाओं और पद्धतियों का निर्धारण करता है। इसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित हैं:

- इस अधिनियम के तहत स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि स्टोर्ड कम्यूनिकेशन एक्ट (SCA) के तहत जारी अमेरिकी कानून-प्रवर्तन आदेश अन्य देशों में स्थित कुछ निश्चित डेटा तक अपनी पहुंच रख सकते हैं।
- यह अधिनियम **कुछ विदेशी राष्ट्रों को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नए द्विपक्षीय समझौते करने की अनुमति प्रदान करता है**। नया समझौता विदेशी राष्ट्रों को आपसी कानूनी सहायता संधि (mutual legal assistance treaty) के तहत सीधे अमेरिकी कंपनियों से डेटा सम्बन्धी अनुरोध करने में सक्षम बनाएगा और उन्हें अमेरिकी सरकार को माध्यम बनाने की आवश्यकता नहीं होगी।
- अधिनियम, कंपनियों द्वारा कानून प्रवर्तन अनुरोधों को चुनौती देने की प्रक्रिया को औपचारिक रूप प्रदान करता है।
- अधिनियम, गोपनीयता और नागरिक स्वतंत्रता सम्बन्धी चिंताओं के समाधान हेतु कानून प्रवर्तन अनुरोधों पर कुछ निश्चित सीमाएं और प्रतिबंध आरोपित करता है।

CLOUD अधिनियम से पूर्व, अमेरिका केवल आपसी कानूनी सहायता संधियों (MLATs) के माध्यम से विदेशों में संग्रहीत डेटा तक पहुंच प्राप्त कर सकता था।

**क्लाउड एक्ट के लिए शर्तें**

- **द्विपक्षीय समझौता:** संयुक्त राज्य अमेरिका, अन्य देशों से **द्विपक्षीय समझौतों/डेटा शेयरिंग समझौतों** के रूप में एक साझी प्रतिबद्धता हेतु सहभागिता की मांग करता है जोकि **विधि के शासन, निजता के संरक्षण** और अन्य नागरिक स्वतंत्रताओं का पालन करते हों।
- **प्रक्रिया और समीक्षा तंत्र:** सहभागी देशों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि उसके प्राधिकरण आंकड़ों को एक स्थापित प्रक्रिया के अनुसार एकत्रित, प्रतिधारित, प्रयोग एवं साझा करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा संबंधी मांग की समीक्षा किसी न्यायालय या अन्य स्वतंत्र प्राधिकरण द्वारा की जाएगी।

**विश्लेषण**

- जहाँ एक ओर विभिन्न देशों के निजी कानून, सेवा प्रदाताओं को विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समक्ष यूज़र डेटा का खुलासा करने से रोकते हैं, वहीं दूसरी ओर यदि डेटा शेयरिंग कानून मौजूद भी हैं तो अत्यधिक कठिन और अप्रचलित हैं। ऐसे में यह कानून एक प्रगतिशील कदम सिद्ध हो सकता है, विशेष तौर पर वर्तमान विश्व में जिसमें सीमा पारीय अपराधों में निरंतर वृद्धि हो रही है।
- हालांकि, संपूर्ण विश्व में डेटा शेयरिंग करने से संबंधित विभिन्न अटकलें व्याप्त हैं। जब तक डेटा सुरक्षा और निजता नियंत्रण के मानकों के एक वास्तविक अंतरराष्ट्रीय सेट को विकसित नहीं किया जाता, तब तक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर डेटा की अर्थपूर्ण सुरक्षा, निजता की एक समस्या के रूप में विद्यमान रहेगी।

## 2.10. हिंद महासागर को नया आकार देने हेतु चीन द्वारा नहर के निर्माण की योजना

### (China Plans a Canal to Reshape Indian Ocean)

**सुर्ख़ियों में क्यों ?**

चीन ने थाईलैंड को दो भागों में विभाजित करते वाली एक 100 किमी लम्बी नहर का निर्माण करने का निर्णय लिया है।

**परियोजना का विवरण**

- नवीन थाई नहर परियोजना के दो भाग हैं-

VISION IAS

- पहला भाग 'मलक्का डिलेमा (दुविधा)' के प्रतिरोध के रूप में देखा जा रहा है। यह नहर चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ेगी जिससे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर से जुड़ जायेगा।
- दूसरे भाग में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की स्थापना की जाएगी। नए क्षेत्र में कुछ अतिरिक्त शहर और कृत्रिम द्वीप सम्मिलित हैं जो इस क्षेत्र में नए उद्योगों और अवसंरचनात्मक ढांचे को प्रोत्साहित करेंगे। यह थाईलैंड को एक "लॉजिस्टिक हब" के रूप में परिवर्तित कर उसे सम्पूर्ण विश्व के देशों से जोड़ देगा।

**मलक्का डिलेमा (मलक्का दुविधा)**

- मलक्का डिलेमा नामक शब्द चीनी राष्ट्रपति हू जिंताओ (2003) द्वारा दिया गया जिसका तात्पर्य मलक्का जलसंधि पर अधिक निर्भरता से है। मध्य पूर्व, अफ्रीका आदि से चीन की ऊर्जा आवश्यकता (तेल आयात) का 80% भाग मलक्का जलसन्धि के माध्यम से होकर गुजरता है। इसे चीन की समुद्री जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है।
- इसका निकटतम विकल्प **लोम्बोक और मक्कासर जलसंधियाँ** हैं। ये मार्ग धीमे हैं और पहले से ही उन अत्यधिक विशाल क्रूड वाहकों द्वारा उपयोग किये जा रहे हैं जो मलक्का के मार्ग में सुरक्षित नौवहन नहीं कर पाते।
- इस प्रकार, ऐसे चोकपॉइंट (chokepoint) पर अत्यधिक निर्भरता के कारण चीन विभिन्न प्रकार के संभावित प्राकृतिक और राजनीतिक हस्तक्षेपों के प्रति सुभेद्य है।

**प्रभाव**

- **ऊर्जा सुरक्षा:** थाई नहर सबसे व्यस्त समुद्री नौवहन मार्ग में पारगमन समय को काफी कम कर देगी। चीनी कंपनियां इस परियोजना को तेजी से पूरा करने में अत्यधिक रुचि ले रही हैं क्योंकि चीनी तेल आयात का 80 प्रतिशत से अधिक और विश्व व्यापार का 30% मलक्का जलसन्धि के माध्यम से गुजरता है।
- **सामरिक महत्व:** यह नहर मलक्का जलसन्धि को बायपास कर दक्षिण एशियाई बंदरगाहों तक पहुंचने के लिए चीनी युद्धपोतों द्वारा तय की गयी दूरी को **1,200 किमी कर** देगी और इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की बीजिंग की क्षमता को नाटकीय रूप से बढ़ाएगी।
- **सुरक्षा संरचना:** चूंकि चीन द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के माध्यम से समुद्री क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया जाना जारी है, अतः क्रा नहर जैसी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की स्थापना से हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में **नई उभरती सुरक्षा संरचना के प्रभावित होने की संभावना** है।
- कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि क्रा नहर **भारत और इस क्षेत्र की अन्य अर्थव्यवस्थाओं को लाभ पहुंचा सकती है**। इनके जहाज अतिदबावग्रस्त (overcrowded) मलक्का जलसन्धि पर दबाव डाले बिना इस क्षेत्र के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं।

**चुनौतियां**

- स्थलडमरूमध्य (isthmus) के विभाजन के क्षेत्र के वनस्पतियों और जीवों के साथ-साथ थाईलैंड में **पर्यटन और मत्स्य उद्योगों** पर भी पर विशेष **पर्यावरणीय प्रभाव** होंगे। वस्तुतः प्रस्तावित नहर मार्ग अंडमान सागर में स्थित पर्यटन क्षेत्रों से होकर जाएगी। ये क्षेत्र पर्यटन उद्योग से कुल राजस्व के लगभग 40 प्रतिशत का सृजन करते हैं।
- इससे **देश की संप्रभुता का भी ह्रास** हो सकता है जोकि मिस्र और पनामा में अनुभव किया गया था। स्वेज़ और पनामा नहरों के विकास के उपरांत वहां दशकों तक विदेशी नियंत्रण रहा।

## 2.11. एशियन प्रीमियम

**(Asian Premium)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

भारत **तेल निर्यातक देशों के संगठन (Organisation of the Petrolium Exporting Countries: OPEC)** द्वारा प्रभारित "एशियन प्रीमियम" का विरोध करने हेतु चीन तथा अन्य एशियाई देशों का सहयोग करेगा।

**OPEC के बारे में**

तेल निर्यातक देशों का संगठन (Organisation of the Petrolium Exporting Countries: OPEC) 14 राष्ट्रों का एक अंतर-सरकारी संगठन है। 1960 में इसकी स्थापना की गयी थी।

- **मुख्यालय: विएना (ऑस्ट्रिया)**
- प्रकार: अंतर्राष्ट्रीय उत्पादक संघ
- संगठन के सदस्य:
  - **मध्य-पूर्व:** ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, क़तर और संयुक्त अरब अमीरात;
  - **अफ्रीका:** लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी और गैबॉन; एवं
  - **दक्षिण अमेरिका:** वेनेज़ुएला तथा इक्वेडोर।

भारत OPEC के सदस्य देशों से कच्चे तेल का लगभग 86%, प्राकृतिक गैस का 75% तथा LPG का लगभग 95% आयात करता है।

**एशियन प्रीमियम के बारे में**

- यह एक **अतिरिक्त प्रभार** है जो **OPEC देशों द्वारा एशियाई देशों** को तेल की बिक्री के दौरान वसूल किया जाता है।
- एशियन प्रीमियम की जड़ें 1986 में स्थापित क्रूड प्राइसिंग की बाजार उन्मुख व्यवस्था में निहित हैं।
- वैश्विक बाजार में तीन महत्वपूर्ण मानक हैं, जो संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पादित तेल की लागत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हैं:
  - **ब्रेंट:** यह लाइट स्वीट (हल्का मृदु) तेल है, जो यूरोपीय बाजार का प्रतिनिधित्व करता है।
  - **वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI):** संयुक्त राज्य अमेरिका का बाजार।
  - **दुबई/ओमान:** मध्य-पूर्व तथा एशियाई बाजार।
- यूरोप और अमेरिका के लिए घरेलू क्रूड बाज़ारों (domestic crude markets) और स्पॉट मूल्यों (spot prices) को मानक बनाया गया। इन दोनों बाजारों ने संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पादित कच्चे तेल की लागतों को प्रतिबिंबित किया।
- परन्तु एशिया में, आयातकों के लिए **निर्यातोन्मुख खाड़ी बाजार** के अतिरिक्त ऐसा कोई स्वदेशी बाजार / उत्पादन स्थल उपलब्ध नहीं था। अतः दुबई/ओमान के बाजार मूल्य को मार्कर के रूप में स्वीकार किया गया था। लेकिन यह **उत्पादन की लागत को इंगित करने में विफल रहा।**
- चूँकि अमेरिका और यूरोप का व्यापार **फ्यूचर ट्रेडिंग (Future Trading) पर आधारित था और यह क्रूड बाज़ार की सभी प्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित करता था** अतः वे लाभ की स्थिति में थे। दूसरी ओर, एशिया का प्रतिनिधित्व कर रहे दुबई/ओमान में कोई डेरीवेटिव ट्रेडिंग नहीं है अतः यहाँ उसका लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है।
- इस प्रकार एशियाई देशों से ली गई कीमत यूरोप और अमेरिका की तुलना में 1- 2 डॉलर अधिक बनी रही। इस **मूल्य अंतर को 'एशियन प्रीमियम'** कहा जाता है।

## 2.12. साउथ एशियन क्लाइमेट आउटलुक फोरम

**(South Asian Climate Outlook Forum: SASCOF)**

**सुर्खियों में क्यों?**

हाल ही में, पुणे में साउथ एशियन क्लाइमेट आउटलुक फोरम (SASCOF) का 12वां संस्करण आयोजित किया गया।

**दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (South Asian Association for Regional Cooperation: SAARC)**

- यह 1985 में स्थापित एक क्षेत्रीय संगठन है।
- SAARC की स्थापना का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और इस क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना था।
- सदस्य देश - भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान।

**SASCOF के बारे में**

- इसे विश्व मौसम संगठन (WMO) के दक्षिण एशियाई सदस्यों द्वारा 2010 में स्थापित किया गया था। WMO मौसम विज्ञान, क्रियाशील (operational) जल विज्ञान और संबंधित भू-भौतिकीय विज्ञान के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।
- यह एक ऐसा मंच है जहाँ सार्क (SAARC) के सदस्य राष्ट्र और म्यांमार साझे मौसम तथा जलवायु संबंधी विषयों पर परिचर्चा करते हैं।
- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग इसका समन्वय करता है।
- यह क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर दक्षिण एशियाई मानसून के बारे में समझ में हुई वृद्धि और दीर्घावधिक भविष्यवाणी की समीक्षा भी करता है।
- इसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई क्षेत्र में, विशेष रूप से मौसम संबंधी भविष्यवाणी के लिए, क्षमता निर्माण/मानव संसाधन विकास गतिविधियों को प्रारंभ करना है।

VISION IAS

## 2.13 ई- विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय योजना

(E-Foreigners Regional Registration Office Scheme E-FRRO)

### सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, गृह मंत्रालय द्वारा देश में E-FRRO योजना आरंभ की गयी है।

### E-FRRO योजना क्या है?

- यह **इंडियन ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन** द्वारा जारी एक वेब आधारित एप्लिकेशन है। इसका उद्देश्य भारत की यात्रा करने वाले विदेशियों को त्वरित और कुशल सेवाएं प्रदान करना है।
- इस नई प्रणाली के माध्यम से E-FRRO सेवा का उपयोग कर विदेशी भारत में वीजा एवं आप्रवास से संबंधित 27 सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे और इसके द्वारा शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना (अपवाद वाले कुछ मामलों को छोड़कर) ई-मेल या पोस्ट के माध्यम से सेवाएं प्राप्त करेंगे।

# 3. अर्थव्यवस्था

(ECONOMY)

## 3.1. कमोडिटी स्पॉट और डेरिवेटिव्स बाजार का एकीकरण

(Integration Of Commodity Spot And Derivatives Market )

**सुर्खियों में क्यों?**

- कमोडिटी स्पॉट और डेरिवेटिव्स बाजार के एकीकरण पर रमेश चंद की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है।

**कमोडिटी बाजारों की संरचना**

- कमोडिटी बाजार में व्यापार को व्यापक रूप से दो प्रमुख खंडों अर्थात् स्पॉट/भौतिक खंड और डेरिवेटिव खंड में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार एक सांविधिक नियामक के अधीन भलीभांति विनियमित होते हैं, जबकि स्पॉट बाजार विखंडित, भौगोलिक दृष्टि से तितर-बितर और मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा विनियमित होते हैं।

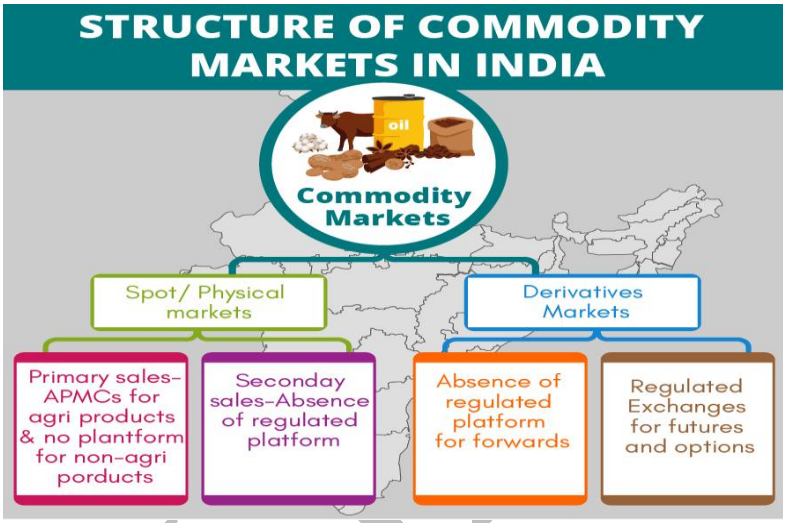


**सम्बंधित जानकारी**

- **स्पॉट बाजार (Spot Markets)** – स्पॉट बाजार वस्तुतः वस्तुओं एवं प्रतिभूतियों जैसे वित्तिय विपत्रों का एक बाजार होता है जिनका तत्काल या उसी स्थल पर व्यापार किया जाता है। स्पॉट बाजार में स्पॉट (तत्काल) व्यापार स्पॉट (मौजूदा) कीमतों के साथ किए जाते हैं। इसे "भौतिक बाजार" या "नकद बाजार" के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।
- कृषि जिंसों से संबंधित स्पॉट बाजार दो प्रकार के होते हैं अर्थात् **प्राथमिक बाजार**, जहां मुख्य रूप से उत्पादक अपनी वस्तुएं व्यापारियों को बेचते हैं और **द्वितीयक बाजार** जहां व्यापारियों के बीच आपस में लेन-देन होता है।
- **डेरिवेटिव्स–** डेरिवेटिव अंतर्निहित परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के समूह से व्युत्पन्न मूल्य वाली वित्तीय प्रतिभूतियां होती हैं। डेरिवेटिव के कुछ सामान्य रूपों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
- **फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स :** यह दो पक्षों के बीच सहमत/स्वीकृत मूल्य पर परिसंपत्ति की बिक्री हेतु एक समझौता है। एक व्यक्ति सामान्यत: एक विशेष अवधि के दौरान जोखिम के विरूद्ध बचाव के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग करता है।
- **फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स:** यह फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के समान होता है, लेकिन इनका व्यापार एक्सचेंज पर न होकर केवल ओवर-द-काउंटर पर किया जाता है।
- **ऑप्शन:** यह इस अर्थ में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के समान है कि यह दो पक्षों के बीच पूर्व निर्धारित भविष्य की तिथि पर दूसरे पक्ष से या को प्रतिभूति क्रय या विक्रय का अवसर प्रदान करने वाला समझौता है। मुख्य अंतर यह है कि ऑप्शन के साथ, **यदि वह लेन-देन नहीं करने का निर्णय लेता है,** खरीददार लेनदेन करने के लिए बाध्य नहीं होता है, इसलिए इसका नाम "ऑप्शन" है।

**स्पॉट और डेरिवेटिव्स बाजारों का एकीकरण**

**स्पॉट और डेरिवेटिव्स बाजारों के एकीकरण की आवश्यकता**

- हालांकि स्पॉट और डेरिवेटिव्स बाजार एक ही पारितंत्र में लेकिन भिन्न-भिन्न बाजार सिद्धांतों के आधार पर संचालित होते हैं और एक-दूसरे से अलग-अलग कार्य करते हैं, लेकिन उनका सहजीवी संबंध होता है।
- कमोडिटी डेरिवेटिव्स बाजार वस्तुओं की भविष्य की कीमतों की खोज के लिए मंच प्रदान करते हैं और स्पॉट बाजार में प्रतिभागियों को अंतर्निहित वस्तुओं की भविष्य की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के विरुद्ध अपने बचाव का अवसर भी प्रदान करते हैं।
- चूंकि डेरिवेटिव्स बाजार यह सुनिश्चित करता है कि वस्तु के फ्यूचर और स्पॉट कीमत में उस दिन अभिसरण हो जिस दिन डेरिवेटिव्स अनुबंध निपटान हेतु समाप्त होता है, अतः अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट एक्सचेंज पर वस्तु की वास्तविक समय की स्पॉट कीमतों की खोज निश्चित रूप से वस्तु की स्पॉट और फ्यूचर कीमतों का अभिसरण मजबूत बनाएगी जिससे स्पॉट और डेरिवेटिव्स बाजार दोनों की दक्षता में वृद्धि होगी।

**स्पॉट और डेरिवेटिव्स बाजारों के एकीकरण में चुनौतियां**

- **कानूनी चुनौतियां -** अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट बाजार मंच, कृषि या गैर-कृषि वस्तुओं में स्पॉट एक्सचेंज की स्थापना या विनियमन के लिए कोई विशिष्ट केंद्रीय कानून नहीं है।

- **कई नियामक और विनियम-**
  - SEBI कृषि और गैर-कृषि वस्तुओं के लिए कमोडिटी डेरिवेटिव बाजारों का नियामक है।
  - कृषि वस्तुओं के लिए स्पॉट बाजार संबंधित राज्य सरकारों के दायरे में आते हैं। गैर-कृषि वस्तुओं के संबंध में कोई समर्पित केंद्रीय एजेंसी नहीं है।
- **भंडारण-** उपलब्ध भंडार अवसंरचना की क्षमता अपर्याप्त है और उद्योग स्थानीय, असंगठित और विखंडित हैं।
- पर्याप्त परिवहन प्रणाली, विनियमित आकलन, परिष्करण और परीक्षण सुविधाओं, प्रशिक्षित एवं प्रमाणित मानव संसाधन, एक समान गुणवत्ता मानकों इत्यादि जैसी **सहायक मूलभूत सुविधाओं की कमी** है।

**स्पॉट और डेरिवेटिव्स बाजारों के एकीकरण की कार्य योजना**

- **स्पॉट बाजार**

**कृषि स्पॉट बाजार-**

- राज्यों को मॉडल कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम' (APLM), 2017 में सुझाई गई पद्धति के आधार पर अपने वर्तमान APMC अधिनियमों में परिवर्तन लाना चाहिए।
- किसान को अपनी कृषि उपज के विक्रय की विविध विधियां प्रदान करना, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) का गठन, जिंसों का वैज्ञानिक भंडारण, जिंसों के श्रेणीकरण और मानक विकसित करने के लिए संस्थान, eNAM में सुधार इत्यादि को प्रोत्साहित करना।

**गैर-कृषि स्पॉट बाजार–**

- विनियमित गोदाम और सहायक अवसंरचना, भारतीय वितरण मानक का विकास एवं इसका वैश्विक मानकों के साथ संरेखन, बहुमूल्य धातुओं, रत्नों और गैर-लौह धातुओं के लिए समर्पित मंत्रालय/विभाग तथा गैर-कृषि वस्तुओं का पुनर्वर्गीकरण।
- अन्य मुद्दों में सम्मिलित हैं- मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) की समीक्षा करना, क्योंकि इनमें से कुछ का घरेलू क्षेत्रक के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और स्पॉट एक्सचेंजों की औपचारिक और विनियमित संरचना विकसित करना।
- **डेरिवेटिव्स बाजार-** विभिन्न हितधारकों (बैंक, म्यूचुअल फंड जैसी संस्थान और **FPOs** जैसे संगठन) की भागीदारी बढ़ाना, नए उत्पादों (जैसे- वेदर डेरिवेटिव्स) का प्रचलन, वैश्विक जिंस बाजार के साथ संबद्धता आदि।
- **कमोडिटी स्पॉट और डेरिवेटिव्स का एकीकरण–** स्पॉट और डेरिवेटिव्स बाजार के संबंध में डेटा का संग्रह और प्रसार, भंडार गृह एवं भंडारण अवसंरचना का विकास, कुशल श्रमिकों के लिए प्रमाणीकरण आवश्यकता, सुदृढ़ विवाद समाधान तंत्र आदि।

## 3.2. ऐल्गोरिदम ट्रेडिंग

(Algorithm Trading)

**सुर्खियों में क्यों?**

हाल ही में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंजों पर आरोपित प्रतिबंधों में रियायत प्रदान की है।

**ऐल्गोरिदम ट्रेडिंग क्या है?**

- बाज़ार की भाषा में ऐल्गोरिदम ट्रेडिंग या 'एल्गो' का तात्पर्य उन्नत गणितीय मॉडलों का उपयोग करके अत्यधिक तीव्र गति से सृजित किए गए आर्डर से है, जिसमें व्यापार का स्वचालित निष्पादन सम्मिलित होता है। इसका उपयोग अधिकांशत: बड़े संस्थागत निवेशकों द्वारा किया जाता है जो भारतीय एक्सचेंजों के 35-40 प्रतिशत टर्नओवर के हेतु उत्तरदायी है।
- यह संस्थागत निवेशकों को उनके व्यापार निष्पादन की दक्षता में वृद्धि एवं चिन्हित क्षणिक व्यापार अवसरों का लाभ उठाने में सहायता करता है।
- हालांकि इसमें कई चिंताएं भी निहित होती हैं, जैसे- यह व्यापार की बड़ी मात्रा को ट्रिगर (trigger) कर सकता है जिसके परिणामस्वरूप बाजार में तीव्र उतार-चढ़ाव एवं अचानक गिरावट की प्रवृत्ति अत्यधिक बढ़ सकती है।
- SEBI के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अभाव के कारण अधिकांश ब्रोकर खुदरा निवेशकों को एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करने में असमर्थ रहते हैं जिससे संस्थागत निवेशकों को खुदरा निवेशकों की तुलना में अनुचित लाभ प्राप्त होता है।
- हालांकि, SEBI ने खुदरा निवेशकों को होने वाली हानियों को कम करने के लिए विभिन्न उपाय प्रस्तुत किए हैं, जैसे कि:
  - ऑर्डर के लिए न्यूनतम रेस्टिंग टाइम;
  - ऑर्डर प्रोसेसिंग/मैचिंग में देरी या रैंडम स्पीड बंप जो कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग को प्रभावित करेंगे लेकिन नॉन-एल्गो ऑर्डर प्रवाह को नहीं।
  - अधिकतम ऑर्डर मैसेज-व्यापार अनुपात (order message-to-trade ratio) की आवश्यकता जिसके लिए एक बाजार प्रतिभागी को व्यापार स्थल पर भेजे गए ऑर्डर मैसेजेस की एक निश्चित संख्या के लिए कम से कम एक व्यापार निष्पादित करने की आवश्यकता होती है।

VISION IAS

- ○ स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम तक निष्पक्ष और न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोलो (colo) ऑर्डर और गैर-कोलो ऑर्डर के लिए अलग कतारें।
- टिक-बाय-टिक डेटा फीड की समीक्षा जो रियल टाइम के आधार पर ऑर्डर और व्यापार से संबंधित विवरण प्रदान करती है।

**SEBI के हालिया कदम से सम्बंधित विवरण**

- SEBI ने एल्गो ट्रेड हेतु प्रति उपयोगकर्ता प्रति सेकंड 20 ऑर्डर की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर प्रति उपयोगकर्ता प्रति सेकंड 100 ऑर्डर तक कर दिया है। SEBI ने एक्सचेंजों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि इनके द्वारा प्रदत्त सीमा, भार संभालने की इनकी क्षमता के अधीन हो।
- इसने एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग के सिस्टम ऑडिट के लिए एक्सचेंजों द्वारा सिस्टम ऑडिटर की सूची की आवश्यकता को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है।

**SEBI द्वारा एल्गो ट्रेडिंग से संबंधित अन्य विनियम**

- मूल्यों के उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने हेतु पिछले व्यापार मूल्य से 0.75 प्रतिशत से अधिक के एल्गो ऑर्डर पर जुर्माना लगाया जायेगा।
- लागत में कटौती करने के लिए साझा सह-अवस्थिति सेवाओं की शुरुआत। वस्तुतः ट्रेड ऑर्डर्स के निष्पादन में देरी को कम करने या समाप्त करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज, सह-अवस्थिति या प्रोक्सिमिटी होस्टिंग सर्विसेज प्रदान करते हैं। इसके माध्यम से, ब्रोकर या डेटा-विक्रेता को स्टॉक एक्सचेंज के भीतर या निकटता में स्थित होने की अनुमति प्रदान की गई है और ये प्रत्यक्ष एवं निजी नेटवर्क के माध्यम से ट्रेड प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं।
- उन एक्सचेंजों को जहां एल्गो का उपयोग किया जाता है, उन्हें उपयोग करने से पहले अपने कार्यक्रमों के लिए SEBI के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

## 3.3. एंजल टैक्स से छूट

### (Exemption From Angel Tax)

**सुर्खियों में क्यों?**

हाल ही में, सरकार ने भूतलक्षी प्रभाव के साथ 'एंजल टैक्स' से छूट प्राप्त करने के लिए स्टार्ट-अप हेतु एक तंत्र स्थापित किया है।

**एंजल निवेशक** छोटे स्टार्ट-अप या उद्यमों में निवेश करते हैं। एंजल निवेशकों द्वारा प्रदत्त पूँजी व्यापार को आगे बढ़ाने में सहायता करने के लिए एकमुश्त निवेश हो सकता है या कंपनी के प्रारंभिक कठिन चरणों में सहायता करने और संचालन के लिए नियमित धन के प्रवाह के रूप में भी हो सकता है।

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP) के अधिसूचना में स्टार्टअप को निम्नलिखित मानदंडों के साथ भारत में निगमित या पंजीकृत एक इकाई के रूप में परिभाषित किया है:

- निगमन/पंजीकरण की तिथि से सात वर्ष की अवधि तक। जैव प्रौद्योगिकी फर्मों के लिए, यह अवधि दस वर्ष है।
- किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में वार्षिक टर्नओवर 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, और
- यदि वह उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के नवाचार, विकास या सुधार की दिशा में काम करता है, या वह रोजगार सृजन या संपत्ति निर्माण की उच्च क्षमता वाला मापनीय व्यापार मॉडल है।

**पृष्ठभूमि**

- IT कानून की धारा 56 के तहत **उचित मूल्य** (Fair value) से अधिक इक्विटी निवेश प्राप्त करने वाले स्टार्टअप को एंजल टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। **उचित मूल्य** किसी वस्तु, सेवा या परिसंपत्ति के संभावित बाजार मूल्य का तर्कसंगत और निष्पक्ष अनुमान होता है।
- यह कानून ऐसे इक्विटी निवेश को अन्य आय के रूप में देखता है और तदनुसार इस पर कर आरोपित करता है।
- कई स्टार्टअप को इस 'एंजल टैक्स' के लिए टैक्स नोटिस प्राप्त हुआ है।

**हाल ही में किए गए परिवर्तन**

- एंजल निवेशकों द्वारा प्रदत्त वित्तपोषण सहित 10 करोड़ रुपये तक के कुल निवेश वाले स्टार्टअप, कर से छूट प्राप्ति हेतु आठ सदस्यीय सरकारी बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं।
- 30.9% की भारी राशि के रूप में आरोपित एंजेल निवेश कर स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ा झटका है। स्टार्टअप्स को इस कर से छूट प्रदान कर उन्हें वित्त तक आसान पहुंच प्रदान की जा सकेगी जिसके परिणामस्वरूप नए व्यवसायों को शुरू करने में सुगमता सुनिश्चित होगी तथा स्टार्टअप इको-सिस्टम एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा।
- हालांकि, कर छूट का लाभ उठाने के लिए स्टार्टअप को अभी भी निम्नलिखित कठिन शर्तें पूरी करनी होंगी, जैसे कि-
  - ○ अभी भी उन्हें आयकर नियमों के अंतर्गत शेयरों का उचित बाजार मूल्य निर्दिष्ट करने वाले मर्चेंट बैंकर से रिपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता है, इससे उनकी लागत बढ़ जाएगी।
  - ○ अंतर-मंत्रालयी प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा अभिनव स्टार्टअप (innovative startup) के रूप में मान्यता प्राप्त करना।

## 3.4. स्थावर संपदा निवेश ट्रस्ट और अवसंरचना निवेश ट्रस्ट

**(REITs & INVITs)**

**सुर्खियों में क्यों?**

हाल ही में, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने निर्णय लिया है कि स्थावर संपदा निवेश ट्रस्ट (रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट: REITs) तथा अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट: InvITs) को अपने शेयरधारकों और भागीदारों के साथ विवादों के समाधान के लिए तंत्र प्रदान करना होगा।

**स्थावर संपदा निवेश ट्रस्ट (REITs) क्या है?**

- यह आय-सृजन करने वाली अचल संपत्ति का स्वामित्व रखने, उनके संचालन या वित्तपोषण करने वाली एक कंपनी होती है।
- REITs काफी हद तक म्यूचुअल फंड की भांति कार्य करते हैं। ये अनेक निवेशकों से पैसे जुटाते हैं और उनका निवेश किराया सृजित करने वाली संपत्तियों में करते हैं।
- भारत में, REITs को 2007 में SEBI द्वारा आरम्भ किया गया था।
- REITs मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं- इक्विटी और बंधक (equity and mortgage)। REITs अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अत्यधिक लाभप्रद होते हैं क्योंकि ये ट्रस्ट स्थावर संपदा परियोजनाओं में निष्क्रिय निवेश योग्य फंड के प्रवाह की सुविधा प्रदान करते हैं।

**अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (InvITs) क्या है?**

- ये भारत में अवसंरचना क्षेत्रक में निवेश को सुगम बनाते हैं।
- ये ट्रस्ट एक समयावधि के दौरान नकदी प्रवाह देने वाली अवसंरचना परिसंपत्तियों में निवेश करने के लिए कई निवेशकों से छोटी धनराशियां जुटाने के लिए तैयार किए गए हैं।
- इस नकदी प्रवाह का एक हिस्सा निवेशकों में लाभांश के रूप में वापस वितरित किया जाएगा। ये भी म्यूचुअल फंड की भांति कार्य करते हैं।

**इस संबंध में अन्य विवरण**

- यह REITs और InvITs को अधिक आकर्षक निवेश विकल्प बनाएगा।
- SEBI ने 2014 में ऐसे ट्रस्टों की स्थापना और सूचीबद्धता की अनुमति देने वाले REITs और InvITs विनियमों को अधिसूचित किया था, जो कुछ उन्नत बाजारों में बहुत लोकप्रिय हैं।
- हालांकि, पूर्व की विभिन्न रियायतों के बावजूद, अभी तक स्टॉक एक्सचेंजों पर केवल दो InvITs सूचीबद्ध हो पाए हैं और देश में एक भी REIT को सूचीबद्ध नहीं किया जा सका है। इसके लिए अनेक चुनौतियाँ, जैसे- अन्य विकसित बाजारों की तुलना में कम आय; भारत में नियामकीय जोखिम, कर जोखिम, मुकदमेबाजी का जोखिम और व्यापार जोखिम आदि उत्तरदायी है।

## 3.5. पारस्परिक सहमति प्रक्रिया

**(Mutual Agreement Procedure)**

**सुर्खियों में क्यों?**

हाल ही में, भारत और फिनलैंड पारस्परिक सहमति प्रक्रिया (Mutual Agreement Procedure: MAP) के तहत नोकिया के साथ कर विवाद से संबंधित एक समझौते पर सहमत हुए हैं।

**इस संबंध में अन्य विवरण**

- नोकिया इंडिया और साथ ही नोकिया कॉर्प (फिनलैंड), इन दोनों इकाइयों से कर की मांग की गई थी।
- कर प्राधिकरण ने फिनलैंड में अपनी मूल कंपनी को रॉयल्टी भुगतान करते हुए 2006 के बाद से विदहोल्डिंग टैक्स मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए नोकिया इंडिया को 2,500 करोड़ रुपये का कर नोटिस जारी किया था। बाद में इसे संशोधित करके 1600 करोड़ रुपये कर दिया गया।
- नोकिया कॉर्प से भी 10,000 करोड़ रुपये की कर की मांग की गयी थी, क्योंकि भारत में इसका एक स्थायी प्रतिष्ठान था। हालांकि, बाद में इसे हटा दिया गया। ऐसा भारत-फिनलैंड के बीच कर संधि के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया था। यह भारत से रॉयल्टी के रूप में किए गए भुगतानों पर 10% की दर से विदहोल्डिंग टैक्स का प्रावधान करता है।
- हालांकि, नोकिया इंडिया ने दावा किया कि मूल कंपनी से सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए भुगतान किए गए थे और यह रॉयल्टी का भुगतान नहीं था। साथ ही, साफ्टवेयर फोन में सन्निहित था और उसके हार्डवेयर का मूलभूत हिस्सा था।
- हाल ही में संपन्न इन प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप 1,600 करोड़ रुपये का कर भुगतान हुआ। विवाद का समाधान होने से बिक्री के लिए कंपनी की प्रतिबंधित परिसंपत्ति मुक्त होने के साथ-साथ विदेशी निवेश और भारत में निवेशक विश्वास को बढ़ावा मिलेगा।

**पारस्परिक सहमति प्रक्रिया (Mutual Agreement Procedure: MAP) क्या है?**

- MAP दोहरे कराधान (राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्जित आय के समान स्रोत पर दो बार चुकाए गए कर) की समस्या को उत्पन्न होने वाले विवादों का समाधान करने के लिए करदाताओं के लिए एक वैकल्पिक विकल्प है।
- एक बार स्वीकार हो जाने के बाद MAP सभी मुकदमों को समाप्त कर देता है।
- इसे सीमा पार विवादों को सुलझाने के लिए अधिक से अधिक वरीय तरीके के रूप में देखा जा रहा है।
- दोहरे कराधान को उत्पन्न करने वाले कुछ उदाहरण हैं:
    - अंतरण मूल्य मूल्यांकन (transfer pricing assessment) से उत्पन्न होने वाला समायोजन;
    - स्थायी प्रतिष्ठानों के अस्तित्व से संबंधित मुद्दे;
    - आय का वर्गीकरण या श्रेणीकरण;
    - स्थायी प्रतिष्ठानों के लिए लाभ का आरोपण;
    - विदहोल्डिंग टैक्स को कर योग्य व्यवहार के भीतर भत्ता सीमा से अधिक आरोपित किया जाता है;
    - जब करदाता को दो संधि देशों का निवासी माना जाता है।

## 3.6. विदेशी पोर्टफोलियो निवेश

**(Foreign Portfolio Investment)**

**सुर्खियों में क्यों?**

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) द्वारा भारतीय बांड में निवेश के नियमों में रियायत प्रदान किया है।

**नए मानदंड**

- भारतीय रिजर्व बैंक ने उस खंड को समाप्त कर दिया है जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) को सरकारी बांड और राज्य विकास ऋणों को कम से कम तीन वर्ष की **अवशिष्ट परिपक्वता** (residual maturity) के साथ क्रय करने के लिए बाध्य करता था। लेकिन, 1 वर्ष से कम अवधि की परिपक्वता वाले बांड में निवेश उस पोर्टफोलियो निवेशक के कुल निवेश के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- इसने एकल सरकारी बांड में **विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के कुल निवेशों को** पहले के 20% से बढ़ाकर शेष स्टॉक के 30% तक कर दिया है।
- केंद्रीय बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को 1 वर्ष की परिपक्वता के साथ प्रतिभूतियों का क्रय करने की अनुमति प्रदान करके कॉरपोरेट बांड के लिए 3 वर्ष की अवशिष्ट परिपक्वता के नियम को भी समाप्त कर दिया है।
- इसने **नीलामी तंत्र (Auction Mechanism) को समाप्त कर दिया** है, जिसमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को अनुमत (permitted) कोटे के 90 प्रतिशत की सीमा पार करने के बाद निवेश सीमाओं का क्रय करने की आवश्यकता पड़ती थी। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड **(CCIL) सरकारी क्षेत्रक की सीमाओं के उपयोग की ऑनलाइन निगरानी करेगा।**

**मानदंडों में रियायत प्रदान करने के कारण:**

बांड बाजार, निम्न मांग एवं बढ़ते बांड प्रतिफलों की समस्या का सामना कर रहा है (बाज़ार में नकारात्मक मनोभाव, रुपए का गिरता भाव, ब्याज दर को लेकर अनिश्चितता)।

**क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** (CCIL):

- क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड **(CCIL)** की स्थापना अप्रैल 2001 में धन**,** सरकारी प्रतिभूतियों**,** विदेशी मुद्रा एवं डेरिवेटिव मार्किट के लिए **गारंटीकृत समाशोधन और निपटान प्रकार्यों की सुविधा** प्रदान करने के लिए की गई थी।
- यह रुपया ब्याज दर व्युत्पन्नों एवं कंटीन्यूअस लिंक्ड सेटलमेंट (**CLS**) बैंक के माध्यम से विभिन्न करेंसियों के बीच लेन-देन हेतु **गैर गारंटीकृत निपटान** की सुविधा भी प्रदान करता है।
- इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2014 में **क्वालिफाइड सेंट्रल काउंटरपार्टी(QCCP)** के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।
- इसने वित्तीय संस्थानों को **OTC (ओवर-द-काउंटर) डेरिवेटिव** में अपने लेनदेनों की रिपोर्ट करने हेतु सक्षम करने के लिए **व्यापार भण्डार** की स्थापना भी की है।

**G-Secs या सरकारी प्रतिभूतियाँ:** ये केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा लघु (ट्रेजरी बिल) या दीर्घ अवधियों (बांड या दिनांकित प्रतिभूतियों) के लिए जारी की जाने वाली ऋण देयताएं होती हैं। भारत में, केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल एवं बांड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ दोनों जारी करती है जबकि राज्य सरकारें केवल बांड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ जारी करती हैं, जिन्हें राज्य विकास ऋण (SDLs) कहा जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों के व्यावहारिक रूप से डिफ़ॉल्ट होने का कोई खतरा नहीं होता हैं और इसलिए इन्हें जोखिम मुक्त गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज (gilt-edged instruments) कहा जाता है।

VISION IAS

**बांड यील्ड (Bond Yield):** जब निवेशक बांड का विक्रय करता है, कीमतों में गिरावट आती है और आय में (व्युत्क्रम आनुपातिक रूप से) वृद्धि होती है। उच्च बांड यील्ड अधिक जोखिम को इंगित करती है। यदि बांड द्वारा प्रस्तुत की गई आय इसे जारी करने के दौरान की आय की तुलना में अत्यधिक होती है तो संभावना यह होती है कि इसे जारी करने वाली कम्पनी या सरकार वित्तीय रूप से दवाबग्रस्त है और पूँजी का पुनर्भुगतान करने में सक्षम नहीं है।

## 3.7. विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

(Statement on Developmental and Regulatory Policies)

**सुर्खियों में क्यों?**

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर अपना वक्तव्य जारी किया।

**महत्वपूर्ण विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपायों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:**

- प्रतिचक्रीय पूंजी बफर (countercyclical capital buffer: CCCB): यह निर्धारित किया गया है कि इस समय CCCB को सक्रिय करने की आवश्यकता नहीं है।
- CCCB का उद्देश्य :
  - यह बैंकों द्वारा अच्छे समय में पूंजी बफर बनाने की आवश्यकता को निर्धारित करता है जिसका उपयोग कठिन समय में रियल सेक्टर में ऋण का प्रवाह बनाए रखने के लिए किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य बैंकों को वित्तीय चक्र के प्रभावों से सुरक्षित करना है।
  - यह बैंकिंग क्षेत्रक को अतिरिक्त ऋण में वृद्धि की अवधि में अविवेकशील उधारी (indiscriminate lending) प्रदान करने से रोकने का व्यापक वृहत स्तरीय-विवेकशील लक्ष्य निर्धारित करता है। अविवेकशील उधारी प्राय: संपूर्ण व्यवस्था में जोखिम उत्पन्न करने से संबद्ध रही है।
- **क्रेडिट-टू-जीडीपी गैप,** भारत में **CCCB ढांचे** में मुख्य संकेतक होगा।

क्रेडिट-टू-जीडीपी गैप (ऋण अंतराल), किसी विशिष्ट समय में क्रेडिट-टू-जीडीपी एवं क्रेडिट-टू-जीडीपी अनुपात के दीर्घकालिक रुझान मूल्य के बीच अंतर होता है।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को भारतीय लेखा मानकों (IndAS) की अनुशंसा लेखा मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति (NACAS) द्वारा की जाती है। जिसे अनुशंसा के पश्चात् मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ये मानक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (IFRS) के समतुल्य हैं। 2016 से प्रभावी होने के पश्चात् कॉर्पोरेट संस्थाओं ने भारतीय लेखा मानकों (IndAS) का अनुपालन करना आरम्भ किया।

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए 1 अप्रैल, 2018 से 1 अप्रैल, 2019 तक **भारतीय लेखा मानकों** (IndAS) के कार्यान्वयन को स्थगित करना।
- **भुगतान प्रणाली डेटा का संग्रहण / डेटा लोकलाइजेशन**
  - इसके तहत, भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को 6 महीने की अवधि के भीतर देश में स्थित डेटाबेस में भारत में लेनदेन (transaction) पर एकत्र किए गए डेटा को संग्रहित करना होगा।
  - एक विनियामक के रूप में RBI, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत भारतीयों के वित्तीय और लेनदेन सम्बन्धी डेटा तक "मुक्त" पहुंच प्राप्त कर सकता है।
  - इस कदम का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं की जानकारी की सुरक्षा और संरक्षण को सुनिश्चित करना है।
- **ब्याज दर जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए रुपये के स्वैपशन (Swaptions) का आरम्भ**
  - स्वैपशन से आशय मूलतः उन विकल्पों से है जो धारक को किसी अंतर्निहित स्वैप में प्रवेश का अधिकार प्रदान करते हैं परन्तु इस हेतु उन्हें बाध्य नहीं करते। स्वैप एक अनुबंध है जिसके माध्यम से दो पक्ष वित्तीय उपकरणों का आदान-प्रदान कर सकते हैं।
  - यह ब्याज दर के जोखिमों को प्रबंधित करने का एक बेहतर टाइमिंग फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है।
  - **उद्देश्य:** घरेलू इंटरेस्ट रेट स्वैप मार्केट को सुदृढ़ करने और उसमें तरलता लाने के लिए सक्रिय अपतटीय रुपये आधारित इंटरेस्ट रेट स्वैप मार्केट का लाभ उठाना।
- **पंजीकृत ब्याज और मूलधन की अलग-अलग ट्रेडिंग (Separate Trading of Registered Interest and Principal Securities: STRIPS) दिशा-निर्देशों की समीक्षा**
  - जैसा कि इसके नाम में निहित है, STRIPS ऐसे बांड हैं जिनसे ब्याज भुगतान को अलग कर उनको पृथकतः विक्रय किया जाता है, जबकि मूलधन परिपक्वता पर चुकाया जाता है।
  - पारंपरिक बॉन्ड और निश्चित आय वाले प्रतिभूतियों के तहत एक निर्धारित समय पर ब्याज का भुगतान किया जाता हैं और फिर परिपक्वता अवधि पूर्ण होने पर निवेशक के मूलधन को लौटाया जाता है। हालांकि, ये केवल एकल प्रतिभूति के रूप में उपलब्ध होते हैं, जो ब्याज और मूलधन दोनों का भुगतान करती है।

**मुद्रा प्रबंधन**

- **सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी:**
    - RBI ने एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आरम्भ करने की व्यवहार्यता पर मार्गदर्शन देने और अध्ययन करने के लिए एक अंतर-विभागीय समूह गठित किया है।
    - फिएट डिजिटल करेंसीज को शुरू करने के विकल्प की खोज के तर्कों में प्राइवेट डिजिटल टोकन की उत्पत्ति और फिएट पेपर / धात्विक मुद्रा के प्रबंधन की बढ़ती लागत जैसे कारकों के साथ भुगतान उद्योग के परिदृश्य में होने वाले तीव्र परिवर्तन शामिल हैं।
- **आभासी मुद्रा (वर्चुअल करेंसी) लेन-देन को प्रतिबंधित करना**
    - भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों सहित सभी विनियमित संस्थाओं से डिजिटल करेंसी में लेनदेन करने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यवसायिक संस्थाओं को सेवाएं प्रदान नहीं करने हेतु निर्देश दिया है। एवं बिटकॉइन अभिकर्ताओं के साथ विद्यमान सभी संबंधों की समाप्ति हेतु बैंकों को 3 महीने का समय दिया है।
    - वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2018 में भी कहा कि डिजिटल करेंसी को लीगल टेंडर के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है।

**वित्तीय समावेशन और साक्षरता**

**टेलर्ड वित्तीय साक्षरता सामग्री**

- RBI ने पांच निर्दिष्ट लक्षित समूहों यथा: किसान, सूक्ष्म उद्यमी, स्कूली बच्चों, स्व-सहायता समूहों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए टेलर्ड (विशेष रूप से संरचित) वित्तीय साक्षरता सामग्री विकसित की है। इसका उपयोग प्रशिक्षकों द्वारा वित्तीय शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।

**लीड बैंक योजना का पुनर्निर्माण**

- विगत कुछ वर्षों में वित्तीय क्षेत्रक में आए परिवर्तनों को अधिक प्रासंगिक बनाने हेतु "कार्यकारी निदेशकों की समिति" की अनुशंसाओं के आधार पर इस योजना की समीक्षा की जाएगी।
- **योजना के बारे में**: डी आर गाडगिल अध्ययन समूह की अनुशंसाओं के आधार पर 1969 में आरंभ यह योजना व्यक्तिगत बैंकों **(सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रक दोनों में)** को आवंटित किए गए जिलों के विकास के लिए उनकी अग्रणी भूमिकाओं की परिकल्पना करती है।
- **लीड बैंक**, ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में शामिल **अन्य आर्थिक गतिविधियों सहित** कृषि**,** लघु उद्योग हेतु ऋण के प्रवाह में वृद्धि के लिए आवंटित जिलों में सभी ऋण संस्थाओं के प्रयासों का समन्वय करने के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।

## 3.8. भारतीय रिजर्व बैंक ने GVA के स्थान पर GDP का उपयोग करने का निर्णय लिया

**(RBI decides to use GDP Instead of GVA)**

**सुर्खियों में क्यों?**

भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में आर्थिक गतिविधि के मापन हेतु सकल मूल्य वर्धित (Gross Value Added: GVA) के स्थान पर सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product: GDP) का उपयोग करने का निश्चय किया है।

**पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी एवं मुख्य परिभाषाएं:**

- 2015 में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित परिवर्तन किए गए थे:
    - विभिन्न क्षेत्रकों से GVA की गणना आधार मूल्यों (basic prices) पर की जाएगी।
    - देश के GDP का आकलन बाजार मूल्य (Market Price) के आधार पर किया जाना है।
- GDP से आशय किसी देश की वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक उत्पादन के कुल मूल्य से है। 'कारक/साधन लागत पर GDP से आशय उस राष्ट्रीय उत्पाद से है जिसका मूल्य साधन लागत या उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त साधनों- मजदूरी, लाभ, किराए और पूंजी- को प्राप्त आय के आधार पर ज्ञात किया जाए।
- सकल मूल्य वर्द्धित (GVA) किसी उत्पाद में किया गया मूल्यवर्द्धन है, जिसके परिणामस्वरूप अंतिम उत्पाद का उत्पादन होता है। GVA उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को इनके उत्पादन में प्रयुक्त सभी आगतों (इनपुट) एवं कच्चे माल की लागत को घटाने के बाद रुपए के रूप में प्राप्त मूल्य है। किसी फर्म, उद्योग, क्षेत्रक या पूरी अर्थव्यवस्था के लिए GVA का परिकलन किया जा सकता है।
- आधार मूल्य पर GVA में उत्पादन कर सम्मिलित होते हैं और जिंस पर प्रदत्त उत्पादन सब्सिडी को सम्मिलित नहीं किया जाता है। दूसरी ओर, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में उत्पादन और उत्पाद करों, दोनों को सम्मिलित किया जाता है लेकिन उत्पादन और उत्पाद सब्सिडी को सम्मिलित नहीं किया जाता है।
- GVA, उत्पादकों के पक्ष से या आपूर्ति पक्ष से आर्थिक गतिविधि की स्थिति को निरूपित करता है। GDP उपभोक्ताओं के पक्ष से या मांग परिप्रेक्ष्य से आर्थिक गतिविधि की स्थिति निरूपित करता है।

आधार मूल्य पर GVA = कारक लागत पर GVA + (उत्पादन कर – उत्पादन सब्सिडी)

बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद = आधार मूल्यों पर GVA+ उत्पाद कर – उत्पाद सब्सिडी

**सकल घरेलू उत्पाद को अपनाने के कारण**

- यद्यपि GVA को आर्थिक गतिविधियों का निकटवर्ती प्रतिनिधि माना जाता है क्योंकि यह क्षेत्रवार माप प्रदान करता है। साथ ही नीति निर्माताओं को यह निर्धारण करने में सहायता करता है कि किस क्षेत्रक को प्रोत्साहन या प्रेरित करने की आवश्यकता है और इस प्रकार क्षेत्र विशिष्ट नीतियों का निर्माण करने में सहायता करता है।
- लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने परिवर्तन कर सकल घरेलू उत्पाद का उपयोग करने का निर्धारण किया है क्योंकि यह आर्थिक प्रदर्शन का माप है और इसका उपयोग न केवल बहुपक्षीय संस्थानों, अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों एवं निवेशकों द्वारा किया जाता है अपितु यह अंतरराष्ट्रीय कार्यप्रणाली के भी अनुरूप है और इस प्रकार देशों के बीच सहजतापूर्वक तुलना किए जाने की प्रकियाओं को सुसाध्य बनाता है।
- यहां तक कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) ने इस वर्ष से सकल घरेलू उत्पाद को आर्थिक गतिविधि के मुख्य माप के रूप में उपयोग किया जाना आरम्भ कर दिया है।

## 3.9. उदारीकृत विप्रेषण योजना

**(Liberalised Remittance Scheme)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में, उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) योजना के लिए रिपोर्टिंग मानक को सख्त बना दिया है।

**उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS)**

- यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अल्पवयस्कों सहित सभी निवासी व्यक्तियों को चालू और पूंजी खाता प्रयोजनों या दोनों के संयोजन के लिए $250,000 तक प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मुक्त रूप से विप्रेषित करने हेतु प्रदान की गई सुविधा है।
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 के अंतर्गत योजना हेतु विनियम निर्धारित किए गए हैं।
- उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत, विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों के निर्वाह, उपहार और दान के अतिरिक्त, विदेशी शिक्षा, यात्रा, चिकित्सा उपचार के लिए विप्रेषण किए जा सकते हैं। धन का विप्रेषण शेयर और संपत्ति की खरीद के लिए भी किया जा सकता है।

**विप्रेषण पर प्रतिबन्ध**– व्यक्तियों को नीचे दिए गए प्रयोजनों हेतु विप्रेषण की अनुमति नहीं है:

- वित्तीय कार्यबल द्वारा 'गैर सहकारी क्षेत्राधिकारों (non-cooperative jurisdictions)' के रूप में पहचाने गए देशों को धन भेजना।
- आतंकवादी गतिविधियों आदि जोखिमों में संलग्न संस्थाओं के रूप में पहचानी गई संस्थाओं को।
- विदेशी मुद्रा बाजारों में व्यापार करने के लिए, विदेश स्थित भारतीय कंपनियों द्वारा जारी फॉरेन करेंसी कनवर्टिबल बांडों की खरीद हेतु।

**मुख्य बिन्दु**

**वर्तमान स्थिति**

- **उदारीकृत विप्रेषण योजना** (LRS ) के लेनदेन को विप्रेषक द्वारा की गई घोषणा के आधार पर प्राधिकृत डीलर (AD) बैंक द्वारा अनुमति प्रदान की जा रही हैं।
- लेकिन, प्राधिकृत डीलर बैंक के लिए यह निगरानी करना/सुनिश्चित करना कठिन है कि विप्रेषक ने विविध प्राधिकृत डीलर बैंकों तक पहुँच स्थापित कर निर्धारित सीमा का उल्लंघन नहीं किया है।

**परिवर्तित स्थिति**

- बैंकों को उनके द्वारा उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के अंतर्गत किए गए प्रत्येक दैनिक लेन-देन की जानकारी अपलोड करना आवश्यक होगा।
- इस कदम का उद्देश्य उदारीकृत विप्रेषण योजना की उच्चतम सीमाओं की निगरानी एवं अनुपालन में सुधार करना है।

## 3.10. परम्परागत कृषि विकास योजना

**(Paramparagat Krishi Vikas Yojana)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने परम्परागत कृषि विकास योजना के दिशानिर्देशों को संशोधित किया है।

**परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY)**

- यह प्रमुख परियोजना राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (National Mission of Sustainable Agriculture: NMSA) के मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (SHM) का एक विस्तृत घटक है।
- इसके **उद्देश्य** हैं-
    - जैविक कृषि का समर्थन एवं संवर्धन करना जिससे मृदा स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सके।

VISION IAS

- पैदावार में सुधार हेतु उर्वरकों और कृषि रसायनों पर किसानों की निर्भरता कम करना।
  - आगत उत्पादन के लिए प्राकृतिक संसाधन जुटाने हेतु किसानों को प्रेरित करना।
  - तीन वर्षों में लगभग 10 हजार क्लस्टर के निर्माण की योजना और जैविक कृषि के अंतर्गत 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सम्मिलित करना।
- प्रत्येक किसान को बीज से लेकर फसलों की कटाई तक के लिए और बाजार में उत्पादन पहुँचाने के लिए तीन वर्ष की अवधि में 20,000 रू. प्रति एकड़ प्रदान किए जाएंगे।

**इस कदम से संबंधित तथ्य**

- संशोधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत किसान **कृषि के पारंपरिक पद्धति** और मानक जैविक कृषि पद्धतियां जैसे कि शून्य-बजट वाली प्राकृतिक कृषि और परमाकल्चर अपनाने के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रति हेक्टेयर 48,700 रुपये की सहायता के लिए पात्र होंगे।
- इन उपायों में प्राकृतिक पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करना सम्मिलित है।
- **इन पारंपरिक पद्धतियों में सम्मिलित हैं:** योगिक कृषि (yogik farming), गौ माता खेती (gou mata kheti), वैदिक कृषि, वैष्णव कृषि, अहिंसा कृषि, अवधूत शिवानंद कृषि एवं ऋषि कृषि।

## 3.11. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना

**(PM Fasal Bima Yojana)**

**सुर्खियों में क्यों?**

हाल ही में, केंद्र ने राज्यों को प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) लागू करने के लिए अपनी बीमा कंपनियां स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है।

**इस संबंध में अन्य विवरण**

- राज्यों द्वारा किए गए कई अनुरोधों के साथ-साथ नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की 2017 की रिपोर्ट में की गई अवलोकनों के बाद यह कदम उठाया गया है। इस रिपोर्ट में CAG ने कहा था कि पुरानी फसल बीमा योजनाओं (अब पुरानी फसल बीमा योजनाओं का विलय PMFBY में कर दिया गया है) का 2011-2016 के दौरान निम्न स्तरीय कार्यान्वयन किया गया था।
- वर्तमान में, इस योजना के कार्यान्वयन के लिए पांच सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों और 13 निजी बीमा कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया है।
- सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में भारतीय कृषि बीमा कंपनी (AIC), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी (UICC), नेशनल इंश्योरेंस कंपनी (NIC), ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी (OIC) और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी (NIAC) सम्मिलित हैं।

**प्रधान मंत्री फासल बीमा योजना (PMFBY)**

**योजना के उद्देश्य**

- प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों की स्थिति में किसानों को बीमा सुरक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- खेती में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना।
- किसानों को अभिनव और आधुनिक कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना।

**PMFBY की विशेषताएं**

- मौजूदा दो योजनाओं **राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS)** और **संशोधित NAIS** को प्रतिस्थापित करने के लिए यह योजना 2016 में आरंभ की गई थी।
- किसानों को सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5% का एक समान प्रीमियम भुगतान करना होगा।
- शेष प्रीमियम का भुगतान समान अनुपात में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
- सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है इसलिए किसानों को बिना किसी कटौती के पूर्ण बीमाकृत राशि के विरूद्ध दावा मिलेगा।
- PMFBY अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों के लिए फसली ऋण का लाभ उठाने वाले ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य है और गैर-ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक है।
- **उपज हानि-** इसमें निम्नलिखित से होने वाली हनी सम्मिलित है: प्राकृतिक आग और तड़ित, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, टाइफून, आंधी, हरीकेन, टारनेडों, बाढ़, जलप्लावन और भूस्खलन, सूखा, शुष्क अवधि, कीटों/रोगों के कारण जोखिम। इसमें फसल कटाई पश्चात् होने वाली हानियां भी सम्मिलित हैं।
- इसमें हानियों का आकलन करते समय स्मार्ट फोन, ड्रोन इत्यादि जैसी तकनीक का अनिवार्य उपयोग भी सम्मिलित है।

### PMFBY के कार्यान्वयन में सामने आने वाली चुनौतियां

- **विलंबित क्षतिपूर्ति-** किसानों के दावों के निपटान में देरी के कारण हैं: राज्य सरकारों द्वारा अपने हिस्से के प्रीमियम भुगतान में विलंब और फसल की पैदावार का अनुमान लगाने के लिए फसल कटाई अनुप्रयोगों को अपनाने में होने वाला विलंब।
- हानि का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाला **फसल कटाई अनुप्रयोग** समय पर नहीं किया जा रहा है और साथ ही एकत्रित डेटा भी संदिग्ध हैं क्योंकि ये उनके द्वारा स्वीकृत दावों और राज्यों द्वारा अनुमानित हानियों के बीच अंतराल दर्शाते हैं।
- **उच्च बीमा शुल्क-** कम जोखिम वाले क्षेत्र आवंटित किए जाने के बावजूद निजी कंपनियों द्वारा प्रभारित किए जा रहे प्रीमियम में वृद्धि हुई है, जबकि इसके कम होने की उम्मीद थी।
- **अपर्याप्त आकंड़ा संग्रह–** इसमें पर्याप्त रूप से आकंड़े एकत्रित नहीं किए गए है क्योंकि योजना के दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट उपायों का उपयोग नहीं किया गया है (हानियों का आकलन करने में स्मार्ट फोन और ड्रोन का कोई उपयोग नहीं किया गया)।
- **वितरण अक्षमता-** राज्य सरकार और बीमा कंपनियों द्वारा PMFBY के संबंध में किसानों में जागरूकता उत्पन्न करने का कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है। बीमा कंपनियां शिकायत निवारण और अलग-अलग भूखंडों में फसल हानि का आकलन करने के लिए आवश्यक किसी भी आधारभूत अवसंरचना की स्थापना नहीं कर रही हैं।
- **बीमा कंपनियों की आंतरिक कार्यप्रणाली में समस्याएं-** कृषि बीमा में विद्यमान जटिलताओं के कारण पूर्ण समझ प्राप्त करने में समय लगता है और बीमा कंपनियों में वरिष्ठ पद पर बैठने वाले अधिकारी अवधि की समाप्ति तक कार्य नहीं करते हैं और कुछ पद रिक्त भी हैं।
- **श्रमशक्ति की कमी-** कार्यान्वयन एजेंसियां तदर्थ तरीके से कार्य करती रही हैं और कर्मचारियों की अत्यधिक कमी का सामना कर रही हैं।

### आगे की राह

इस योजना के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

- फसल बीमा का प्रीमियम कटौती से पहले किसानों को सूचित किया जाना चाहिए। उन्हें सभी प्रासंगिक विवरणों के साथ उचित बीमा पॉलिसी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
- राज्य सरकारों के क्षमता निर्माण, PRIs और किसानों की भागीदारी के माध्यम से फसल हानि का मजबूत मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- बीमा सुरक्षा से लेकर भुगतान दावा करने तक PMFBY क अंतर्गत समयसीमा का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
- काश्तकारों और बटाईदारों की बीमा सुरक्षा बढ़नी चाहिए।
- किसानों से संबंधित PMFBY के सभी डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने चाहिए और इन्हें किसानों के साथ मुक्त रूप से साझा किया जाना चाहिए।

## 3.12. राष्ट्रीय बांस मिशन

### (National Bamboo Mission)

### सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, मंत्रिमंडल ने 2018-2020 के लिए **राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA)** के अंतर्गत **पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन** को स्वीकृति दे दी है।

**राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA)**

- यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan on Climate Change: NAPCC) के अंतर्गत रेखांकित आठ मिशनों में से एक है।
- **लक्ष्य:** भारतीय कृषि के दस प्रमुख आयामों अर्थात्; 'फसल के उन्नत बीज, पशुधन और मत्स्यपालन', 'जल उपयोग दक्षता', 'कीट प्रबंधन', 'उन्नत कृषि पद्धतियां', 'पोषक प्रबंधन', 'कृषि बीमा', ऋण सहायता', 'बाजार', 'सूचना तक पहुंच' और' आजीविका विविधीकरण' पर ध्यान केंद्रित करने वाले अनुकूलन उपायों की श्रृंखला के माध्यम से सतत कृषि को बढ़ावा देना।
- **फोकस:** समुदाय-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से सामूहिक संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग को प्रेरित करना।

### पृष्ठभूमि

- सरकार ने राष्ट्रीय बांस मिशन (**NBM**) को **2006-07** में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभ किया था। NBM को **2014-15** के दौरान एकीकृत बागवानी विकास मिशन (**Mission for Integrated Development of Horticulture : MIDH**) में शामिल कर लिया गया था।
- सरकार ने निजी भूमि पर बांस उगाने को प्रोत्साहित करने एवं इस प्रकार देश के हरित आच्छादन और कार्बन स्टॉक में वृद्धि करने हेतु गैर-वन क्षेत्र में उगने वाला बांस को 'पेड़' की परिभाषा के दायरे से बाहर कर दिया है।
- सरकार के अनुसार, वित्त वर्ष **2016-17** में भारतीय बांस का निर्यात मूल्य **18** करोड़ रुपये जबकि आयात मूल्य **25** करोड़ रुपये था।

**भारत में बांस**

- भारत में 23 वंश (genera) से संबंधित 125 देशज और 11 विदेशी बांस प्रजातियां हैं, जिसमें 50% से अधिक भारतीय बांस संसाधन उत्तर-पूर्व क्षेत्र तक सीमित हैं।

VISION IAS

- बांस भंडार के मामले में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। वैश्विक उत्पादन में इसकी 20 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
- **बांस क्षेत्र:** भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR), 2017 के अनुसार, देश में बांस युक्त क्षेत्र 15.69 मिलियन हेक्टेयर होने का अनुमान है।
- **बांस के अनुप्रयोग:** इसका निर्माण सामग्रियों, कृषि उपकरणों, फर्नीचर, संगीत वाद्ययंत्रों, खाद्य वस्तुओं, हस्तशिल्प, वृहद् बांस आधारित उद्योगों (कागज लुगदी, रेयान इत्यादि), पैकेजिंग इत्यादि में उपयोग होता है।

**इस मिशन से संबंधित तथ्य**

**पुनर्गठित NBM के उद्देश्य**

- कृषि आय के अनुपूरक के रूप में एवं जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रत्यास्थता (Resilience) में योगदान करने हेतु गैर-वनीय सरकारी और निजी भूमि में बांस रोपण के अंतर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि करना।
- अभिनव प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों, उपचार एवं सीज़निंग संयंत्र, प्राथमिक उपचार एवं सीज़निंग संयंत्र, परिरक्षण प्रौद्योगिकियों तथा बाजार अवसंरचना की स्थापना के माध्यम से पोस्ट हार्वेस्ट मेनेजमेंट में सुधार करना।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तर पर उत्पाद विकास को प्रोत्साहन एवं बड़े उद्योगों का पोषण करना।
- भारत में अल्पविकसित बांस उद्योग को पुनर्जीवित करना।
- बांस क्षेत्र के विकास के लिए कौशल विकास, क्षमता निर्माण एवं जागरूकता सृजन को बढ़ावा देना।
- **मिशन की कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य**
- वाणिज्यिक और औद्योगिक मांग वाली बांस प्रजातियों की आनुवंशिक रूप से श्रेष्ठतर पौध सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही यह मिशन सीमित राज्यों में बांस के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा, जहां इसका सामाजिक, वाणिज्यिक और आर्थिक लाभ है।
- बांस क्षेत्र में शुरू से अंत तक सभी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना अर्थात बांस उत्पादकों से लेकर उपभोक्ताओं तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण पर बल दिया जाएगा।
- अधिदेश के आधार पर निर्धारित क्रियान्वयन दायित्वों के साथ मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के एकीकरण हेतु एक मंच के रूप में इस मिशन को विकसित किया गया है।
- कौशल विकास और प्रशिक्षण के माध्यम से अधिकारियों, फिल्ड में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं, उद्यमियों तथा किसानों के क्षमता निर्माण पर बल दिया जाएगा।
- बांस उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- **सम्मिलित राज्य:** मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिसा, कर्नाटक, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु और केरल सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्य।
- NBM के दिशानिर्देश तैयार करने हेतु और उसमें परिवर्तन करने के लिए **कार्यकारी समिति का सशक्तिकरण**।

**महत्व**

- **संधारणीय विकास:** यह कृषि उत्पादकता को इष्टतम करके तथा जलवायु प्रत्यास्थता और पर्यावरणीय लाभों में योगदान करके किसानों (छोटे और सीमांत किसानों सहित) की आय में वृद्धि के एक संभावित उपकरण के रूप में कार्य करता है।
- **उत्पादन में वृद्धि:** इससे लगभग 4,000 उपचार/ उत्पाद विकास इकाईयों की स्थापना और 1,00,000 से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र को वृक्षारोपण के अंतर्गत लाने की अपेक्षा की गई है।
- **स्थानीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि:** यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसानों, स्थानीय कारीगरों, हस्तशिल्प उद्यमियों और बांस क्षेत्र में संलग्न संबंधित कर्मियों को लाभान्वित करेगा।
- **रोजगार सामर्थ्य:** वृक्षारोपण के मामले में कुशल और अकुशल दोनों क्षेत्रों में लगभग एक लाख किसानों के प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होने की आशा है।
- **क्षेत्र आधारित रणनीति:** यह क्षेत्र आधारित एवं क्षेत्रीय रूप से विभेदित रणनीति को अपनाकर बांस क्षेत्रक की समग्र वृद्धि को बढ़ावा देगा तथा बांस की कृषि और विपणन के अंतर्गत शामिल क्षेत्र में वृद्धि करेगा।
- **निर्यात को बढ़ावा देना:** यह भविष्य के एकीकरण (**forward integration**) को संबोधित कर बांस उत्पादों, विशेष रूप से हस्तशिल्प वस्तुओं के विपणन को सुदृढ़ बनाएगा।

## 3.13. ग्रामीण विद्युतीकरण

**(Rural Electrification)**

**सुर्खियों में क्यों?**

हाल ही में, सरकार ने घोषणा की है कि **'दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' (DDUGJY)** के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है।

VISION IAS

**दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY): 2014** में आरंभ की गयी **DDUGJY** के घटकों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति में सुधार लाने हेतु कृषि और गैर-कृषि विद्युत फीडर का पृथक्करण।
- ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण अवसंरचना में सुधार लाना।
- RGGVY के अंतर्गत निर्दिष्ट लक्ष्य को अग्रसित करके ग्रामीण विद्युतीकरण।
- केंद्र सरकार परियोजना लागत का 60% अनुदान के रूप में प्रदान करती है, राज्य विद्युत वितरण कंपनियां (DISCOM) 10% फंड जुटाती हैं, और 30% वित्तीय संस्थानों और बैंकों से उधार लिया जाता है।
- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (REC) DDUGJY कार्यान्वियन हेतु नोडल एजेंसी है।

**GARV II ऐप:** विद्युत मंत्रालय ने देश के सभी गांवों में ग्रामीण विद्युतीकरण के संबंध में रियल टाइम डेटा प्रदान करने के लिए GARV ऐप लॉन्च किया है।

**ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (Rural Electrification Corporation)**

- यह 1969 में स्थापित एक नवरत्न कंपनी है। यह विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है।
- यह दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) के कार्यान्वियन के लिए नोडल एजेंसी और उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना) को आगे बढ़ाने के लिए कंट्रिब्यूटिंग एजेंसी भी है।

**राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण नीति, 2006**

- केंद्र सरकार ने **विद्युत अधिनियम, 2003** के अनुपालन में इसे अधिसूचित किया था।
- इसके अनुसार, ऐसे गांव को एक विद्युतीकृत गांव के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें:
    - आवास योग्य क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफॉर्मर और लाइनों जैसी आधारभूत अवसंरचनाओं का प्रबंध है,
    - स्कूलों, पंचायत कार्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, औषधालय और सामुदायिक केंद्रों जैसे सार्वजनिक स्थानों में विद्युत का प्रबंध है, और
    - गांव में परिवारों की कुल संख्या का कम से कम 10% विद्युतीकृत हैं।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- भारत सरकार के अनुसार, भारत में 3 वर्ष पहले विद्युत् से वंचित 18,452 गांवों में से 17,181 को विद्युतीकृत कर दिया गया है। अन्य क्षेत्र आबादी रहित या चारागाहों (grazing reserves) के रूप में वर्गीकृत हैं।
- **DDUGJY वेबसाइट** के अनुसार, 99.8% जनगणना गांवों को फरवरी, 2018 तक विद्युतीकृत किया जा चुका था, जबकि लगभग 80% गांवों में **"गहन विद्युतीकरण"** (घरेलू विद्युतीकरण) पूरा किया जा चुका है।

**महत्व**

- **सामाजिक-आर्थिक लाभ:** विद्युत उपलब्धता की सुनिश्चितता जहाँ एक ओर बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों और रोजगार सृजन पर गुणक प्रभाव उत्पन्न करता है; वहीं इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी में सुधार में भी सहायता प्राप्त होती है।
- **लैंगिक सशक्तिकरण**: यह मुख्य रूप से महिलाओं और लड़कियों को अधिक प्रभावित करता है चूँकि उन्हें लकड़ी इकट्ठा करने, खाना पकाने और अन्य घरेलू कार्यों की प्राथमिक ज़िम्मेदारी उठानी पड़ती है।
- यह भारत की प्रति व्यक्ति विद्युत खपत, जोकि लगभग 1,200 किलोवाट है, में वृद्धि करने में सहायक होगा। भारत, विश्व में न्यूनतम विद्युत् खपत वाले देशों में से एक है।
- **डिस्कॉम्स की स्थिति में सुधार करना:** मीटर के साथ घरों तक विद्युत की पहुंच से मांग में वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप संबंधित डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
- **बेहतर नीति निर्माण**: यह अगले दो वर्षों में पूर्ण घरेलू विद्युतीकरण के लिए उचित रूप से अनुमान लगाने, योजना बनाने और बजट बनाने में सहायता करेगा।
- **ग्रामीण मांग में वृद्धि करना**: देश में विद्युत तक पहुँच में सुधार और व्यापार परिवेश के मध्य प्रत्यक्ष सहसंबंध है। इसलिए विद्युतीकरण ग्रामीण मांग को प्रोत्साहित करेगा।
- **जलवायु प्रतिबद्धता प्राप्त करना:** इससे केरोसिन तेल की काला बाजारी में कमी आएगी तथा देश की वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं को पूरा किया जाएगा क्योंकि विद्युत, प्रकाश के लिए उपयोग में लिए जाने वाले केरोसिन को प्रतिस्थापित कर देगी।
- **संधारणीय विकास लक्ष्य:** मानव विकास को आगे बढ़ाने, समाज में सबसे गरीब और सबसे कमजोर के सामाजिक समावेशन और कई SDGs को हासिल करने के लिए ऊर्जा सेवाओं तक पहुंच महत्वपूर्ण है।

**चिंतायें**

- **विद्युतीकरण की अस्पष्ट परिभाषाएं:** यह उपलब्धि की केवल मिथ्या भावना उत्पन्न करता है। वस्तुतः अभी तक विद्युतीकृत किये गए सभी गांवों में से केवल 1,321 गांवों के सभी घरों की विद्युत तक पहुँच है।

VISION IAS

- **विद्युत पहुंच की गुणवत्ता**: विद्युत की पहुंच वस्तुतः वहनीयता और विश्वसनीयता से भी सम्बंधित है। हालांकि, भारत के कुछ राज्यों में प्रति दिन दस घंटे से कम समय तक के लिए सभी घरों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना संभव नहीं हो सका है।
- **पहुंच में ग्रामीण-शहरी अंतर**: भारत में पर्याप्त ग्रामीण-शहरी अंतर के साथ केवल 71% घरों की विद्युत तक पहुँच है। इसके अलावा, DDUGJY वेबसाइट के अनुसार दिसंबर 2017 में केवल छह राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति विद्यमान थी।
- खराब ग्रिड कनेक्टिविटी के कारण राज्यों में मुख्य रूप से पारेषण एवं वितरण (T&D) हानि में भारी असमानता के साथ 2015-16 में T&D या कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (AT&C) हानियाँ लगभग 20% रहीं। उच्च T&D हानि वाले राज्य ग्रामीण परिवारों को विद्युत उपलब्ध करने में अपेक्षाकृत धीमे हैं।

**आगे की राह**

- **परिवारों का विद्युतीकरण (गहन विद्युतीकरण): प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)** दिसंबर 2018 तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 40 मिलियन से अधिक परिवारों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने का प्रयास कर रही है।
- **सृजन क्षमता में वृद्धि करना:** नीति आयोग के अनुसार, भारत में ऊर्जा की मांग 2012 और 2040 के बीच 2.7-3.2 गुना बढ़ने की संभावना है।

**प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य):**

- **उद्देश्य**: भारत के सभी परिवारों को विद्युत प्रदान करना।
- **वित्त पोषण पैटर्न**: केंद्रीय अनुदान द्वारा 60%, बैंक ऋण द्वारा 30% और राज्यों द्वारा 10%
- **लाभार्थियों की पहचान**: सरकार नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन के लिए लाभार्थियों की पहचान करने हेतु सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) 2011 के डेटा का उपयोग करेगी।
- **कार्यान्वयन:** सम्पूर्ण देश में इस योजना के संचालन के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड नोडल एजेंसी होगी।
- जिन घरों तक राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड नहीं पहुंच सकता है, उन घरों को बैटरी बैंकों के साथ सौर ऊर्जा पैक प्रदान किए जाएंगे।
- **सौभाग्य पोर्टल** - यह लाइव बेसिस पर परिवार विद्युतीकरण स्थिति (राज्य, जिला, गांववार) और परिवार प्रगति पर जानकारी प्रसारित करेगा।

- सरकार के लिए मसौदा राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए उचित उत्तरदायित्व और निगरानी तंत्र महत्वपूर्ण है।
- **विद्युत की विश्वसनीय आपूर्ति के लिए T&D हानियों को कम करना**: यह श्रम बाजारों में महिलाओं की भागीदारी में सुधार, श्रम उत्पादकता में वृद्धि आदि जैसे सामाजिक और आर्थिक लाभ उत्पन्न कर सकता है।
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा अनुशंसित एनर्जी प्लस एप्रोच को अपनाना, जो आय उत्पादन और आजीविका उत्थान के लिए विद्युत के उत्पादक उपयोग के साथ ऊर्जा तक पहुंच पर बल देती है।
- स्मार्ट मीटर, अवसंरचना विकास, स्थानीय स्व-सहायता समूहों के साथ फ्रैंचाइजी व्यवस्था (अधिक प्रभावी बिलिंग, निगरानी और संग्रहण के लिए) जैसे समुचित उपायों को लागू कर डिस्कॉम्स की क्षमता निर्माण में सुधार करना।
- राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त करने से, डिस्कॉम्स को बिलिंग और राजस्व संग्रह में सुधार करने, लागत पर विचार करने हेतु टैरिफ में परिवर्तन करने और बिजली चोरी को समाप्त करने में सहायता मिलेगी।

## 3.14. फेम योजना के प्रथम चरण का विस्तार

**(Fame Scheme Phase I Extended)**

**सुर्खियों में क्यों?**

हाल ही में, फेम इंडिया (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ़ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया: FAME India) योजना के पहले चरण को सितंबर 2018 तक या उस समय तक के लिए विस्तृत कर दिया गया है जब तक इस योजना के द्वितीय चरण को मंज़ूरी न मिल जाए।

**राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना 2020 (National Electric Mobility Mission Plan 2020)**

- इसे सरकार द्वारा देश में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा प्राप्त करने के लिए आरम्भ किया गया था।
- इस योजना ने 2020 के बाद हाइब्रिड एवं विद्युत वाहनों की प्रतिवर्ष 6 से 7 मिलियन बिक्री का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

**फेम–इंडिया योजना**

- इसे भारी उद्योग विभाग द्वारा **राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना 2020** के भाग के रूप में तैयार किया गया था।
- इसका उद्देश्य **आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए हाइब्रिड/विद्युत वाहनों के बाजार के विकास एवं इनके विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र** को समर्थन प्रदान करना है।

VISION IAS

- इस योजना के चार प्रमुख क्षेत्र हैं – प्रौद्योगिकी विकास, मांग सृजन, पायलट परियोजनाएं और चार्जिंग अवसंरचना (वाहनों को चार्ज करने से सम्बंधित अवसंरचना)।
- इसका उद्देश्य सभी प्रकार के वाहनों अर्थात् दुपहिया, तिपहिया ऑटो, चार पहिया यात्री वाहनों, हल्के वाणिज्यिक वाहनों और बसों को प्रोत्साहन प्रदान करना है।
- यह योजना हल्के हाइब्रिड, मज़बूत हाइब्रिड, और प्लग इन हाइब्रिड एवं बैटरी विद्युत वाहनों जैसी हाइब्रिड एवं विद्युत प्रौद्योगिकियों को भी आच्छादित करती है।
- यह व्यापक अंगीकरण को सक्षम करने के लिए खरीदारों (अंतिम उपयोगकर्ताओं/उपभोक्ताओं) हेतु अग्रिम चरण में ही घटे हुए मूल्य प्रदान कर मांग को प्रोत्साहित करती है।
- पर्यावरण प्रदूषण एवं उच्च घनत्व वाले शहरी क्षेत्रों में सड़क परिवहन में जीवाश्म ईंधन के उपयोग को ध्यान में रखते हुए योजना का प्रथम चरण वस्तुतः स्मार्ट शहरों की पहल के अंतर्गत आने वाले शहरों, प्रमुख महानगरीय संकुलों, राज्यों की राजधानियों, 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों एवं उत्तर पूर्वी राज्यों के शहरों तक सीमित है।
- फेम योजना वर्तमान परिदृश्य में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वाहनों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने, भारत के आयात बिल में कमी लाने, पेरिस कन्वेंशन के अंतर्गत INDC को प्राप्त करने तथा विभिन्न वित्तीय एवं राजकोषीय प्रोत्साहन के कारण विनिर्माण क्षेत्रक में निवेश बढ़ाने में सहायता करेगी।

## 3.15. तेल और गैस अन्वेषण

(Oil and Gas Exploration)

**सुर्खियों में क्यों?**

- हाल ही में, मंत्रिमंडल ने तेल और गैस के अन्वेषण एवं उत्पादन के लिए ब्लॉकों के आवंटन का अनुमोदन करने का अपना अधिकार वित्त मंत्रालय तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को प्रत्यायोजित कर दिया है।

**इस पहल के विषय में**

- इस अधिकार का प्रत्यायोजन वस्तुतः हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति (HELP) के अंतर्गत खुली रकबा लाइसेंस नीति (Open Acreage Licensing Policy: OALP) हेतु बोली लगाए जाने के चरण (राउंड्स) के सन्दर्भ में किया गया है।
- उपर्युक्त दोनों मंत्रालय, सचिवों के एक पैनल जिसे **सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति** कहा जाता है, की अनुशंसाओं के आधार पर ब्लॉकों के आवंटन का अनुमोदन करेंगे।

| Policy category | Help | Pre-Help |
|---|---|---|
| TYPE OF HYDROCARBON | Covers all conventional and unconventional oil and gas | NELP covered only conventional oil and gas; Coal Bed Methane Policy covered coal bed methane |
| LICENSE | A single license for exploration and extraction of all types of oil and gas | Separate license required for conventional oil and gas, coal bed methane, shale oil and gas, and gas hydrates |
| REVENUE MODEL | Revenue-sharing model under which revenue will be shared with the government in the ratio submitted by bidders | Production-sharing model under which government received a share in the profits |
| COVERAGE | Open acreage policy under which exploration companies can apply to explore any block not under exploration | Exploration was restricted to blocks opened for bidding by the government |
| OIL AND GAS PRICING | Companies have the freedom to sell their production domestically without government intervention | Crude oil price was based on import parity; gas price was fixed by the government |
| ROYALTY | Concessional royalty for deep water (5 percent) and ultra-deep water (2 percent) areas, which are difficult to explore, and reductio of royalty in shallow waters (from 10 percent to 7.5 percent) | 12.5 percent for the onshore areas and 10 percent for offshore areas; 10 percent for coal bed methane |

**इस पहल का महत्व**

- **इज ऑफ़ डूइंग बिज़नस-** यह ब्लॉक आवंटित करने के विषय पर **निर्णय लेने की प्रक्रिया को तीव्र करेगा** एवं ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नस की पहल को बढ़ावा देगा।
- **घरेलू उत्पादन में वृद्धि-** प्रक्रिया को सरल बनाकर देश को तेल और गैस में अपना घरेलू उत्पादन बढ़ाने एवं 2022 तक **आयात पर निर्भरता** को 10% तक **कम करने के लक्ष्यों** को साकार करने में किया जा सकता है।
- **अधिकारी तंत्र से जुडी बाधाओं को समाप्त करना–** यह कार्यवाही अधिकारी तंत्र से जुडी बाधाओं को समाप्त कर ऊर्जा संसाधन का समय पर आबंटन करने की सुविधा प्रदान करेगा और परिणामस्वरूप **ऊर्जा आपूर्ति-मांग अंतराल** को कम करेगा।
- **रोजगार के अवसर–** ब्लॉक में एवं उसके निकट कोल बेड मीथेन (CBM) गैस भंडारों के अन्वेषण और दोहन के लिए बढ़ी हुई विकास गतिविधियाँ अंततः आर्थिक गतिविधियों को उत्पन्न करेंगी जिसके फलस्वरूप ऊर्जा संचालनों में और उद्योगों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

**हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति (HELP)**

- इसके **उद्देश्य** हैं-
    - विनियामक प्रतिबंधों को कम करके भारत को **व्यापार एवं निवेशक अनुकूल** बनाना।

- 2022 तक **भारत के मौजूदा तेल उत्पादन को दोगुना करना।**
- **ऐसे क्षेत्रों की पहचान** करना जहां विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बंस का अन्वेषण संभव बनाया जा सके।

- **नीति की मुख्य विशेषताओं** में शामिल हैं: लाइसेंस प्रदान करने की एक समान कार्यप्रणाली, खुली रकबा नीति, आय की साझेदारी करने में सरलता, विपणन एवं मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता तथा उत्पादित कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के लिए विपणन एवं मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता।

**हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति (HELP) तथा नई अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (NELP) के मध्य तुलना**

## 3.16. कोल बेड मीथेन का अन्वेषण

### Exploration of Coal Bed Methane (CBM)

**सुर्खियों में क्यों?**

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने तेल क्षेत्र (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 1948 (ORD Act, 1948) को संशोधित करने हेतु अधिसूचना जारी करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की।

**कोल बेड मीथेन के विषय में**

- कोल बेड मीथेन (CBM) कोयले के निक्षेपों या कोयला संस्तरों में पाई जाने वाली प्राकृतिक गैस का अपरंपरागत रूप होता है।
- यह कोलिफिकेशन अर्थात पादप सामग्री के कोयले में रूपांतरण होने की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होती है।
- इसे खनन अभियानों के दौरान एवं बाद में भूमिगत कोयले से प्राप्त किया जा सकता है।
- इसे "गैर-उत्खननीय" कोयला संस्तरों से भी निष्कर्षित किया जा सकता है, जो अपेक्षाकृत अधिक गहरे, पतले अथवा निकृष्ट या असंगत गुणवत्ता के होते हैं।
- यह कोयला या भट्ठी तेल की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल एवं अधिक दक्ष ईंधन है।
- पारंपरिक तेल और गैस के विपरीत, कोल बेड मीथेन के संदर्भ में इसके शीर्ष स्तर तक पहुँचने तक उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ता है इसलिए यह लघु और मध्यम उद्यमों (SMEs) के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है जिन्हें कम मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है।

**अन्य महत्वपूर्ण तथ्य**

सरकार ने 2015 में कोल इण्डिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कम्पनियों को कोयला वहन करने वाले ऐसे सभी क्षेत्रों (जिनके लिए उनके पास कोयले के लिए खनन पट्टा है) से कोल बेड मीथेन के अन्वेषण और दोहन के अधिकार प्रदान करते हुए एक अधिसूचना जारी की थी। किन्तु कोल बेड मीथेन हेतु खनन पट्टे के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अनुमति आवश्यक थी ।

- अब नए संशोधन के साथ, कोल इण्डिया लिमिटेड और उसकी सहायक कम्पनियों के लिए अनुमति की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।

**इस संशोधन का महत्व**

- यह सरकार की इज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस पहलों के अनुरूप है।
- यह कोल बेड मीथेन के अन्वेषण और दोहन की प्रक्रिया को त्वरित करेगा, प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ाएगा एवं प्राकृतिक गैस की मांग और आपूर्ति के अंतराल में कमी लाएगा।
- चूँकि अधिकतर कोल बेड मीथेन क्षेत्र देश के पिछड़े क्षेत्रों में हैं, तो यह रोजगार प्रदान करके विकास को प्रोत्साहित कर सकता है।

## 3.17. उत्तम ऐप

### (UTTAM APP)

**सुर्खियों में क्यों?**

केंद्रीय रेल और कोयला मंत्री ने कोयले की गुणवत्ता की निगरानी के लिए उत्तम (UTTAM) ऐप लांच किया है।

**उत्तम (उत्खनित कोयले के तृतीय पक्ष के मूल्यांकन द्वारा पारदर्शिता को संभव बनाना) (Unlocking Transparency by Third Party Assessment of Mined Coal : UTTAM) के बारे में:**

- **कोयला मंत्रालय** और **कोल इंडिया लिमिटेड** ने कोल इंडिया लिमिटेड एवं और आम नागरिकों के बीच **दोतरफा चैनल** की सुविधा प्रदान करने के लिए एक ऐप विकसित किया है।
- इसका लक्ष्य **कोयला गुणवत्ता निगरानी प्रक्रिया** में **पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित** करना है।
- उत्तम ऐप की **मुख्य विशेषताएं** हैं: (i) तृतीय पक्ष द्वारा नमूने लिए जाने का प्रावधान (ii) विभिन्न सहायक कम्पनियों में कोयले की गुणवत्ता का सम्पूर्ण कवरेज (iii) घोषित एवं विश्लेषण के बाद ज्ञात सकल कैलोरी मान के बीच तुलना (iv) कोयले की गुणवत्ता के संबंध में शिकायतों की प्रवृत्ति का दर्शाया जाना (v) विगत वर्षों के दौरान आयातित कोयले की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व।

VISION IAS

## 3.18. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

**(Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana : PMGSY)**

### सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लोक लेखा समिति (PAC) ने PMGSY के कार्यान्वयन से संबंधित कुछ समस्याओं को चिन्हित किया है।

**संबंधित तथ्य**

- **कोर नेटवर्क,** उन सभी ग्रामीण सड़कों का नेटवर्क है जो सभी अधिवासीय क्षेत्रों तक आधारभूत पहुँच प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। **आधारभूत पहुँच (Basic Access) से तात्पर्य** प्रत्येक अधिवासीय क्षेत्र तक एकल बारहमासी सड़क द्वारा कनेक्टिविटी प्राप्त करना है।
- PMGSY के अंतर्गत प्रत्येक पात्र अधिवासीय क्षेत्र को बारहमासी संपर्क वाले किसी अन्य अधिवासीय क्षेत्र या बारहमासी सड़क से जोड़ कर सभी मौसमों के लिए एकल सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार इन क्षेत्रों का अन्य स्थानों के साथ-साथ बाजार केन्द्रों तक भी संपर्क स्थापित किया जा सकेगा।
- कोर नेटवर्क को जिला ग्रामीण सड़क योजना (District Rural Roads Plan: DRRP) में उल्लिखित समग्र नेटवर्क से प्राप्त किया जाता है तथा इसमें वर्तमान सड़कों के साथ-साथ वैसी सड़कें भी सम्मिलित होती हैं जिनका अब तक असम्बद्ध अधिवासीय क्षेत्रों के लिए निर्माण किया जाना आवश्यक है।
- हालांकि, इसमें DRRP में उल्लिखित सभी विद्यमान सड़कें सम्मिलित नहीं होंगी, क्योंकि इसका उद्देश्य "आधारभूत पहुँच" स्थापित करना है, अर्थात् प्रत्येक आवासीय क्षेत्र को एकल बारहमासी सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना।
- यह मुख्य रूप से उस आवश्यक नेटवर्क को चिह्नित करने के लिए निमित्त है, जिसे सदैव अच्छी स्थिति में बनाए रखना आवश्यक है।

### रिपोर्ट द्वारा चिन्हित समस्याएं

**कार्यान्वयन में विलम्ब:** यह पाया गया कि 26 राज्यों में भूमि विवादों, वन मंज़ूरी के अभाव, खनन परिचालनों की अनुमति में देरी और धन की कमी आदि कारणों के परिणामस्वरूप लगभग 4,500 परियोजनाओं में एक महीने से लेकर 129 महीने तक की देरी देखने को मिली।

- **जिला ग्रामीण सड़क योजना (DRRP)** तथा **कोर नेटवर्क** को तैयार करने के दौरान निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने में राज्य असमर्थ रहे हैं। परिणामस्वरूप, पात्र अधिवासीय क्षेत्र को या तो छोड़ दिया गया या उन्हें गलत तरीके से संबद्ध दर्शाया गया।
- यह भी पाया गया कि किसी भी राज्य ने ऑनलाइन फंड प्रोसेसिंग को कार्यान्वित नहीं किया है। **ऑनलाइन मेनेजमेंट, मोनिटरिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम (OMMAS)** के आरंभ होने के 13 वर्षों के पश्चात् भी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, निर्णय-निर्माण हेतु हस्त निर्मित (मैन्युअल) मासिक प्रगति रिपोर्ट पर निर्भर है।
- अन्य रेखांकित किए गए मुद्दों में शामिल हैं: मंत्रालय द्वारा लक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रदत्त वित्त का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप फंड को दूसरे कार्यों में लगाया गया, राज्य सरकारों द्वारा निधि के हस्तांतरण में देरी और कुछ राज्यों में ग्रामीण सड़क रखरखाव नीति का अभाव आदि कमियाँ।
- इन कमियों को दूर करने के लिए कुछ त्वरित कदम उठाए जाने चाहिए; यथा -
  - PMGSY में **सामाजिक लेखापरीक्षा** की विधियों को दोहराना।
  - निरंतर निगरानी करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राज्य जारी दिशानिर्देशों का क्रियान्वयन तथा उनका पालन कर रहे हैं।
  - निर्माण और रखरखाव में शामिल विभिन्न एजेंसियों के साथ साझा करने के लिए ग्रामीण सड़क सूचना प्रणाली का एक व्यापक भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) डेटाबेस बनाना।
  - पंचायतों की भागीदारी के साथ कॉम्प्रिहेंसिव न्यू कनेक्टिविटी प्रायोरिटी लिस्ट/कॉम्प्रिहेंसिव अपग्रेडेशन प्रायोरिटी लिस्ट (एक बार कोर नेटवर्क तैयार होने के बाद) तैयार करना।

**लोक लेखा समिति**

- यह दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति है, जिसमें लोकसभा के 15 सदस्य तथा राज्यसभा से 7 सदस्य शामिल होते हैं।
- 1967 से प्रचलित परम्परा के अनुसार, इसका अध्यक्ष विपक्षी दल से चुना जाता है।
- **समिति के प्राथमिक कार्य: विनियोग लेखा** तथा **नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों** की जांच करना।

### प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) से संबंधित तथ्य

- यह **ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित फ्लैगशिप योजना** है।
- **उद्देश्य**: बारहमासी सडकों से ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ना। गरीबी निवारण की रणनीति के रूप में पात्र असंबद्ध बसावटों तक पहुंच स्थापित करना। ग्रामीण सड़क नियोजन की त्रुटियों, निधियों की अपर्याप्तता व अप्रत्याशितता एवं ग्रामीण सड़कों के अनुरक्षण संबंधी कमी को दूर करना।
- **अधिवासीय क्षेत्र (बसावट) संबंधी मानदंड**: मैदानी क्षेत्रों में 500 की आबादी वाले तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 250 की आबादी वाले बसावटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाएगा।



VISION IAS

- PMGSY के तहत कुल 1,78,184 योग्य अधिवासीय क्षेत्रों में से 1,45,158 को 2017 तक जोड़ दिया गया है, इसके साथ ही योजना में निर्धारित **82% लक्ष्य** को प्राप्त कर लिया गया है।
- इस योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण में **"हरित प्रौद्योगिकियों"** तथा बेकार प्लास्टिक, शीत मिश्रण, जियो-टेक्सटाइल, फ्लाई-ऐश, लोहा व तांबा के तलछट इत्यादि जैसी गैर-पारंपरिक सामग्रियों **के उपयोग** को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- PMGSY सड़क के निर्माण की गुणवत्ता तथा प्रगति के संबंध में नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने में सक्षम बनाने हेतु **मोबाइल ऐप "मेरी सड़क"** लॉन्च की गयी है।
- **PMGSY-II** का उद्देश्य, सड़क नेटवर्क को प्रत्येक मौसम हेतु उपयुक्त बनाने के मानदंड पर आधारित कुछ चयनित वर्तमान ग्रामीण सड़कों का उन्नयन करना है।
- **PMGSY-III** को भी 1.07 लाख किमी सड़कों के उन्नयन के लिए प्रस्तावित किया गया है। इसके लिए, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक 19,000 करोड़ रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता जारी रखी जाएगी।

## 3.19. IMF का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक

**(IMF World Economic Outlook)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने हाल ही में अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (WEO), 2018 रिपोर्ट प्रकाशित की।

**अन्य विवरण**

- WEO वस्तुतः IMF के स्टाफ अर्थशास्त्रियों द्वारा किया जाने वाला एक सर्वेक्षण है। इसे सामान्यतः **वर्ष में दो बार प्रकाशित** किया जाता है।
- यह रिपोर्ट लघु और मध्यम अवधि के दौरान **वैश्विक आर्थिक विकास का विश्लेषण** प्रस्तुत करती है। यह औद्योगिक देशों, विकासशील देशों और बाजार अर्थव्यवस्था की ओर उन्मुख देशों को प्रभावित करने वाले **मुद्दों पर विचार** करती है और **वर्तमान हितों पर दबाव डालने वाले विषयों को संबोधित करती है।**
- यह अनुमान लगाया गया है कि **अत्यधिक निजी उपभोग के कारण भारत** चीन की तुलना में तेजी से **विकास** (2018 में 7.4% और 2019 में 7.8%) करेगा।

## 3.20. ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट 2017

**(Global Findex Report 2017)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, विश्व बैंक ने ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट (Global Findex Report) जारी की है।

**ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट के बारे में**

- यह विश्व का सर्वाधिक व्यापक डेटा सेट है, जो दर्शाता है कि किस प्रकार वयस्क भुगतान, उधार, बचत और जोखिम प्रबंधन संबंधी कार्य करते हैं। इसे बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के वित्तीयन सहयोग से गैलप, इंक (Gallup, Inc.) की साझेदारी में तैयार किया गया है।
- 2017 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में वित्तीय समावेशन 2014 के 62% से बढ़कर 69% हो गया है। विकसित देशों में 94% वयस्कों के पास अपना खाता है।
- विकासशील देशों में खाता स्वामित्व में लैंगिक अंतर 9% बिंदु के अंतर के साथ निरंतर बना हुआ है। विश्व भर में 65% महिलाओं की तुलना में 72% पुरुषों के पास बैंक खाते हैं।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि 2011 में भारत में खाताधारकों की संख्या 35% थी जो 2017 में बढ़कर 80% हो गई है। 2014-17 के दौरान, विश्व भर में 51.4 करोड़ बैंक खाते खोले गए थे, जिनमें से 55% भारत में थे।
- विश्व स्तर पर 76% खाता धारक डिजिटल भुगतान का का प्रयोग करते हैं; जिसमें विकसित देशों के 91% की तुलना में विकासशील देशों में केवल 44% खाता धारक डिजिटल भुगतान का प्रयोग करते हैं। हालांकि, भारत में केवल 36% खाताधारक डिजिटल भुगतान करते हैं या प्राप्त करते हैं।

## 3.21. भारत की GSP पात्रता समीक्षा

**(GSP Eligibility Review of India)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेन्टेटिव (United States Trade Representative: USTR) ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि वह जेनेरलाइजड सिस्टम ऑफ प्रैफरेंसेज (Generalized System of Preferences: GSP) के अंतर्गत भारत, इंडोनेशिया तथा कज़ाखस्तान की पात्रता के संबंध में समीक्षा कर रहा है।

**GSP क्या है?**

- GSP एक अधिमान्य व्यवहार है, जिसके अंतर्गत अमेरिकी सरकार 120 नामित विकासशील एवं विकसित देशों को उनके उत्पादों के आयात (अर्थात् अमेरिका को निर्यात) पर रियायत प्रदान करता है।
- GSP के अंतर्गत लाभों में रसायनों, रत्नों, वस्त्रों सहित अन्य उत्पादों का अमेरिकी बाजारों में प्रशुल्क मुक्त प्रवेश शामिल है। वर्ष 2017 में, भारत 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सब्सिडी के साथ GSP का सबसे बड़ा लाभार्थी था।
- GSP भारतीय निर्यातकों को लाभान्वित करता है तथा अमेरिकी उद्योगों को भारत से सस्ती दर पर मध्यवर्ती उत्पाद प्राप्त होते हैं।

**समीक्षा के कारण**

- GSP बाजार पहुंच मानदंड के अनुपालन से संबंधित चिंताओं के कारण।
- अमेरिकी डेयरी उद्योग और अमेरिकी चिकित्सा उपकरण उद्योग द्वारा दायर याचिकाओं में भारत के GSP लाभों की समीक्षा का अनुरोध किया गया है। इन याचिकाओं के अनुसार भारतीय व्यापार बाधायें उन क्षेत्रों में अमेरिकी निर्यात को प्रभावित करती हैं।
- पिछले वर्ष, भारत सरकार ने कार्डियक स्टेंट्स और घुटने के प्रत्यारोपण की कीमतों में लगभग 70 प्रतिशत की कटौती कर उच्चतम सीमा नियत करने का निर्णय किया था।

**भारत पर प्रभाव**

- GSP कार्यक्रम भारत से 3,500 उत्पादों के प्रशुल्क मुक्त प्रवेश की स्वीकृति देता है। इसे अस्वीकृत करने से वस्त्र, इंजीनियरिंग, रत्न और आभूषण तथा रासायनिक उत्पादों के के निर्यातक प्रभावित होंगे।
- भारत के लिए सस्ते चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा लगभग 6 करोड़ किसानों को रोजगार प्रदान करने वाले अपने डेयरी क्षेत्रक की रक्षा करना कठिन हो जाएगा।

## 3.22. यू.एस. करेंसी वाच लिस्ट

(US Currency Watch List )

**सुर्खियों में क्यों?**

- हाल ही में, **संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेज़री डिपार्टमेंट** ने भारत को करेंसी प्रथाओं और समष्टि आर्थिक नीतियों संबंधी निगरानी सूची में सम्मिलित किया है।

**सम्बंधित तथ्य**

- **रिपोर्ट के बारे में**: इस ट्रेज़री रिपोर्ट का उपयोग कांग्रेस द्वारा ऐसे राष्ट्रों की पहचान करने हेतु किया जाता है जो **व्यापार में बढ़त प्राप्त करने के लिए** अपनी करेंसी के मूल्य को **कृत्रिम रूप से प्रबंधित** करने का प्रयास करते हैं, उदाहरणार्थ- सस्ते निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए विनिमय दर को कम रखना।
- **इस सूची में सम्मिलित राष्ट्र**: भारत के अतिरिक्त, इस सूची में सम्मिलित पाँच अन्य राष्ट्र **चीन, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया और स्विट्ज़रलैंड** हैं।
- **समावेशन का कारण**: तीन मानदंडों में से दो पर खरा उतरने के कारण भारत को इसमें सम्मिलत किया गया है। ये हैं- संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय अधिशेष (23 बिलियन डॉलर) एवं विदेशी मुद्रा की निवल खरीद का GDP के 2.2% के बराबर होना।
- **संभावित प्रभाव–** एक करेंसी मैनिप्युलेटर के रूप में नामित होने के बाद, सस्ते आयात को हतोत्साहित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका अपने यहाँ ऐसे देश से किये जाने वाले **निर्यातों पर 25% प्रशुल्क** अधिरोपित कर सकता है।

**करेंसी मनिप्युलेटर के रूप में नामित होने के लिए तीन पूर्व-शर्तें**

- संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 20 बिलियन डॉलर से अधिक का व्यापार अधिशेष;
- शेष विश्व के साथ GDP के 3% के बराबर चालू खाता अधिशेष का होना; तथा
- 12 महीने से अधिक समय से GDP के 2% से अधिक की अनवरत विदेशी मुद्रा खरीदें।

**केंद्रीय बैंकों का हस्तक्षेप क्यों?**

- विनिमय दर में अस्थिरता कम करने के लिए एवं प्राय: विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण करने या इन भंडारों का
- प्रबंधन करने के लिए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी मुद्राओं का न तो अधिमूल्यन हो और न ही अवमूल्यन।
- वैश्विक वित्तीय बाजारों को यह आश्वस्त करने के लिए कि एक देश विशेष रूप से चलायमान मुद्रा संबंधी बाहरी
- आघातों को सहने हेतु नम्य है।

VISION IAS

# 4. सुरक्षा

(SECURITY)

## 4.1. रक्षा नियोजन समिति

(Defence Planning Committee)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) की अध्यक्षता में रक्षा नियोजन समिति (DPC) गठित की है।

**चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ समिति** (CoSC) – इसमें थलसेना, नौसेना तथा वायुसेना के अध्यक्ष सम्मिलित होते हैं जिसमें सबसे वरिष्ठ अधिकारी अवकाश प्राप्ति तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।

**DPC की प्रमुख विशेषताएं**

- **प्रकृति**: DPC एक स्थायी अंतरमंत्रालयी निकाय होगा।
- **संघटन**: DPC में चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ समिति (CoSC) के अध्यक्ष , अन्य सेनाध्यक्ष, रक्षा सचिव, विदेश सचिव तथा वित्त मंत्रालय में सचिव (व्यय) सम्मिलित होते हैं।
- आवश्यकता होने पर NSA को अन्य सदस्यों को सम्मिलित करने के अधिकार भी दिए गए हैं।
- यह समिति **चार उप-समितियों** के माध्यम से कार्य करेगी: नीति तथा रणनीति, योजना एवं क्षमता विकास, रक्षा कूटनीति, तथा रक्षा उत्पादन पारितंत्र पर उप-समितियां।
- रक्षा मंत्रालय में चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ़ DPC के सदस्य सचिव होंगे, तथा सचिवालय उनका मुख्यालय होगा।

**वर्तमान रक्षा योजना संरचना से सम्बंधित मुद्दे**

- भारत में वर्तमान रक्षा योजना निर्माण का अत्यधिक असंबद्ध होना। यह अधिग्रहणों पर एकतरफा बल देती है और नवीन तकनीकी प्रगति पर आवश्यकता से कम ध्यान देती है।
- प्राय: मंत्रालयों के मध्य सामंजस्य का अभाव तथा नौकरशाही एवं सेना के बीच सहमति न बन पाना।
- अनेक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए संसाधनों का पर्याप्तता से कम मात्रा में उपलब्ध होना।
- उन लक्ष्यों का अनुसरण करना जो तात्कालिक प्राथमिकता में न रहे हों।
- दुर्लभ संसाधनों का डुप्लिकेशन और उनकी बर्बादी।
- रक्षा क्षेत्र अनुसंधान और विकास (R&D) एवं विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने पर ध्यान न दिया जाना।

**कार्य**

- राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, रणनीतिक रक्षा मूल्यांकन तथा सिद्धांत; अंतर्राष्ट्रीय रक्षा अनुबंध; रक्षा उत्पादन पारितंत्र निर्माण की रूपरेखा का निर्माण; रक्षा निर्यातों को प्रोत्साहित करने की रणनीति **का निर्माण**; और समग्र प्राथमिकताओं, रणनीतियों, तथा संभावित संसाधन की उपलब्धता के साथ ताल-मेल बैठाते हुए विभिन्न समय सीमाओं में सशस्त्र सेनाओं के लिए क्षमता विकास योजनाओं की प्राथमिकताओं का निर्धारण करना।
- 15 वर्षीय दीर्घकालीन समेकित परिदृश्य योजना (LTIPP), रक्षा प्रौद्योगिकी तथा भारतीय रक्षा उद्योग के विकास तथा वैश्विक प्रौद्योगिकी संबंधी उन्नति समेत राष्ट्रीय प्रतिरक्षा तथा सुरक्षा प्राथमिकताओं, विदेश नीति की अनिवार्यताओं, सैन्य परिचालन संबंधी निर्देशों तथा संबद्ध आवश्यकताओं, उपयुक्त रणनीतिक तथा सुरक्षा संबंधी सिद्धांतों, रक्षा अधिप्राप्ति तथा अवसंरचना विकास संबंधी योजनाओं **का आकलन एवं विश्लेषण**।
- अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु यह सभी मंत्रालयों के 'साधनों' व 'तरीकों' की पहचान करेगी, क्षमता निर्माण योजना हेतु सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति से स्वीकृति तथा बजट संबंधी सहयोग हेतु मार्ग-दर्शन इत्यादि प्राप्त करेगी।
- DPC अपनी सभी रिपोर्टों को रक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी।

**महत्व**

- भारत में रक्षा योजना प्रक्रिया एकतरफा, असम्बद्ध और उपेक्षित गतिविधि बनी हुई है। पिछले प्रयास, इस बात का प्रमाण हैं। इन प्रयासों में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के गठन में विफलता तथा साथ ही 'डिफेन्स प्लानिंग सेल' (1962), रक्षा योजना समिति (कैबिनेट सचिव के अंतर्गत 1977 में गठित) और डिफेन्स प्लानिंग स्टाफ (एक 3-स्टार महानिदेशक की अध्यक्षता में) शामिल हैं।
- इस समिति की संरचना रक्षा योजना के **सैन्य एवं नागरिक,** दोनों घटकों को एक ही मंच पर लाने के अपने उद्देश्य को प्रतिबिंबित करती है। यह एक ऐसी आधुनिक रक्षा रणनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो दक्ष हो और बदलती सुरक्षा वास्तविकताओं के साथ अनुकूलन स्थापित कर लेती हो।
- यह सेवाओं के मध्य और प्रत्येक सेवा की विभिन्न शाखाओं के भीतर **संसाधनों के कुशल वितरण** को प्रोत्साहित करेगी।
- यह त्वरित निर्णयन के माध्यम से खरीद प्रक्रिया को **सुगम** बनाने में तथा घरेलू आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए मजबूत स्वदेशी रक्षा विनिर्माण आधार की स्थापना करने में सहायता करेगा। इसके परिणामस्वरूप भविष्य में रक्षा हथियारों का निर्यात भी किया जा सकता है।

## 4.2. धनशोधन निवारण अधिनियम में संशोधन

(Amendments to Prevention of Money Laundering Act)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में सरकार ने वित्त अधिनियम, 2018 के माध्यम से धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 में संशोधन किया है।

**धनशोधन (मनी लॉन्डरिंग): एक पृथक अपराध के रूप में**

केंद्र सरकार मनी लॉन्डरिंग को एक पृथक अपराध बनाये जाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इससे मनी लॉन्डरिंग की घटनाओं की जाँच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जाएगी जोकि अन्य एजेंसियों द्वारा की जाने वाली जाँच से स्वतंत्र होगी।

**सन्दर्भ**

- मनी लॉन्डरिंग को आपराधिक घटनाओं के गुणक के रूप में संदर्भित किया जा सकता है क्योंकि इससे अपराधियों को आर्थिक शक्ति प्राप्त होती है।
- भारत में मौजूदा व्यवस्था के तहत मनी लॉन्डरिंग के मामलों का भविष्य विभिन्न जाँच एजेंसियों की जाँच एवं अभियोजन पर निर्भर होता है क्योंकि 'अपराध से प्राप्त आय' की परिभाषा PMLA अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध विधेय अपराधों (predicate offences) पर निर्भर है।
- इस प्रकार संगठित अपराध का निवारण किये बिना मनी लॉन्डरिंग से निपटना, समय और प्रयासों को व्यर्थ करना है।
- एक पृथक अपराध के रूप में मनी लॉन्डरिंग का आरम्भ वहां से होता है जहाँ अवैध धन को छिपाकर रखने की इच्छा का त्याग कर दिया जाता है। अतः मनी लॉन्डरिंग एवं संगठित अपराधों के मध्य संपर्क को तोड़ने के लिए तथा जाँच की गति तीव्र करने के लिए, मनी लॉन्डरिंग से एक पृथक अपराध की भांति निपटना आवश्यक है।

**पृथक अपराध के रूप में व्यवहृत किये जाने का महत्त्व**

- फाइनेंसियल एक्शन टास्क फ़ोर्स (FATF) ने 2010 की अपनी समीक्षा में तथा काले धन पर भारत के विशेष जाँच दल (SIT) ने भी इस आशय की अनुशंसा की क्योंकि इससे मनी लॉन्डरिंग में शामिल लोगों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
- यह कदम भारत के कानून को वैश्विक प्रथाओं के समान बनाएगा, जैसे-UK में मनी लॉन्डरिंग को एक स्वतंत्र अपराध के रूप में संदर्भित किया जाता है तथा वहां जाँच एजेंसियों को अलग-अलग जांचों के परिणामों की प्रतीक्षा करने के बजाय, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर सिर्फ यह स्थापित करना होता है कि प्राप्त धन का उद्गम आपराधिक गतिविधि से है।

**अन्य सम्बंधित तथ्य**

PMLA के संशोधनों का उद्देश्य अधिनियम की प्रभावशीलता को बढ़ाना, इसकी परिधि को विस्तृत करना तथा PMLA से सम्बंधित मामलों में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अनुभव की जाने वाली प्रक्रियात्मक कठिनाइयों को दूर करना है। इसके साथ ही इससे विभिन्न एजेंसियों के मध्य सूचनाओं का आदान-प्रदान सुलभ होगा तथा काले धन के विरुद्ध किये जा रहे प्रयासों की प्रभावशीलता में वृद्धि होगी।

**प्रमुख संशोधन**

- **'अपराध से प्राप्त आय' की परिभाषा में संशोधन** ताकि ED, देश के बाहर होने वाले अपराधों में भी आय के बराबर मूल्य की संपत्ति की कुर्की तथा जब्ती कर सके।
- **ज़मानत के प्रावधानों में संशोधन:** केवल उन अपराधों, जिनमें 3 वर्ष या उससे अधिक की कैद हो सकती है, के स्थान पर PMLA के अंतर्गत शामिल सभी अपराधों के लिए ज़मानत की एक समान शर्तों का निर्धारण किया जायेगा।
- **'कॉर्पोरेट धोखा-धड़ी' अनुसूचित अपराधों में शामिल:** PMLA के अंतर्गत अनुसूचित अपराधों में कंपनी अधिनियम की धारा 447 (कॉर्पोरेट धोखा-धड़ी) को शामिल किया गया है। इससे कंपनी रजिस्ट्रार ऐसे मामलों को PMLA के प्रावधानों के तहत कार्रवाई हेतु प्रवर्तन निदेशालय को संदर्भित कर सकेंगे।
- **जाँच की प्रभावशीलता में वृद्धि हेतु उपाय:** प्रवर्तन निदेशालय को अभियोजन दाखिल करने तथा प्रोविज़नल अटैचमेंट आर्डर पारित करने हेतु अधिक समय उपलब्ध कराना।

- **सूचना का प्रकटीकरण:** प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जाँच के दौरान अन्य कानूनों के उल्लंघन सामने आने पर उन्हें संबंधित अधिनियमों के तहत संबंधित प्राधिकारियों से साझा करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देशों का निर्धारण।

## 4.3. वामपंथी उग्रवाद को नियंत्रित करना

**(Containing Left Wing Extremism)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में वामपंथी उग्रवाद से सफलतापूर्वक निपटने का दावा किया गया है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- गृह मंत्रालय ने हाल ही में रेड कॉरिडोर का पुनर्सीमांकन किया है। इसके तहत 11 राज्यों में विस्तृत नक्सली हिंसा से प्रभावित जिलों की संख्या को 106 से कम करके 90 कर दिया गया तथा सर्वाधिक प्रभावित जिलों की संख्या को 36 से कम करके 30 किया गया। छत्तीसगढ़, झारखण्ड, ओडिशा तथा बिहार; वामपंथी उग्रवाद (LWE) से अत्यधिक प्रभावित राज्यों के रूप में घोषित किये गए हैं।
- जिलों को हटाने तथा नए जिलों को सूची में शामिल करने हेतु मुख्य मानदंड 'हिंसा की घटनाओं' को माना गया है।
- 2013 की तुलना में 2017 में हिंसा की घटनाओं में 20% की कमी आई है तथा इससे संबंधित मौतों में 34% की कमी देखी गई जो कि सरकारी प्रयासों की सफलता की ओर संकेत करती है।

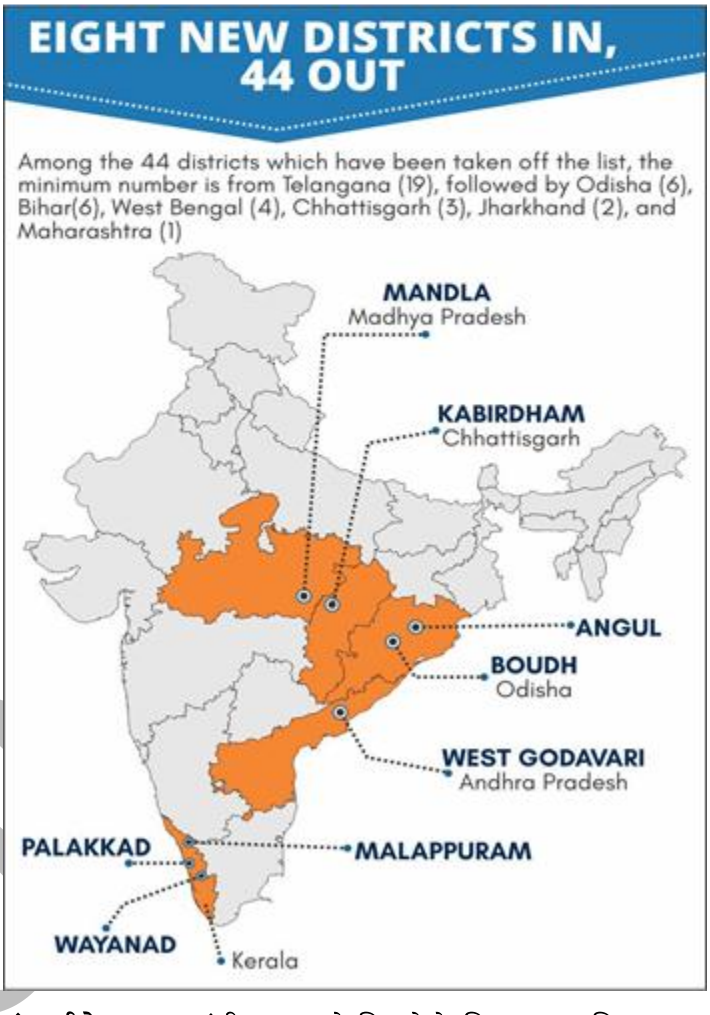


**LWE प्रभावित राज्यों में महत्वपूर्ण पहलें**

चूंकि पुलिस और लोकव्यवस्था राज्य सूची के विषय हैं, अतः वामपंथी उग्रवाद की चुनौती से निपटने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। हालाँकि MHA तथा अन्य केंद्रीय मंत्रालय विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों के सुरक्षा प्रयासों को पूरकता प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए:

- MHA द्वारा 2015 से क्रियान्वित की जा रही **राष्ट्रीय नीति एवं कार्ययोजना**, वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए सुरक्षा, विकास तथा स्थानीय समुदायों के अधिकारों एवं पात्रताओं आदि को सुनिश्चित करने से सम्बंधित एक बहुआयामी रणनीति है।

**राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना, 2015**

- **सुरक्षा सम्बन्धी उपायों** के अंतर्गत LWE प्रभावित राज्यों को CAPF बटालियन, हेलीकॉप्टर, UAV उपलब्ध कराना, अभेद्य (फोर्टीफाइड) पुलिस स्टेशन, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु वित्त, शस्त्र एवं उपकरण, प्रशिक्षण सहायता तथा ख़ुफ़िया जानकारियों को साझा करना आदि शामिल हैं।
- **विकास सम्बन्धी उपाय:** LWE प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के अतिरिक्त बहुत सी अन्य पहलें भी प्रारंभ की गयी हैं। इनमें 35 सर्वाधिक प्रभावित जिलों में सड़कों का निर्माण, मोबाईल टॉवर की स्थापना, कौशल विकास, बैंकों और डाकघरों के नेटवर्क में सुधार तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएँ आदि क्षेत्रों पर केंद्रित योजनाएँ शामिल हैं।
- अधिकारों तथा पात्रताओं से सम्बंधित उपाय।

- **2017-2020 के लिए पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत मुख्य उप-योजनाएँ:**
    - **सुरक्षा सम्बंधित व्यय (SRE) योजना (2017 में अनुमोदित)**
        - इसका उद्देश्य LWE समस्या के विरुद्ध प्रभावी रूप से संघर्ष करने हेतु, LWE प्रभावित राज्यों की क्षमता को सुदृढ़ करना है।
        - इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार 106 जिलों के सुरक्षा से सम्बंधित व्ययों की प्रतिपूर्ति करती है। ये व्यय LWE हिंसा में मारे गए नागरिकों/ सुरक्षा बलों के परिवारों को अनुग्रह भुगतान (ex-gratia payment), सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण और परिचालन आवश्यकताओं, आत्मसमर्पण करने वाले LWE कैडर्स को प्रतिफल राशि, सामुदायिक पुलिस, ग्राम सुरक्षा समितियों के लिए सुरक्षा संबंधी अवसंरचना तथा प्रचार सामग्रियों से सम्बंधित हैं।

- **35 सर्वाधिक LWE प्रभावित जिलों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (SCA):** इसका मुख्य उद्देश्य आकस्मिक प्रकृति की सार्वजनिक अवसंरचनाओं तथा सेवाओं में महत्त्वपूर्ण अन्तराल की पूर्ति करना है।
  - **विशेष अवसंरचना योजना (SIS):** इस योजना के तहत LWE प्रभावित राज्यों में 250 अभेद्य (फोर्टीफाइड) पुलिस स्टेशनों का निर्माण किया जाना है। इस योजना का उद्देश्य राज्यों के सुरक्षा उपकरणों को सुदृढ़ कर उनकी क्षमताओं का निर्माण करना है।
  - **LWE प्रबंधन हेतु केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता योजना:** केंद्रीय एजेंसियों यथा CAPF, कमांडो बटालियन फॉर रेज़ोल्यूट एक्शन (CoBRA) तथा भारतीय वायु सेना को उन राज्यों में LWE विरोधी कार्यवाही में सहायता प्रदान करना जिनकी क्षमता सीमित हो।
  - **सिविक एक्शन प्रोग्राम (CAP):** इसे 2010-11 से क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वैयक्तिक अन्तर्क्रियाओं के माध्यम से सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के मध्य अंतराल को समाप्त करना तथा सुरक्षा बलों के मानवीय पक्ष लोगों के सामने लाना है। इस योजना के तहत, LWE प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के कल्याण हेतु विभिन्न नागरिक क्रियाकलापों के आयोजन के लिए वहां तैनात CAPF को धन उपलब्ध करवाया जाता है।
  - **मीडिया प्लान योजना:** अपने तथाकथित गरीब-हितों की क्रांति के नाम से भोले-भाले आदिवासियों/स्थानीय आबादी को गुमराह करने एवं लुभाने के माओवादी दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए।
- **सड़क आवश्यकता योजना-I (RRP-I):** सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 2009 से 8 राज्यों के 34 LWE प्रभावित जिलों में सड़क संपर्क को सुधारने के लिए इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके तहत LWE प्रभावित राज्यों में 5,422 किमी लम्बाई की सड़कों के तथा 8 महत्त्वपूर्ण पुलों के निर्माण की परिकल्पना की गयी है।
- **LWE प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क सम्बद्धता परियोजना (RRP-II):** 2016 में 9 LWE प्रभावित राज्यों के 44 जिलों में सड़क संपर्क में और सुधार लाने के लिए इस योजना को अनुमति दी गयी थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय इस परियोजना के लिए नोडल मंत्रालय है।
- LWE क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए **LWE मोबाइल टॉवर परियोजना**।
- **राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO),** मानव रहित वायुयान (UAV) प्रदान करके नक्सल-विरोधी ऑपरेशन में सुरक्षा बलों की सहायता कर रहा है।
- इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा क्रमशः 'रोशनी (ROSHNI)' तथा 'वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 34 जिलों में कौशल विकास' नामक दो कौशल विकास योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।
  - **रोशनी**, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत एक विशेष पहल है। इसमें 27 LWE प्रभावित जिलों में निर्धन ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट की परिकल्पना की गयी है।
  - **'वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 34 जिलों में कौशल विकास'** योजना का क्रियान्वयन 2011-12 से किया जा रहा है। इसका लक्ष्य LWE प्रभावित जिलों में ITIs और कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना करना है।

**SAMADHAN**

यह LWE से निपटने हेतु लघु-अवधि तथा दीर्घ-अवधि की नीतियों के निर्माण हेतु MHA की रणनीति है। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

**S -** स्मार्ट लीडरशिप (स्मार्ट नेतृत्व)

**A -** एग्रेसिव स्ट्रेटेजी (आक्रामक रणनीति)

**M -** मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग (प्रेरणा एवं प्रशिक्षण)

**A -** एक्शनेबल इंटेलीजेंस (कार्यवाही योग्य आसूचना)

**D -** डैशबोर्ड बेस्ड KPIs (की परफॉर्मेंस इंडीकेटर्स) एन्ड KRAs (की रिजल्ट एरियाज) [डैशबोर्ड आधारित प्रमुख निष्पादन संकेतक और प्रमुख परिणाम क्षेत्र]

**H -** हारनेसिंग टेक्नोलॉजी (प्रौद्योगिकी का दोहन)

**A -** एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर (प्रत्येक थियेटर के लिए कार्ययोजना)

**N -** नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग (वित्तपोषण तक पहुँच को रोकना)

## 4.4. तटीय सुरक्षा योजना

**(Coastal Security Scheme)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, CAG ने तटीय सुरक्षा योजना (CSS) के कार्यान्वयन में व्याप्त दोषों को चिह्नित किया है।

VISION IAS

**तटीय सुरक्षा के लिए संस्थागत व्यवस्था**

- सर्वोच्च स्तर पर **समुद्री और तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय समिति (NCSMCS)**, समुद्री और तटीय सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों का समन्वय करती है और समय-समय पर सभी हितधारकों के साथ समुद्र से होने वाले खतरों के प्रति तटीय सुरक्षा की समीक्षा करती है।
- वर्तमान में, देश के तटीय राज्यों के लिए **त्रि-स्तरीय सुरक्षा** है।
  - 12 समुद्री मील क्षेत्रीय जल क्षेत्र (टेरीटोरियल वाटर्स) सहित 200 समुद्री मील तक सम्पूर्ण समुद्री क्षेत्र **भारतीय तट रक्षक** और **भारतीय नौसेना** के अधिकार क्षेत्र में है।
  - तट से 12 समुद्री मील तक का क्षेत्र **संबंधित तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों** के अधिकार क्षेत्र में है।

**भारतीय नौसेना की भारतीय समुद्री सुरक्षा रणनीति (IMSS) 2015**

- **निर्बाध समग्र दृष्टिकोण:** यह समुद्री चुनौतियों की मिश्रित प्रकृति को स्वीकार करता है और विभिन्न समुद्री एजेंसियों के मध्य अधिक समन्वय की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- **समुद्री पड़ोस में मजबूत सुरक्षा भूमिका और आर्थिक हितों की सुरक्षा:** भारतीय और क्षेत्रीय हितों की रक्षा, विशेष रूप से इंडियन ओशन सी लाइन्स ऑफ़ कम्युनिकेशन (SLOC) की सुरक्षा।
- **समुद्री सुरक्षा अभियान:** समुद्री आतंकवाद, समुद्री डकैती, सशस्त्र लूट-पाट, मानवीय संकट, शांति समर्थक अभियान और गैर-लड़ाकू निकासी मिशन के सामयिक आकलन के लिए।
- **अनुकूल और सकारात्मक परिवेश का निर्माण:** बहुपक्षीय समुद्री संलग्नता, रणनीतिक सैन्य सहायता, स्थानीय क्षमता निर्माण, तकनीकी सहयोग और रणनीतिक संचार के माध्यम से।
- **समुद्री सेना और क्षमता विकास:** नौसेना की सामरिक क्षमता में सुधार,सैद्धांतिक क्षमता-निर्माण से लेकर मानव संसाधन विकास साथ ही मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना।

**तटीय सुरक्षा योजना (CSS) के बारे में**

- इसे **कारगिल समीक्षा समिति** की सिफारिश पर 2005-06 में सरकार द्वारा आरम्भ किया गया था।
- **उद्देश्य:** तटीय क्षेत्रों की गश्त और निगरानी के लिए सभी तटीय राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के समुद्री पुलिस बल की अवसंरचना को मजबूत करना, विशेष रूप से तट के निकट छिछले जल क्षेत्र में।
- 2005-2011 की अवधि के दौरान CSS के **प्रथम चरण (Phase-I)** को नौ तटीय राज्यों और चार तटीय संघ शासित प्रदेशों में लागू किया गया था।
- CSS के **दूसरे चरण (Phase-II)** की अवधि 2010 से 2020 तक है।

**CSS की विशेषताएं**

- **गश्त:**
  - इस योजना के तहत, तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 183 **तटीय पुलिस स्टेशनों (CPSs)** को परिचालित किया है।
  - **तटीय चेक पोस्ट** भी स्थापित किए गए हैं।
  - सुदूर और बिखरे हुए द्वीपों में गश्त, छापे मारने और निगरानी करने के लिए **10 समुद्री ऑपरेशन केन्द्रों (MOCs)** को "नर्व सेंटर्स" के रूप में स्थापित किया जाएगा।
  - लंगर डालने (बर्थिंग) और रणनीतिक स्थानों पर नौकाओं/इंटरसेप्टर नौकाओं के रख-रखाव के लिए जेटियों (Jetties) का निर्माण किया जाएगा।
- **निगरानी:**
  - बिना किसी अंतराल के सम्पूर्ण तट को कवर करने के लिए 74 स्वचालित पहचान प्रणाली (Automatic Identification System:AIS) रिसीवरों की श्रृंखला और 46 अतिव्यापी (ओवरलैपिंग) तटीय रडारों की एक श्रृंखला के माध्यम से **आधुनिक तकनीकी उपायों** का उपयोग किया गया है।
- भारतीय नौसेना द्वारा मुंबई, विशाखापत्तनम, कोच्चि और पोर्ट ब्लेयर में तटीय सुरक्षा के लिए कमान और नियंत्रण हब के रूप में **संयुक्त संचालन केंद्र** स्थापित किए गए हैं।
- **समुद्री पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों (MPTIs) की स्थापना:** तकनीकी जनशक्ति की कमी और प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी में सुधार के लिए
- जहाजों/ नौकाओं का **मर्चेंट शिपिंग एक्ट,1958** के तहत पंजीकरण।
- **राज्य समुद्री बोर्डों (SMBs) का गठन:** राज्यों में समुद्री क्षेत्रक के विकास की सुविधा प्रदान करने और छोटे बंदरगाहों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए।
- **निगरानी:** तटीय सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने और विभिन्न हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सचिव (सीमा प्रबंधन) के स्तर पर संचालन समिति।

**योजना से संबंधित चिंताएं**

- **लक्ष्य से दूर:**
  - अधिकांश परियोजनाएं समय से पीछे हैं और आवंटित धन के आधे से भी कम भाग का उपयोग किया गया है।
  - अंडमान और निकोबार द्वीप में, आवंटित 32 करोड़ रुपये में से अब तक केवल 14 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है।

**तटीय सुरक्षा योजना (2014) पर स्थायी संसदीय समिति की रिपोर्ट की सिफारिश**

- तटीय सुरक्षा अवसंरचना में सुधार के लिए एक **समुद्री भारतीय रिजर्व बटालियन (MIRB)** का गठन।
- **सामुदायिक अंतःक्रिया कार्यक्रम,** जिसके अंतर्गत स्थानीय मछुआरों को खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने और दैनिक पेशेवर कामों के साथ तट पर सतर्कता रखने के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम भी प्रदान किए जा सकते हैं।
- तटीय सुरक्षा तैयारी और अवसंरचना को सुधारने और मजबूत करने के लिए **वित्तीय आवंटन में सुधार**।
- प्रमुख बंदरगाहों के साथ छोटे बंदरगाहों की **नियमित सुरक्षा ऑडिट**, क्योंकि मुंबई हमले के बाद भी देश के 187 छोटे बंदरगाहों में मानक सुरक्षा व्यवस्था का अभाव है।
- भारत के आस-पास के समुद्र में सभी समुद्री गतिविधियों के सामान्य परिचालन परिदृश्य के विकास के लिए **राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता (NMDA) परियोजना** की स्थापना।

- **प्रक्रियात्मक विलम्ब**
  - निगरानी पोत और अन्य महत्वपूर्ण घटकों की खरीद में देरी के कारण रणनीतिक स्थान पर अपर्याप्त सतर्कता।
  - कदमतला में 10 योजनाबद्ध MOCs में से केवल एक ही कार्यान्वित किया जा सका है।
  - CAG रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 10 योजनाबद्ध जेटियों के लिए स्थलों (साइट्स) का चयन अभी तक नहीं किया गया है और साथ ही 20 तटीय पुलिस स्टेशनों के उन्नयन के कार्य का प्रारंभ होना भी अभी शेष है।
- **तटीय योजना चरण II** के सभी योजना घटक वित्तीय बाधा न होने के बावजूद भी मूल योजना लक्ष्यों से पीछे थे।

**आगे की राह**

- **राष्ट्रीय वाणिज्यिक समुद्री सुरक्षा नीति दस्तावेज:** सरकार को समुद्री सुरक्षा के लिए अपनी रणनीतिक दृष्टि को स्पष्ट करने के लिए इसकी उद्घोषणा करनी चाहिए।
- **एक विधायी ढांचे की आवश्यकता:** भारत की समुद्री आधारभूत संरचना की सुरक्षा हेतु प्रणाली और प्रक्रियाओं की अवस्थापना के लिए, जहाजरानी और बंदरगाह दोनों क्षेत्रों को सम्मिलित करने वाले व्यापक कानूनों को लागू किया जाना चाहिए।

**तटीय सुरक्षा पर अधिक जानकारी के लिए समसामयिकी नवम्बर का अंक देखें।**

## 4.5. साइबर हमले के विरुद्ध महत्वपूर्ण समझौता

(Key Accord Against Cyber Attacks)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक के नेतृत्व में शीर्ष 34 वैश्विक प्रौद्योगिकी और सुरक्षा फर्मों ने साइबर अपराधियों और राष्ट्रों द्वारा दुर्भावनापूर्ण हमलों से लोगों की रक्षा के लिए "साइबर सिक्योरिटी टेक एकॉर्ड (Cybersecurity Tech Accord)" पर हस्ताक्षर किए हैं।

**अन्य महत्वपूर्ण तथ्य**

- छोटे व बड़े सभी आकार के व्यवसाय और संगठन साइबर हमलों के शिकार बन रहे हैं। 2022 तक इन हमलों के फलस्वरूप होने वाले नुकसान के 8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
- इसलिए, कंपनियों ने निम्नलिखित चार क्षेत्रों में प्रतिबद्धताएं व्यक्त की हैं:
  - **मजबूत रक्षा:** उन्होंने वैश्विक स्तर पर ऑनलाइन हमलों से ग्राहकों की रक्षा करने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की।
  - **किसी आपराधिक कृत्य में सहयोग नहीं:** वे सरकारों को निर्दोष नागरिकों और उद्यमों के विरुद्ध साइबर हमले करने में मदद नहीं करेंगी और अपने उत्पादों एवं सेवाओं से छेड़छाड़ या दुरूपयोग के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करेंगी।
  - **क्षमता निर्माण:** वे डेवलपर्स और उनकी तकनीक का उपयोग करने वाले लोगों एवं व्यवसायों को, अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए उनकी क्षमता में सुधार करने में सहायता प्रदान कर, सशक्त बनाने की दिशा में और अधिक कार्य करेंगी।
  - **सामूहिक कार्यवाही:** वे मौजूदा संबंधों को और आगे बढ़ाएंगी और साथ ही उद्योग, सिविल सोसाइटी एवं सुरक्षा शोधकर्ताओं के साथ नई औपचारिक और अनौपचारिक साझेदारी स्थापित करेंगी।

## 4.6. इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम

(Indian Ocean Naval Symposium)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम (IONS) और कॉन्क्लेव ऑफ़ चीफ्स का छठां संस्करण **तेहरान** में आयोजित किया गया था।

VISION IAS

**IONS के बारे में**

- IONS का पहला संस्करण 2008 में **भारत की पहल पर** आरम्भ हुआ और इसका लक्ष्य **क्षेत्रीय महत्त्व के प्रासंगिक समुद्री मुद्दों** पर चर्चा के लिए **एक खुला और समावेशी मंच** प्रदान करना है।
- यह एक **स्वैच्छिक पहल** है जो हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय राष्ट्रों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने की मांग करती है।
- इस प्रक्रिया में, यह नौसेना पेशेवरों के बीच सूचना प्रवाह बढ़ाने का प्रयास करता है जिसके परिणामस्वरूप आगे चलकर सामान्य समझ और संभवतः साझा समाधान प्राप्त हो सकेंगे।
- वर्तमान में 23 देश IONS के सदस्य हैं और 9 देशों को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।
- IONS की नौसेनाओं को भौगोलिक रूप से चार उप-क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है: दक्षिण एशियाई तटीय देश; पश्चिम एशियाई तटीय देश; पूर्वी अफ्रीकी तटीय देश; दक्षिण पूर्व एशियाई और ऑस्ट्रेलियाई तटीय देश।

## 4.7. सुरक्षा अभ्यास

(Security Exercises)

- **"पीस मिशन"** नामक सैन्य अभ्यास रूस के यूराल पर्वतों में शंघाई को-ऑपरेशन आर्गेनाइजेशन (SCO) द्वारा आयोजित किया जाएगा और चीन सहित लगभग सभी सदस्य इसमें भागीदारी करेंगे। भारत और पाकिस्तान पहली बार एक बहु-राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी अभ्यास में एक साथ भाग लेंगे।
- हाल ही में, **हरिमऊ शक्ति (Harimau shakti 2018)** नामक भारत-मलेशियाई संयुक्त रक्षा प्रशिक्षण अभ्यास मलेशिया में आयोजित किया गया।
- हाल ही में **सहयोग-हेयॉबिलीओग 2018 (SAHYOG-HYEOBLYEOG 2018)** नामक एक संयुक्त द्विपक्षीय भारत-कोरिया अभ्यास, बंगाल की खाड़ी में चेन्नई तट पर आयोजित किया गया।
- हाल ही में, दो दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास **'सागर कवच'** केरल, माहे तथा लक्षद्वीप और मिनिकॉय (L&M) द्वीपों के तट पर आयोजित किया गया था।

# 5. पर्यावरण

(ENVIRONMENT)

## 5.1 भारत में वनाग्नि और उसका प्रबंधन

(Forest Fires and their management in India)

**सुर्खियों में क्यों?**

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने वनाग्नि पर राष्ट्रीय नीति को अंतिम रूप देने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्देश दिया है।

**सम्बंधित तथ्य**

- ग्लोबल फारेस्ट वॉच के अनुसार, भारत में 2015 से 2017 के मध्य वनाग्नि में **125% की वृद्धि देखी** गयी है। 2017 में, **33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों** में से 23 में वनाग्नि में वृद्धि दर्ज की गयी है। मध्य प्रदेश (4,781) में वनाग्नि की घटना की अधिकतम संख्या पायी गयी। इसके पश्चात क्रमशः ओडिशा (4,416) और छत्तीसगढ़ (4,373) का स्थान है।
- **भारत राज्य वन रिपोर्ट (ISFR)** के अनुसार खुले वन (OF) में वनाग्नि की अधिकतम घटनायें होती है। इसके पश्चात मध्यम घने वनों में (MDF) वनाग्नि की घटनाएं पायी जाती है। भारत में लगभग 70% वनाग्नि की घटनाएँ उष्णकटिबंधीय शुष्क वनों में घटित होती है, जिसमें झाड़ियां, सवाना घास भूमि, शुष्क और आर्द्र-पर्णपाती वन सम्मिलित हैं।
- **अग्नि प्रवण क्षेत्र:** भारत के हिमालयी क्षेत्रों और शुष्क पर्णपाती वनों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र हैं और ये वनाग्नि से सर्वाधिक प्रभावित हैं।
- **स्टेट ऑफ़ इंडियाज़ एनवायरनमेंट रिपोर्ट** के अनुसार, 2017 में 13 राज्यों में वनाग्नि से निपटने के लिए बजट 14-72% कम कर दिया गया है।
- **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान** द्वारा तैयार **फारेस्ट फायर डिजास्टर मैनेजमेंट** नामक एक रिपोर्ट अनुसार, भारत में लगभग आधे वन आग के प्रति प्रवण क्षेत्र है। 43% आकस्मिक वनाग्नि वाले और 5% नियमित वनाग्नि वाले,और 1% उच्च अथवा अति उच्च जोखिम प्रवण क्षेत्र है

भारत में वनाग्नि प्रबंधन में व्यवस्थित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव है। इस प्रणाली में विद्यमान प्रमुख अंतराल निम्नलिखित हैं -

- **वनाग्नि से निपटने के लिए समुचित नीति और योजना का अभाव-** मौजूदा वन नीति और योजनाओं सहित अन्य दस्तावेजों में वनाग्नि प्रबंधन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देशों का अभाव है।
- **उचित संस्थागत तंत्र का अभाव-** सामान्यत: भारत में वनाग्नि प्रबंधन की देखभाल वन विभाग द्वारा की जाती है। वन विभाग के अंतर्गत ऐसा कोई भी संस्थागत तंत्र उपलब्ध नहीं है जिसके पास केवल वनाग्नि प्रबंधन की जिम्मेदारी हो, यहाँ तक की वनाग्नि प्रवण क्षेत्रों में भी ऐसा कोई तंत्र नहीं है।
- **केवल अनुक्रिया पर बल-** शमन, तैयारी, मानव संसाधन विकास, जागरूकता प्रसार आदि जैसे अन्य मुद्दों पर बहुत कम या नगण्य महत्व दिया जाता है।
- **वनाग्नि सम्बन्धी आँकड़े एकत्र करने और वनाग्नि प्रबंधन के लिए इन आँकड़ों के दस्तावेजीकरण करने हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव-** हाल ही में, भारतीय वन सर्वेक्षण ने वनाग्नि संबंधी आँकड़े संकलित करना आरम्भ किया है। हालांकि, राज्य स्तर पर अभी भी इन आँकड़ों को एकत्रित करने और इनका दस्तावेजीकरण करने के लिए तथा अनुसंधान एवं नियोजन में इनका प्रयोग करने हेतु कोई विशेष गंभीर प्रयास नहीं किया गया है।
- **अन्य मुद्दे-** स्थानीय समुदाय को सम्मिलित करने वाली पहलों की अपर्याप्तता, वित्तपोषण तथा समन्वय का अभाव तथा न्यूनतम सूचना साझाकरण आदि।

**वनाग्नि निगरानी में भारत के वन सर्वेक्षण की भूमिका**

- **फारेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम 2.0 के माध्यम से रियल टाइम वनाग्नि की चेतावनी** : यह नासा के **MODIS** (मॉडरेट रेजोलुशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर) और **VIIRS** (विज़िबल इन्फ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट) उपग्रहों और डाटा उपयोग का वनाग्नि की सीमा के स्थान को इंगित करने हेतु किया जाता है।
- **राज्य नोडल अधिकारी को पूर्व चेतावनी अलर्ट:** चेतावनी डेटा तैयार करने के लिए क्षेत्र में वन कवर, वन प्रकार, जलवायु संबंधी परिवर्तन (क्लाईमेट वेरिएबल्स) और हाल ही में आग की घटनाओं जैसे अल्पकालिक मौसम परिवर्तन का उपयोग करता है।
- **वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्र का आकलन:** वन और जैव-विविधता को हुई हानि के साथ-साथ बहाली की योजना बनाने के लिए वनाग्नि से प्रभावित वन क्षेत्र उपायों का आकलन करने के लिए किया जाता है।

**भारत में वनाग्नि प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम**

- **वनाग्नि प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना**
  - **संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ करना-** राज्य वन विभागों के संरचनात्मक ढांचे में उचित संशोधन और परिवर्तन तथा पर्याप्त मानव शक्ति प्रदान करके संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ करना।
  - **नेशनल फॉरेस्ट फायर डेंजर रेटिंग सिस्टम-** सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए वनाग्नि सम्बन्धी खतरों की रेटिंग और रिपोर्टिंग हेतु एक समान तंत्र तैयार करना।
  - **प्रभावी अग्निशमन उपकरण और मशीनरी-** आधुनिक और प्रभावी उपकरणों और मशीनरी के प्रावधान; उदाहरणस्वरुप- फायर बीटर्स (Fire Beaters), फॉरेस्ट फायर शोवेल (Forest Fire shovel), पुलास्की टूल्स (Pulaskis Tool) इत्यादि।
  - **राज्यों को वित्तीय सहायता-** सुनियोजित वनाग्नि प्रबंधन हेतु राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की कार्य योजना के अनुसार भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता/ऋण प्रदान करने हेतु प्रावधान।
  - **राष्ट्रीय वनाग्नि नियंत्रण बोर्ड की स्थापना-** हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट आदि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विनाशकारी वनाग्नि के नियंत्रण की निगरानी हेतु राष्ट्रीय वनाग्नि नियंत्रण बोर्ड की स्थापना।
  - **लोगों की सहभागिता में वृद्धि-** NGOs, स्वैच्छिक संगठनों, ग्राम वन समितियों (VFCs) आदि की भागीदारी के माध्यम से लोगों की सहभागिता में वृद्धि करना।
  - **अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों में शामिल हैं** - राष्ट्रीय वन्य कार्य योजना (NFAP) में वनाग्नि प्रबंधन को शामिल करना; रिपोर्टिंग, निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए समान प्रारूप तैयार करना; अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण; वनाग्नि प्रबंधन से निपटने हेतु नए अनुसंधान एवं विकास संस्थानों की स्थापना करना तथा मौजूदा अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को सशक्त करना; फॉरेस्ट फायर वर्किंग सर्किल पर एक अध्याय का समावेश आदि।
- **वनाग्नि नियंत्रण और प्रबंधन योजना (FFPMS)**
  - वन प्रबंधन योजना की गहनता संशोधित एवं दिसंबर 2017 में वनाग्नि नियंत्रण और प्रबंधन योजना के रूप में विस्थापित की गई।
  - यह एक **केंद्रीय प्रायोजित** योजना है। यह वनाग्नि के विपरीत प्रभावों के कारण बढ़ती समस्याओं के समाधान हेतु वन अग्नि नियंत्रण और प्रबंधन एवं संबंधित गतिविधियों के मुद्दे पर पूर्णतः केंद्रित है।
  - **वित्तपोषण पैटर्न:**
    - **सामान्य राज्यों के लिए**: केंद्र एवं राज्यों के मध्य 60:40 के अनुपात में
    - **पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए:** केंद्र एवं राज्यों के मध्य 90:10 के अनुपात में
    - **संघ शासित प्रदेशों के लिए**: केंद्र द्वारा 100% वित्तपोषण
  - **योजना का उद्देश्य**
    - **दीर्घकालिक उद्देश्य**:
      - वनाग्नि की घटनाओं को कम करने के लिए, वनाग्नि के प्रभाव और गतिशीलता पर ज्ञान विकसित करना और प्रभावित क्षेत्रों में वनो की उत्पादकता बहाल करने में सहायता करना
      - वन संरक्षण के लिए वन सीमांत समुदायों के साथ साझेदारी को संस्थागत बनाना
      - फायर डेंजर रेटिंग सिस्टम तैयार करने और वनाग्नि पूर्वानुमान प्रणाली तैयार करना।
      - वनाग्नि रोकथाम और प्रबंधन प्रणाली की योजना बनाने, विकास और संचालन में आधुनिक प्रौद्योगिकी (जैसे रिमोट सेंसिंग, GPS और GIS) के अनुकूलतम उपयोग के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करना।
      - पर्यावरण स्थिरता को बनाए रखने हेतु बड़े लक्ष्य में योगदान देना।
    - **अल्पकालिक उद्देश्य:**
      - वनाग्नि की रोकथाम के लिए प्रभावी जागरूकता अभियान चलाना।
      - परंपरागत प्रचलनों में सुधार और उपलब्ध आधुनिक तरीकों को नियोजित करके वनाग्नि को प्रभावी ढंग से रोकना और नियंत्रित करना।
      - वन क्षेत्रों में निर्धारित साधनों और विधियों की सहायता से वनाग्नि से निपटने हेतु फील्ड स्टाफ और वन सीमांत समुदायों को उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करना।
      - वनाग्नि की रोकथाम और नियंत्रण में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
      - वनाग्नि की प्रभावी रोकथाम और प्रबंधन के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के आवश्यक वानिकी बुनियादी ढांचे को विकसित और मजबूत करना।
  - **निगरानी और मूल्यांकन**
    - **राष्ट्रीय स्तर पर,** MoEFCCC इस योजना की समीक्षा करेगा और प्रत्येक 3 वर्षों के बाद तीसरे पक्ष द्वारा भी इसका मूल्यांकन किया जायेगा।
    - **राज्य स्तर पर:** राज्य वन विभाग नियमित निगरानी और योजना के तहत उपलब्धि की समीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

VISION IAS

## 5.2. जल-अभावग्रस्त शहर

(Water Scarce Cities)

**सुखियों में क्यों?**

हाल ही में, वर्ल्ड बैंक समूह द्वारा **"वॉटर स्कार्स सिटीज: थ्राइविंग इन ए फाइनाइट वर्ल्ड (Water Scarce Cities: Thriving in a Finite World)"** नामक रिपोर्ट जारी की गयी थी। वर्ल्ड बैंक समूह द्वारा वॉटर स्कार्स सिटीज (WSC) पहल के अंतर्गत अभिनव दृष्टिकोणों को संयोजित करने का प्रयास किया गया है।

**वॉटर स्कार्स सिटीज पहल-** विश्व बैंक की यह पहल जल अभाव की स्थिति में शहरी जल सुरक्षा के लिए **समग्र परिप्रेक्ष्य प्रदान** करती है। यह संपूर्ण विश्व की मानसिकता में परिवर्तन लाने, शहरी जल प्रबंधन को सरल एवं स्पष्ट बनाने तथा मजबूत समाधान विकसित करने के लिए जल अभाव ग्रस्त शहरों से जुड़ने की दिशा में कार्य कर रही है।

**जल अभाव की समस्या से संबंधित तथ्य**

वर्तमान परिदृश्य में पारंपरिक शहरी जल सम्बन्धी प्रथाओं को एकीकृत जल प्रबंधन मानसिकता में बदलने की आवश्यकता है। यह मानसिकता विश्वसनीय और सतत जल आपूर्ति को सुरक्षित रखने में सहायता कर सकती है। शहरी जल सुरक्षा के समक्ष विद्यमान विभिन्न खतरों में निम्नलिखित शामिल हैं-

- निरंतर बदलते और बढ़ते जनसंख्या पैटर्न के कारण **शहरी जल की मांग में तीव्र वृद्धि।**
- जल संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणवत्ता में **क्रमिक गिरावट और ह्रास।**
- तीव्र जलवायु परिवर्तन से संबंधित आघातों और दबावों के कारण अप्रत्याशित जटिलताएँ।
- **ऐतिहासिक जल प्रदाता** उभरती स्थानीय आवश्यकताओं के कारण अपनी **प्राथमिकताओं को परिवर्तित कर रहे हैं**। उदाहरण के लिए, जल बेसिन में प्रतिस्पर्द्धी उपयोगकर्ताओं के शक्ति संतुलन में परिवर्तन (बेसिन के जल का अपेक्षाकृत बड़ा भाग प्राप्त करने हेतु लॉबिंग जैसी विधियों का उपयोग)।

सफल अनुभव, प्रत्यास्थ शहरी जल अभाव प्रबंधन (Resilient Urban Water Scarcity Management) के **पांच प्रमुख सिद्धांतों** की ओर इंगित करते हैं-

- जल की प्रचुर मात्रा से तर्कसंगत मांग की संस्कृति में रूपांतरण।
- विविधतापूर्ण और गतिशील जल संसाधन पोर्टफोलियो के माध्यम से जोखिम के विरुद्ध प्रतिरक्षा।
- ऐसे संसाधनों पर निर्भरता जो जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद्य नहीं होते हैं (जैसे विलवणीकरण और अपशिष्ट जल के शोधन से जल की पुनर्प्राप्ति)।
- बाहरी प्रतिस्पर्द्धा से बचाव हेतु जल तंत्रों की रिंग फेंसिंग करना, अर्थात् इस तथ्य को मान्यता देना कि जल संसाधन शहर की सीमा के भीतर हो और शहर की सीमा के भीतर ही उनका उपयोग किया जाए।
- विलवणीकरण योजना के माध्यम से प्राप्त अतिरिक्त जल संग्रहण हेतु बांधों के नेटवर्क जैसे अनुकूलशील डिजाइन और प्रचालनों (Adaptive Design and Operations) के माध्यम से अनिश्चितता और परिवर्तनशीलता के साथ सामंजस्य स्थापित करना।

**उपर्युक्त सिद्धांतों को क्रियान्वित करने हेतु समाधान**

- **मांग प्रबंधन और अवसंरचनात्मक दक्षता-** जल की मांग को तर्कसंगत बनाने के दौरान दो संभावित समस्याओं को लक्षित करना चाहिए - अदक्ष जल नेटवर्क और अपव्ययितापूर्ण जल उपभोग।
- **जल प्रणाली की दक्षता में सुधार-** सफल क्रियान्वयन हेतु, ऐसे कार्यक्रमों को **तकनीकी और परिचालन सम्बन्धी ज्ञान की** आवश्यकता होती है कि किस प्रकार और कैसे सार्वजनिक सेवा प्रदान करने वाले निकायों के मध्य ज्ञान का आदान-प्रदान सहायक सिद्ध होता है।
- **जल संरक्षण को प्रोत्साहित** करने वाली गतिविधियाँ/क्रियाएं जो प्रायः अनिवार्य {उपभोग पर प्रतिबंध, जल का स्थायी या आवधिक (सीज़नल) मूल्य निर्धारण, सूखा अधिभार आदि} या स्वैच्छिक (प्रोत्साहन, शिक्षा और सार्वजनिक पहुंच प्रदान करना जो व्यवहारगत परिवर्तन लाने में सक्षम हैं) होती हैं।
- **परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर निर्माण करना -** अभिनव सतह और भूजल प्रबंधन को अपनाया जाना चाहिए जैसे कि:
    - **भूजल प्रबंधन को इष्टतम बनाना-** स्टॉक और प्रवाह के लिए एक स्पष्ट अर्बन वाटर मेटाबॉलिज़्म फ्रेमवर्क का विकास और परिणामतः स्वच्छ भूजल की प्राप्ति।
    - **वाटर बैंकिंग और आभासी स्थानान्तरण -** संपूर्ण वर्ष के अधिशेष जल को वाष्पीकरण की क्षति से बचाने हेतु स्थानीय रूप से किसी विशाल जलवाही स्तर (aquifer) में संगृहीत किया जा सकता है। आगामी वर्षों में, 'बंकर' द्वारा इससे जल की निकासी की जा सकती है और आवश्यकता पड़ने पर "उपभोक्ता" के जल संसाधनों की पूर्ति करने के लिए उसे स्थानांतरित किया जा सकता है।
    - अन्य उपायों में **भूजल के रिसाव (infiltration) को अधिकतम करने हेतु इन्फ्लेटबल रबड़ डैम (inflatable rubber dams)**, लवणता के अतिक्रमण से बचाव हेतु अवसंरचना मॉडल निर्माण आदि शामिल हैं।

- **गैर परंपरागत जल संसाधन** जैसे तूफान के जल का प्रबंधन (storm water Management), वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग और समुद्री जल का विलवणीकरण।
- **अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ सहयोग-** जल के निम्न मूल्य उपयोगों (low-value uses) से उच्चतर मूल्य उपयोगों (higher value uses) की ओर हस्तांतरण हेतु वार्ता और संबद्ध समझौतों को सम्पादित करने के लिए संस्थागत क्षमता की आवश्यकता होती है। स्थानीय सुशासन तथा जल, ऊर्जा एवं खाद्य नीतियों का मजबूत समन्वय जल प्रबंधन कार्यक्रमों की दक्षता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
- **अनुकूल डिजाइन और प्रचालन:** व्यवस्था नियोजन और निवेश के लिए आधारभूत जानकारी के रूप में शहर के जल बजट और संबंधित सुभेद्यता की विस्तृत सूची तैयार करना।

## 5.3. जलवायु अनुकूल कृषि के लिए महाराष्ट्र सरकार की परियोजना

**(Maharashtra Project For Climate Resilient Agriculture)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और विश्व बैंक द्वारा जलवायु अनुकूल कृषि हेतु महाराष्ट्र की परियोजना के लिए 420 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया।

**संबंधित जानकारी - जलवायु अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवोन्मेष (NICRA)**

यह 2011 में आरंभ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की एक नेटवर्क परियोजना है।

**उद्देश्य**

- उन्नत कृषि और जोखिम प्रबंधन प्रौद्योगिकियों के विकास एवं अनुप्रयोग के माध्यम से जलवायु संबंधी परिवर्तनशीलता व जलवायु परिवर्तन के प्रति भारतीय कृषि (जिसमें फसलें, पशुधन और मत्स्यपालन शामिल हैं) की अनुकूलता में वृद्धि करना।
- मौजूदा जलवायु जोखिमों के प्रति अनुकूलन हेतु किसानों के खेतों पर स्थल विशिष्ट(साईट स्पेसिफिक) प्रौद्योगिकी पैकेज का प्रदर्शन करना।
- जलवायु अनुकूल कृषि अनुसंधान एवं इसके अनुप्रयोग में वैज्ञानिकों और अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करना।
- इस परियोजना के चार घटक हैं- रणनीतिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, क्षमता निर्माण और प्रायोजित/प्रतिस्पर्द्धी अनुदान।

**परियोजना से संबंधित तथ्य**

- महाराष्ट्र के जलाभाव ग्रस्त विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों में जल संरक्षण संरचनाओं में सुधार किया जाएगा एवं **जलवायु स्मार्ट कृषि प्रथाओं** को अपनाया जाएगा।

**जलवायु स्मार्ट कृषि (CSA)**

- **संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा** CSA को उस कृषि के रूप में परिभाषित किया गया है जो "उत्पादकता में सतत वृद्धि करती है, अनुकूलन को बढ़ाती है, जहां संभव हो वहां ग्रीन हाउस गैसों को कम/समाप्त (शमन) करती है तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में वृद्धि करती है।"

**CSA के तीन स्तंभ**

- **उत्पादकता:** CSA का लक्ष्य कृषि उत्पादकता तथा फसलों, पशुधन और मत्स्यपालन से प्राप्त आय में वृद्धि एवं खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा को सतत फसल गहनता (सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन) के माध्यम से प्राप्त करना है।
- **अनुकूलन:**CSA का उद्देश्य किसानों की अल्पावधिक जोखिमों से सुरक्षा करना तथा नुकसान एवं दीर्घकालिक दबावों की स्थिति में विकास एवं अनुकूलन करने हेतु क्षमता निर्माण कर उनकी प्रत्यास्थता में वृद्धि करना है।
  - पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये उत्पादकता को बनाए रखने और जलवायु परिवर्तनों के प्रति अनुकूलन की हमारी क्षमता के लिए आवश्यक हैं।
- **शमन** :कृषि में निर्वनीकरण की रोकथाम करके CSA ग्रीन हाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम और/या समाप्त करने में सहायता करता है तथा मृदा एवं वृक्षों का इस प्रकार प्रबंधन करता है कि उनकी कार्बन सिंक के रूप में कार्य करने और वायुमंडल से $CO_2$ को अवशोषित करने की क्षमता को अधिकतम किया जा सके।

## 5.4. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2018

**(Plastic Waste Management (Amendment) Rules, 2018)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को संशोधित किया गया।

VISION IAS

**प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के बारे में**

- **इसके तहत प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई 50 माइक्रोन निश्चित की गई है।** इससे कैरी बैग की कीमत में वृद्धि होगी तथा मुफ्त कैरी बैग देने की प्रवृति में कमी आएगी।
- **स्थानीय निकायों का उत्तरदायित्व:** ग्रामीण क्षेत्रों को नियमों के अंतर्गत लाया गया है।
- **विस्तृत उत्पादक उत्तरदायित्व:** निर्माता एवं ब्रांड मालिक अपने उत्पादों से उत्पन्न अपशिष्ट के एकत्रण हेतु उत्तरदायी हैं।
- **रिकॉर्ड रखना:** उत्पादकों को अपने उन विक्रेताओं का रिकॉर्ड रखना होता है जिन्हें वे कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं।
- **अपशिष्ट उत्पादक का उत्तरदायित्व:** प्लास्टिक कचरे के सभी संस्थागत उत्पादक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार अपशिष्ट को पृथक एवं संग्रहित करेंगे और इसे अधिकृत अपशिष्ट निपटान प्रतिष्ठानों (facility) को सौंपेंगे।
- **स्ट्रीट वेंडर एवं खुदरा विक्रेताओं का उत्तरदायित्व:** वे उपभोक्ता को उन कैरी बैग या प्लास्टिक शीट अथवा बहु-परतदार पैकेजिंग में वस्तुओं का विक्रय नहीं करेंगे, जो विनिर्मित एवं लेबल युक्त अथवा चिह्नांकित नहीं किये गये हो।
- **सड़क निर्माण:** स्थानीय निकायों द्वारा सड़क निर्माण हेतु प्लास्टिक अपशिष्ट (वरीयता के साथ ऐसे प्लास्टिक अपशिष्ट जिसका कभी पुनर्चक्रीयकरण नहीं किया जा सकता) के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।

**नए नियमों से संबंधित प्रमुख तथ्य :**

- **नई केन्द्रीय पंजीकरण व्यवस्था:** इसकी स्थापना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board: CPCB) द्वारा निर्माता/आयातक/ब्रांड मालिक के पंजीकरण हेतु किया जाएगा ।
- **स्वचालित (Automated)-** यह सुविधा प्रदान करता है कि पंजीकरण के लिए कोई भी तंत्र स्वचालित होना चाहिए और उत्पादकों, पुनर्चक्रणकर्ताओं और निर्माताओं के लिए यह सरल होना चाहिए।
- **मूल्य निर्धारण तंत्र-** प्लास्टिक बैग प्रदान करने के इच्छुक विक्रेताओं/दुकानदारों द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क प्रदान करने के नियम को हटा दिया गया है।
- **गैर-पुनर्चक्रियकरण बहु-परतदार प्लास्टिक-** 2016 के नियमों में कहा गया है कि गैर-पुनर्चक्रीकरण बहु-परतदार प्लास्टिक के निर्माण तथा उपयोग को दो वर्षों के भीतर समाप्त किया जाना चाहिए। 2018 के नियमों में गैर-पुनर्चक्रीकरण बहु-परतदार प्लास्टिक को बहु-परतदार प्लास्टिक से विस्थापित कर दिया गया है जो कि गैर-पुनर्नवीनीकरण योग्य, गैर-ऊर्जा पुनःप्राप्ति योग्य है अथवा इसका कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं है।

## 5.5. 8वीं क्षेत्रीय 3R फोरम

**(Eighth Regional 3R Forum)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय 3R फोरम की 8वीं बैठक का आयोजन किया गया।

**संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय विकास केंद्र (यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर रीजनल डेवलपमेंट: UNCRD)**

संयुक्त राष्ट्र और जापान सरकार के मध्य समझौते के आधार पर 1971 में स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य 'सभी के लिए संधारणीय जीवन योग्य पर्यावरण- प्रकृति के अनुरूप सुरक्षित, संरक्षित, न्यायसंगत और समावेशी विकास' प्राप्त करना है।

**मिशन जीरो वेस्ट - स्वच्छ भारत मिशन**

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत, सरकार द्वारा मिशन जीरो वेस्ट को प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य देश में सृजित ठोस अपशिष्ट का रिड्यूस, रियूज और रीसाइकल (3R) की अवधारणा पर बल देते हुए उचित प्रबंधन करना है।

मिशन जीरो वेस्ट भारत सरकार के **स्वच्छ भारत मिशन** के रचनात्मकता, नवाचार, ग्रीन बिज़नेस, पर्यावरण शिक्षा को प्रोत्साहित करता है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- **संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय विकास केंद्र (यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर रीजनल डेवलपमेंट: UNCRD) 2009 से जापान सरकार के समर्थन के साथ** अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय 3R फोरम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य उद्योग, सेवा और कृषि क्षेत्र में रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल की अवधारणा को प्रोत्साहित करना है।
- चौथे क्षेत्रीय 3R फोरम के तहत **हनोई 3R घोषणा-** 2013-2023 हेतु एशिया और प्रशांत के लिए सतत 3R लक्ष्यों को अपनाया।
- यह एक **कानूनी रूप से गैर-बाध्यकारी और स्वैच्छिक प्रलेख** है। इसका उद्देश्य एशिया-प्रशांत देशों को विशिष्ट प्रगति की निगरानी हेतु 3R संकेतकों के समूह सहित 3Rs को बढ़ावा देने के उपायों और कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करना है।
- 8वीं क्षेत्रीय फोरम का आयोजन भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, जापान सरकार के पर्यावरण मंत्रालय तथा *यूनाइटेड नेशन्स सेंटर फॉर रीजनल डेवलपमेंट* (UNCRD) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।

VISION IAS

- इंदौर नगर निगम, मध्य प्रदेश सरकार और भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) को क्रमशः सिटी पार्टनर, आयोजन संबंधी राज्य भागीदार और उद्योग भागीदार के रूप में नामित किया गया था।
- इसकी थीम '3R और संसाधन क्षमता के जरिये स्वच्छ जल, स्वच्छ भूमि और स्वच्छ वायु हासिल करना- एशिया-प्रशांत समुदाय के लिए 21वीं सदी की दृष्टि (अचीविंग क्लीन वॉटर, क्लीन लैंड एंड क्लीन एयर थ्रू 3R एंड रिसोर्स एफिशिएंसी - ए 21st सेंचुरी विज़न फॉर एशिया-पैसिफिक कम्युनिटीज)' थी।
- फोरम की **इस बैठक के दौरान शहरों में स्वच्छ भूमि, स्वच्छ जल और स्वच्छ वायु सुनिश्चित करने के लिए इंदौर 3R घोषणा को अपनाया गया।**
- इस मंच के माध्यम से भारत ने अपने **'मिशन जीरो वेस्ट'** दृष्टिकोण को और अधिक सुदृढ़ता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे शहरों, उद्योगों और अन्य हितधारकों को अपशिष्ट को संसाधनों के रूप में को देखने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।

## 5.6. ग्लोबल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन:ए रोडमैप टू 2050

**(Global Energy Transformation: A Roadmap To 2050)**

### सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, *इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी* (International Renewable Energy Agency: IRENA) ने अपना दीर्घकालिक नवीकरणीय ऊर्जा दृष्टिकोण ग्लोबल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन: ए रोडमैप टू 2050' लॉन्च किया।

**इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी (IRENA)**

- यह एक अंतर सरकारी संगठन है। यह स्थायी ऊर्जा भविष्य में रूपांतरण हेतु देशों को आवश्यक सहायता प्रदान करता है।
- **यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रमुख मंच** तथा अक्षय ऊर्जा पर नीति, प्रौद्योगिकी, संसाधन और वित्तीय ज्ञान के स्रोत के रूप में कार्य करता है।
- यह संयुक्त राष्ट्र का स्थायी पर्यवेक्षक है।
- **भारत, IRENA का संस्थापक सदस्य है।**
- इसमें दो मुख्य शासी संरचनाएं हैं।
  - IRENA असेंबली वृहत स्तर पर निर्णय लेती है और IRENA को नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करती है।
  - IRENA काउंसिल, जो असेंबली के विभिन्न निर्णयों को लागू करने के लिए उत्तरदायी एजेंसी का मुख्य शासी निकाय है।

### पृष्ठभूमि

- **पेरिस जलवायु समझौता 2015 का लक्ष्य,** वर्ष 2100 तक पूर्व- औद्योगिक स्तर की तुलना में औसत वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से नीचे सीमित करना है।
- वर्तमान में, उत्सर्जन के रुझान इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु दिशा में नहीं हैं क्योंकि विश्व अपनी ऊर्जा से संबंधित "कार्बन बजट" (CO2) को 20 वर्षों के भीतर ही समाप्त कर देगा। ध्यातव्य है कि कार्बन बजट का अर्थ कार्बन उत्सर्जन की वह सीमा है जो औसत वैश्विक तापमान वृद्धि को, पूर्व-औद्योगिक स्तरों से, 2°C से नीचे बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

### रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- **पेरिस सम्मलेन की व्यवहार्य प्रतिबद्धताएं:** वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से नीचे रखना तकनीकी रूप से व्यवहार्य/संभव है। हालांकि, वैश्विक ऊर्जा प्रणाली को वृहद रूप से जीवाश्म ईंधन पर आधारित प्रणाली से दक्षता में वृद्धि करने वाली एवं नवीकरणीय ऊर्जा तंत्र पर आधारित प्रणाली में परिवर्तन के लिए व्यापक स्तर के परिवर्तनों से गुजरने की आवश्यकता है। ये प्रणालियाँ सुरक्षित, विश्वसनीय, किफायती और व्यापक रूप से उपलब्ध प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके, ऊर्जा-संबंधित CO2 उत्सर्जन न्यूनीकरण में 90% से अधिक योगदान कर सकती हैं।
- पेरिस समझौते में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु विश्व के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को कम से कम छह गुनी तीव्रता से बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।
- **बहुआयामी प्रभाव:** यह परिवर्तन न केवल जलवायु उद्देश्यों का समर्थन करेगा, बल्कि यह संपूर्ण विश्व में सकारात्मक सामाजिक और आर्थिक परिणामों का भी समर्थन करेगा। इसके परिणामस्वरूप लाखों लोग ऊर्जा अभाव की दशा से से बाहर निकलेंगे और ऊर्जा स्वतंत्रता तथा स्थायी रोज़गार में वृद्धि होगी (यह जीवाश्म ईंधन उद्योग में हुई रोज़गार क्षति को समायोजित करेगा)।
- **भारत के बारे में:** भारत 2022 तक 175 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। 2015 में, भारत में अंतिम रूप से उपयोग की गयी ऊर्जा में 36% भाग नवीकरणीय ऊर्जा का था। भारत इस सन्दर्भ में G-20 के शीर्ष देशों में से एक था। 2050 तक भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 73% हो जाएगी।

**आगे की राह**

रिपोर्ट छह मुख्य क्षेत्रों को चिन्हित करती है, जिसके लिए नीति और निर्णय निर्माताओं को कार्य करने की आवश्यकता है:

- **ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा के मध्य व्याप्त अंत:क्रियाओं का लाभ उठाना या दोहन करना।**
- **एक ऐसे विद्युत् क्षेत्र की योजना बनाना, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा की उच्च हिस्सेदारी हो** - यह विद्युत् क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, जहां वृहद स्तर पर सौर एवं पवन उत्पादन के लागत प्रभावी एकीकरण के लिए समयानुकूल आधारभूत संरचना परिनियोजन और क्षेत्रीय विनियमों का पुनर्गठन आवश्यक है।
- **परिवहन, भवन और उद्योग में विद्युत् उपयोग में वृद्धि** - विनियमन, योजनाओं और नीतियों को एकीकृत किया जाना चाहिए, विशेष रूप से विद्युतीकरण के माध्यम से परिवहन और तापीय क्षेत्रों के गहन और लागत प्रभावी विकार्बनीकरण (डीकार्बोनाइजेशन) को सक्षम बनाना।
- **प्रणालीगत नवाचार को प्रोत्साहन** - नवाचार के प्रयासों में प्रदर्शन, परिनियोजन और व्यावसायीकरण सहित प्रौद्योगिकी के पूर्ण जीवन चक्र को सम्मिलित करना चाहिए और इसमें संचालित ऊर्जा तंत्रों एवं बाजारों नए दृष्टिकोणों के साथ ही नए व्यावसायिक मॉडलों को भी शामिल करना चाहिए।
- पारगमन के साथ सामाजिक-आर्थिक संरचनाओं और निवेश का संरेखण- ऊर्जा पारगमन को व्यवहार्य बनाने हेतु कम समयावधि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन लागत और सामाजिक-आर्थिक व्यवधान को कम करना।
- **यह सुनिश्चित करना कि पारगमन लागतें और लाभ निष्पक्ष रूप से वितरित किए गये हैं।**

## 5.7. ग्लोबल कमीशन ऑन द जियोपोलिटिक्स ऑफ़ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन

(Global Commission On The Geopolitics Of Energy Transformation)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (International Renewable Energy Agency: IRENA) ने ग्लोबल कमीशन ऑन दी जियोपोलिटिक्स ऑफ़ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का शुभारम्भ किया।

**ग्लोबल कमीशन ऑन दी जियोपोलिटिक्स ऑफ़ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के संबंध में**

- यह वृहद पैमाने पर **नवीकरणीय ऊर्जा में बदलाव** के भू-राजनीतिक **प्रभावों** की बेहतर समझ प्राप्त करने हेतु कार्य करेगा।
- यह विश्लेषण करेगा कि नवीकरणीय ऊर्जा के उच्च योगदान और ऊर्जा दक्षता में वृद्धि **देशों के मध्य संबंधों को कैसे प्रभावित करेंगे** और इस प्रकार यह वैश्विक ऊर्जा पर कूटनीति को पुनः आकार प्रदान करेगा।
- यह सुझाव देगा कि देश पेरिस जलवायु समझौते के उद्देश्यों और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ-साथ **नई ऊर्जा अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा दे सकते** हैं।

## 5.8. इंटरनेशनल एनर्जी फ़ोरम

(International Energy Forum: IEF)

**सुर्ख़ियों में क्यों ?**

हाल ही में, इंटरनेशनल एनर्जी फ़ोरम (IEF) की 16वीं मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की गयी तथा चीन और दक्षिण कोरिया इसके सह-मेजबान थे।

**इंटरनेशनल एनर्जी फ़ोरम (IEF)**

- IEF, **1991 में स्थापित एक अंतर्सरकारी** मंच है। इसका मुख्यालय रियाद,सऊदी अरब में अवस्थित है।
- यह अपने सदस्य देशों के मध्य अनौपचारिक, खुली, सूचित और निरंतर वैश्विक ऊर्जा वार्ता के **निष्पक्ष सहायक** के रूप में कार्य करता है।
- इसमें छह महाद्वीपों के **72 सदस्य देश** सम्मिलित हैं। यह तेल एवं गैस की कुल वैश्विक आपूर्ति और मांग के लगभग 90% के लिए जिम्मेदार है।
- IEF में न केवल इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) और तेल निर्यातक देशों के संगठन (OPEC) के उत्पादक और उपभोक्ता राष्ट्र शामिल हैं, अपितु इनके सदस्यों के अतिरिक्त अन्य ट्रांजिट देश और प्रमुख अभिकर्ता, जैसे- अर्जेंटीना, चीन, भारत, मेक्सिको, रूस और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हैं।
- तेल और गैस के शीर्ष 11 सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक होने के कारण भारत (भारत का वर्तमान में चौथा स्थान है) इसके कार्यकारी बोर्ड का एक स्थायी सदस्य रहा है।
- इससे पूर्व, भारत द्वारा 1996 में 5वें IEF मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी गोवा में की गई थी।
- इस फोरम का **द्विवार्षिक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन** ऊर्जा मंत्रियों का विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन है।
- IEF 16 का थीम **"फ्यूचर ऑफ़ ग्लोबल एनर्जी सिक्यूरिटी: ट्रांजिशन, टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट"** था।

VISION IAS

## 5.9. ग्रीनको रेटिंग

(Greenco Rating)

**सुर्खियों में क्यों?**

हाल ही में, भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के साथ साझेदारी में रेल मंत्रालय ने रेलवे की उत्पादन इकाइयों, कार्यशालाओं और अन्य इकाइयों में ग्रीनको रेटिंग प्रणाली आरंभ की है।

ग्रीनको रेटिंग के बारे में

- ग्रीनको रेटिंग प्रणाली कंपनियों के हरित प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए विश्व में **अपने तरह की पहली रेटिंग प्रणाली है।**
- यह विनिर्माण सुविधाओं और सेवा क्षेत्र इकाइयों दोनों पर लागू है।
- रेटिंग इकाई या सुविधा स्तर (3 साल की न्यूनतम अवधि से संचालित) पर लागू की जाती है। नए संयंत्रो/सुविधाओं के मामले में कम से कम 2 वर्ष का संचालन आवश्यक होता है।
- इसमें चार स्तरों की रेटिंग (बॉक्स देखें) और समग्र रूप से 1000 अंकों वाले दस प्रदर्शन मापदंड (प्रत्येक मापदंड का एक निश्चित भारांश) शामिल हैं;

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| उर्जा दक्षता (150) | जल संरक्षण (100) | अक्षय उर्जा (100) | GHG शमन (100) | अवशिष्ट प्रबंधन (100) |
| पदार्थ संरक्षण,पुनर्चक्रण और पुनर्चक्रीयता (recyclability) (100) | हरित आपूर्ति श्रृंखला (100) | उत्पाद प्रबंधन (75) | पदार्थ संरक्षण,पुनर्चक्रण और पुनर्चक्रण योग्य (100) | जीवन चक्र मुल्यांकन (75) |

**ग्रीनको रेटिंग के लाभ**

- यह विभिन्न ऊर्जा, पर्यावरण और संसाधन संबंधी संरक्षण लाभ प्रदान करती है।
- विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्द्धात्मकता का निर्माण करती है और लागत में कमी के नए अवसर प्रदान करती है।
- कॉर्पोरेट की पर्यावरण मित्र छवि (Green image) को बढ़ाती है।
- नवीनतम सतत अवधारणाओं और वैश्विक सर्वोत्तम प्रचलनों को लागू करने में सहायता करती है।
- कंपनियों को सख्त पर्यावरणीय आवश्यकताओं/विनियमों की पूर्ति हेतु भविष्य के लिए तैयार करती है।
- हितधारकों के मध्य विश्वसनीयता को बढ़ाती है और पारदर्शिता का निर्माण करती है।
- अंतर्संबंधित कार्यात्मक समूह की भागीदारी के साथ व्यापक क्षमता निर्माण करती है।
- समकक्षों और प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कंपनी की स्थिति को समझने में सहायता करती है।
- हरित प्रदर्शन की निगरानी हेतु शीर्ष प्रबंधन के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण है।
- पारिस्थितिक रूप से सतत व्यावसायिक विकास के लिए सुदृढ़ दीर्घकालिक रोडमैप का निर्माण करती है।
- नवाचार अभियान

## 5.10. सोलर जियो-इंजीनियरिंग

(Solar Geo-Engineering)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

विकासशील राष्ट्र जलवायु परिवर्तन को रोकने हेतु मानव निर्मित सन-शेड के माध्यम से डिंमिंग सनलाइट में अनुसंधान को बढ़ावा देने की योजना बना रहे हैं।

**सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट गवर्नेन्स इनिशिएटिव (Solar Radiation Management Governance Initiative: SRMGI)**

- यह गैर-सरकारी संगठन द्वारा संचालित एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना है। विकासशील देशों में SRM क्लाइमेट इंजीनियरिंग रिसर्च गवर्नेन्स पर विचार-विमर्श का प्रसार करने हेतु इस परियोजना का डस्टिन मॉस्कोविट्ज़ (फेसबुक के सह-संस्थापक) द्वारा वित्तीयन किया गया है।
- द रॉयल सोसाइटी, द एकेडमी ऑफ़ साइंसेज फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड और एनवायरमेंटल डिफेन्स फण्ड (EDF) इसकी सहयोगी संस्थाएं हैं।

**सोलर जियो-इंजीनियरिंग/ सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट (SRM) क्या है?**

- यह एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से ग्रीन हाउस गैसों से प्रेरित जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम (ऑफ़सेट) करने के प्रयास में पृथ्वी के वायुमंडल या सतह की परावर्तिता (एल्बिडो) को बढ़ाया जाता है।
- यह तकनीक बड़े ज्वालामुखी विस्फोट के समान है, जो राख या अन्य इसी प्रकार की वस्तुओं के आवरण से सूर्य को ढक कर पृथ्वी को ठंडा रख सकती है।
- इसकी विधियों में सम्मिलित हैं:
    - **अंतरिक्ष-आधारित विकल्प/ अंतरिक्ष सनशेड,** उदाहरण के लिए- अंतरिक्ष में दर्पण का उपयोग करके, लेगरेंजे प्वाइंट-1, स्पेस पैरासोल आदि में विशाल उपग्रहों को स्थापित करना।
    - **स्ट्रेटोस्फीयर-आधारित विकल्प,** जैसे- समताप मंडल (स्ट्रेटोस्फीयर) में सल्फेट एयरोसोल का अंतः क्षेपण करना।
    - **क्लाउड-आधारित विकल्प/ क्लाउड सीडिंग,** उदाहरण के लिए मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग (वायु में समुद्री जल का स्प्रे करके), विरोधी स्वभाव वाले हिम नाभिकों की सहायता से उच्च पक्षाभस्तरीय (cirrus) मेघों का निर्माण करना।
    - **सतह-आधारित विकल्प**, उदाहरण के लिए सफ़ेदीयुक्त छत, अधिक परावर्तक फसलों (reflective crops) आदि की वृद्धि करना।

**SRM के संभावित प्रभाव**

- यह वैश्विक तापमान में वृद्धि को रोक सकता है परन्तु ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को प्रत्यक्ष रूप से कम नहीं करेगा।
- स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल्स, ओजोन परत के पुनर्निर्माण में विलंब कर सकते हैं। इससे एशियाई और अफ्रीकी मानसून में वर्षा में कमी भी आ सकती है, जिसके परिणामस्वरूप खाद्य आपूर्ति तथा गंगा एवं अमेज़न आदि जैसी नदियों का प्रवाह प्रभावित हो सकता है।
- रेडिएटिव फोर्सिंग में स्थानीय असंतुलन से अभी भी क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन हो सकता है।
- वर्षण और हाइड्रोलोजिक साइकिल (जलवैज्ञानिक चक्र) पर SRM के प्रभाव की बेहतर ढंग से समझ विकसित नहीं हो पाई है।
- विधियों का परीक्षण करने के लिए कोई विनियामक ढांचा या अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय विद्यमान नहीं है।
- SRM का विचार GHGs को कम करने या पर्यावरण के प्रति अनुकूलन से सम्बन्धी वार्ताओं को गति प्रदान कर सकता है।

**आगे की राह**

विधि की भौतिक क्षमता एवं तकनीकी व्यवहार्यता तथा इसके पर्यावरणीय और राजनीतिक परिणामों को उचित ढंग से समझा जाना चाहिए। इसे एक एकीकृत शोध प्रयास के रूप में आगे बढ़ाया जाना चाहिए जिसमें SRM से संबंधित भौतिक, पारिस्थितिक, तकनीकी, सामाजिक और नैतिक मुद्दों पर विचार किया जाए।

## 5.11.UNCCD की एशिया पैसिफिक रीजनल वर्कशॉप

**(Asia Pacific Regional Workshop of UNCCD)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, **पर्यावरण मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा** *यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेज़र्टिफिकेशन* (UNCCD) की एशिया पैसिफिक रीजनल वर्कशॉप का आयोजन किया गया।

**अन्य सम्बंधित तथ्य**

- यह मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे (DLDD) की समस्या को हल करने के लिए एक बहु-विषयक ज्ञान साझाकरण **(मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज शेयरिंग)** मंच प्रदान करती है। यह 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता (LDN) प्राप्त करने के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र से सभी प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाती है।

**यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेज़र्टिफिकेशन (UNCCD)**

- इसे 1994 में स्वीकृत तथा 1996 में लागू किया गया। यह कानूनी रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर **एकमात्र बाध्यकारी ढांचा** है जिसे मरुस्थलीकरण की समस्या का समाधान करने के लिए स्थापित किया गया है।
- यह कन्वेंशन विशेष रूप से **शुष्क, अर्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों** से संबंधित समस्या का समाधान करता है। इन क्षेत्रों को शुष्क भूमि कहा जाता है।

- **UNCCD (2008-2018) की 10 वर्षीय रणनीति:** इसे 2007 में गरीबी में कमी करने तथा पर्यावरणीय धारणीयता हेतु प्रभावित क्षेत्रों में सूखे के प्रभावों को कम करने, मरुस्थलीकरण/भू क्षरण को व्युत्क्रमित (रिवर्स) करने और रोकने तथा वैश्विक भागीदारी का निर्माण करने के लिए अपनाया गया था।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 2010 से 2020 तक की समयावधि को **यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर डेजर्ट एंड द फाइट अगेंस्ट डेज़र्टिफिकेशन के रूप में घोषित किया है।**

- प्रतिभागियों को कंज़र्वेशन इंटरनेशनल (NGO) द्वारा विकसित **'Trends.Earth'** नामक एक निगरानी उपकरण के उपयोग में प्रशिक्षित किया गया था।
- भारत ने TERI द्वारा आयोजित **स्टडी ऑफ इकोनोमिक्स ऑफ डेज़र्टिफिकेशन, लैंड डेग्रडेशन एंड ड्रॉट (EDLDD)** पर एक रिपोर्ट भी जारी की है।

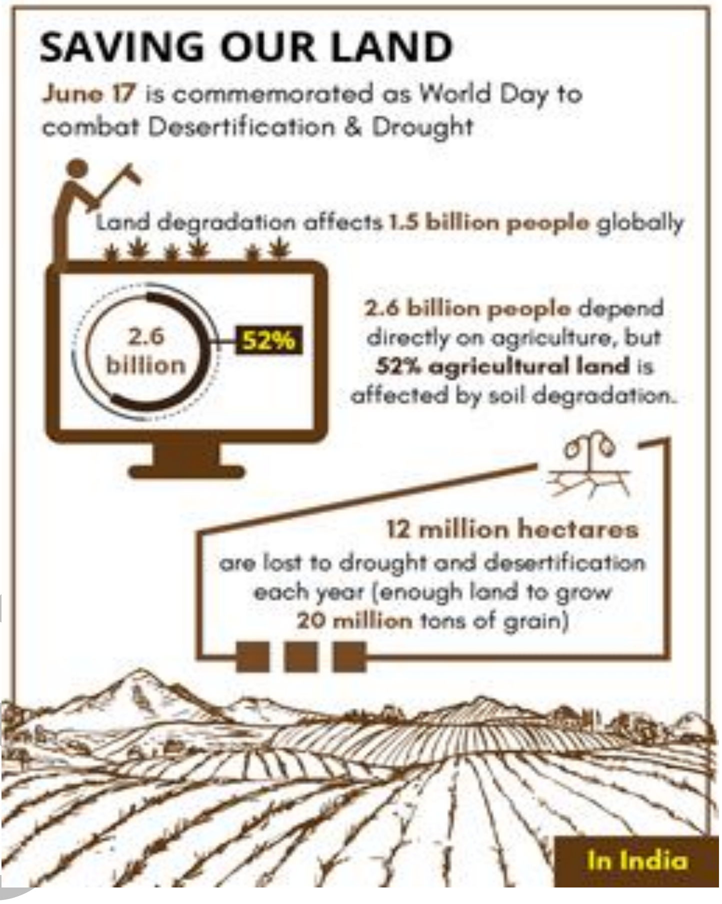


### भूमि क्षरण तटस्थता (Land Degradation Neutrality : LDN) क्या है?

- UNCCD, LDN को एक अवस्था के रूप में परिभाषित करता है जिससे **भूमि संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता (जो पारिस्थितिक तंत्र की कार्यप्रणाली का समर्थन करने एवं खाद्य सुरक्षा में वृद्धि के लिए आवश्यक है)** निर्दिष्ट अस्थायी और स्थानिक पैमाने तथा पारिस्थितिक तंत्र के भीतर स्थिर या बढ़ती रहती है।
- यह एक विशिष्ट दृष्टिकोण है जो **निम्नीकृत क्षेत्रों में सुधार** के साथ उत्पादक भूमि की अपेक्षित हानि को संतुलित करता है।

### LDN प्राप्ति हेतु उठाए गए कदम

- 2015 में अपनाए गए **सतत विकास लक्ष्यों** में से एक लक्ष्य 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करना है।
- UNCCD राष्ट्रीय भू क्षरण तटस्थता (LDN) लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया में इच्छुक देशों का समर्थन कर रहा है, जिसमें **LDN लक्ष्य निर्धारण कार्यक्रम (TSP)** के माध्यम से 2030 तक LDN प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय आधार रेखा की परिभाषा, लक्ष्य और संबंधित उपाय भी शामिल है।
- UNCCD द्वारा समर्थित और मिरोवा (एक निजी निवेश प्रबंधन फर्म) द्वारा प्रबंधित एक **LDN फंड** भी मौजूद है, जिसे स्थायी भूमि, सतत पशुधन प्रबंधन, कृषि-वानिकी संधारण वानिकी सहित सम्पूर्ण विश्व में भूमि पुनर्वास और टिकाऊ भूमि प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, आधारभूत संरचना विकास और इको टूरिज्म पर बैंक-ग्राह्य (बैंक द्वारा स्वीकृत) परियोजनाओं में निवेश करने के लिए बनाया गया है।
- UNCCD ने **ग्लोबल लैंड आउटलुक** को मानव कल्याण के लिए भूमि की गुणवत्ता के केंद्रीय महत्व को प्रदर्शित करने, भूमि रूपांतरण, गिरावट एवं हानि में मौजूदा रुझानों का आकलन करने, प्रेरक कारकों की पहचान और प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए जारी किया है।
- भू क्षरण और मरुस्थलीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए 2011 में पक्षकारों के UNCCD सम्मेलन (COP) 10 में **लैंड फॉर लाइफ प्रोग्राम** आरंभ किया गया था।
- भारत में, 2001 में मरुस्थलीकरण का सामना करने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (NAP) को 20 वर्षों के लिए आरंभ किया गया था।
- एकीकृत जल संसाधन विकास कार्यक्रम, प्रति बूंद अधिक फसल, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रीन मिशन आदि जैसी योजनाओं में DLDD से निपटने हेतु आवश्यक घटक पहले से ही मौजूद हैं।
- ISRO और 19 अन्य भागीदारों के द्वारा GIS परिवेश में भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा का उपयोग कर संपूर्ण देश के डिज़र्टिफिकेशन एंड लैंड डीग्रेडेशन एटलस (2016) को तैयार किया गया था।

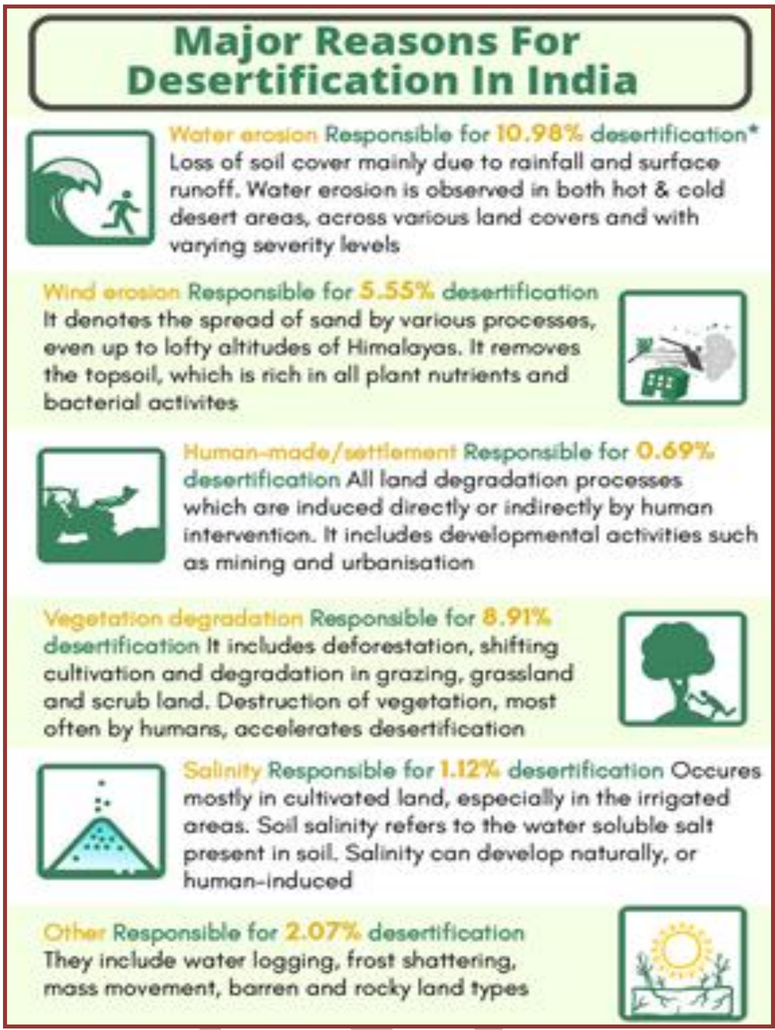


## 5.12.बायोमास प्रबंधन पर टास्क फोर्स

### (Task Force on Biomass Management)

**सुर्खियों में क्यों ?**

हाल ही में, नीति आयोग ने बायोमास प्रबंधन पर 'क्लीनर एयर बेटर लाइफ '(Cleaner Air Better Life) पहल के अंतर्गत गठित टास्क फोर्स की एक रिपोर्ट जारी की है।

**पृष्ठभूमि**

- भारत के उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से धान-गेहूं की उपज के लिए खेत जलाने (फार्म बर्निंग) को वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत माना गया है। यह न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में वायु-गुणवत्ता को प्रभावित करता है बल्कि इसके फलस्वरूप दिल्ली-NCR में अक्टूबर और नवंबर के दौरान वायु प्रदूषण में अप्रत्याशित वृद्धि होती है।
- अन्य फसल अवशेषों के विपरीत, धान के पुआल का उपयोग क्षेत्र के बाहर बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है। यह मुख्य रूप से अन्य फसल-अवशेषों तथा उच्च सिलिका सामग्री की तुलना में कम कैलोरी-मान के कारण होता है, जो इसके सीमित अनुप्रयोगों का कारण है।
    - अवशेषों के पारंपरिक उपयोगों जैसे कि छप्पर (roof thatch) में इसके प्रयोग से बाहर होने, मशीनीकृत कृषि का प्रसार और किसानों के लिए धान की कटाई एवं गेहूं बुआई के बीच संक्रमण हेतु लघु अवधि के कारण यह स्थिति और अधिक गंभीर हो गयी है।
- भारत में अनुमानित 600 मिलियन टन अतिरिक्त कृषि बायोमास की संभावना है और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में लगभग 39 मिलियन टन धान की पुआल का दहन कर दिया जाता है।
- यह रिपोर्ट कृषि अपशिष्ट दहन संबंधी समस्या के समाधानों को चिन्हित करती है। दीर्घकाल में, अनुशंसित कार्रवाई, फसल अवशेषों के प्रयोग करने हेतु इन-सीटू और एक्स-सीटू विकल्पों को अपनाने के माध्यम से किसान समुदाय में व्यवहारिक परिवर्तन को प्रेरित करेगी।

**CII-नीति आयोग की 'क्लीनर एयर बेटर लाइफ ' पहल**

- यह दिल्ली-NCR की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए एक पहल है।
- उद्देश्य: वायु प्रदूषण के चिन्हित स्रोतों के समाधानों के एक समूह का निर्माण करने के लिए सभी प्रासंगिक हितधारकों को एक साथ लाना।

**बायोमास**

- भारत में बायोमास से 18 GW ऊर्जा उत्पादन की क्षमता विद्यमान है।
- बायोमास ऊर्जा लकड़ी के ईंधन (चारकोल, लकड़ी, अपशिष्ट लकड़ी सहित), फसल अवशेष (जैसे खोई, चावल भूसी और फसल के डंठल) और गोबर (बायोगैस सहित) आदि से निर्मित होती है।
- देश में **कुल प्राथमिक ऊर्जा** उपयोग का लगभग **32%** अभी भी बायोमास से प्राप्त किया जाता है और **देश की 70% से अधिक आबादी** अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए इस पर **निर्भर** है।
- **बायोमास पर आधारित अर्थव्यवस्था:** बायोमास पावर इंडस्ट्री **प्रत्येक वर्ष 600 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश** को आकर्षित करती है, जिसमें **5000 मिलियन से अधिक विद्युत्** उत्पादन एवं ग्रामीण इलाकों में 10 मिलियन से अधिक कार्य दिवसों का **वार्षिक रोजगार** सृजित होता है।

**टास्क फोर्स की अनुशंसाएं**

- **त्वरित कार्रवाई -** प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली का उपयोग करके धान-पुआल के स्व-स्थाने (इन-सीटू) उपचार हेतु **किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना**।
- **मध्यम और दीर्घकालिक कार्रवाइयाँ -**
  - **वायु प्रदूषण के लिए 'प्रभाव निधि (Impact Fund) का गठन -** स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का समर्थन करने तथा इसे राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष से जोड़ना।
  - **सेवा-आधारित साझा अर्थव्यवस्था और प्रक्रिया-आधारित प्रोत्साहनों के साथ प्रौद्योगिकियों का उन्नयन करना** -सभी किसानों की मांग की पूर्ति हेतु आवश्यक मशीनरी हेतु एक साझा अर्थव्यवस्था बनाई जा सकती है एवं यह भी सिफारिश की गयी है कि दीर्घावधि में इन प्रोत्साहनों को निष्पादन से जोड़ा जाए, जिससे बुनियादी ढांचे के कुशल उपयोग को प्रोत्साहन दिया जा सके।
  - **स्थानीय स्तर पर पुरस्कृत करना और निगरानी करना -** उन्नत रिमोट सेंसिंग डाटा और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDOs) द्वारा स्थानीय निगरानी करना। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में जीरो बर्निंग के दृष्टिकोण को उत्प्रेरित करने हेतु पंचायतों के लिए वित्तीय पुरस्कार की भी अनुशंसा की गयी है।
  - **बाह्य:स्थाने (एक्स-सीटू) उपचार को नियामक समर्थन -** पुआलों की मृदा में पुनः जुताई करने हेतु सीमाएँ निर्धारित करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।
  - **जागरूकता उपकरण -** इसमें राज्य कृषि विभागों और कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) से जुड़े समर्पित जागरूकता अभियान और इस तरह के तरीकों का पालन करने वाले किसानों को मान्यता प्रदान करना शामिल हैं।

**प्रस्तावित समाधान**

- जुताई अवशेष का खेतों में पुनः उपयोग करना या स्व-स्थाने दृष्टिकोण (in-situ approaches)-
  - **पुआल खरपतवार के रूप में अवशेष प्रतिधारण (Residue retention as straw mulch)** - खरपतवार अपतृण (weed) दबाव को कम करके उपज, जल उपयोग दक्षता, और लाभप्रदता में वृद्धि कर सकते हैं।
  - **अवशेष संयोजन (Residue incorporation)** - बारीक कटे पुआल का आर्द्र मिश्रण नाइट्रोजन और पुआल में निहित अन्य पोषक तत्वों को संरक्षित करने में मदद करता है।
- **अन्य उद्देश्यों हेतु निष्कर्षण और उपयोग या बाह्य स्थाने दृष्टिकोण (ex-situ approaches) -**
  - **पायरोलिसिस (Biochar)** - बायोमास को पायरोलिसिस द्वारा बायोचार में परिवर्तित किया जाता है (वायु की पूर्ण अनुपस्थिति या सीमित उपस्थिति में जलना) जिसे मृदा अनुकूलक, चार ब्रिकेट (char briquettes) और अन्य मूल्यवर्धित उत्पादों जैसे घरेलू उद्यान उर्वरक के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
  - **ब्रिकेटिंग और/या पैलेटाइजेशन(Briquetting and/or Palletization)** - ईंधन के रूप में पुआल का कुशलतापूर्वक उपयोग करने और लंबी दूरी तक सरलतापूर्वक परिवहन करने के उद्देश्य से, बायोमास को नियमित आकार के ब्रिकेट/या छर्रों (pellets) में परिवर्तित किया जा सकता है। इनका उपयोग आसान है, परिवहन और संग्रहित करना सुविधाजनक है, और इनका उच्च ऊष्मीय मान (हीट वैल्यू) है।
  - ब्रिकेट्स में कोयला और अन्य उच्च उष्मीय मान वाले फसल अवशेषों के साथ औद्योगिक बॉयलर में भली भांति जलाए जाने की क्षमता होती है। पुआल निर्मित छर्रों में कुकिंग स्टोव और घरेलू एवं साथ ही साथ उद्योगों में हीटिंग उपकरणों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल के लिए बेहतर क्षमता विद्यमान होती है।
  - **अन्य प्रयासों में सम्मिलित हैं** - जैव-ऊर्जा, जैव-इथेनॉल और अन्य तरल ईंधन में रूपांतरण, बायो-पावर प्लांट और शुष्क किण्वन बायोगैस संयंत्र स्थापित करना।

VISION IAS

## 5.13 स्टेट ऑफ़ द वर्ल्डस बर्डस रिपोर्ट 2018

(State of The World's Birds Report 2018)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- स्टेट ऑफ़ द वर्ल्डस बर्डस रिपोर्ट 2018 के अनुसार, वर्तमान समय में कुछ प्रसिद्ध पक्षियों की प्रजातियों के भी विलुप्त होने का खतरा विद्यमान है।

**रिपोर्ट के बारे में**

- यह बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित की गयी है। इसमें पक्षियों के जनसांख्यकीय आंकड़ों का पांच वर्ष का संग्रह शामिल है।
- बर्ड लाइफ इंटरनेशनल विभिन्न संरक्षण संगठनों (NGOs) की वैश्विक भागीदारी है। यह प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में स्थिरता की दिशा में लोगों के साथ कार्य करते हुए पक्षियों, उनके आवास और वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण हेतु प्रयास करता है।
- यह रिपोर्ट IUCN रेड लिस्ट के लिए पक्षी प्रजाति की विलुप्ति के जोखिम का भी आकलन करती है।

**महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र (Important Bird and Biodiversity Areas-IBAs)**

- IBAs जैव विविधता की वैश्विक निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण स्थलों के सबसे बड़े और सबसे व्यापक वैश्विक नेटवर्क का गठन करते हैं।
- इन्हें बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा चिह्नित किया जाता है।
- यदि कोई स्थल (साईट) निम्न मानदंडों में से एक या अधिक को पूरा करता है तो वह IBA के रूप में अर्हता प्राप्त कर सकता है:
  - उस स्थल में किसी ऐसी पक्षी प्रजाति की पर्याप्त आबादी हो, जिसके संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं।
  - स्थल में सीमित प्रसार वाली पक्षी प्रजातियों का पर्याप्त मात्रा में संकेन्द्रण (assemblage) हो।
  - स्थल में सीमित जीवोम वाली पक्षी प्रजातियों का पर्याप्त रूप से संकेन्द्रण हो।
  - स्थल में झुण्ड में रहने वाली पक्षी प्रजातियाँ या समूह एक क्रांतिक संख्या (थ्रेशहोल्ड नंबर) में विद्यमान हों।

**रिपोर्ट के प्रमुख अवलोकन**

- विश्व की 11,000 पक्षी प्रजातियों में से 40 प्रतिशत प्रजातियों में गिरावट आई है और पक्षियों की प्रत्येक आठ में से एक प्रजाति के विलुप्त होने का खतरा है।
- पक्षी आबादी के रुझान प्रायः अन्य प्रजातियों की स्थिति को भी प्रतिबिंबित करते हैं।
- पक्षी प्रजातियों का स्वास्थ्य सामान्य रूप से पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति का एक महत्वपूर्ण मापक है, इसलिए ये आंकड़े सम्पूर्ण पृथ्वी के लिए एक चेतावनी के सामान हैं।
- निम्नलिखित कुछ प्रजातियों के ऊपर वैश्विक स्तर पर विलुप्ति का खतरा विद्यमान है - स्नोई आउल, बुबो स्कैंडियाकस (Bubo scandiacus), अटलांटिक पफिन (Atlantic Puffin), फ्रैटेरकुला आर्कटिका (Fratercula arctica), और यूरोपीय कछुए- डव स्ट्रेप्टोपीलिया टर्टर (dove Streptopelia turtur)।
- वे पक्षी जो कभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड थे, किन्तु अब एंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल हैं - बिल्ड क्युरासो क्रैक्स ब्लूमेन बाची (billed Curassow Crax blumenbachi) (ब्राजील), पिंक पिजन नेशनस मेरी (Pink Pigeon Nesoenas mayeri) (मॉरीशस), और ब्लैक फेस्ड स्पूनबिल प्लैटेलिया माइनर (Black-faced Spoonbill Platalea minor)।

**पक्षी प्रजातियों के लिए प्रमुख खतरे**

- **कृषि का प्रसार और परिणामी आवास विखंडन**: कृषि में प्रयुक्त नियोनिकोटिनोइ्स नामक न्यूरोटॉक्सिक कीटनाशकों का खेत के पक्षियों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।
- **वनों की कटाई और अस्थिर लॉगिंग (Logging)**: लगभग दो तिहाई पक्षी प्रजातियां मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के वनों में पायी जाती हैं।
- भोजन या खेल-कूद के लिए असंधारणीय शिकार और पक्षियों को पिंजरे में बंद कर उन्हें बेचने के व्यापार हेतु उन्हें जाल में फंसाना।
- **जलवायु परिवर्तन-** कई पक्षी प्रजातियां पहले से ही जलवायु परिवर्तन की गति के साथ स्वयं को अनुकूलित करने के लिए संघर्ष कर रही हैं।
- **मत्स्यन जाल में समुद्री पक्षियों का फंसना-** समुद्री पक्षी मत्स्य पालन के कारण गंभीर खतरे में हैं।
- नगरीकरण एवं प्रदूषण और आक्रामक विदेशी प्रजातियां

**संरक्षण रणनीतियां**

पक्षी प्रजातियों के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले कारकों के बावजूद, संरक्षण प्रयास इस शताब्दी तक कभी विलुप्ति के कगार पर पहुँच चुकी कम से कम 25 पक्षी प्रजातियों को सामान्य स्थिति में लाने में सफल रहे हैं। कुछ विशिष्ट संरक्षण रणनीतियों में शामिल हैं:

VISION IAS

- इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्रों (IBA) की पहचान करना और संसाधनों को लक्षित करना।
- आर्द्र भूमियों, कोस्टल साल्टपैन (तटीय लवण कुंड) जैसे निम्नीकृत आवासों का पुनर्स्थापन।
- **वनोन्मूलन को रोकना और वनों का पुनर्स्थापन** - WWF और वाइल्डलाइफ कंज़र्वेशन सोसाइटी के साथ साझेदारी में, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है जिसे ट्रिलियन ट्री प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके तहत एक ट्रिलियन वृक्ष लगाए जायेंगे, उन्हें नुकसान से बचाया जाएगा या 2050 तक बेहतर रूप से संरक्षित किया जाएगा।
- आक्रामक विदेशी प्रजातियों का उन्मूलन और नियंत्रण।
- कैप्टिव ब्रीडिंग (बंदी प्रजनन) और पुनर्प्रवेश - उदाहरणार्थ: भारतीय उपमहाद्वीप में गिद्ध।
- **पक्षियों के अतिदोहन को रोकना** - CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) वन्य पक्षी व्यापार को विनियमित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- पक्षियों और प्रकृति के बारे में लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना और उन्हें शिक्षित करना।
- सतत आजीविका विकसित करने के लिए स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं को एकीकृत किया जाना चाहिए।
- व्यापक फ्रेमवर्क को स्थापित करने हेतु प्रभावी कानून और नीतियां बनाई जानी चाहिए।
- संरक्षण प्रयासों को स्पष्ट, मापनीय उद्देश्यों के साथ उपलब्ध सर्वोत्तम वैज्ञानिक साक्ष्य और परियोजनाओं पर आधारित होना चाहिए- हाल ही में **PRISM** नामक एक उपकरण को संरक्षण प्रयासों की प्रभावी निगरानी के लिए लांच किया गया है।

## 5.14. विश्व का सबसे छोटे भूमि फर्न की खोज

**(World's Smallest Land Fern)**

**सुर्ख़ियों में क्यों ?**

हाल ही में, भारतीय शोधकर्ताओं ने नाख़ून के आकार के **मालवी एडर-टंग फर्न (Malvi's adder's-tongue fern)** फर्न की खोज की।

> **फर्न**-यह एक पुष्प रहित पौधा है, जिसकी पंख के समान पत्तियां (पत्ता) होती हैं और ये अपने पत्ते के समान भागों से निकलने वाले बीजाणुओं द्वारा पुनरुत्पादित होते हैं।

**खोज से संबंधित तथ्य**

- यह विश्व की सबसे छोटी भूमि फर्न है, जिसकी माप केवल 1-1.2 सेमी है।
- इसकी खोज गुजरात के डांग जिले के पश्चिमी घाटों के अहवा (Ahwa) वनों में की गई है।
- यह एडर-टंग फर्न नामक समूह से संबंधित है। इसका यह नाम इसके सांप की जीभ के समान होने के कारण रखा गया है।
- इसमें बीजाणु और गुम्बद की आकृति के स्टोमेटा के आसपास विशिष्ट मोटी बाह्य परत पाई जाती है, जो इसकी समान प्रजातियों में मौजूद नहीं होती है।
- ये फर्न मौसमी होते हैं और पहली मानसूनी वर्षा के साथ उगते हैं।

## 5.15. स्वेल तरंगें

**(Swell Waves)**

**सुर्ख़ियों में क्यों ?**

हाल ही मे, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) ने तटीय राज्यों पर उच्च ऊर्जा युक्त **स्वेल तरंगों** के संबंध में पूर्वानुमान लगाया है।

> **भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS)**
>
> - INCOIS को 1999 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय और पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (ESSO) की इकाई के रूप में स्थापित किया गया था
>
> **इसके कार्यों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:**
>
> - यह हिंद महासागर रिम पर स्थित देशों को सूनामी चेतावनियां प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय सूनामी सेवा प्रदाता (RTSP) है।
> - यह संभावित मत्स्य पालन क्षेत्र संबंधी परामर्श जारी करता है और ऑपरेशनल ओशनोग्राफी में प्रशिक्षण कोर्स प्रदान करता है।

**स्वेल तरंगों से संबंधित तथ्य**

- स्वेल तरंगें समुद्र तटों के साथ स्थानीय पवनों के उत्पाद की बजाय समुद्र में सैकड़ों मील दूर बहने वाली तूफानी पवनों द्वारा उत्पादित तरंगों का संग्रह हैं।
- इनका निर्माण पवन की गति, अवधि और फेच (fetch) के संयोजन से होता है। वर्तमान घटना वृहद तरंगों से सम्बद्ध है, जिसका निर्माण मेडागास्कर से आने वाली पवनों के कारण समुद्र पर हुआ है।
- भारतीय तटों की ओर उच्च स्वेल तरंगों के प्रसार के दौरान **'कट ऑफ लो (Cut off Lows')** नामक निम्न दाब प्रणाली ने दक्षिणी भारतीय महासागर में उपस्थित पश्चिमी पवनों की सामान्य गति को अवरुद्ध करता है।
- निम्न दाब क्षेत्र या सुदृढ़ मौसम प्रणाली यहाँ उच्च तरंगों का संचरण करती हैं, जिनका भारत के दक्षिण-पश्चिम तट के साथ स्थानीय पवनों में कोई संकेत नहीं होता है। इस परिघटना को स्थानीय रूप से कल्लाकडल (Kallakkadal) के नाम से जाना जाता है।
- 2012 में कल्लाकडल परिघटना को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया है।

# 6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी

(SCIENCE AND TECHNOLOGY)

## 6.1. राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन

(National Biopharma Mission)

**सुर्खियों में क्यों?**

हाल ही में, भारत और विश्व बैंक के मध्य राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन की परियोजना **"समावेशिता के लिए भारत में नवाचार [इनोवेट इन इंडिया (I-3) फॉर इन्क्लूसिवनेस]"** के लिए 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर किये गये।

**राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के बारे में**

- यह बायोफार्मास्यूटिकल्स के शुरूआती विकास में खोजपरक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक-शैक्षणिक सहयोग है।
- इस मिशन के अंतर्गत विश्व बैंक की सहायता से संचालित इनोवेट इन इंडिया (I-3) कार्यक्रम का उद्देश्य इस क्षेत्र में उद्यमिता एवं स्वदेशी विनिर्माण को प्रोत्साहन देने हेतु आवश्यक पारितंत्र का निर्माण करना है।
- **मिशन का फोकस निम्नलिखित बिंदुओं पर है** :
  - रोगों के बढ़ते बोझ का समाधान करने के लिए नए टीकों, निदान एवं चिकित्सा उपकरणों का विकास करना।
  - एक-दूसरे से अलग-थलग पड़े (शैक्षणिक) उत्कृष्टता केंद्रों को एकजुट करना, क्षेत्रीय क्षमताओं का संवर्द्धन करना, क्षमताओं एवं साथ ही आउटपुट की मात्रा एवं गुणवत्ता के संबंध में वर्तमान बायो-क्लस्टर (जैव-संकुल) नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना।
  - अगले पांच वर्षों में 6-10 नए उत्पाद प्रदान करना और अगली पीढ़ी के कौशलों के लिए कई समर्पित सुविधाओं का निर्माण करना।
  - उत्पाद सत्यापन के लिए प्लेटफार्म प्रौद्योगिकियों का विकास करने, नैदानिक परीक्षण नेटवर्कों के सुदृढ़ीकरण के लिए संस्थानों को जोड़ने, नवीन उत्पादों के लिए आंशिक रूप से जोखिम में कमी, जैव-नैतिकता (बायोएथिक्स) और जैव सूचना विज्ञान (बायोइंफॉर्मेटिक्स) जैसे उभरते क्षेत्रों में क्षमताओं का निर्माण करना।
- आरंभ में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV), डेंगू के लिए वैक्सीन; कैंसर, मधुमेह और रुमेटी गठिया के लिए बायोसिमिलर्स (biosimilars) तथा चिकित्सा उपकरणों एवं निदान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

**मुख्य अवयव**

- नवोन्मेष, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को समर्थन प्रदान करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पायलट परियोजना से लेकर बाजार तक के नवाचार पारितंत्र को सुदृढ़ बनाना।
- कम लागत की चयनित वैक्सीनों, बायोफार्मास्यूटिकल्स, निदान और चिकित्सा उपकरणों के विकास में तेजी लाने के लिए निजी, सार्वजनिक और शैक्षणिक संस्थानों के समूह को वित्तपोषण प्रदान करने हेतु विशिष्ट उत्पादों के लिए **पायलट परियोजना से बाजार तक की प्रक्रिया को त्वरित करना।**
- **परियोजना प्रबंधन एवं निगरानी और मूल्यांकन**, जिसका उद्देश्य व्यय की गई परिचालन लागतों को कवर करना है।
- इस मिशन को जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायक परिषद (BIRAC) लागू करेगी।

## 6.2. अर्थ बायो-जीनोम प्रोजेक्ट

(Earth Bio-Genome Project: EBP)

**सुर्खियों में क्यों?**

हाल ही में "अर्थ बायो-जीनोम प्रोजेक्ट: सिक्वेंसिंग लाइफ फॉर दि फ्यूचर ऑफ लाइफ (Earth Bio-Genome Project: Sequencing life for the future of life)" शीर्षक वाले शोध पत्र के माध्यम से अर्थ बायो-जीनोम परियोजना की घोषणा की गई थी।

**अर्थ बायो-जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में**

- यह **वैज्ञानिकों का एक अंतरराष्ट्रीय संघ (कॉन्सॉर्टियम)** है, जो पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक यूकैरियोटिक जैव विविधता के जीनोमों को अनुक्रमित करने (sequence), सूचीबद्ध करने (catalogue) और उनके अभिलक्षण निर्धारित करने का लक्ष्य रखती है। 1.5 मिलियन प्रजातियों के लिए यह कार्य 10 वर्ष की अवधि में तीन चरणों में किया जाएगा।
- पृथ्वी पर लगभग 8 मिलियन यूकैरियोटिक प्रजातियां विद्यमान है और अभी तक केवल 0.2% यूकैरियोटिक जीनोमों को ही अनुक्रमित किया गया है, जो अभी भी अपरिष्कृत रूप में हैं।
- हालांकि EBP परियोजना एक विस्तृत आनुवंशिक अनुक्रम का निर्माण करने में सहायता करेगी जिससे जीनस (genus), ऑर्डर (orders) और वर्ग (families) के बीच विस्तृत विकासवादी संबंध (evolutionary connections) प्रकट होंगे। इससे जीवन की डिजिटल लाइब्रेरी निर्मित हो सकेगी।

- **महत्व**
  - EBP, मानव जाति के समक्ष विद्यमान अनेक मुद्दों जैसे- जैव विविधता पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, संकटग्रस्त प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के परिरक्षण और संवर्द्धन आदि को संबोधित करेगा।
  - इसके फलस्वरूप विभिन्न नई औषधियों की खोज का मार्ग प्रशस्त हो सकता है तथा साथ ही शोधकर्ताओं को आहार के अधिक स्रोतों की जानकारी प्राप्त हो सकती है।
- **चुनौतियां**
  - **नागोया प्रोटोकॉल** के पहुँच और लाभ साझाकरण (शेयरिंग) दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए भविष्य में वैज्ञानिक खोज के लिए स्थायी, स्वतंत्र रूप से उपलब्ध संसाधनों को सुनिश्चित करने के लिए डेटा शेयरिंग नीतियों को स्थापित करने की आवश्यकता है।
  - परियोजना के निष्पादन के लिए संगठनात्मक और वैज्ञानिक चुनौतियों को भी रेखांकित किया जा रहा है और इसके लिए CERN की लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर परियोजना की भांति एक समन्वित वैश्विक प्रयास की आवश्यकता है।
  - प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों की सुदूर अवस्थिति के कारण नमूनों का संग्रह कठिन होगा।
  - इस प्रकार निर्मित विशाल डेटाबेस के लिए लगभग 200 पेटाबाइट स्पेस की आवश्यकता होगी।
  - 4.7 बिलियन डॉलर का वित्तपोषण प्राप्त करना भी एक चुनौती है।
- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) भी अपनी **'फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फॉर द अर्थ'** पहल के माध्यम से EBP के साथ सहयोग कर रहा है। इस पहल के अंतर्गत अर्थ बैंक कोड्स (Earth Bank Codes) का विकास किया जा रहा है।
- इस प्रकार जीवविज्ञान में 'चौथी औद्योगिक क्रांति' जैव विविधता प्रबंधन हेतु नए मॉडल्स को जोड़ने के लिए नवाचार प्रदान कर सकती है।
- **EBP के अन्य भागीदार -** अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्लोबल जीनोम बायोडायवर्सिटी नेटवर्क, ग्लोबल इनवर्टेब्रेट जीनोमिक्स अलायंस, 5000 आर्थ्रोपोड जीनोम को सीक्वेंस करने के लिए i5K इनिशिएटिव और जीनोम 10K प्रोजेक्ट।
- यह **नागरिक-वैज्ञानिक पहल (citizen-scientist initiative)** को भी बढ़ावा देगा।

**यूकैरियोटिक (Eukaryotic)**– इन जीवों की कोशिकाओं को आंतरिक झिल्ली और कोशिका कंकाल (cytoskeleton) द्वारा जटिल संरचनाओं में व्यवस्थित किया जाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य, पशु और पौधे।

**प्रोकैरियोटिक (Prokaryotic)**– इन जीवों में एक कोशिकीय केन्द्रक (स्पष्ट केन्द्रक का अभाव) होता है जैसे बैक्टीरिया और आर्किया।

## 6.3. ऑक्सीटोसिन पर प्रतिबंध

**(Ban on Oxytocin)**

**सुर्खियों में क्यों?**

- केंद्र सरकार ने ऑक्सीटोसिन (Oxytocin) फॉर्म्यूलेशन्स के निर्माण को केवल सार्वजनिक क्षेत्र तक घरेलू उपयोग के लिए सीमित कर दिया। सरकार ने ऑक्सीटोसिन के **आयात पर भी प्रतिबंध** आरोपित कर दिया है।

**ऑक्सीटोसिन से संबंधित तथ्य**

- **ऑक्सीटोसिन** मनुष्यों में हाइपोथैलेमस (मस्तिष्क के एक भाग) द्वारा उत्पादित और पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हॉर्मोन है। यह पशुओं में भी प्राकृतिक रूप से उत्पादित होता है।
- **ऑक्सीटोसिन के उपयोग -**
  - **प्रसव के दौरान (During Childbirth)** – यह हॉर्मोन गर्भाशय की मांसपेशियों को संकुचित होने के लिए उद्दीपित करता है, जिससे प्रसव-वेदना आरम्भ होती है। इसका उपयोग प्रसवोपरांत होने वाले रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है।
  - **स्तनपान (Breastfeeding) के दौरान –** यह स्तनपान के दौरान स्तन (breast) में दूध को संचरित कर दुग्धस्रवण को बढ़ाता है।
  - **मानवीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने वाली गतिविधियां (Human bonding activities) –** यह शारीरिक संबंध बनाने के दौरान प्राकृतिक रूप से स्रावित होता है, इसे 'लव हॉर्मोन' के नाम से भी जाना जाता है।
- पशुओं में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, सब्जियों के आकार को बढ़ाने, दुर्व्यापार करके लाई गई लड़कियों में यौवनावस्था की गति तीव्र करने आदि में इसका दुरुपयोग किया जाता रहा है।



VISION IAS

## 6.4. प्रोजेक्ट धूप

(Project Dhoop)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India: FSSAI) द्वारा प्रोजेक्ट धूप प्रारंभ किया गया है।

**प्रोजेक्ट धूप से सम्बन्धित तथ्य**

- यह भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एवं उत्तरी दिल्ली नगर पालिका परिषद के विद्यालयों के साथ मिलकर प्रारंभ एक **राष्ट्रव्यापी अभियान** है। इसका उद्देश्य विद्यालय जाने वाले बच्चों में **सूर्य के प्राकृतिक प्रकाश के माध्यम से विटामिन D के सेवन** एवं फोर्टीफाइड खाद्य पदार्थों का उपभोग करने के विषय में जागरूकता फैलाना है।
- इस प्रोजेक्ट में विद्यालयों से अपनी प्रातः कालीन सभा का समय परिवर्तित कर उसे मध्याह्न में करने का आग्रह किया गया है ताकि बच्चे सूर्य के प्राकृतिक प्रकाश से विटामिन D का इष्टतम अवशोषण कर सकें।
- इससे यह सुनिश्चित होगा कि बच्चे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहे, परिणामतः उन्हें सूर्य-प्रकाश के माध्यम से 90% विटामिन D की प्राप्ति हो सके।
- पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक प्राप्त होने वाला सूर्य का प्रकाश मानव शरीर की अस्थियों के लिए सर्वाधिक लाभदायक होता है, क्योंकि इस समय सर्वोत्तम पराबैंगनी बी विकिरण प्राप्त होता है।

**शरीर के लिए विटामिन D का महत्व**

- विटामिन D मनुष्य की अस्थियों के विकास के लिए आवश्यक है।
- यह आंतों द्वारा कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण तथा शरीर में उनके अवधारण एवं अस्थियों एवं दांतों में उनके निक्षेपण को संभव बनाता है।
- जब त्वचा सूर्य-प्रकाश के संपर्क में आती है तब त्वचा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉलिन, यकृत एवं गुर्दों में अतिरिक्त रूपांतरणों के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल को विटामिन D में परिवर्तित कर देते हैं।
- विटामिन D की कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स एवं वयस्कों में अस्थिमृदुता (Osteomalacia) का रोग हो सकता है, जबकि इसकी अत्यधिक न्यूनता के परिणामस्वरुप मस्तिष्क, हृदवाहिनी एवं गुर्दे को क्षति पहुँच सकती है।
- फिश लिवर ऑयल, अंडे की जर्दी (egg yolk), दूध, कलेजी आदि विटामिन D के स्रोत हैं।
- हाल के अध्ययन के अनुसार यह पाया गया है कि विभिन्न भारतीय शहरों में 90% से अधिक बालक और बालिकायें विटामिन D की कमी से ग्रस्त हैं।

## 6.5. अंतरिक्षीय कचरा

(Space Debris)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- विभिन्न प्रकार के अंतरिक्षीय कचरे को हटाने की प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करने हेतु **'रिमूव डेब्रिस (RemoveDebris)'** नामक अंतरिक्ष मिशन लांच किया गया था।

**'रिमूव डेब्रिस' के विषय में**

- इसका वित्तपोषण यूरोपीय आयोग एवं सरे विश्वविद्यालय (UK) के सरे स्पेस सेंटर (SSC) के नेतृत्व में परियोजना भागीदारों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है।
- यह 100 किलोग्राम की प्रदर्शक परियोजना (demonstrator project) है जिसे स्पेस-एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लांच किया गया।
- यह सक्रिय रूप से कचरा हटाने (Active Debris Removal : ADR) की प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करने के लिए अपने साथ नकली "कचरा" लक्ष्यों के रूप में दो छोटे क्यूबसैट भी ले गया है। ये ADR प्रौद्योगिकियाँ निम्नलिखित हैं:
    - **नेट कैप्चर (Net capture)**– जाल का उपयोग करके कचरे को समेटना।
    - **हार्पून कैप्चर (Harpoon capture)**– कचरे को पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश के लिए उसे युक्तिपूर्वक कक्षा से बाहर ले जाने हेतु हार्पून का उपयोग करना।
    - **विज़न-बेस्ड नेविगेशन (Vision-based navigation: VBN)**- VBN कैमरे एवं LIDAR ( लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग) का उपयोग करके कचरे का पता लगाना।

- **ड्रैगसेल डी-ऑर्बिटेशन (Dragsail de-orbitation)**– यह उपग्रह को शीघ्रातिशीघ्र कक्षा से बाहर निकलने और पृथ्वी के वायुमंडल में तीव्रता से जलने में मदद करती है।

**कचरा हटाने के लिए तकनीकें**

**सक्रिय रूप से कचरा हटाना (ADR)**

- एक बाहरी वाहन ऐसी कार्य प्रणाली की आपूर्ति करता है जिसके माध्यम से कचरे का निपटान किया जाता है।

**मिशन उपरांत निपटान (पोस्ट मिशन डिस्पोज़ल) -**

- पिंड (ऑब्जेक्ट) को एक ऐसे प्रक्षेप पथ में स्थापित किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप वह पृथ्वी के वायुमंडल में पुन: प्रवेश करता है और एक विशिष्ट क्षेत्र में टकराता है।
- पिंडों को कम उपयोग की जाने वाली कक्षाओं में स्थापित करना।
- कर्षण बढ़ाने वाले उपकरण (drag enhancement device) का उपयोग करके कक्षीय क्षय की दर में वृद्धि करना।
- कक्षीय क्षय ऐसी परिघटना को इंगित करता है जिसमें उपग्रह की ऊंचाई के निरंतर कमी होती जाती है।

**अंतरिक्षीय कचरे से संबंधित मुद्दे**

- **अंतरिक्ष में कचरे की विशाल मात्रा**: वर्तमान में पृथ्वी की कक्षा में ट्रैक किए जाने वाले 19,000 कृत्रिम पिंडों में से केवल 1,400 कार्यात्मक उपग्रह हैं। शेष पिंडों को सामूहिक रूप से "अंतरिक्षीय कचरे" के रूप में जाना जाता है ।
- **उपग्रह-रोधी हथियारों (ASWs) का विकास**: चीन द्वारा Fengyun-1C मौसम उपग्रह को जानबूझकर नष्ट किए जाने के कारण बड़ी मात्रा में कचरा उत्पन्न किया है और ASWs के विकास की होड़ से समस्या के और अधिक गम्भीर होने की संभावना है।
- **दुर्घटनाएँ**: 2009 में अमेरिकी और रूसी संचार उपग्रहों की दुर्घटनावश टक्कर होने के कारण बड़े आकार के कचरे की संख्या काफी बढ़ गई। दरअसल, अंतरिक्ष में देशों की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के कारण ऐसी टक्करों का बढ़ना तय है।
- **वर्तमान में कक्षीय कचरे पर कोई अंतरराष्ट्रीय संधि नहीं**: हालांकि, अंतरिक्ष में मानव निर्मित और प्राकृतिक कचरे से संबंधित मुद्दों पर कार्यवाहियों के विश्वव्यापी समन्वय के लिए, विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियों को सम्मिलित कर अंतरराष्ट्रीय सरकारी फोरम के रूप में इंटर-एजेंसी स्पेस डेबरीस कोऑर्डिनेशन कमिटी (IDAC) का गठन किया गया है।
- **स्वैच्छिक दिशा-निर्देश**: बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोगों पर संयुक्त राष्ट्र समिति ने इसके संबंध में कुछ दिशा-निर्देश दिए हैं, लेकिन वे स्वैच्छिक प्रकृति के हैं।

## 6.6. आइंस्टीन रिंग (वलय)

**(Einstein Ring)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, हबल टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में प्रकाश को विक्षेपित करने वाले आइंस्टीन रिंग की खोज की।

**आइंस्टीन रिंग क्या है?**

- अल्बर्ट आइंस्टीन के **सामान्य सापेक्षता सिद्धांत** के अनुसार, विशालकाय पिंड के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से गुजरने वाला प्रकाश विक्षेपित हो सकता है। इसलिए, एक विशालकाय पिंड दिक्-काल (स्पेस-टाइम) में विकृति (warp) उत्पन्न कर सकता है।
- जब किसी दूरस्थ पिंड/**स्रोत** (उदाहरण के लिए एक आकाशगंगा) से निकलने वाला प्रकाश, एक अत्यधिक द्रव्यमान युक्त पिंड/**लेंस** (जैसे कोई आकाशगंगा या आकाशगंगा समूह) से गुजरता है तो यह अन्तःस्थ समूह के चारों ओर विक्षेपित एवं विरूपित हो जाता है। तत्पश्चात यह पृथ्वी की ओर भिन्न-भिन्न प्रकाश मार्गों के साथ गमन करने हेतु बाध्य हो जाता है। इस कारण **एक ही समय में कई स्थानों पर आकाशगंगा की अवस्थिति** का आभास होता है। इसे **गुरुत्वाकर्षण लेंस प्रभाव** कहा जाता है।
- आइंस्टीन रिंग एक प्रकार का गुरुत्वीय लेंस है। यह तब निर्मित होता है **जब आकाशगंगा समूह इतने निकट संरेखित हो जाते हैं कि वे उस प्रकाश को एक दृश्यमान रिंग (छल्ले) के रूप में केन्द्रित (फोकस) करते हैं जो अन्यथा अपसारित हो जाता।**
- रिंग तथा लेंस, **पिंडों को आवर्धित** कर देते हैं जो अन्यथा वर्तमान टेलिस्कोपों से देखने पर अति सुदूर तथा धुंधले प्रतीत होंगे।
- जब विक्षेपित प्रकाश की मात्रा का विश्लेषण करने पर ज्ञात हो जाता है कि विक्षेपित करने वाला द्रव्यमान, समूह के प्रत्यक्ष द्रव्यमान से अधिक है, तो यह डार्क मैटर की उपस्थिति को दर्शाता है।

**हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में:**

- इसे 1990 में पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया था और इसका नाम एडविन हबल के नाम पर रखा गया था। एडविन हबल ने यह बताया था कि ब्रह्मांड का विस्तार आकाशगंगा से आगे भी है। वे यह सिद्ध करने वाले प्रथम व्यक्ति थे कि ब्रह्मांड का सतत विस्तार हो रहा है।

- इसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी 'नासा' और यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ESA) के परस्पर सहयोग से तैयार किया गया था।
- यह टेलीस्कोप, वर्ष 2030-40 तक कार्य कर सकेगा और इसे **जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप** द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा जिसे 2020 में लॉन्च किये जाने की योजना है।

## 6.7. यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) का GAIA मिशन

**(ESA'S GAIA Mission)**

**सुर्खियों में क्यों?**

हाल ही में, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के GAIA मिशन से डेटा का उपयोग करके आकाशगंगा का त्रिवीमीय (3-D) मानचित्र जारी किया गया।

**GAIA मिशन के बारे में अधिक जानकारी**

- अपने नवीनतम डेटा में, यह लगभग 1.7 बिलियन तारों की स्थिति को निर्धारित करता है और साथ ही आकाशगंगा की संरचना, गठन और विकास को उजागर करने में भी सहायता करता है।
- यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के हिप्पार्कस उपग्रह से आगे की छलांग है। हिप्पार्कस, GAIA का पूर्ववर्ती और एस्ट्रोमेट्री (खगोलमिति) के लिए पहला अंतरिक्ष मिशन था।
- नया डेटा न केवल आकाशगंगा में तारों की अवस्थितियों, दूरी संकेतकों और गतियों को सम्मिलित करता है, बल्कि हमारे सौर मंडल के भीतर के क्षुद्रग्रहों एवं हमारी आकाशगंगा से बाहर के तारों को भी सम्मिलित करता है।
- इन सटीक मापनों से तारों के आभासी विस्थापन को आकाशगंगा में उनकी वास्तविक गतियों से पृथक कर पाना संभव है।
- इन सभी के विश्लेषण से डार्क मैटर की प्रकृति के विषय में अनुमान लगाया जा सकता है और हबल नियतांक का और अधिक सटीक मापन करना संभव हो सकता है। हबल नियतांक यह व्याख्या करता है कि ब्रह्मांड का विस्तार कितनी तीव्र गति से हो रहा है।

## 6.8. ट्रांज़िटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट (TESS) मिशन

**(Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) Mission)**

**सुर्खियों में क्यों?**

ट्रांज़िटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट (TESS) मिशन को नासा द्वारा **सौर मंडल से बाहर के ब्रह्मांड** के विषय में जानकारी प्राप्त करने हेतु लांच किया गया है, जिनमें से कुछ पर जीवन संभव हो सकता हैं।

**ट्रांज़िटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट (TESS) मिशन संबंधी विवरण**

- **ट्रांज़िटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट (TESS)** एक्सो-प्लेनेट (हमारे सौर मंडल के बाहर विद्यमान ग्रहों) की खोज करने वाला **प्रथम अंतरिक्ष आधारित, ऑल-स्काई सर्वेयर (all-sky surveyor)** होगा। यह विशेष रूप से पृथ्वी के समान, एवं पर्याप्त निकट स्थित ग्रहों की खोज करने का प्रयास करेगा। जिससे वैज्ञानिकों सरलता से उनके विषय में आगे और अध्ययन कर सकें।
- उपग्रह को प्रक्षेपित करने और इसे कक्षा में स्थापित करने के लिए स्पेस एक्स **फॉल्कन 9 रॉकेट** (पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहन) का उपयोग किया गया था।

## 6.9. इसरो का IRNSS-1I उपग्रह

**(ISRO'S IRNSS-1I Satellite)**

**सुर्खियों में क्यों?**

इसरो ने अपने PSLV-C41 के माध्यम से श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से **IRNSS-1I** उपग्रह लांच किया।

**IRNSS-1I संबंधी विवरण**

- यह IRNSS उपग्रह समूह (satellite constellation) में सम्मिलित होने वाला **आठवाँ उपग्रह** है।
- IRNSS-1I द्वारा पूर्व में प्रक्षेपित IRNSS-1A को प्रतिस्थापित किया जाएगा, जो अपनी तीन रूबिडियम परमाणु घड़ियाँ विफल होने के बाद अप्रभावी हो गया है। IRNSS-1A सात नेविगेशन उपग्रहों में सबसे पहले प्रक्षेपित किया गया था।
- इसे **उप-भूतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा (sub-geosynchronous transfer orbit)** में स्थापित किया जाएगा और इसका निकटतम बिन्दु पृथ्वी से 284 किलोमीटर ऊपर एवं सुदूरतम बिन्दु पृथ्वी से 20,650 किलोमीटर ऊपर होगा।
- अन्य सभी IRNSS उपग्रहों की भाँति, IRNSS-1I भी दो पेलोड लेकर जायेगा- नेविगेशन पेलोड (जो स्थिति, वेग और समय का निर्धारण करता है) और रेंजिंग पेलोड (जो उपग्रह की आवृत्ति परास (फ्रीक्वेंसी रेंज) का निर्धारण करता है)।

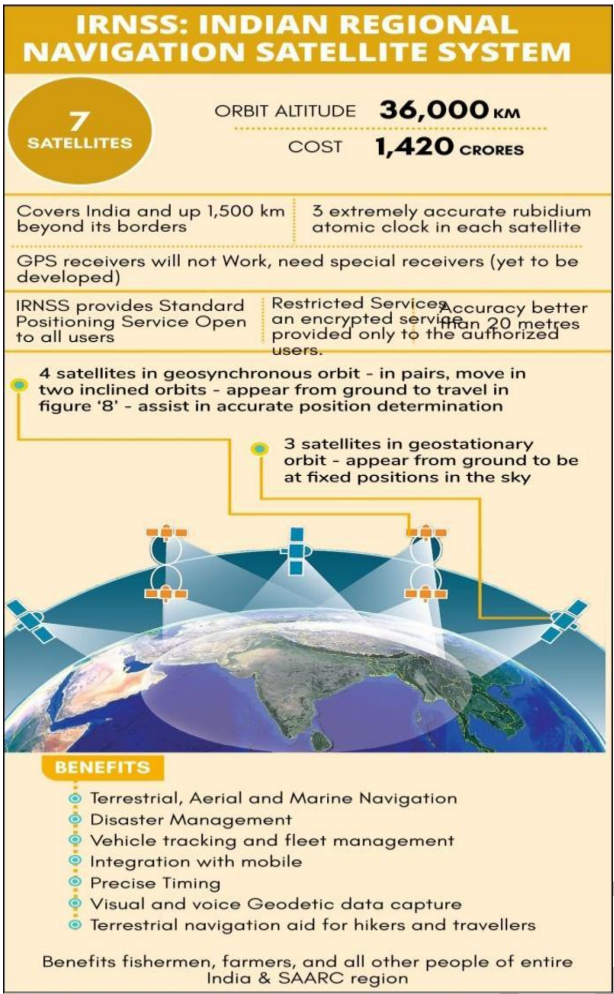


## 6.10. साउंडिंग रॉकेट: RH-300 MKII

(sounding rocket :RH-300 MKII)

**सुर्खियों में क्यों?**

हाल ही में, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (ISRO) ने **RH-300 MKII** साउंडिंग रॉकेट को थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन (TERLS) से सफलतापूर्वक लॉन्च किया।

**संबंधित जानकारी**

- 1975 में, सभी साउंडिंग रॉकेट गतिविधियों को रोहिणी साउंडिंग रॉकेट (RSR) कार्यक्रम के अंतर्गत समेकित किया गया था।
- 75 मिलीमीटर व्यास का RH-75, पहला भारतीय साउंडिंग रॉकेट था, इसके बाद RH-100 और RH-125 रॉकेट का निर्माण किया गया।
- **वर्तमान में, परिचालित साउंडिंग रॉकेट** में तीन संस्करण अर्थात् RH-200, RH-300-Mk-II और RH-560-Mk-III सम्मिलित हैं।

**साउंडिंग रॉकेट से संबंधित तथ्य**

- इसे यह नाम एक समुद्री पद (nautical term) **"टू साउन्ड (to sound)"** से मिला है जिसका अर्थ 'माप लेना' होता है।
- ये एक या दो चरण वाले ठोस प्रणोदक रॉकेट हैं जिसमें 60 किलोग्राम का पेलोड होता है और ऊंचाई क्षमता (altitude capacity) 160 किलोमीटर की होती है। इनका उपयोग ऊपरी **वायुमंडलीय क्षेत्रों का अन्वेषण करने** एवं **अंतरिक्ष अनुसंधान** के लिए किया जाता है।
- **उद्देश्य** – इसका उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी एंड न्यूट्रल विंड प्रोब (ENWi) का उपयोग कर भूमध्य रेखीय आयनमंडल के डायनेमो क्षेत्र (80-120 किलोमीटर) में तटस्थ पवन की गति का मापन करना एवं इंडिपेंडेंट ट्राई मिथाइल एल्युमिनियम (TMA) रिलीज तकनीक का उपयोग कर परिणामों को सत्यापित करना है।
- ये प्रक्षेपण वाहनों (लॉन्च व्हीकल) और उपग्रहों में उपयोग हेतु नए अवयवों एवं उप-प्रणालियों के प्रोटोटाइप का परीक्षण करने या उनकी उपयुक्तता सिद्ध करने के **सरलतापूर्वक वहनीय प्लेटफार्मों** के रूप में कार्य करते हैं।

यह अध्ययन उपलब्ध वायुमंडलीय आंकड़ों को समृद्ध करेगा और उष्णकटिबंधीय मौसम पूर्वानुमान के लिए प्रयुक्त मॉडलों को परिष्कृत करेगा।

VISION IAS

## 6.11. LYRID 2018

(LYRID 2018)

**सुर्खियों में क्यों?**

LYRID 2018 उल्का बौछार (meteor shower) समस्त उत्तरी गोलार्द्ध में दिखाई दी थी।

**LYRID 2018 के विषय में**

- यह उल्का बौछार C/1861 थैचर धूमकेतु के अवशेषों के कारण उत्पन्न हुई थी, और यह अप्रैल के आस-पास घटित होने वाली एक वार्षिक खगोलीय परिघटना है।
- LYRID उल्का बौछार को इसका नाम लायरा (Lyra) तारामंडल से मिला है, क्योंकि यह लायरा (Lyra) से उत्पन्न होती प्रतीत होती है।
- खगोलीय घटनाओं के अवलोकन में रूचि रखने वाले लोग, ग्रहणों (eclipses) के विपरीत बिना किसी विशेष उपकरण के ही उल्का बौछार का आनंद उठा सकते हैं।

**उल्का बौछार**

- सूर्य के निकट से गुजरते समय धूमकेतु अत्यधिक गर्म हो जाता है और अधिकतर उपग्रहों की तुलना में बड़े विशाल दीप्तिमान अग्रभाग के रूप में धूल तथा गैस छोड़ने लगता है।
- धूल और गैस एक पूंछ का रुप ले लेती हैं जो सूर्य से बढती दूरी की तरफ कई मिलियन किलोमीटर तक विस्तारित होती है और इसे **धूमकेतु की पूंछ** के रूप में जाना जाता है।
- जब सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में गति करते हुए पृथ्वी इस प्रकार की धूमकेतु की पूंछ से होकर गुजरती है तो धूमकेतु द्वारा पीछे छोड़ा गया मलबा वायुमंडल में प्रवेश करता है और गर्म होकर प्रकाश की चमकदार बौछार के रूप में प्रज्वलित होता है।
- प्रकाश की चमकदार चौंध के साथ मलबे के इस प्रकार जलने को उल्का बौछार कहा जाता है।


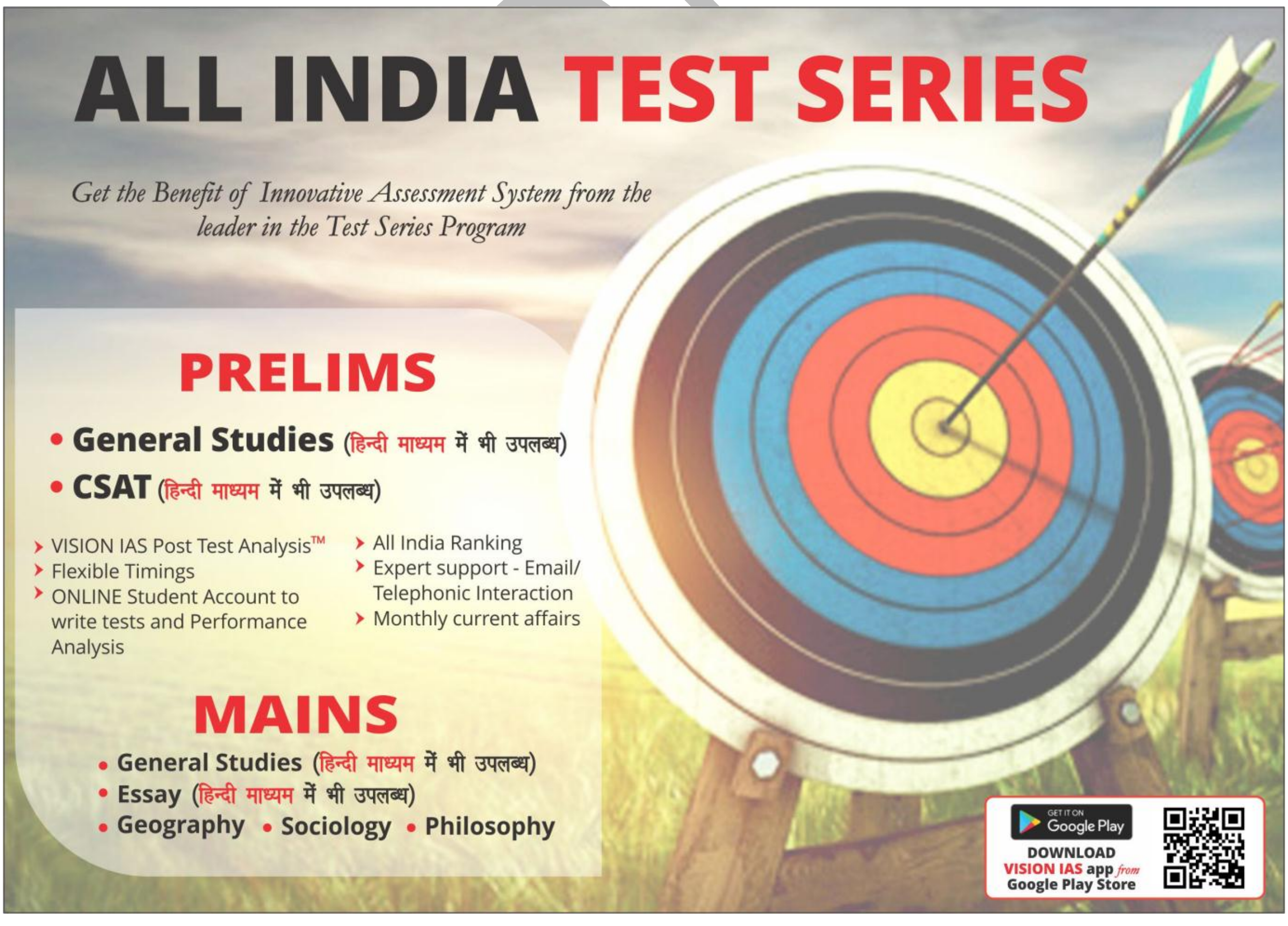

# 7. सामाजिक मुद्दे

(SOCIAL ISSUES)

## 7.1. स्टेट ऑफ़ सोशल सेफ्टी नेट्स 2018

(State of Social Safety Nets 2018)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, **विश्व बैंक** द्वारा स्टेट ऑफ़ सोशल सेफ्टी नेट्स रिपोर्ट, 2018 (सामाजिक सुरक्षा जाल की स्थिति पर रिपोर्ट, 2018) जारी की गई है।

**पृष्ठभूमि**

- यह रिपोर्ट **विश्व बैंक के 2012 से 2022 तक की सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम रणनीति** (World Bank's 2012–2022 Social Protection and Labor Strategy) के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी हेतु किए जाने वाले प्रयासों का भाग है।
- यह रिपोर्ट **ASPIRE डेटाबेस** से 142 देशों के लिए प्रशासनिक डेटा तथा 96 देशों के लिए परिवार सर्वेक्षण डेटा का उपयोग करती है।

**रिपोर्ट के मुख्य बिंदु**

यह रिपोर्ट दो विशिष्ट थीम पर फोकस करती है:

- **अनुकूलक सामाजिक संरक्षण (Adaptive Social Protection: ASP):** यह परिवारों पर प्राकृतिक आपदा एवं जलवायु परिवर्तन, आर्थिक और वित्तीय संकट, संघर्ष व विस्थापन सहित अन्य सभी प्रकार के आघातों (shocks) के प्रभावों को दूर करने के लिए सामाजिक सुरक्षा को बेहतर बनाने हेतु अधिक ध्यान केन्द्रित करती है। **ASP के फोकस क्षेत्र निम्नलिखित हैं:**
    - **आघातों के घटित होने के पहले ही परिवार के लिए लचीलेपन का सृजन करना, जो कि निम्नलिखित के द्वारा संभव है:**
        - आजीविका संबंधी रणनीतियों का विविधीकरण तथा बाजार तक पहुंच।
        - वित्तीय, सामाजिक, मानव, भौतिक और प्राकृतिक पूंजी तक पहुँच में वृद्धि।
        - गुणवत्तापूर्ण मूलभूत सामाजिक सेवाओं तक पहुंच।
        - विशेष रूप से कठिन समय में सेफ्टी नेट सहित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों तक पहुंच।
        - आघात को अनुकूलित करने हेतु आवश्यक जानकारी और कौशल तक पहुंच।
        - स्थानीय एवं राष्ट्रीय संस्थान परिवर्तित वास्तविकताओं के प्रति अनुकूलित होने में समर्थ हों।
    - **आघातों के घटित होने के उपरांत प्रतिक्रिया के लिए सेफ्टी नेट की क्षमता में वृद्धि:** आघातों के घटित होने उपरांत आवश्यकतानुसार क्षैतिज और/या ऊर्ध्वाधर विस्तार को हासिल करने हेतु सामाजिक सुरक्षा जाल (Social Safety Nets: SSN) कार्यक्रम में आवश्यक लचीलापन तथा मापनीयता प्रदान करने के लिए गतिशील वितरण प्रणाली को अपनाना।
        - **ऊर्ध्वाधर विस्तार:** यह मौजूदा सामाजिक सुरक्षा लाभार्थियों के लिए आवश्यकता पड़ने पर त्वरित रूप से लाभ राशि में वृद्धि करता है।
        - **क्षैतिज विस्तार:** यह कार्यक्रम के कवरेज में विस्तार करते हुए उन लोगों को सम्मिलित करने के विषय में है, जो नियमित कार्यक्रम में शामिल नहीं थे किन्तु प्रभावित हैं तथा सहायता हेतु लक्षित हैं।
- **वृद्धावस्था पेंशन:** यह उन वृद्ध वयस्कों को आय का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान करती है जो अंशदायी योजनाओं के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं। (वृद्धावस्था पेंशन ने बुजुर्गों को गरीबी से निजात दिलाने अथवा इससे बचने में सहायता की है)।

**रिपोर्ट के निष्कर्ष**

- **SSN व्यय में वृद्धि:** वैश्विक स्तर पर, विकासशील एवं विकासशील अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर राष्ट्र SSN कार्यक्रमों पर अपने GDP का औसतम 1.5 प्रतिशत व्यय करते हैं। भारत और बांग्लादेश में लोक निर्माण पर बजटीय खर्च का हिस्सा संपूर्ण दक्षिण एशिया में सर्वाधिक (> 25%) है।
- **गरीबी में कमी:** सामाजिक सुरक्षा जाल लोगों को अतिशय गरीबी की अवस्था से निकालने में मदद करता है (36% लोगों ने अतिशय गरीबी से निजात पाया है)। इसके चलते **गरीबी अंतराल** में लगभग 45% तक की कमी आई है तथा इसने असमानता को भी कम किया है।
- **भारत की स्थिति:** समावेशन संबंधी प्रभावी हस्तक्षेप (ग्रेजुएशन मॉडल) के कारण सामाजिक सुरक्षा जाल में वृद्धि हुई है, लचीलेपन का सृजन हुआ है, फलस्वरूप लोग गरीबी के चक्र से सतत रूप से बाहर निकले हैं।
- **आपदा सुरक्षा:** सामाजिक सुरक्षा जाल जीवन चक्र में आघातों का मुकाबला करने हेतु परिवारों को सक्षम बनाते हैं, जो कि मानव पूंजी विकसित करने हेतु अनिवार्य है।

**सामाजिक सुरक्षा जाल (Social Safety Net) कार्यक्रम के प्रकार:**

- **शर्त रहित नकदी हस्तांतरण (Unconditional Cash Transfers: UCTs):** इसके अंतर्गत गरीबी उन्मूलन अथवा आपातकालीन कार्यक्रम, गारंटीयुक्त न्यूनतम आय कार्यक्रम और सार्वभौमिक या गरीब लक्षित बाल तथा पारिवारिक भत्ते जैसे हस्तक्षेप सम्मिलित हैं।
- **सशर्त नकदी हस्तांतरण (Conditional Cash Transfers: CCT):** इसका लक्ष्य गरीबी को कम करना तथा लाभार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति एवं स्वास्थ्य जांच जैसी शर्तों का अनुपालन कराकर मानव पूंजी में वृद्धि करना है।
- **सामाजिक पेंशन:** इसका उद्देश्य वृद्धावस्था, अक्षमता या पालनकर्ता की मृत्यु के कारण उन लोगों की आय की हानि को दूर करना है जिनकी सामाजिक बीमा लाभ तक पहुंच नहीं है।
- **लोक निर्माण कार्यक्रम:** यह किसी समुदाय आधारित परियोजना/गतिविधि में भाग लेने की शर्त के आधार पर हस्तांतरण करता है।
- **शुल्क छूट एवं लक्षित सब्सिडी:** यह सेवाओं को सब्सिडाइज़ करती है अथवा गरीबों की कम कीमत वाले खाद्य पदार्थ तक पहुंच सुनिश्चित करती है।
- **स्कूली भोजन कार्यक्रम** सामान्यतः गरीबों तथा खाद्य-असुरक्षित क्षेत्रों में छात्रों को भोजन प्रदान करता है।
- **जिंस/खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण:** इसमें भोजन के लिए राशन, कपड़े, स्कूल की व्यवस्था, आश्रय, उर्वरक, बीज, कृषि उपकरण या पशु और निर्माण सामग्री एवं अन्य सम्मिलित हैं।

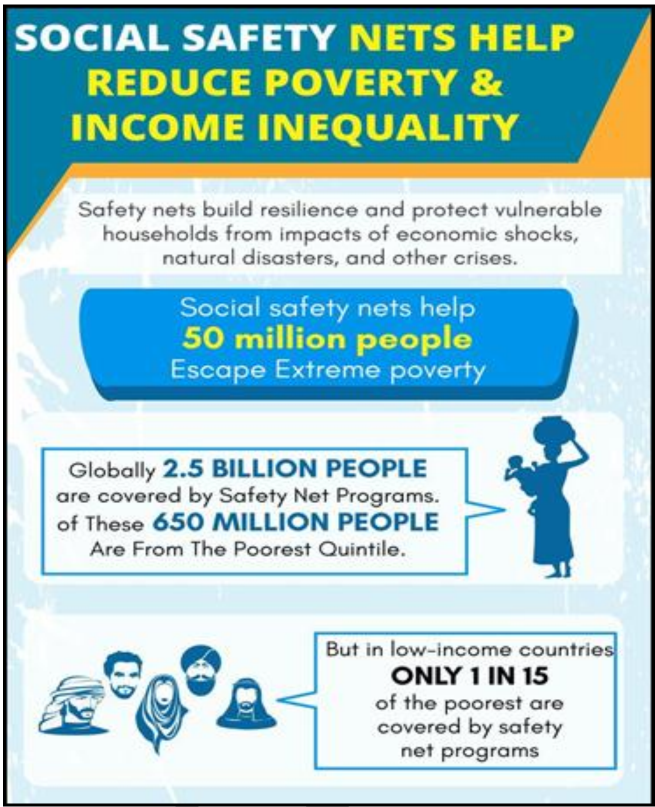

**SSN हस्तांतरण को प्रभावित करने वाले कारक:**

- **कार्यक्रम का कवरेज:** अधिकतम लाभ प्रदान करने के साथ-साथ अधिकतम कवरेज से गरीबी तथा असमानता में अधिकतम कमी आती है।
- **स्थानातंरण का स्तर:** परिवारों के संधारणीय व समग्र विकास हेतु पर्याप्त राशि का होना आवश्यक है।
- **लाभार्थी/लाभ सूचकांक:** गरीबी अंतराल में वांछित कमी के स्तर की प्राप्ति हेतु इसके अंतर्गत शामिल योजनाओं में आवश्यक रूप से सभी संभावित सुभेद्य लोगों को सम्मिलित करना चाहिए।

**संबंधित विवरण**

**विश्व बैंक की 2012 से 2022 तक की सामाजिक संरक्षण और श्रम रणनीति**

**(World Bank 2012–2022 Social Protection and Labor Strategy )**

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों के लोगों हेतु एकीकृत सामाजिक सुरक्षा और श्रम प्रणालियों, सामाजिक सुरक्षा जाल कार्यक्रमों के कवरेज में वृद्धि (विशेषतः निम्न आय वाले देशों में) तथा बेहतर साक्ष्य के माध्यम से लचीलेपन, समानता तथा अवसरों में सुधार करने में सहायता करना है।

**एस्पायर (ASPIRE): द एटलस ऑफ़ सोशल प्रोटेक्शन- इंडीकेटर्स ऑफ़ रेजिलिएंस एंड इक्विटी-** यह सामाजिक संरक्षण एवं श्रम कार्यक्रमों के वितरणात्मक और निर्धनता प्रभाव का विश्लेषण करने हेतु विश्व बैंक का सामाजिक संरक्षण एवं श्रम (SPL) संकेतकों का प्रमुख संकलन है।

**सामाजिक सहायता/सामाजिक सुरक्षा जाल कार्यक्रम**

- यह नकद या जिंस/खाद्य पदार्थों के रूप में **गैर-योगदानकारी हस्तांतरण** हैं तथा सामान्यतः गरीब एवं कमजोर लोगों को लक्षित करते हैं।
- यह **दीर्घकालिक गरीबी में सुधार या अवसर की समानता प्रदान** करने पर केंद्रित हैं।

## 7.2. मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018

### (Human Rights (Amendment) Bill, 2018)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018 को स्वीकृति प्रदान की गई।

**विधेयक के प्रस्ताव**

- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) के डीम्ड (deemed) सदस्य के रूप में **"राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग"** को शामिल करना।
- NHRC के संगठन में एक **महिला सदस्य को सम्मिलित** करना।
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के साथ-साथ राज्य मानव अधिकार आयोग के **अध्यक्ष पद हेतु पात्रता एवं चयन के दायरे में वृद्धि करना।**
- केन्द्रशासित प्रदेशों में मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की देख-रेख हेतु एक तंत्र को सम्मिलित करना।
- **राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल में संशोधन किया जाएगा** ताकि इसे अन्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल के अनुरूप बनाया जा सके।

**राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC)**

- इसे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत एक **सांविधिक निकाय** (संवैधानिक नहीं) के रूप में वर्ष 1993 में गठित किया गया था।
- NHRC के अंतर्गत **1 अध्यक्ष तथा 4 सदस्य** सम्मिलित हैं।
- इन पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त, NHRC में **4 पदेन सदस्य** भी सम्मिलित हैं, जैसे- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष।

**लाभ**

- इससे भारत में **मानव अधिकार संस्थानों को सुदृढता प्राप्त** होगी एवं सभी संस्थान अपने दायित्वों, भूमिकाओं तथा जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निष्पादन कर सकेंगे।
- संशोधित अधिनियम, जीवन, स्वतंत्रता, समानता तथा व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए **सहमत वैश्विक मापदंडों के अनुरूप होगा।**
- मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में संशोधन द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) तथा राज्य मानव अधिकार आयोग (SHRC) अधिक प्रभावी तरीके से मानव अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन करने हेतु अपनी स्वायत्तता, स्वतंत्रता, बहुलवाद तथा व्यापक कार्यों के संबंध में **पेरिस सिद्धांत का बेहतर अनुपालन** कर सकेंगे।

**पेरिस सिद्धांत**

- पेरिस सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय मानकों का एक सेट है जो राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (NHRIs) के कार्यों को ढांचा प्रदान करने के साथ मार्गदर्शन करता है।
- पेरिस सिद्धांत के अनुसार, NHRI की स्थापना एक सांविधिक अथवा संवैधानिक प्रावधान द्वारा की जानी चाहिए, जो उनके कार्यों, संरचना तथा कार्यक्षेत्र का निर्धारण कर सके।
- इन संस्थानों को न केवल औपचारिक रूप से, बल्कि वित्तीय एवं प्रशासनिक रूप से भी एक स्वायत्त और स्वतंत्र स्थिति प्रदान की जानी चाहिए।

## 7.3. बच्चों से बलात्कार

### (Child Rape)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में सरकार ने 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों से बलात्कार करने के दोषी को अदालतों द्वारा मृत्यु दंड की सजा सुनाने की अनुमति देने के लिए अध्यादेश पारित किया है।

VISION IAS

**पृष्ठभूमि**

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, 2016 में, संपूर्ण भारत में बच्चों के विरुद्ध अपराधों के 93,344 मामले दर्ज किये गए थे।
- भारतीय दंड संहिता (IPC) और लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने के लिए पर्याप्त प्रावधान होने के बावजूद इतने मामले दर्ज हुए।

**आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2018 की विशेषताएं**

- यह अध्यादेश, नए प्रावधानों को जोड़ने के लिए भारतीय दंड संहिता, साक्ष्य अधिनियम,आपराधिक प्रक्रिया संहिता और लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012 में संशोधन करेगा।
- यह प्रस्तावित करता है:
  - भारतीय दंड संहिता की धारा 376 में संशोधन करना। संशोधित प्रावधान में बलात्कार की न्यूनतम सजा 7 से बढ़ाकर 10 वर्ष तक करने का प्रस्ताव है।
  - धारा 376 (3) को सम्मिलित करना, जिसमें यह प्रावधान है कि 16 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं से बलात्कार की सजा 20 वर्ष से कम न हो सके और इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सके।
  - धारा 376AB को प्रविष्ट करना जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी जो 12 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के साथ बलात्कार करता है, उसे सश्रम आजीवन कारावास और जुर्माना अथवा मृत्यु दंड दिया जा सके।
  - 16 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के साथ गैंग रेप करने वालों को सश्रम आजीवन कारावास और जुर्माना।
  - 12 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के साथ गैंग रेप करने वालों को सश्रम आजीवन कारावास और जुर्माना अथवा मृत्युदंड देना।
- अध्यादेश में CrPC के अंतर्गत जांच की समय सीमा को तीन महीने से कम करके दो महीने तथा अपीलों के निपटारे के लिए छह महीने का समय निर्धारित किया गया है।
- अध्यादेश में यह भी प्रावधान है कि 16 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के साथ बलात्कार या गैंग रेप के आरोपियों की **अग्रिम जमानत नहीं** होगी।

**अन्य प्रस्तावित उपाय**

- **अदालतों और अभियोजन को मजबूत करना -**
  - मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और उच्च न्यायालयों के परामर्श से **फास्ट ट्रैक कोर्ट** स्थापित किए जाएंगे।
  - सभी पुलिस स्टेशनों और अस्पतालों को **विशेष फोरेंसिक किट** उपलब्ध कराई जाएगी।
  - बलात्कार के मामलों की समयबद्ध जांच के लिए **समर्पित कार्यबल**।
  - इन उपायों का **मिशन मोड** में 3 महीने के अंदर क्रियान्वित किया जाना।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यौन अपराधियों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस और उनकी प्रोफाइल बनाएगा और इसे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ **ट्रैकिंग, निगरानी और जांच** के लिए साझा करेगा।
- **'वन स्टॉप सेंटर'** की वर्तमान योजना पीड़ितों की सहायता के लिए देश के हर जिले तक विस्तारित की जाएगी।

**अध्यादेश की आलोचना**

- वर्तमान में कई ऐसे कानून और अधिनियम हैं (जैसे- **POCSO अधिनियम, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013** आदि) जो उपर्युक्त मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान करते हैं। अतः मौजूदा कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने के प्रयास किए जाने चाहिए।
- बच्चों के विरुद्ध किए गए अपराधों में शीघ्र न्याय प्रदायगी के लिए अधिक संसाधनों (यथा- मानव संसाधन, बजट और प्रौद्योगिकी का प्रयोग) के प्रयोग की आवश्यकता है। साथ ही, मौजूदा एकीकृत बाल संरक्षण योजना और अन्य सहायता सेवाओं को सुदृढ़ करके इसे सर्वाइवर-केंद्रित बनाने की भी आश्यकता है।
- वर्तमान में, बलात्कार के मामलों के निवारण में वृहद् स्तर पर बैकलॉग है, बलात्कार पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों के लिए मनो-सामाजिक काउंसिलिंग और पुनर्वास की व्यवस्था में कमी व्याप्त है।
- POCSO और RTE को जम्मू, कश्मीर और लद्दाख तक भी विस्तारित किया जाना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त फोकस त्वरित जांच और दोषसिद्धि पर होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम त्वरित सुनवाई का प्रावधान नए कानून में भी है। लेकिन त्वरित जांच और दोषसिद्धि का प्रावधान 2013 के अधिनियम में भी था।
- दंड संबंधी नया प्रावधान मामलों की रिपोर्टिंग को प्रभावित करेगा क्योंकि इन मामलों में प्रायः संबंधी ही दोषी होते हैं और परिवार के सदस्य अपने उन संबंधियों को फांसी की सजा नहीं दिलवाना चाहेंगे, 10 वर्ष या 20 वर्ष के लिए कारावास की सजा एक अलग बात है।

## 7.4. NIRF इंडिया रैंकिंग -2018

**(NIRF India Rankings 2018)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए 'NIRF इंडिया रैंकिंग 2018' जारी की है।



VISION IAS

**पृष्ठभूमि**

- देश भर के संस्थानों को रैंक प्रदान करने, शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा देने तथा बेहतर प्रदर्शन करने हेतु प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2015 में **राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF)** को आरंभ किया गया था।
- यह फ्रेमवर्क शिक्षण, अधिगम और शोध में उत्कृष्टता के अतिरिक्त विविधता एवं समावेशन जैसे भारत-केंद्रित मापदंडों का अनुपालन करता है।

**NIRF इंडिया रैंकिंग के सम्बन्ध में**

- NIRF द्वारा 2018 में **संस्थानों** को तीन नयी श्रेणियों यथा- चिकित्सा, वास्तुकला एवं विधि सहित **9 भिन्न-भिन्न श्रेणियों में** रैंकिंग प्रदान की गयी है। साथ ही, पहली बार इसमें डेंटल कॉलेजों को भी शामिल किया गया है।
- NIRF-2018 में निम्नलिखित **पांच मापदंडों** के आधार पर संस्थानों को रैंक प्रदान की गयी हैं:
    - **शिक्षण, अधिगम और संसाधन (Teaching, Learning and Resources) -** ये शिक्षकों, पुस्तकालयों और प्रयोगशाला संसाधनों की **संख्या एवं गुणवत्ता** तथा युवाओं के विकास के लिए **सामान्य सुविधाओं** को मापने पर बल देते हैं।
    - **अनुसंधान और पेशेवर कार्य प्रणाली (Research and Professional Practices)-** ये अंतरराष्ट्रीय डेटा बेस, IPR उत्पादन और उद्योग एवं सहकर्मी पेशेवरों के साथ इंटरफेस के आधार पर **अनुसंधान के परिणाम की मात्रा और गुणवत्ता** को मापते हैं।
    - **स्नातक परिणाम (Graduation outcomes) -** यह छात्रों के स्नातक होने की दर तथा उनके उद्योग और सरकार में नियुक्ति पाने या उच्च अध्ययन के लिए जाने की सफलता को मापता है।
    - **पहुँच और समावेशिता (Outreach and Inclusivity)-** यह छात्र या शिक्षक समुदाय में महिलाओं और सामाजिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व पर और साथ ही संस्थान की आउटरीच गतिविधियों पर भी बल देता है।
    - **धारणा (Perception)-** संस्थानों के प्रति इनके हितधारकों की धारणा को आधार बनाता है।
- **NIRF 2018** में **नए मानदंड** शामिल किये गए हैं जैसे कुल बजट और इसका उपयोग, प्रकाशन की गुणवत्ता के लिए संयुक्त माप, विश्वविद्यालय परीक्षाएं एवं कितने स्नातक छात्रों ने शीर्ष संस्थानों में प्रवेश लिया।
- यह रैंकिंग महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि संस्थानों के प्रदर्शन को **"उत्कृष्टता के संस्थान (Institutions of Eminence)" योजना** से जोड़ा गया है।

***"उत्कृष्टता के संस्थान" योजना के विषय में अधिक जानकारी के लिए समसामयिकी फ़रवरी 2018 का सन्दर्भ लें।***

## 7.5. उन्नत भारत अभियान 2.0

**(Unnat Bharat Abhiyan 2.0)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में उन्नत भारत अभियान 2.0 का शुभारंभ किया गया है।

**उन्नत भारत अभियान 2.0**

- यह **उन्नत भारत अभियान का द्वितीय चरण** है जिसमें प्रमुख संस्थानों के छात्र देश भर में ग्रामीण जनसंख्या द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का समाधान करने में सहायता करेंगे।
- उन्नत भारत अभियान को भारत सरकार द्वारा ग्रामीण भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप अनुसंधान और प्रशिक्षण के क्षेत्र में उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्थागत क्षमता के निर्माण तथा ग्रामीण भारत को इन संस्थानों के माध्यम से पेशेवर संसाधन समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था।

उन्नत भारत अभियान 2.0 के अंतर्गत:

- संस्थानों को **चुनौती विधि (challenge mode)** द्वारा चयनित किया जाएगा।
- योजना को **देश के प्रतिष्ठित 750 उच्च शिक्षा संस्थानों (सार्वजनिक एवं निजी दोनों) में विस्तारित किया जाएगा।**
- IIT दिल्ली को इस कार्यक्रम हेतु **राष्ट्रीय समन्वयक संस्थान** के रूप में नियुक्त किया गया है।
- प्रत्येक चयनित संस्थान को **गांवों/पंचायतों के एक समूह को गोद लेना** होगा तथा समय के साथ क्रमशः अपनी पहुँच को विस्तारित करना होगा।
- संस्थान अपनी फैकल्टी एवं छात्रों के माध्यम से गोद लिए गए गांवों में निर्वाह करने की स्थितियों का अध्ययन करेंगे। जिसके अंतर्गत निम्नलिखित पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा:
    - स्थानीय समस्याओं एवं आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना।
    - विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में तकनीकी हस्तक्षेपों से लाभ प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगाना।
    - चयनित गांवों हेतु व्यावहारिक कार्य योजना का निर्माण करना।
- ये अध्ययन ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को गति प्रदान करने में सहायक होंगे।
- संस्थान जिला प्रशासन, पंचायत/गांवों के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं अन्य हितधारकों के साथ निकट समन्वय में कार्य करेंगे।

VISION IAS

- इसके अतिरिक्त प्रतिभागी संस्थानों को सहारा देने एवं उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु विषय विशेषज्ञ समूह तथा क्षेत्रीय समन्वय संस्थान प्रदान करने के लक्ष्य को भी सुदृढ़ बनाया गया है।
- इस प्रक्रिया में, ऐसे संस्थानों के शिक्षकों और छात्रों को एक नयी दिशा प्रदान की जाएगी और उन्हें ग्रामीण वास्तविकताओं से जोड़ा जाएगा ताकि उनका अधिगम (लर्निंग) और शोध कार्य समाज के लिए और अधिक प्रासंगिक भी बन सके।

## 7.6. राष्ट्रीय आविष्कार अभियान

(Rashtriya Avishkar Abhiyan)

**सुर्खियों में क्यों?**

हाल ही में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय आविष्कार अभियान (RAA) का शुभारंभ किया।

**राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के बारे में**

- यह अभियान पर्यवेक्षण, परीक्षण, इंफरेंस ड्राइंग (निष्कर्ष निकालना), मॉडल विकसित करने इत्यादि के माध्यम से विज्ञान, गणित एवं प्रौद्योगिकी में 6-18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को प्रेरित करने और संलग्न करने की परिकल्पना करता है।
- RAA के मुख्य उद्देश्य-
  - देश के ऐसे छात्रों को विदेश जाने से रोकना जो अपने विचारों के समर्थन हेतु अपनी गृहभूमि का त्याग करते हैं।
  - GIAN (ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर ऐकडेमिक नेटवर्क) कार्यक्रम शुरू किया गया है।
  - छात्रों को नए नवाचारों और नई डिजाइन (अभिकल्पनाओं) की दिशा में प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- RAA के अंतर्गत, नवाचार कार्यक्रमों, छात्र आदान-प्रदान कार्यक्रमों, प्रदर्शनों, छात्रों के भ्रमणों आदि के माध्यम से IITs/IIMs /IISERs और अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों व प्रतिष्ठित संगठनों जैसे संस्थानों द्वारा सरकारी स्कूलों को परामर्श प्रदान किया जाएगा ताकि विज्ञान और गणित को सीखने के लिए छात्रों में स्वभाविक उत्सुकता का विकास हो सके।
- **वित्तपोषण:** इसका वित्तपोषण सर्व शिक्षा अभियान (SSA) तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) के अंतर्गत किया जायेगा। इसके साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय व उच्चतर शिक्षा विभाग के संस्थानों के साथ सहयोगपूर्ण पहलों के मामलों में उनकी योजनाओं एवं मानदंडों के अनुसार वित्तपोषण की सुविधा उपलब्ध होगी।

## 7.7. वन धन योजना

(Van Dhan Scheme)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वन धन योजना आरंभ की गयी है।

**पृष्ठभूमि**

- लघु वन उपज (Minor Forest Produce: MFP) वन क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियों के लिए आजीविका का प्रमुख स्रोत है।
- वन में निवास करने वाले लगभग 100 मिलियन लोग भोजन, आश्रय, औषधि एवं नकदी आय के लिए MFP पर निर्भर करते हैं।
- जनजातीय लोग अपनी वार्षिक आय का लगभग 20-40% MFP एवं संबद्ध गतिविधियों द्वारा प्राप्त करते हैं तथा इसका महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से भी सुदृढ़ संबंध है क्योंकि अधिकांश MFP का संग्रहण, उपयोग एवं बिक्री महिलाओं द्वारा की जाती है।
- MFP क्षेत्र में देश में वार्षिक रूप से लगभग 10 मिलियन कार्य दिवस के सृजन की क्षमता है।
- अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, लघु वन उपज (MFP) को पादपों से उत्पन्न होने वाले सभी गैर-काष्ठ वन उत्पादों के रूप में परिभाषित करता है। इसके अंतर्गत बांस, ब्रशवुड, स्टंप, केन, टसर (Tusser), कोकून, शहद, मोम, लाख, तेंदु/केंडू पत्तियां, औषधीय पौधे, जड़ी बूटी, जडें, कंद इत्यादि सम्मिलित हैं।
- सरकार ने पूर्व में आदिवासी जनसंख्या की आय की सुरक्षा हेतु **"लघु वन उपज (MFP) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)"** नामक एक योजना आरम्भ की थी।
- हालांकि, MFP से संबंधित अधिकांश व्यापार असंगठित प्रकृति का रहा है, जिसने सीमित मूल्य संवर्धन के कारण जमाकर्ताओं को कम प्रतिफल (रिटर्न) देने के साथ उच्च अपशिष्ट उत्पन्न किया है। इस प्रकार, MFP आपूर्ति श्रृंखला के फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज़ को सुदृढ़ता देने हेतु मजबूत संस्थागत तंत्र के साथ अधिक समग्र दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है।

**वन धन योजना**

- इस योजना के अंतर्गत **30 जनजातीय संग्रहकर्ताओं के 10 स्वयं सहायता समूहों** (SHGs) अर्थात् वन धन विकास समूहों का गठन किया जाएगा। इसके पश्चात इन्हें वन से एकत्रित उत्पादों के मूल्य संवर्द्धन हेतु कार्यशील पूंजी प्रदान की जाएगी।
- एक ही गांव के भीतर इस प्रकार के 10 SHGs के संकुल द्वारा वन धन विकास केंद्र का गठन किया जाएगा।
- वन धन विकास केंद्र **कौशल उन्नयन, क्षमता निर्माण प्रशिक्षण, प्राथमिक प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्द्धन सुविधा की स्थापना इत्यादि प्रदान करने हेतु बहुउद्देश्यीय प्रतिष्ठान** होते हैं।

- प्राथमिक प्रसंस्करण के पश्चात इन SHGs द्वारा स्टॉक को राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को भेजा जाएगा अथवा कॉर्पोरेट सेकेंडरी प्रोसेसर के साथ आपूर्ति हेतु सीधा समझौता किया जाएगा।
- जिला स्तर पर द्वितीय स्तर तथा राज्य स्तर पर तृतीय स्तर की मूल्य संवर्द्धन सुविधा के निर्माण हेतु बड़े निगमों को PPP मॉडल के तहत सम्मिलित किया जाएगा।
- यह योजना केंद्रीय स्तर पर नोडल विभाग के रूप में **जनजातीय कार्य मंत्रालय** द्वारा तथा राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में **ट्राइफेड (TRIFED)** के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी।
- राज्य स्तर पर MFP हेतु राज्य नोडल एजेंसी तथा प्राथमिक स्तर पर जिलाधिकारियों द्वारा योजना कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की परिकल्पना की गई है।
- पहला मॉडल वन धन विकास केंद्र छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थापित किया जा रहा है, जो 300 लाभार्थियों को प्रशिक्षित करेगा।

## 7.8. ग्राम स्वराज अभियान

**(Gram Swaraj Abhiyan)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

प्रधानमंत्री द्वारा अम्बेडकर जयंती के अवसर पर "ग्राम स्वराज अभियान" आयोजित करने की घोषणा की गई थी।

**ग्राम स्वराज अभियान के बारे में**

- इस अभियान (कैंपेन) का आयोजन निर्धन परिवारों तक पहुंच बनाने, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और अन्य जन केंद्रित पहलों के संदर्भ में जागरूकता फैलाने के लिए किया गया।
- इस अभियान को "सबका साथ, सबका गाँव, सबका विकास" नाम से आरंभ किया गया था।
- ग्राम स्वराज अभियान के दौरान सात कल्याणकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत सार्वभौमिक कवरेज हेतु बड़ी संख्या में वंचित परिवारों के साथ देश भर में 21058 गांवों की पहचान की गई है।
- सात कल्याणकारी कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:
  - प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
  - सौभाग्य योजना
  - उजाला योजना
  - प्रधानमंत्री जन धन योजना
  - प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
  - प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
  - मिशन इंद्रधनुष

## 7.9. राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण

**(National Annual Rural Sanitation Survey: NARSS)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, NARSS के परिणाम प्रकाशित किए गए।

**NARSS के बारे में**

- यह सर्वेक्षण एक **स्वतंत्र सर्वेक्षण एजेंसी** - कंटार पब्लिक (Kantar Public) - द्वारा मध्य-नवंबर 2017 और मध्य-मार्च 2018 के बीच आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य विश्व बैंक समर्थित परियोजना स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए संवितरण **संबद्ध संकेतकों (Disbursemment Linked Indicators: DLI)** के संदर्भ में **आधार रेखा** स्थापित करना था।
- NARSS वार्षिक तौर पर विश्व बैंक के निम्नलिखित तीन DLI की माप करता है:
  - खुले में शौच के प्रचलन में कमी;
  - गांवों में ODF (खुले में शौच से मुक्त) की स्थिति को बनाये रखना; तथा
  - ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को उपयोग में लाने वाली जनसंख्या में वृद्धि।

**स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण**

सार्वभौमिक स्वच्छता प्राप्त करने के प्रयासों को तीव्र करने के उद्देश्य से 2014 में स्वच्छ भारत मिशन (SBM) की शुरुआत की गयी। SBM के दो उप-मिशन हैं: **SBM-शहरी** और **SBM-ग्रामीण**।

SBM-ग्रामीण को **पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय** द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

**SBM के एक उप-मिशन के रूप में SBM-ग्रामीण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**

- स्वच्छता एवं सफाई को बढ़ावा देकर और खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करके जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाना।

- 2019 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज को तीव्रता से बढ़ाना।
- जागरूकता सृजन और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से धारणीय स्वच्छता प्रथाओं एवं सुविधाओं को अपनाने के लिए समुदायों तथा पंचायती राज संस्थानों को प्रेरित करना।
- लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना।
- वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए समुदाय द्वारा प्रबंधित स्वच्छता प्रणाली का विकास करना।

**एक ODF सत्यापित गांव की ODF के रूप में पुष्टि तभी की जाती है जब:**
- परिवेश या गांव में कोई दृश्यमान मल नहीं पाया गया।
- प्रत्येक घर के साथ-साथ सार्वजनिक/सामुदायिक संस्थानों को मल के निपटारे के लिए सुरक्षित प्रौद्योगिकी विकल्प का उपयोग करते हुए पाया गया।

**NARSS, 2017 के निष्कर्ष**
- ODF सत्यापित गांवों में से 95.6% की ODF के रूप में पुष्टि की गई है।
- शेष 4.4% गांवों की निम्नलिखित कारणों से पुष्टि नहीं की जा सकी -
    - गांवों में शौचालयों तक 100% से कम पहुंच।
    - गांव में किसी भी घर में एक अस्वच्छ/निष्क्रिय/असुरक्षित शौचालय की उपस्थिति।
    - शौचालय का प्रयोग नहीं।
    - स्कूलों या आंगनवाड़ी में शौचालयों का न होना।
    - गांव में दृश्यमान मल पदार्थ की उपस्थिति।
- 77% परिवारों की शौचालयों तक पहुंच पायी गयी।
- शौचालयों तक पहुंच वाले लोगों में से 93.4% नियमित रूप से इसका प्रयोग करते थे।
- 70% गांवों में न्यूनतम कचरा और स्थिर जल पाया गया।
- राज्यों में, केरल और मिजोरम ने 100% ODF का दर्जा प्राप्त कर लिया है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार 44% से कम ODF परिवारों के साथ निम्नतम रैंकिंग पर हैं।
- हालांकि, **छोटे नमूना आकार (स्माल सैंपल साइज)** का उपयोग करने के लिए इन निष्कर्षों की आलोचना की गई है जो स्वच्छता की स्थिति के समग्र अवलोकन के लिए पर्याप्त नहीं है।

# 8. संस्कृति

(CULTURE)

## 8.1. विश्व धरोहर स्थल

(World Heritage Sites)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल करने हेतु पूर्वोत्तर राज्यों के 6 स्मारकों/ऐतिहासिक स्थलों की अस्थायी तौर पर पहचान की गयी है।

**विश्व धरोहर स्थल (WHS) क्या है?**

- विश्व संस्कृति और प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा से संबंधित सम्मेलन 1972 के अंतर्गत, यूनेस्को विश्व भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर की पहचान और उनके संरक्षण को प्रोत्साहित करता है। ये धरोहरें विश्व संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए अति महत्वपूर्ण हैं।
- इस प्रकार की विरासत, विश्व धरोहर स्थल सूची के तहत सूचीबद्ध हैं।
- WHS जागरूकता बढ़ाने, विशेषज्ञ सलाह और वित्तीय सहायता प्राप्त करने में भी मदद करता है।
- WHS को सांस्कृतिक स्थलों, प्राकृतिक स्थलों और मिश्रित स्थलों में वर्गीकृत किया गया है।
- विश्व धरोहर दिवस प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है।

**विवरण**

- **आपातानी सांस्कृतिक क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश:**
  - आपातानी सभ्यता अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली (Zero Valley) में विद्यमान थी।
  - घाटी की विशिष्टता सीमित भू-क्षेत्र का न्यायसंगत उपयोग है। घाटी में अपेक्षाकृत सपाट भूमि चावल की खेती के साथ- साथ मत्स्य पालन हेतु भी प्रयोग की जाती है।
  - आपातानी सभ्यता के लोग **बुलयान (bulyañ)** नामक उनकी प्रभावी पारंपरिक ग्राम परिषद् के लिए भी जाने जाते हैं। यह परिषद् पर्यवेक्षण, निर्देशन और सम्पूर्ण समुदाय को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के कानूनी निरीक्षण का कार्य करती थी।

**भारत के विशिष्ट साड़ी बुनाई केंद्र:** इस अखिल भारतीय समूह में पांच भारतीय राज्यों के स्थल शामिल हैं: मध्य प्रदेश (चंदेरी, 13वीं शताब्दी में मोरक्कन यात्री इब्नबतूता भी यहां आया था), उत्तर प्रदेश (बनारस और मुबारकपुर), महाराष्ट्र (पैठन और येवला), आंध्र प्रदेश (कोय्यलगुडम और पोचमपल्ली, भारत का रेशम शहर इकत साड़ी के लिए प्रसिद्ध) और असम (मूगा और शहतूत रेशम के लिए सुआलकुची)।

- **असम में अहोम राजवंश की टीला शवाधान परम्परा - मोइडम- (Moidams - the Mound - Burial System of the Ahom Dynasty, Assam)**
  - मोइडम सामान्यतः एक दो मंजिला गुंबदाकार कक्ष (चाउ-चाली) होता है, जिसमें गुंबदाकार संकरे मार्ग द्वारा प्रवेश किया जाता है। इसका प्रयोग राजवंश के सदस्यों को दफनाने के लिए किया जाता था। ये पटकाई पहाड़ियों की तलहटी में सोराइदेउ (Choraideo) क्षेत्र में स्थित हैं। चांग्रंग फुकन (अहोम लोगों द्वारा विकसित धर्मशास्त्र: Changrung Phukan) के अनुसार मोइडम लकड़ियों से बनाए जाते थे और बाद में इन्हें पकी हुई ईंटों से बनाया जाने लगा।

**नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, अरुणाचल प्रदेश**

- यह विश्व का एकमात्र उद्यान है जिसमें बड़े विडालवंशियों (big cats) की चार प्रजातियां पायी जाती हैं, ये हैं: बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और क्लाउडेड तेंदुआ। यह क्षेत्र भारत-म्यांमार-चीन के ट्राइ-जंक्शन के समीप स्थित है।

- **असम में ब्रह्मपुत्र नदी का माजुली नदी द्वीप**
    - माजुली द्वीप एक जलीय भू-क्षेत्र (नदी का डेल्टा) है। माजुली द्वीप की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता इसके चारों ओर स्थानीय रूप से स्थित चैपरिस नामक छोटे टापू हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी मध्य नदी डेल्टा प्रणाली (mid river delta system) है।
- **दुर्गीकृत थंबांग गांव, अरुणाचल प्रदेश**
    - थंबांग मोनपा जनजाति की जीवित सांस्कृतिक परंपराओं का अभूतपूर्व प्रमाण है। इसमें भूटानी, तिब्बती और पूर्वोत्तर भारत की विविध देशज संस्कृतियों के प्रभाव दृश्यमान होते हैं। इसमें उनकी सामाजिक संरचना और प्रथाओं, संस्कार, अनुष्ठान और उनकी स्थानीय भवन निर्माण सम्बन्धी ज्ञान प्रणालियां जैसे कि जॉन्ग (Dzongs) या किले शामिल हैं, जो भूटान और तिब्बत में भी पाए जाते हैं।

## 8.2. कोणार्क मंदिर

(Konark Temple)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- हाल ही में, ओडिशा के कोणार्क के सूर्य मंदिर में एक **अत्याधुनिक व्याख्या केंद्र और पर्यटक सुविधा केंद्र** का उद्घाटन किया गया।

**सूर्य मंदिर, कोणार्क से संबंधित तथ्य**

- इस मंदिर का निर्माण **13 वीं शताब्दी में गंग राजवंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम** द्वारा कराया गया था।
- इसमें सूर्य देव का उत्कृष्ट रूप से सुसज्जित 12 जोड़ी पहियों से युक्त एक विशाल रथ स्थापित किया गया है जिसे सात घोड़ों द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है।
- इसे सांस्कृतिक श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है।
- यह ओडिशा के स्वर्णिम त्रिभुज की तृतीय कड़ी है। प्रथम कड़ी जगन्नाथ पुरी और द्वितीय भुवनेश्वर (ओडिशा का राजधानी शहर) है।
- इसके गहरे रंग के कारण इसे **'ब्लैक पगोडा'** के रूप में भी वर्णित किया जाता है।

**भारत के अन्य प्रसिद्ध सूर्य मंदिर**

| मंदिर का नाम | अन्य विवरण |
|---|---|
| सूर्य मंदिर, मोढेरा | • गुजरात<br>• पुष्पावती नदी के तट पर स्थित है |
| सूर्य नारायण मंदिर, अरसावल्ली | • आंध्र प्रदेश<br>• कलिंग राजा देवेंद्र वर्मा द्वारा 7 वीं शताब्दी में बनवाया गया |
| सूर्य मंदिर, मार्तंड | • जम्मू-कश्मीर<br>• जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय महत्व के रूप में सूचीबद्ध और भारत के संरक्षित स्मारकों में से एक |
| सूर्य मंदिर, ग्वालियर | • मध्य प्रदेश<br>• वास्तुकला कोणार्क के सूर्य मंदिर से प्रेरित है |
| बह्मन्य देव मंदिर, उनाव | • मध्य प्रदेश<br>• अद्वितीय वास्तुकला और डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है |
| सूर्य मंदिर, रांची | • झारखंड |
| सूर्य मंदिर, कटारमल | • उत्तराखंड<br>• इसे शानदार नक्काशीदार स्तम्भों और लकड़ी के दरवाजों के लिए जाना जाता है |
| सूर्य पहाड़ मंदिर, असम | • असम<br>• शैलोत्कीर्ण शिवलिंग, बारह-भुजाओं वाली विष्णु की मूर्ति और गणेश एवं हरिहर की मूर्तियों के अवशेष हैं |

| | |
|---|---|
| सूर्य नारायण मंदिर, डोमलूर | • कर्नाटक |
| दक्षिणार्क मंदिर, गया | • बिहार<br>• यहां आदित्य (सूर्य देवता) की प्रतिमाएं विद्यमान हैं |
| सूर्यनार मंदिर, कुंभकोणम | • तमिलनाडु<br>• तमिलनाडु के नौ नवग्रह मंदिरों में से एक |

## 8.3. मधुबनी चित्रकला

(Madhubani Painting)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- हाल ही में, मधुबनी/मिथिला चित्रकला का उपयोग बिहार में मधुबनी रेलवे स्टेशन के सौन्दर्यीकरण हेतु किया गया। वर्तमान में, यह भारत के सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशनों में से एक बन गया है।

**मधुबनी चित्रकला से संबंधित तथ्य**

- इसे यह नाम बिहार के मधुबनी कस्बे से प्राप्त हुआ है जहां इस कला शैली को पारंपरिक रूप से चित्रित किया जाता था।
- इसकी उत्पत्ति रामायण काल से मानी जाती है।
- अभिलाक्षणिक विशेषताएं
    - चटख रंगों और विषम रंगों या पैटर्न से भरा रेखा चित्र।
    - **प्रमुख विषय:** ज्यामितीय निरूपण; कृष्ण, राम, तुलसी का पौधा, दुर्गा, सूर्य और चंद्रमा जैसे हिन्दुओं के धार्मिक रूपों का अंकन; विवाह, जन्म आदि जैसे शुभ अवसरों का चित्रण।
    - **पुष्प, पशु और पक्षी रूपों** का भी चित्रण है और यह प्रतीकात्मक प्रकृति को दर्शाती है, उदाहरण के लिए- मछली सौभाग्य और उर्वरता को प्रदर्शित करती है।
    - सामान्यतः **दोहरी रेखाओं युक्त किनारा, रंगों का स्पष्ट उपयोग, अलंकृत पुष्प पैटर्न** और **अतिरंजित मुखमंडल** की विशेषताएं शामिल हैं।
    - बिना छायांकन के द्विआयामी चित्र।
- इसमें चित्रों को **गाय के गोबर और मिट्टी से लेपित दीवारों के ताजे प्लास्टर पर चावल के लेप और सब्जियों के रंगों का उपयोग करके चित्रित किया जाता है**। वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए अब इसे कागज़, कपड़ा, कैनवास आदि पर भी बनाया जा रहा है। महिलाओं के साथ पुरुष भी अब इस कला परम्परा में शामिल हो गए हैं।
- इसे **भौगोलिक संकेतक (GI)** टैग दिया गया है।

## 8.4. राष्ट्रीय संस्कृति निधि

(National Culture Fund)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- राष्ट्रीय संस्कृति निधि (NCF) की स्थापना के बाद से इसके तहत कुल 34 परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूर्ण की गई हैं।

**राष्ट्रीय संस्कृति निधि से संबंधित तथ्य**

- यह भारत में कला और संस्कृति के लिए **मौजूदा स्रोतों और वित्त पोषण तंत्र से अलग एक वित्त पोषण तंत्र** के रूप में स्थापित किया गया था।
- इसे धर्मार्थ दान अधिनियम, 1890 (Charitable Endowment Act, 1890) के तहत एक **ट्रस्ट** के रूप में स्थापित किया गया था।
- इसका लक्ष्य **भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने, संरक्षित करने और उसकी सुरक्षा** के कार्य में संलग्न होने के लिए **व्यक्तियों के साथ-साथ निजी संस्थानों** को भी आमंत्रित करना है।
- **केंद्रीय संस्कृति मंत्री** की अध्यक्षता वाली एक परिषद् इस निधि को प्रबंधित और प्रशासित करने के साथ-साथ नीतिगत निर्णय लेती है। जबकि **संस्कृति सचिव की अध्यक्षता वाली कार्यकारी समिति** उन नीतियों को कार्यान्वित करती है।
- सरकार ने NCF को एक मुश्त राशि आवंटित की है। सरकार द्वारा NCF को इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य राशि प्रदान नहीं की गयी है। यह कई अन्य स्रोतों से अंशदान और स्वैच्छिक दान के रूप में वृत्तिदान (endowments) प्राप्त करता है।
- NCF द्वारा प्रारम्भ की गई सभी परियोजनाएं संबंधित दाता संगठन और **NCF द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरी की जाती हैं।**

VISION IAS

## 8.5. यूनेस्को एटलस ऑफ़ दी वर्ल्डस लैंग्वेजेज इन डेंजर

(UNESCO Atlas of the World's Languages in Danger)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- हाल ही में, गोंडी भाषा के प्रथम शब्दकोश का विमोचन किया गया।

**अन्य सम्बंधित तथ्य**

- परियोजना का लक्ष्य एक मानकीकृत और एकीकृत भाषा का निर्माण करना है। यह संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त **निकाय इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र** द्वारा समर्थित है।
- वर्तमान में, गोंडी भाषा 6 राज्यों (मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश) में लगभग 20 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है। इसमें छह अलग-अलग बोलियाँ शामिल हैं लेकिन यह केवल 100 लोगों द्वारा लिखी जा सकती है।
- यूनेस्को ने इसे उपर्युक्त एटलस में 'वल्नरेबल' श्रेणी के तहत रखा है।

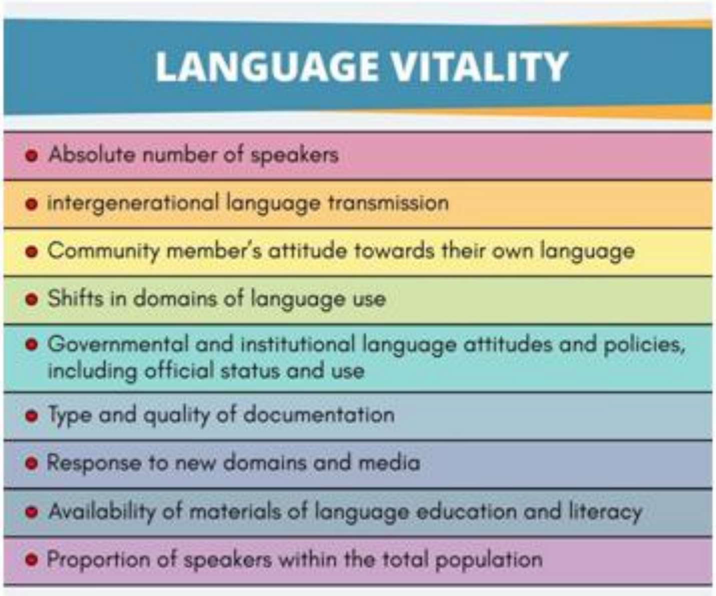


**यूनेस्को एटलस ऑफ़ दी वर्ल्डस लैंग्वेजेज इन डेंजर**

- एटलस का लक्ष्य संकटमय भाषाओं और विश्व की भाषाई विविधता की रक्षा करने की आवश्यकता के संबंध में **जागरूकता में वृद्धि करना** है।
- यह लुप्तप्राय भाषाओं की स्थिति और वैश्विक स्तर पर **भाषाई विविधता के रुझानों** की निगरानी के एक साधन के रूप में भी कार्य करता है।
- यह भाषा की महत्ता को निर्धारित करने हेतु नौ कारकों का उपयोग करता है।
- यह संकट की श्रेणी के आधार पर भाषा को *सेफ, वल्नरेबल, डेफिनेटली इनडैंजर्ड, सिविअरली इनडैंजर्ड, क्रिटिकली इनडैंजर्ड और एक्सटिंक्ट* के रूप में श्रेणीबद्ध करता है।

# 9. नीतिशास्त्र

(ETHICS)

## 9.1. असमानता एवं नीतिशास्त्र

(Inequality and Ethics)

असमानता एक ऐसी स्थिति है, जिसमें कुछ लोगों के पास ऐसे स्थानों, वस्तुओं, सेवाओं जैसी चीजों तक पहुंच होती है जिन तक अन्य लोगों की पहुँच नहीं होती है। ऐतिहासिक रूप से, प्रायः असमानताओं का आरोपण आज्ञापत्रों द्वारा हुआ, जैसे कुलीन वर्ग और संघों की उपस्थिति अथवा शायद यह रंगभेद, दासता या जातिवाद आदि के रूप में सामूहिक विशेषताओं के आधार पर अस्तित्व में आयी। वर्तमान समाजों में लोगों की संसाधनों तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए संपत्ति के अधिकारों का उपयोग किया जाता है। अतः असमानता की न्यायसंगतता को निर्धारित करते समय इन बातों पर तर्क करना आवश्यक हो जाता है कि कुछ लोग अधिक संपत्ति और परिणामस्वरूप स्थानों, वस्तुओं व सेवाओं तथा सामाजिक अवसरों तक अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक पहुंच के पात्र क्यों हैं।

**असमानता के समर्थक** आमतौर पर 3 नैतिक तर्कों में से किसी एक का सहारा लेते हैं:

- **डेज़र्ट एथिक्स (Desert Ethics):** डेज़र्ट एथिक्स के अनुसार व्यक्ति जिस योग्य हो, उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना ही उचित है। इसलिए, यदि किसी ने कुछ बनाया है, जैसे कि संपत्ति, तो वह उसके स्वामित्व का हकदार है और उसे दूसरों को उसका उपयोग करने से रोकने का सम्पूर्ण अधिकार होना चाहिए।
- **वॉलंटरिस्ट एथिक्स (Voluntarist Ethics):** इसके अनुसार, वे आदान-प्रदान जो असमान वितरण का कारण बने, स्वैच्छिक रूप से किये गये थे - अर्थात् लोग इन लेन-देनों के लिए सहमत थे और इस प्रकार वे इनके परिणामों से भी सहमत थे। इसलिए, असमानता केवल उन लेन-देनों का एक परिणाम है जिसके लिए लोगों द्वारा पहले ही सहमति प्रदान की जा चुकी है।
- **'ग्रोइंग द पाई' का नीतिशास्त्र (The Ethics of 'Growing the Pie'):** इस सिद्धांत के अनुसार, कुछ लोगों को उच्चतर वैधानिक स्थिति प्रदान करने के परिणामस्वरूप, सभी के लिए अधिक संपत्ति और अवसर उपलब्ध होंगे।

लेकिन किसी व्यक्ति द्वारा अधिकांश सम्पत्ति अर्जन भाग्यवश होता है। यहां तक कि वे लोग जो सशक्त कार्य-नैतिकता विकसित करते हैं, वे भी अधिकांशतः ऐसा अपने आनुवंशिक संघटन, परिवेश और पालन-पोषण के कारण कर पाते हैं। साथ ही, प्राकृतिक संसाधनों, जो प्रकृति के मुफ्त उपहार हैं, का अमीरों द्वारा और अमीर बनने के लिए अधिक मात्रा में दोहन किया जाता है। विधि का शासन, अवसंरचना तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी सार्वजनिक सेवाएं भी संपत्ति के अर्जन में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। इसके अतिरिक्त, उच्च असमानता के परिणामस्वरूप गरीबों की आय में वृद्धि कम हो जाती है। इसलिए, असमानता के वस्तुतः नैतिक निहितार्थ भी हैं।

**असमानता का उच्च स्तर निम्नलिखित नैतिक मुद्दे उत्पन्न करता है:**

- असमानता एक **निम्न सद्गुणों वाला समाज** निर्मित करती है क्योंकि,
    - समाज के सदस्यों के बीच **आपसी विश्वास** का गुण विलुप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, अत्यधिक वंचना किसी व्यक्ति को झूठ बोलने या चोरी करने के लिए बाध्य कर सकती है।
    - **व्यक्तिगत आत्म-निर्णय** का गुण विलुप्त हो जाता है क्योंकि असमानता जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए समान अवसरों को समाप्त कर देती है। उदाहरण के लिए, एक अमीर बच्चे के पास किसी गरीब बच्चे की तुलना में शिक्षा और पोषण के बेहतर अवसर उपलब्ध होते हैं।
    - समाज में **सम्मान और सहिष्णुता** का गुण समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, अमीरों द्वारा किये जाने वाले अपव्यय के कारण गरीब उनकी तर्कसंगतता और बुद्धिमत्ता को निम्नस्तरीय मानते हैं।
    - **आज्ञाकारिता** का गुण भी समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं, नियम तोड़ते हैं और दंगे करने लगते हैं।
- असमानता **वितरण मूलक न्याय** का उल्लंघन करती है। उदाहरणार्थ, पारिश्रमिक का वितरण किसी व्यक्ति द्वारा किये गए श्रम या कार्य हेतु किये गये उसके प्रयासों के अनुरूप नहीं होता है।
- अत्यधिक असमानता के कारण गरिमापूर्ण **जीवन** के अधिकार, **समानता** के अधिकार और **समान अवसर** प्राप्त करने के अधिकार का हनन होता है। इसके परिणामस्वरूप भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल इत्यादि का अभाव उत्पन्न हो जाता है। असमानता बाध्यता उत्पन्न करती है और **चयन का अधिकार** छीन लेती है।

VISION IAS

- असमानता कई बिंदुओं पर **कष्ट उत्पन्न करती है,** जिससे समाज एक ऐसी दिशा में जा सकता है जिसमें अमीर लोग गरीबों को दासत्व की स्थिति के लिए बाध्य कर दें। अतः, इस प्रकार के कष्टों को कम करने में नैतिकता निहित है।
- असमानता **लोकतंत्र को भी कमजोर** करती है क्योंकि यह राजनीतिक व्यवस्था और सत्ता के पदों तक असमान पहुंच उत्पन्न करती है। (जॉन रॉल्स)।

रॉल्स कहते हैं कि **असमानता केवल तभी न्यायोचित ठहरायी जा सकती है जब यह समाज में प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचाए,** विशेषकर उन्हें जो सर्वाधिक गरीब और सुभेद्य हैं।

आर्थिक समृद्धि यदि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित नहीं करती है तो वह संसार में चिरस्थायी शांति, खुशहाली और विकास नहीं ला सकती। वे लोग जो न्याय और यहाँ तक कि जीवन हेतु आवश्यक न्यूनतम साधनों से भी वंचित हो गये हैं, वे उन शक्तिशाली लोगों के विरुद्ध उठ खड़े होंगे जो उन्हें न्याय देने से इनकार करते हैं और उनका विभिन्न तरीकों से दमन करते हैं। मानव समाज के इतिहास की अनेक क्रांतियों और जनांदोलनों ने स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित किया है। इसलिए, इस संसार में शांति और सद्भाव के लिए समन्वयपूर्ण विकास आवश्यक है। न्याय सुनिश्चित करने का उद्देश्य मात्र कुछ विधिक आवश्यकताओं को पूर्ण करना या युद्धों और संघर्षों से बचना मात्र नहीं है। इसकी आवश्यकता इस विश्वास से उत्पन्न होती है कि पृथ्वी पर सभी लोग मूल रूप से एक एकल मानव समुदाय का निर्माण करते हैं, जिसमें हर कोई हर किसी से संबंधित है और प्रत्येक व्यक्ति सभी के कल्याण के लिए उत्तरदायी है। न्याय की यह अवधारणा मूल रूप से पृथ्वी के सभी लोगों के साथ प्रेम एवं एकजुटता में निहित है।

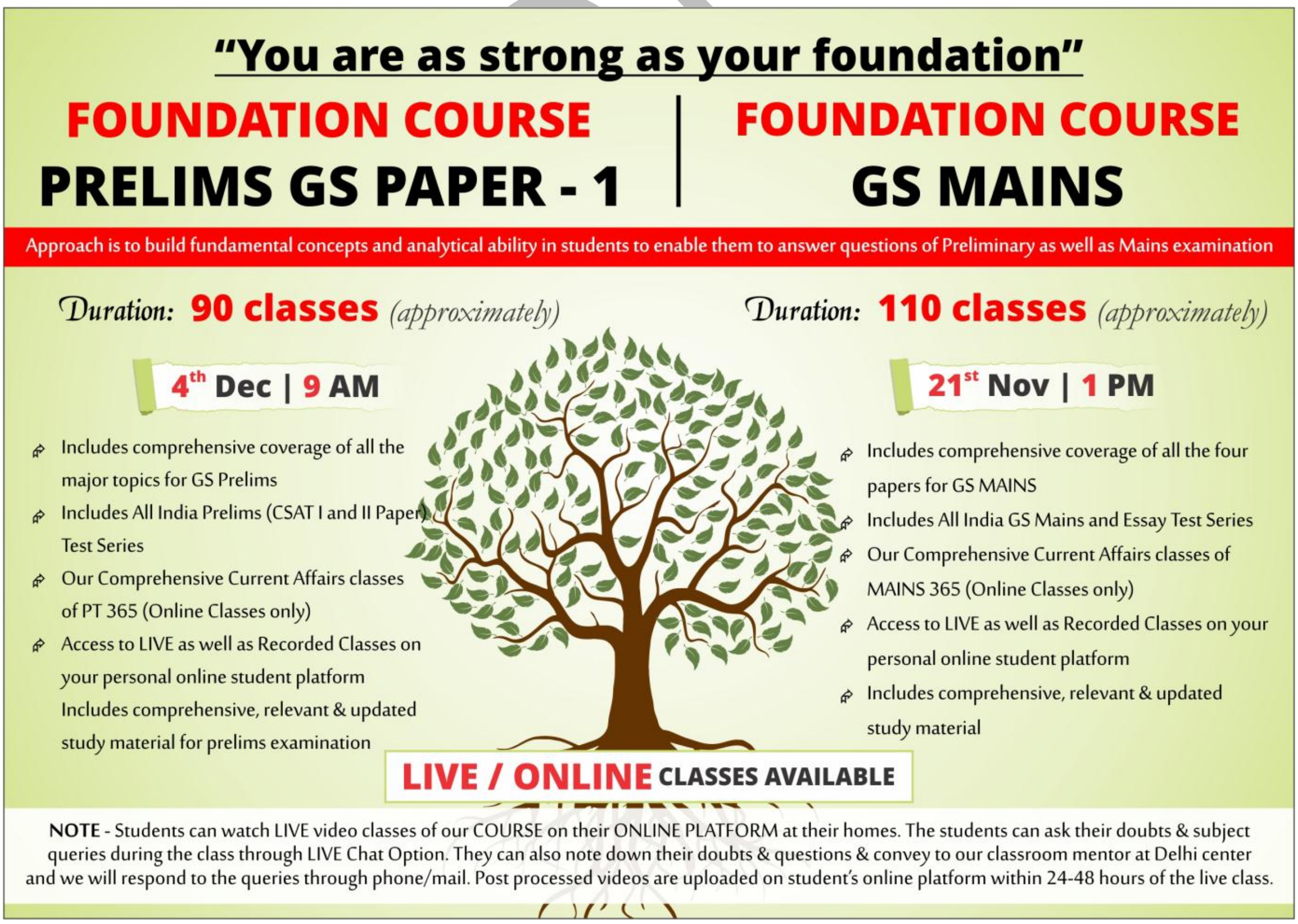

# 10. विविध

(MISCELLANEOUS)

## 10.1. अदिलाबाद डोकरा तथा वारंगल की दरियां

(Adilabad Dokra and Warangal Durries)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, अदिलाबाद डोकरा तथा वारंगल निर्मित दरियों को भौगोलिक संकेत पंजीकरण प्रमाण-पत्र (GI टैग) प्रदान किया गया है।

**अदिलाबाद डोकरा के विषय में**

- यह एक प्राचीन **घंटी धातु शिल्प (धातु की काश्तकारी)** है। यह कला **तेलंगाना के आदिलाबाद जिले** के जनजातीय क्षेत्रों में लोकप्रिय है।
- डोकरा कलाकार **वोज समुदाय** से संबंधित हैं, जिन्हें **वोजरी/ओटरी/ओहजास** कहा जाता है।
- यह कला अद्वितीय है क्योंकि इसकी प्रत्येक **कलाकृति आकार एवं आकृति में एक दूसरे से भिन्न होती है** और इसलिए घंटी की प्रतिकृति बनाना लगभग असंभव है।
- एक प्राचीन कास्टिंग तकनीक का प्रयोग कर शिल्पकार द्वारा कांसा निर्मित वस्तुओं को तैयार किया जाता हैं जिन्हें **सिरे पेड्यू** (लॉस्ट वैक्स तकनीक के लिए उपयोग में लाया जाने वाला फ्रेंच शब्द) कहा जाता है।
- कलाकृतियों में मुख्य रूप से स्थानीय देवताओं, घंटियां, नृत्य करती हुई आकृतियाँ, आभूषण, मूर्तियां और कई अन्य सजावटी वस्तुएं शामिल हैं।

**वारंगल दरियों के विषय में**

- इस दरियों की शैली के अंतर्गत, बुनकरों द्वारा इन्हें खूबसूरत पैटर्न प्रदान किया जाता है। साथ ही **वानस्पतिक रंगों (vegetable colours) का उपयोग करके डाई किया जाता** है। प्रिंटिंग (चित्र उकेरने) के पश्चात इन रंगों को **बहते हुए जल से साफ़** किया जाता हैं।
- वारंगल के निजाम ने **1934 में आज़म जाही मिल्स** की स्थापना की थी, इससे कपास आधारित बुनाई उद्योग, विशेष रूप से इस क्षेत्र में दरियों के लिए एक अनुकूल परिवेश का निर्माण हुआ।

**लॉस्ट वैक्स तकनीक**

इस तकनीक में मूर्तियों को मिट्टी से निर्मित एवं तैयार किया जाता है। इस मिट्टी के प्रतिरूप को मोम के धागे से लपेटा जाता है और एक सांचे में रखा जाता है। मोम को पिघलाकर बाहर निकालने के लिए सांचे को गर्म किया जाता है और फिर मूर्ति की वांछित आकृति प्राप्त करने के लिए पिघली हुई धातु को सांचे में डाला जाता है।

**(GI टैग के विषय में अधिक जानकारी के लिए, विज़न IAS के नवंबर 2017 के करेंट अफेयर का संदर्भ ले सकते हैं।)**

## 10.2. वर्ल्ड काउंसिल ऑन सिटी डेटा सर्टिफिकेशन

(World Council on City Data Certification: WCCD)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

वर्ल्ड काउंसिल ऑफ़ सिटी डेटा सर्टिफिकेशन (WCCD) द्वारा जारी 50 शहरों की सूची में चेन्नई को शामिल कर लिया जायेगा।

**अन्य सम्बंधित तथ्य**

- **अहमदाबाद, पुणे, सूरत** और **जमशेदपुर** पहले ही **सिटी डेटा फॉर इंडियन इनिशिएटिव** के तहत WCCD से प्रमाणपत्र प्राप्त कर चुके हैं।
- WCCD, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, कॉर्पोरेट भागीदारों, शैक्षणिक समुदाय तथा शहरों के मध्य रचनात्मक भागीदारी के लिए एक वैश्विक केंद्र (global hub) है। यह भविष्य में होने वाले नवाचारों, वैकल्पिक भविष्य की परिकल्पना करने तथा शहरों को बेहतर एवं निवास योग्य बनाने में सहयोग प्रदान करता है।
- यह वैश्विक स्तर पर तुलनीय शहरी आँकड़ों (globally-comparable city data) हेतु **WCCD ISO 37120 प्रमाण पत्र प्रकाशित करता है। यह प्रमाण पत्र** अन्य शहरों से तुलना कर शहरों के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रदर्शन को मापने हेतु संकेतकों का एक व्यापक सेट प्रदान करता है।
- ISO 37120 प्रमाणित होने के पश्चात, चेन्नई को WCCD के ग्लोबल सिटी रजिस्ट्री में शामिल कर लिया जाएगा।
- शहर से संबंधित डेटा WCCD के ओपन सिटी डेटा पोर्टल पर उपलब्ध है और इसे नगरीय निकायों, राज्य और केंद्रीय प्राधिकरणों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों आदि द्वारा उपयोग किया जा सकता है।

VISION IAS

- **प्रमाणीकरण का महत्त्व**
    - प्रमाणीकरण **स्वतंत्र रूप से सत्यापित और वैश्विक स्तर पर तुलनीय शहरी आंकड़ों** के साथ शहरों को एक स्मार्ट, संधारणीय और बेहतर भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन करेगा।
    - यह शहर को **वैश्विक शहरों के साथ प्रतिस्पर्धा** करने एवं **विश्व स्तरीय सुविधाओं** को सुनिश्चित करने में सक्षम बनाएगा।

**सिटी डेटा फॉर इंडिया इनिशिएटिव (City Data for India Initiative)**

- इसे टाटा ट्रस्ट और WCCD द्वारा स्थापित किया गया है।
- इसका उद्देश्य लाखों भारतीय शहरी नागरिकों के लिए बेहतर आधारभूत संरचना सेवाओं, समावेशी समृद्धि और जीवन की गुणवत्ता में सहयोग प्रदान करना है।
- यह पहल शहरी नियोजन,अवसंरचनात्मक निवेश और परिचालन प्रदर्शन में सुधार के क्रम में आंकड़ों के अनुरूप निर्णय लेने हेतु भारत के प्रमुख शहरी नेताओं, निर्णय निर्माताओं और नागरिकों को सशक्त बनाता है।

## 10.3 UN रोड सेफ्टी ट्रस्ट फंड

**(UN Road Safety Trust Fund)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र ने विश्व भर में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु UN रोड सेफ्टी ट्रस्ट फंड का शुभारम्भ किया है।

**UN रोड सेफ्टी ट्रस्ट फंड से सम्बंधित विवरण**

- यह UN इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप द्वारा प्रबंधित एक ट्रस्ट फंड है।
- इसका लक्ष्य सभी स्तरों पर प्रभावी कार्रवाई हेतु संसाधनों के एकत्रीकरण में व्याप्त अंतरालों को कम कर वैश्विक सड़क सुरक्षा में त्वरित सुधार लाना है।
- यह फंड सरकारों, अंतर सरकारी या गैर-सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र एवं परोपकारी संगठनों तथा व्यक्तियों से संसाधनों को लामबंद करेगा।
- यह सरकारी एजेंसियों, स्थानीय सरकारों और शहरी प्राधिकारियों की क्षमता को बेहतर बनाने पर केंद्रित होगा जिससे सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों को विकसित और कार्यान्वित करने के क्रम में निम्न और मध्यम आय वाले देशों में **परियोजनाओं को प्राथमिकता** दी जा सके।
- यह मुख्य रूप से दो पहलों को सहयोग प्रदान करेगा;
    - **ग्लोबल प्लान फॉर डिकेड ऑफ़ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी (2011- 2020) के पांच आधार -** इसे संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा सहयोग द्वारा विकसित किया गया है। इसके अनुसार किये जा रहे प्रयास इन्ही पांच आधारों पर केन्द्रित होने चाहिए।
    - **सतत विकास लक्ष्य -**
        - 3.6 जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं से होने वाले वैश्विक मृत्यु और दुर्घटनओं की संख्या को कम करना है।
        - 11.2 का उद्देश्य सड़क सुरक्षा में वृद्धि कर सभी के लिए सुरक्षित, वहनीय, सतत परिवहन प्रणाली तक पहुंच प्रदान करना है।

**UN इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप**

- यह 1947 में यूरोप के लिए एक क्षेत्रीय आयोग, ECOSOC (यूनाइटेड नेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल) द्वारा स्थापित किया गया था।
- UNECE में यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया के 56 सदस्य देश शामिल हैं।
- भारत इसका **सदस्य देश नहीं** है।
- इसका मुख्य उद्देश्य पैन-यूरोपियन इकनोमिक इंट्रीग्रेशन को बढ़ावा देना है।

**सड़क सुरक्षा के लिए अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रयास**

- संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा सम्मेलन।
- एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा प्रस्तावित सड़क सुरक्षा कार्य योजना है। इसके अंतर्गत यातायात की सर्वोत्तम गतिशीलता, यातायात परिसंचरण को बढ़ावा देने, रश-ऑवर लेन (rush-hour lanes) का निर्माण और सेल्फ-एक्सप्लेन्ड **(self-explained roads)** सड़कों की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

VISION IAS

## 10.4.विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक

**(World Press Freedom Index)**

**सुर्खियों में क्यों ?**

हाल ही में, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक (PFI) 2018 में 180 राष्ट्रों की सूची में भारत 136वें स्थान पर रहा।

**सूचकांक से संबंधित अन्य विवरण**

- इस सूचकांक का निर्धारण **रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (Reporters Sans Frontières, RSF)** द्वारा तैयार प्रश्नावली पर विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया को एकत्रित करके किया जाता है। इस गुणात्मक विश्लेषण को पत्रकारों के प्रति हुए दुर्व्यवहार और हिंसक कृत्यों पर आधारित मात्रात्मक डेटा के साथ संयुक्त किया जाता है।
- यह प्रश्नावली देश के प्रदर्शन सम्बन्धी आकलन हेतु निम्नलिखित मानदंड श्रेणियों पर केंद्रित है:
    - **बहुलवाद (Pluralism):** मीडिया में अभिव्यक्त विभिन्न प्रकार के मतों के स्तर को मापता है।
    - **मीडिया की स्वतंत्रता (Media independence):** मीडिया की राजनीतिक, सरकारी, व्यावसायिक और धार्मिक शक्ति एवं प्रभाव संबंधी स्रोतों से स्वतंत्र रूप से कार्य करने की सक्षमता का स्तर।
    - **परिवेश और सेल्फ-सेंसरशिप (Environment and self-censorship):** वह परिवेश, जिसमें समाचार और सूचना प्रदाता कार्य करते हैं।
    - **वैधानिक ढांचा (Legislative framework):** समाचार एवं सूचना गतिविधियों को नियंत्रित करना।
    - **पारदर्शिता (Transparency):** समाचार और सूचना की प्रस्तुतिकरण को प्रभावित करने वाली संस्थाओं और प्रक्रियाओं की पारदर्शिता।
    - **बुनियादी ढांचा (Infrastructure):** समाचार और सूचना के प्रस्तुतिकरण हेतु सहायक बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता।
    - **दुर्व्यवहार (Abuses):** पत्रकारों के विरुद्ध होने वाले दुर्व्यवहार और हिंसा का स्तर मापता है।
- 180 शक्तिशाली राष्ट्रों की सूची में नॉर्वे शीर्ष पर और उत्तरी कोरिया सबसे निचले पायदान पर है।

## 10.5. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन ग्लोबललिंकर

**(FIEO Globallinker)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- हाल ही में, सरकार ने MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) निर्यातकों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म 'फियो ग्लोबल लिंकर' लांच किया है।

**अन्य सम्बंधित तथ्य**

- यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम पैमाने के निर्यातकों (MSME) के लिए उनके व्यवसाय का डिजिटलीकरण करने और बढ़ते व्यवसायों के वैश्विक समुदाय में शामिल होने हेतु एक डिजिटल मंच है।
- यह पहल भारत की बहु-केंद्रित निर्यात रणनीति का विस्तार करने और इसके साथ ही बाजार में कला एवं कलाकारों को जोड़ने में सहायता करेगी।
- यह डिजिटल प्लेटफार्म निःशुल्क उपलब्ध है तथा यह निर्यातकों को विभिन्न प्रकार की विशेषताएं और लाभ प्रदान करता है जैसे- निर्यातक, सर्च एवं रिव्यू सुविधाओं का उपयोग कर विभिन्न ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और सलाहकारों को ढूंढने में समर्थ हो पाएंगे। बिजनेस संबंधी आलेखों के माध्यम से अद्यतन व्यावसायिक जानकारी आदि।

- फियो ग्लोबल लिंकर वर्तमान में तीव्रता से बढ़ता हुआ वैश्विक नेटवर्क है, जिसमें 1,40,000 से अधिक SME फर्में सम्मिलित हैं। ये SME फर्में, प्लेटफॉर्म पर सृजित अपने इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कार्ड और डिजिटल प्रोफाइल का उपयोग कर व्यवसायिक गठबंधन करने के साथ-साथ विकास अवसरों को बढ़ाना चाहती हैं।

**फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (FIEO) के विषय में**

- इसे 1965 में भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय तथा निजी व्यापार एवं उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया था।
- भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए FIEO, भारत सरकार का एक भागीदार है।

**(MSME के संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए फरवरी माह 2018 के करेंट अफेयर्स का पृष्ठ 34 देखें।)**

## 10.6. अभ्यास चक्रवात

**(Exercise 'Chakravat')**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, कोचीन में एक संयुक्त मानवतावादी सहायता और आपदा राहत (Humanitarian Assistance and disaster relief: HADR) अभ्यास 'चक्रवात" आयोजित किया गया।

**अन्य सम्बंधित तथ्य**

- चक्रवात एक अभ्यास है। यह भारतीय नौसेना-दक्षिणी कमान द्वारा केरल सरकार के साथ समन्वय करके आयोजित किया गया है।
- इस अभ्यास के दौरान आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए सशस्त्र बलों और राज्य एजेंसियों की क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया था, जो मुख्यतः **चक्रवात से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने** के विषय पर केंद्रित थी।

**Copyright © by Vision IAS**

*All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS*